

Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870

ISSN (Prit) : 2350-0441

Shodh Chetna

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal Research Journal

Year : 11

Vol. - 4

(Oct. to Dec., 2025)

ADVISORY BOARD

- Dr. Surya Naryan Gautam
(Director, Research & Development, Eklavya University, Dahoh, M.P.)
- Prof. Ashish Khare (University of Allahabad)
- Prof. V.P. Upadhayay (Punjab University, Chandigarh)
- Prof. Alok Singh (Principal, KNI of Social Science, Sultanpur)
- Prof. L.C. Chaudhary (HOD. Animal Nutrition IVRI, Barilly)
- Prof. Sanjay Shanker Mishra (TRS College, Rewa)
- Dr. D.N. Tripathi (Retd. Sanskrit, D.S.P.G. College, Aligarh)
- Dr. Ram Dhani (Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)
- Dr. Karuna Anand (Psychology, G.D.H. Girls College, Moradabad, U.P.)

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Prof. (Dr) Sheetla Prasad Verma
Head, Dept. of A.H. & Dairy Sceince,
Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj
Mob.: 9415645164

Chief Managing Editor

Sushil Kumar Kushwaha
Mob.: 9532481205
e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor

Harsh Kushwaha
Mob.: 9807520344

Sub Editors

1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh-Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa-M.P.)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh (Shri JJT University, Jhunjhunu-Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa-M.P.)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa-M.P.)
6. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
7. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa-M.P.)
8. Dr. Sudha Soni (Govt. Girls Degree College, Rewa-M.P.)
9. Preeti Vishwakarma (Govt. Babu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
10. Dr. Jeetendra Kumar Pandey (Govt. College, Nashtigawan, Rewa, M.P.)
11. Prof. Kalpana Mishra (Jawahar Lal Nehru College of Technology, M.P.)
12. Dr. (Smt.) Bhawana Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
13. Ram Kumar Arya (Govt. Babu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
14. Sheetal Surodhiya (Govt. Babu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
15. Smt. Nisha Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
16. Dr. Shrikant Shukla (Govt. P.G. College, Amarpatan, Satna, M.P.)

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remuneration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March)-Vol.-1, (Apr. to June) Vol.- 2, (July to Sept.) Vol.-3, (Oct. to Dec.) Vol.-4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहराबाग, प्रयागराज से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, चक, जीरो रोड, प्रयागराज से मुद्रित
(Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com, website : www.shodhchetna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज रहेगा।

G.H. PUBLICATION

Registered Office :

121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003

E-mail : ghpublication@gmail.com, website : www.shodhchetna.com

Branch Office :

R.L. VISHWAK;RMA

C/o Preeti Computer, Angoori Building, University Road, Rewa (M.P.)

LIST OF REVIEWERS

- | | |
|--|--|
| 1. Prof. K.P. Chaudhary, Ag. Ext. (Aijol) | 18. Prof. Mansa Ram Verma, Sanskrit (Gonda) |
| 2. Dr. Vineet Verma, Mathematics (Lucknow) | 19. Prof. Gyan Prakish Verma
Commerce (Meerut) |
| 3. Dr. Vikram Singh, Agronomy (Prayagraj) | 20. Prof. P.K. Pachauri, Physical Education
(Prayagraj) |
| 4. Dr. Amitabh Dwivedi, Zoology (Prayagraj) | 21. Dr. Vikis Singh, Physics (Prayagraj) |
| 5. Dr. Bipin Kumar, Plant Pathology (Prayagraj) | 22. Prof. R.L. Pal, Agri. Chem. (Prayagraj) |
| 6. Prof. Abhay Kumar Singh, Military Science
Principal, K.S. Saket P.G. College (Ayodhya) | 23. Dr. Ratan Kumari Verma, Hindi (Prayagraj) |
| 7. Prof. Surya Narayan, Horticulture (Prayagraj) | 24. Dr. Deena Nath, Hindi (Prayagraj) |
| 8. Dr. Aradhana Kumari, History (Prayagraj) | 25. Dr. Vinay Kumar Singh Patel
Sociology (Prayagraj) |
| 9. Prof. Parvati Singh, H.Sc. (Prayagraj) | 26. Dr. Manvendra Verma
Defence Studies (Prayagraj) |
| 10. Dr. Praveen Singh, Chemistry (Prayagraj) | 27. Dr. Hanuman Prasad Gupta, Law (Prayagraj) |
| 11. Dr. Arvind Verma, Agri. Engg. (Mathura) | 28. Dr. R.B. Singh, Statistics (Meerut) |
| 12. Dr. A.K. Verma, Animal Nutrition (Bareilly) | 29. Dr. Arun Kumar Verma, Hindi (Pratapgarh) |
| 13. Dr. Salimuddin Uddin
Genetic & Plant Breeding (Prayagraj) | 30. Dr. Pramod Yadav, Librarary Science
(Prayagraj) |
| 14. Dr. Shikha Verma, Education (Ayodhya) | 31. Dr. Ramesh Kumar, Commerce (Ambedkar
Nagar) |
| 15. Dr. Sandeep Singh Kashyap
L.P.M. (Sant Kabir Nagar) | |
| 16. Dr. A.K. Rai, Agri. Eco. (Prayagraj) | |
| 17. Prof. Faizan Ahmed
Political Science (Budaun) | |

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध-प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों
के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें-

जी.एच. पब्लिकेशन

रजिस्टर्ड कार्यालय : 121, शहराराबाग, प्रयागराज-211003

दूरभाष : 0532-2563028 मो. -9532481205

E-mail : ghpublication@gmail.com

शाखा कार्यालय : आर.एल. विश्वकर्मा द्वारा प्रीति कम्प्यूटर
अंगूरी बिल्डिंग, रीवा (म.प्र.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III - खण्ड 4

PART III - Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ 27, 1940

No. 271]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

[भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

105

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education/ Physical Education/Commerce/ Management & other related disciplines
1.	Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals	08 per paper	10 per paper
2.	Publication (other than research Papers)		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	8	8

RNI No. UPBILL/2015/63870

ISSN (Print) : 2350-0441

विशेष आवश्यक सूचना

आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष की प्रतीति हो रही है कि

Shodh Chetna

शोध-चेतना

A Peer-Reviewed & Refereed

International Multifocal Research Journal

(Frequency - Quarterly)

में प्रकाशित माननीय शोधार्थियों के शोध-पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों

(केन्द्रीय/राज्य), महाविद्यालयों (शासकीय/अशासकीय),

शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य बौद्धिक मठों, आश्रमों/शोध-संस्थानों

के पुस्तकालयों में अनवरत् रूप से निःशुल्क भेजी जा रही है,

जिससे इन शोध दृष्टियों से

‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’

का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

..... प्रकाशक

◆◆ आज ही आदेश करें ◆◆

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध-प्रबन्ध, पुस्तक-समीक्षा एवं पुस्तकों के
प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें-

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, प्रयागराज-211003 (उ.प्र.)

दूरभाष : 0532-2563028 मो. : 9532481205

E-mail : ghpublication@gmail.com

© *Publishers*Registration Fee : **Rs. 1500.00**Single Copy : **Rs. 250.00**
(Individual)Institution : **Rs. 500.00**Annual Subscription : **Rs. 1000.00**
(4 Issues)Life Time Member Fee : **Rs. 5000.00**
(Individual)Life Time Member Fee : **Rs. 7000.00**
(Institution)*Mode of Payment :*

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of :

G.H. Publication**Union Bank of India**

Main Branch, Civil Line, Prayagraj-3

A/c. 394301010122432

IFSC : UBIN0530271

Or

Phone Pay (M.) 9532481205**Sushil Kumar Kushwaha****Please Research Paper will be sent in our E-mail : ghpublication@gmail.com****&****Our Whatsapp No.: 9532481205**

Our Life Time Member of Shodh-Chetna Research Journal

1. Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajasthan
2. Kulbhashker Ashram P.G. College, Prayagraj (U.P.)
3. International Federation of Astrology and Spiritual Science & Recognised by Govt. of India and Shri Lanka (Chandigarh)
4. Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh (U.P.)
5. Baba Barua Das P.G. College Ambedkjr Nagar (U.P.)
6. Elite Public B.Ed. Colleg, Palamu (Jharkhand)
7. Dr. Aditi Sakia M.D.K.G. College, Dibrugarh (Assam)
8. Dr. Poonam Mishra, T.R.S. College, Rewa (M.P.)
9. Dr. Jeetendra Kumar Pandey, Rewa (M.P.)
10. Dr. Shri Kant Shukla, Satna (M.P.)
11. Dr. Ram Kumar Arya, Chhatarpur (M.P.)
12. Prof. Sanjay Shankar Mishra, T.R.S. College, Rewa (M.P.)
13. Dr. Surya Narayan Gautam Eklovyia University, Damoh (M.P.)

अनुक्रम

- | | | |
|-----|---|-------|
| 1. | भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका और उन पर उठते हुए
सवालियों का चुनाव आयोग द्वारा स्पष्टीकरण
प्रियंका महर्षि एवं डॉ. राम दर्शन फोगाट | 11-14 |
| 2. | Temporal Variations in Arbuscular Mycorrhizal Colonization of
Euphorbiaceae Plants from Nanded, District Nanded of Maharashtra, India
Sanap Yashraj Namdevrao, Dr. Dinesh Kumar Singh &
Dr. Patil Shyam Sopanrao | 15-18 |
| 3. | संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीयता
डॉ. प्रवीण कुमार झाडी | 19-22 |
| 4. | From Silence to Speech: Exploring Dalit Women's Consciousness
in Urmila Pawar's The Weave of My Life
Mrs. Kranti Lodhi & Dr. Nisha Indra Guru | 23-27 |
| 5. | Concept of Environment in Vedic Period in Ancient India
Ekta Chaturvedi & Dr. (Prof.) Poonam Mishra | 28-33 |
| 6. | Female Resistance against Domestic Violence in
Ruth Ozeki's My Year of Meats
Priyanka Maheshwari & Dr. Shalini Dube | 34-37 |
| 7. | Problems and Prospects of Agricultural Development
in Muzaffarpur District
Rashmi & Prof. (Dr.) Ram Pravesh Yadav | 38-41 |
| 8. | Economic Impact of Water Scarcity and Sustainable
Irrigation Practices in Central India
Dr. Bhumi Vyas | 42-44 |
| 9. | Safety Climate Disparities Between Permanent and Contingent
Workers in Indian Manufacturing : A Cross-Sectional Analysis
Arvind Raghunath Khot & Dr. Javid Manzoor | 45-52 |
| 10. | मुगलकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति
प्रो. (डॉ.) राजेश कुमार | 53-59 |
| 11. | IMPACT OF ENVIRONMENTAL CHANGES ON MEDICINAL
PLANTS AND COMMUNITY-BASED CONSERVATION
STRATEGIES IN JHUNJHUNU DISTRICT, RAJASTHAN
Monika & Dr. Dinesh Kumar Singh | 60-63 |
| 12. | भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन और कस्तूरबा गाँधी
डॉ. फैज़ान अहमद | 64-70 |

13.	ECONOMIC SIGNIFICANCE AND LIVELIHOOD CONTRIBUTION OF ETHNOMEDICINAL PLANTS IN TEHSIL PANHALA, DISTRICT KOLHAPUR, MAHARASHTRA Patil Manohar Nivrutti, Dr. Dinesh Kumar Singh & Dr. Ravindra P. Jadhav	71-77
14.	भारतीय ज्ञान परम्परा : समग्र और बहु-विषयक परिवर्तन की नई दिशा डॉ. सत्येन्द्र सिंह एवं डॉ. कल्पना द्विवेदी	78-82
15.	बदलती भारतीय विदेश नीति एवं भारत-अमेरिका सम्बन्ध वैष्णवी जौहरी एवं डॉ. अनुपमा सिंह**	83-87
16.	छत्तीसगढ़ में शासकीय योजनाओं में रोजगार के अवसर (महिलाओं के सन्दर्भ में) डॉ. प्रेमलता एक्का	88-92
17.	कबीर का सामाजिक प्रदाय डॉ. विकासचन्द वर्मा	93-96
18.	किन्नर समाज की उत्पत्ति एवं इतिहास शालिनी वर्मा	99-103
19.	Reimagining Academic Libraries: Marketing Strategies for Library Services in India Santosh Kumar Yadav	104-109
20.	THE ROLE OF PRE-ENTRY TRAINING IN ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT : EVIDENCE FROM WOMEN MSME ENTREPRENEURS IN UTTAR PRADESH Anubha Singh, Dr.Indu Singh & Dr. Pankaj Sharma	110-119
21.	बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में मोटे अनाजों का महत्त्व डॉ श्रुति पाण्डेय	120-122
22.	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की रीतिकालीन साहित्य विषयक इतिहास दृष्टि माया	123-127
23.	श्रीमंत शंकरदेव का नववैष्णव भक्ति आंदोलन और मुखौटा कला डॉ. आदित्य कुमार मिश्र	128-133
24.	जिला रीवा पुलिस बल की प्रशासनिक व्यवस्था (वर्तमान परिप्रेक्ष्य में) शिवकरण डोहर	134-142
25.	डिजिटल-युग में भाट जाति द्वारा वंशावली-संधारण की चुनौतियाँ और परिवर्तन (एक सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन) अमित कुमार सिंह	143-148
26.	विष्णु पुराण में भारत-बोध डॉ. सन्दीप कुमार तिवारी	149-153

- | | | |
|-----|--|---------|
| 27. | Psychoanalytic Perspectives on Gender and Oppression in Anuradha Roy's <i>An Atlas of Impossible Longing</i>
Vedanshu Gautam & Prof. Kalpana Agrawal | 154-160 |
| 28. | Producing Space, Producing Grief: The Fictional World in Anuradha Roy's <i>The Folded Earth</i>
Sushma Dwivedi & Prof. Kalpana Agrawal | 161-167 |
| 29. | Surviving the White Darkness: Postcolonial Anxiety in Hywel Richard Pinto's <i>Europa</i>
Bhagya Shree Mishra & Prof. Kalpana Agrawal | 168-172 |
| 30. | ASSESSMENT OF INVASIVE ALIEN PLANT SPECIES DISTRIBUTION, IMPACTS, AND MANAGEMENT PRIORITIES IN SOLAPUR DISTRICT, MAHARASHTRA, INDIA
Tolnure Pratiksha Prakash, Dr. Dinesh Kumar Singh & Dr. Ravindra P. Jadhav | 173-181 |
| 31. | डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी के काव्य में तत्कालीन यथार्थ
डॉ. विजय लक्ष्मी | 182-187 |
| 32. | भारतीय ज्ञानपरम्परायाः दर्पणः पुराणस्य सांस्कृतिक धार्मिक च स्वरूपः
अभिलाष कुमार गौतम | 188-192 |
| 33. | व्यावसायिक कृषि में शिक्षा एवं तकनीक का महत्त्व
अजय कुमार पटेल एवं राकेश सिंह | 193-204 |
| 34. | महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज की भूमिका
अनुपमा सिन्हा एवं डॉ. गायत्री मिश्रा | 205-214 |
| 35. | समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में स्कूल प्रबंधन और कक्षा प्रबंधन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन
डॉ. प्रतीक्षा पाण्डेय | 215-220 |
| 36. | दलित और गैर-दलित स्त्रियों का यथार्थ जीवन
डॉ. नितिन गायकवाड | 221-229 |
| 37. | Reminiscing the Past: Relevant Features of Vedic Kaleen Education System for Modern Education Systems
Dr. Arun Pandey | 230-234 |
| 38. | Caste and Electoral Politics in Bihar: A Contemporary Review of Post-Assembly Election Literature
Dr. Pankaj Kumar Singh | 235-237 |
| 39. | रीवा स्टेट में पवाई रूल्स एवं उनकी नीतियाँ
डॉ. जैनेन्द्र कुमार मिश्रा | 238-246 |
| 40. | Assessment of End User Behaviour and Access Practices in Selected CSIR Institutional Repositories
Deepak Dangi & Prof. J.N. Gautam | 247-252 |





भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका और उन पर उठते हुए सवालों का चुनाव आयोग द्वारा स्पष्टीकरण

□ प्रियंका महर्षि*

□ डॉ. राम दर्शन फोगाट*

शोध-सारांश

आम आदमी की शासन सत्ता में भागीदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है लेकिन जनसंख्या की अधिकता और क्षेत्रफल की विशालता के कारण नागरिक को शासन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं मिल सकती। इसीलिए लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सत्ता के संचालन का प्रावधान है। प्रतिनिधित्व और मताधिकार लोकतंत्र के बुनियादी आधार हैं और इन बुनियादी आधार को अमली जामा पहनाने के लिए चुनाव संपादित करने पड़ते हैं। वास्तव में चुनाव के द्वारा लोकतंत्र में जनता को सत्ता से जोड़ा जाता है। इनके द्वारा ही जनता सरकार बनाती है और अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। भारत में चुनाव के सफल संचालन और नियंत्रण के लिए भारतीय संविधान में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह शोध-पत्र भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका को उजागर करता है जो दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए उत्तरदाई है। साथ ही चुनाव आयोग के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ तथा विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए सवाल और उन सवालों के जवाब में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गए स्पष्टीकरण पर प्रकाश डालता है।

चुनाव आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हो गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324

के अनुसार भारत का चुनाव आयोग संसद और राज्य विधान मंडल (राज्य विधानसभा और विधान परिषद) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए

* पी-एच.डी. छात्रा, राजनीति विज्ञान, श्री जगदीश प्रसाद साबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुंनझुनू ईमेल : maharshipri.30@gmail.com

** शोध निर्देशक, श्री जगदीश प्रसाद साबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, झुंनझुनू

चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षक, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार रखता है। शुरुआत में आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था; बाद में 1989 में इसे बहुसदस्यीय बनाकर इसमें तीन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया गया और चुनाव संबंधित निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाने लगे। इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वही उनकी सेवा शर्त व पदावधि तय करते हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ

निर्वाचन आयोग को तीन प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं—

(1) **परामर्शात्मक शक्ति**— राष्ट्रपति और राज्यपाल को सांसद, विधायकों की योग्यता पर सलाह देना।

(2) **प्रशासनिक शक्ति**— निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव संचालन।

(3) **अर्ध-नायिक शक्ति**— राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह पर विवादों का निपटारा।

निर्वाचन आयोग की भूमिका

अपनी निर्धारित भूमिका में भारत के चुनाव आयोग के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती विविधता से भरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए मानदंडों और आदर्श आचार संहिता को लागू करना है। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की जाँच करने और उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई करने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग के मुख्य कार्य—

- मतदाता सूची तैयार करना।
- चुनाव अधिकारी को नियुक्त करना।
- वोटों की गिनती और परिणाम घोषित करना।
- चुनाव संबंधी शिकायत का निपटारा करना।

- उपचुनाव की अधिसूचना जारी करना।
 - योग्यता के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देना।
 - चुनावी विवाद के लिए न्यायाधिकरण बनाना।
- चुनावी अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ**

1. **मॉडल आचार संहिता (Model Code Of Conduct)**— चुनाव की घोषणा से परिणाम तक लागू यह संहिता राजनीतिक दल उम्मीदवार के लिए नैतिक दिशा—निर्देशन तय करती है— सरकारी संसाधन के दुरुपयोग को रोकती है, ताकि चुनाव निष्पक्ष हो।

2. **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और VVPAT**— यह तकनीक नवाचार मतदाता के पसंद को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से दर्ज करते हैं।

3. **मतदाता सूची का रख रखाव**— आयोग नियमित रूप से मतदाता सूची को अपडेट करता रहता है ताकि फर्जी मतदान—दोहराव और पहचान की चोरी जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

4. **SWEEP कार्यक्रम**— यह पहल मतदाता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देती है, जिससे नागरिकों को उनके अधिकार और चुनाव प्रक्रिया की जानकारी मिलती है।

5. **नवाचार प्रवासी श्रमिक** के लिए रिमोट वोटिंग और डिजिटल टूल्स का उपयोग।

6. मतदाता दिवस (25 जनवरी) मनाना।

7. **डिजिटल नामांकन** की सुविधा तथा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जानकारी देना।

विपक्षी पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए गए सवाल

- **ईवीएम और वीवीपीएट की विश्वसनीयता**— विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है और इससे चुनाव परिणाम

प्रभावित हो सकते हैं।

- **आचार संहिता (Model Code Of Conduct) का पालन**—विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि सत्ताधारी दल के नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आयोग नरमी दिखाता है, जबकि दूसरी ओर छोटे दल और विपक्षी पार्टियों पर कड़ी कार्रवाई होती है।
- **नियुक्तियों की निष्पक्षता**— विपक्षी दल कहते हैं कि सरकार नियुक्तियों में अपनी पसंद के लोगों को चुनती है, जिससे आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
- **चुनावी कार्यक्रम घोषणा**— चुनाव तिथियाँ और चरण इस तरह से तय किए जाते हैं जिससे सत्ता पक्ष को अधिक लाभ मिले।
- **सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग**— सत्तारूढ़ दल चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी संसाधनों (हे ली कॉम्पटर, सरकारी विज्ञापन, योजनाओं की घोषणा) का इस्तेमाल करते हैं और आयोग उस पर कार्रवाई नहीं करता।

अभी हाल ही 2024-2025 में विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप व उन आरोपों पर आयोग का स्पष्टीकरण

1. 'वोट चोरी' का आरोप— राहुल गांधी ने "गुजरात मॉडल" को वोट चोरी का मॉडल बताया और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए इलेक्शन कमीशन को और सबूत पेश करने की चुनौती दी।

चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण— आयोग ने इन आरोपों को "Wild Allegation" कहा। आयोग ने स्पष्ट किया कि वोट रोल में डुप्लीकेट मिलने का मतलब यह नहीं है कि दो बार वोट हुआ है। आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों को

गंभीरता से लिया और उनसे कहा कि या तो वह 7 दिनों के भीतर सत्यापित घोषणा पत्र जमा करें या फिर राष्ट्र से माफी माँगे अन्यथा उनके आरोप "अवास्तविक" और "समर्थनहीन" माने जाएँगे।

2. इलेक्शन कमीशन द्वारा सवालियों का जवाब न मिलना—प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सवालियों के जवाब नहीं देने पर विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का प्रवक्ता कहा। सीईसी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि हमारे लिए न तो कोई सत्ताधारी पक्ष है और न ही विपक्ष। इलेक्शन कमीशन ने विरोधियों से कहा कि ऐसे आरोपों को व्यक्तिगत रूप से लिखित सबूत के साथ आयोग तक पहुँचाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाने मात्र से काम नहीं चलेगा।

3. बिहार में SIR (Special Intensive Revision) पर आपत्तियाँ— बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य फिर से शुरू किया, इसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। विपक्षी दलों ने इसे वंचित समुदायों के साथ भेदभाव बताया। TMC ने कहा कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में अनैतिक रूप से करवाई गई है ताकि चुनाव में बीजेपी को लाभ हो।

इन आरोपों के स्पष्टीकरण में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी Claims और Objection स्वीकार किए जाएँगे और यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तारीख तक जारी रहेगी। संशोधन निष्पक्ष ढंग से हो रहा है और कोई भी सत्ताधारी पक्ष या विपक्ष हमारे लिए मायने नहीं रखता है।

इसके अलावा विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन पर डाटा की पारदर्शिता, वोटिंग ऑकड़ों में देरी, संशोधित डाटा का खुलासा नहीं करना, अनाम राजनीतिक दलों को बड़े दान, वोटर लिस्ट में हेराफेरी और निष्पक्षता की कमी का आरोप लगाया

है।

जवाब में चुनाव आयोग ने विरोधियों से कहा कि ऐसे आरोपों को व्यक्तिगत रूप से लिखित सबूत के साथ हम तक पहुँचाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाने मात्र से काम नहीं चलेगा। गलत आरोपों के लिए उनसे माफी की अपेक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग किसी के लिए भी पक्षपाती नहीं रहा और वह सभी पार्टियों के साथ समान व्यवहार करता है।

सुझाव

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार चुनाव आयोग के काम की सराहना की है, लेकिन कुछ मामलों में अदालत ने चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत भी बताई है। चुनाव आयोग को अधिक पारदर्शी, स्वतंत्र और प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्न हैं—

1. मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता— वर्तमान में केंद्र सरकार ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है, उसकी जगह एक स्वतंत्र चयन समिति होनी चाहिए।

2. चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और सुरक्षा— सभी चुनाव आयुक्त को एक समान संवैधानिक सुरक्षा और कार्यकाल की गारंटी दी जाए।

3. EVM और VVPAT में पारदर्शिता बढ़ाना।

4- VVPAT पर्चियों की कम से कम 50% जाँच।

5. मतदाता सूची में सुधार और अपडेट।

6. आदर्श आचार संहिता के निष्पक्ष पालन की गारंटी।

7. राजनीतिक दलों के खर्च और चंदा पर निगरानी।

8. फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर निगरानी।

9. वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रस्ताव पर संभावना और उसके प्रभाव पर निष्पक्ष अध्ययन।

निष्कर्ष

चुनाव आयोग को अधिक स्वतंत्र और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हालाँकि लोकतंत्र में सवाल उठाना और आलोचना करना एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और चुनाव आयोग को लेकर किसी भी पार्टी के आरोप की जाँच जरूर होती है। चुनाव आयोग ने हमेशा अपनी पारदर्शिता और निष्पक्षता का बचाव किया है और अदालत ने भी इस पर मुहर लगायी है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत में चुनाव : प्रमुख घटनाएँ और नई पहल (1 जनवरी, 2000), भारत का चुनाव आयोग
2. अग्रवाल, मनोज, चुनाव सुधार सुशासन की ओर एक कदम, प्रभात प्रकाशन, पब्लिकेशन, ISBN : 9789351864271
3. चौधरी, अनुराग, भारत में चुनाव के मुद्दों और चुनौतियाँ, व्हाइट्समैन पब्लिकेशन, ISBN : 9788195182930
4. सिंह.शिवम (फरवरी, 2019) 'हाउ टू विन एन इंडियन इलेक्शन व्हाट पॉलिटिकल पार्टी डॉन'ट वांट यू टू नो'। एबरी प्रेस, पब्लिकेशन, ISBN : 9780143446842
5. सुरबेक बिस्वास, किंगशुक चटर्जी, (22 अप्रैल, 2024), चौम्बर्स बुक ऑफ इंडियन इलेक्शन फैक्ट्स, हैचेट इंडिया पब्लिकेशन
6. उबाले एस., शेडगे वी. (2022), इलेक्शन रिफॉम्स इन इंडिया इश्यू एंड चैलेंज बिफोर द इलेक्शन कमिशन, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी लॉ जर्नल वॉल्यूम-11, PP.1-18
7. बांदवी, रहमान (312022), मतदान हमारा अधिकार, नेशनल प्रेस, पब्लिकेशन





Temporal Variations in Arbuscular Mycorrhizal Colonization of Euphorbiaceae Plants from Nanded, District Nanded of Maharashtra, India

- Sanap Yashraj Namdevrao*
□ Dr. Dinesh Kumar Singh**
□ Dr. Patil Shyam Sopanrao***

ABSTRACT

An examination of five plant species from the Euphorbiaceae family revealed them form arbuscular mycorrhizal (AM) associations. These plants, including E cyathophora Murr., E heterophylla L., E. hirta L., E. indica Lam, E neriifolia L. exhibited fungal associations in their roots and spore populations in the surrounding soil.

Seasonal Variations in AM Fungi

The study tracked the presence of AM fungi across three distinct seasons:

- **Rainy Season**– Only two genera were found: *Acaulospora* (1 species) and *Glomus* (1 species).
- **Winter Season**– The highest diversity was observed, with four genera: *Acaulospora* (1 species), *Gigaspora* (1 species), *Glomus* (3 species), and *Scutellospora* (1 species). The number of chlamydospores (a type of fungal spore) was also highest during this time.
- **Summer Season**– One genera were identified: *Scutellospora* (1 species). The chlamydospore count was at its lowest during the rainy season.

Colonization Levels Among Species

Among the plants studied Euphorbia heterophylla L showed the highest level of root colonization during the winter season. Conversely, E indica Lam was the only plant that showed no signs of colonization by arbuscular mycorrhizal fungi throughout the study.

Keywords– Family Euphorbiaceae, AM-fungi, root Colonization, Nanded.

* Research Scholar, Shri Jagdishprasad Jhabarmal Tibrewala University, Vidyanagari, Jhunjhunu (Rajasthan)

** Research Guide, Shri Jagdishprasad Jhabarmal Tibrewala University, Vidyanagari, Jhunjhunu (Rajasthan)

*** Research Co-Guide, Shardchandra Arts, Commerce and Science College Naigaon Dist. Nanded (M.S.)

INTRODUCTION

Mycorrhiza is a symbiotic connection between a fungus and the roots of a vascular plant. The term literally means fungus root combining the Greek words *mykes* (fungus) and *rhiza* (root). This mutually beneficial relationship which exists in an estimated vast majority of all land plants is crucial for both partners survival.

The fungal partners hyphae which are its intricate thread-like filaments proliferate extensively throughout the edaphic matrix effectively acting as a profound augmentation of the plant's radicular apparatus. This remarkable expansion dramatically augments the plant's absorptive surface area there by facilitating a more efficient acquisition of hydric resources and crucial mineralic nutrients, most notably phosphorus, which is frequently sequestered from plant assimilation. Reciprocally, the plant, via the process of photosynthesis, furnishes the fungus with carbohydrate compounds metabolic sustenance essential for its requisite energetic demands and subsequent development given the fungi's heterotrophic nature and inherent inability to synthesize their own trophic resources.

A year-long, season-by-season survey was conducted in and around Nanded city, in the Marathwada region of Maharashtra, to identify the AM fungal genera and species associated with five specific plant varieties. The plants were selected because they are cultivated throughout the year in this region.

MATERIALS AND METHODS:

Rhizospheric edaphic and radicular specimens were procured from five distinct plant species: "*Euphorbia cyathophora*, *E. heterophylla*, *E. hirta*, *E. indica*, and *E. neriifolia*." "The collection was conducted systematically across three distinct climatic periods, specifically the rainy, winter, and summer seasons, with each species being represented by three separate replicates. Following collection, the root samples were

transported to the laboratory for subsequent processing. There, they underwent the rough ablation with tap water before being segmented into 1-cm lengths. The specimens were then subjected to a clearing and staining protocol adhering strictly to the methodology established by Phillips and Hayman (1970).

Root colonization was assessed via the methodology established by Giovannetti and Mosse (1980). A hundred grams of rhizosphere soil was subjected to a meticulous analysis with spores isolated through the wet sieving and decanting procedure described by Gerdman and Nicolson."

The subsequent identification of arbuscular mycorrhizal (AM) fungal genera down to the species level was conducted utilizing the Manual for Identification authored by Schenck and Perez.

RESULTS AND DISCUSSION

Presented in Tables A and B is the data on the percentage of colonization and spore count for five different plants. All five of the native host plants examined across the three seasons belonged to the family Euphorbiaceae. These included *Euphorbia cyathophora* Murr., *Euphorbia heterophylla* L., *Euphorbia hirta* L., *Euphorbia indica* Lam., and *Euphorbia neriifolia* L. We identified several mycorrhizal genera in the soil samples collected from this site over the three seasons.

The data shows the presence of different arbuscular mycorrhizal (AM) fungal spore species across three seasons: rainy, winter, and summer. During the **rainy season**, only *Acaulospora* (specifically the *A. bireticulata* ABRT species) and *Glomus* (*G. mosseae* -LMSS species) spores were found. The **winter season** showed the highest diversity, with spores from four different genera: *Acaulospora* *A. bireticulata* (ABRT), *Gigaspora* *G. rosea*. (GRSA), *Glomus* (*G. aggregatum*-LAGR, *G. magnicaule*-LMGC, and *G. mosseae*-LMSS), and *Scutellospora* (*S. alborosea* -CALR). In the

summer season, only one genera were identified: *Scutellospora* (*S. alborosea*-CALR). The data suggests that the variety of AM fungal species changes significantly with the seasons, with the winter season supporting the greatest number of different species.

During winter, the number of Mycelium was at its peak 131 while summer saw a count of 51 and the rainy season had the lowest count at just 20. The plant *Euphorbia heterophylla* L. showed the highest amount of root colonization during winter compared to other native host plants screened whereas *Euphorbia indica* Lam showed no signs of colonization by arbuscular mycorrhizal fungi.

The **AM fungal activity** is highly dependent on the season. The highest levels of

root colonization along with the formation of arbuscules and vesicles were observed during winter with a decline in summer and the lowest levels in the rainy season. This seasonal pattern also applied to the formation of chlamydospores which are most abundant in winter. A key finding was the widespread presence of AM fungi in the Euphorbiaceae family. The data suggests that intense summer heat and lack of moisture lead to the die-off of plants which in turn reduces the mycorrhizal population in the rhizosphere. Despite this decline resilient **mycorrhizal propagules** primarily chlamydospores survive by associating with the decaying root systems from the previous season ensuring their survival until more favorable conditions return.

Table-A

Season wise genera and species of mycorrhizal AM Fungi recorded from Nanded District.

Sr. No.	Season	Species of AM fungal spores				
		<i>Acaulospora</i>	<i>Entrophospora</i>	<i>Gigaspora</i>	<i>Glomus</i>	<i>Scutellospora</i>
1.	Rainy	ABRT	–	–	LMSS.	–
2.	Winter	ABRT.	–	GRSA.	LAGR, LMGC, LMSS.	CALR
3.	Summer	–	–	–	–	CALR

Acaulospora -ABRT - *A. bireticulata*, *Gigaspora* - GRSA - *G. rosea*.

Glomus - LAGR –*G. aggregatum*, LMGC - *G. magnicaule*, LMSS -*G. mosseae*,

Scutellospora - CALR –*S. alborosea*.

Table-B

Seasonal survey for Arbuscular Mycorrhizal Colonization in native hosts collected From Nanded District of Maharashtra

Sr. No.	Plant	Season											
		Monsoon				Winter				Summer			
		M	V	A	C	M	V	A	C	M	V	A	C
1.	<i>Euphorbia cythophora</i> Murr.	-	-	-	-	39	29	11	-	12	09	-	-
2.	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	-	-	-	-	30	41	13	04	-	-	-	-
3.	<i>Euphorbia hirta</i> L.	-	-	-	-	37	15	08	09	-	-	-	-
4.	<i>Euphorbia indica</i> Lam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<i>Euphorbia neriifolia</i> L.	20	17	03	-	25	26	11	-	39	25	-	13

M = Mycelium, V = Vesicle, A = Arbuscle, C=Chlamydospore

ACKNOWLEDGEMENTS

The authors wish to express their profound gratitude to the Principal of the College of Agriculture, Naigaon for providing necessary facilities during this work.

REFERENCES

- Algunde, S.M., Kadam, A.S. and Sangvikar, R.V. (2022). Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in plant health and Seasonal comparative analysis of its occurrence on some selected plant species. *International Journal of Novel Research and Development*, 7(2): 152-161.
- Ashish, K., Gupta, A., Agarwal, A., Singh J.P. and Prakash, V. (2021). Ethno-medicinal and AMF diversity conservation aspects of some weeds of Himachal Pradesh, India. *Journal of Research in Weed Science* 4(1):43-56
- Edy N, Barus HN, Finkeldey R and Polle A (2022) Host plant richness and environment in tropical forest transformation systems shape arbuscular mycorrhizal fungal richness. *Front. Plant Sci.* 13:1004097. doi: 10.3389/fpls.2022.1004097
- Fajardo, L., Lovera, M., Arrindell, P., Aguilar, V.H., Hasmy, Z. and Cuenca, G. (2015). Morphotype-based characterization of arbuscular mycorrhizal fungal communities in a restored tropical dry forest, Margarita island-Venezuela. *Biological Tropical, International Journal of Trop. Biol.* 63(3): 859-870.
- Hnini, M., Homadi, C., Aurag, J., and Chamkhi, I. (2024). Morpho-diversity and abundance of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) colonized the rhizospheric soils of two endemic plants localized in sud of Morocco. *The Microbe* 4 (2024): 100133.
- Pagano, M.C., Zandavalli R.B., Araujo, F.S. (2013). Biodiversity of Arbuscular Mycorrhizas in three Vegetational Types from the Semiarid of Ceara State, Brazil. *Applied Social Ecology*, 67(2013): 37-46.





संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीयता

□ डॉ. प्रवीण कुमार झाडी*

शोध-सारांश

वैदिक काल से ही हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारतीय जीवन दर्शन में राष्ट्रीयता के भाव का दिग्दर्शन होता है। विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेद से आरंभ कर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, पुराण, स्मृति, आर्षकाव्य एवं संस्कृत साहित्य की काव्य परम्परा क्रमशः अनवरत पतित-पावनी सलिला गंगा की तरह प्रवाहित हो रही है, सर्वत्र राष्ट्र के प्रति अटूट श्रद्धा दृष्टिगोचर होती है। देशभक्ति, देशोन्नति एवं राष्ट्रीयता की भावना संस्कृत साहित्य में पूर्ण रूप से विकसित है। संस्कृत साहित्य में राष्ट्रमंगल की भावना, एक राष्ट्र की कल्पना, समरस जीवनयुक्त आर्यावर्त की संकल्पना तथा राष्ट्र को जीवंत इकाई जानने की बुद्धि पूर्णतः पायी जाती है। वैदिक काल से ही यह कल्पना बद्धमूल है कि भारतीय आर्य "सप्त सिन्धु" प्रान्त अथवा प्रदेश के ही निवासी हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अतः काश्मीर से कन्याकुमारी तथा अटक से कटक, इसी तरह हिन्द महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण भूभाग में निवास करने वाले सभी भारतीय हैं और भारत माँ की सन्तति हैं "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" यह भूमि हमारी माता है और हम इसकी सन्तान हैं, जाति, पंथ, मत, क्षेत्र के ऊपर राष्ट्र है, और संस्कृत साहित्य में राष्ट्र को सर्वोपरि माना गया है।

मुख्य शब्द- राष्ट्र, संस्कृत साहित्य, राष्ट्रीय भावना।

प्रस्तावना

जिस तरह हमारी संस्कृति भारत की आत्मा है, ठीक वैसे सृष्टि के आरम्भ से ही राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, भक्ति भारतीयों की आत्मा में है, राष्ट्र यानि केवल भूमि का टुकड़ा नहीं हमारी माता है; भारत भूमि को मातृभूमि, पुण्यभूमि, देवभूमि, पितृभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि आदि नामों व्यवहृत करते हैं

किन्तु यहाँ सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण शब्द मातृभूमि है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान कहा गया है—

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।²
शोधकार्य का विवरण

वैदिक काल से आज पर्यन्त संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय एकता और उसके प्रति श्रद्धा एवं भक्ति

* सहायक प्राध्यापक (विषय संस्कृत), शा. दू. श्री वै. स्ना. संस्कृत महावि., रायपुर (छ.ग.)

को संस्कृत के विद्वानों ने बड़े ही सुन्दर तरीके से वर्णन किया है।

ऋग्वेद के मन्त्रों में पृथ्वी माता और हम सबके लिए सभी प्रकार सुविधाएँ देने वाली है—

यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या

यस्यामन्नं कष्टयः संबभूवु ।

या बिभंति बहुधा प्राणदेजत्

सा नो भूमिर्गोष्विप्यन्ने दधातु ॥³

जिस पृथिवी की चार दिशाएँ हैं, जिस पर अन्न तथा कृषिकर्म की उत्पत्ति होती है और जो श्वास लेने वाले एवं गतिशील विश्व को अनेक प्रकार से धारण करती है, वह भूमि हमें गौवों तथा अन्न से समृद्ध करे।

राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त में राष्ट्रहित के लिए हमें वर्धन करें, ऐसी प्रार्थना की गई है—

अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावृधे ।

तेनास्मान् ब्रह्मणस्पतेऽपि राष्ट्राय वर्धय ॥⁴

हे ब्रह्मणस्पते! जिस समृद्धिदायक मणि से इन्द्रदेव की उन्नति हुई, उसी मणि से आप हमें राष्ट्र के लिए (राष्ट्रहित के लिए) विकसित करें।

.ऋग्वेद का नदी सूक्त अपने देश की पवित्र नदियों के प्रति उच्च आग्रह, हार्दिक अनुराग तथा प्रगाढ़ प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है।

इमं मे गंगे यमुने सरस्वति,

शुतुद्रि स्तोमं सचता परुण्या ।

असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तया—

ऽर्जिकीये शृणुह्या सुशोमया ॥⁵

नदी सूक्त के अन्य मन्त्रों में भारतवर्ष की नदियों के नाम हैं और उनसे ऋषि कामनापूर्ति के लिए विनय कर रहा है। वैदिक आर्यों की दृष्टि में नदियाँ कोई निर्जीव, केवल जलमयी वस्तुयें नहीं थीं, बल्कि कल्याण करने वाली देवता थीं, आर्य देश की एकता तथा अखण्डता की इससे बढ़कर और अच्छी कल्पना नहीं हो सकती है।

अथर्ववेद के 12वें अध्याय का पृथ्वी सूक्त तो

वैदिक आर्यों के राष्ट्र-प्रेम और मातृभूमि के प्रति भक्ति एवं समर्पण का प्रतीक है। इस सूक्त में पृथ्वी के स्वरूप का जो साहित्यिक वर्णन किया गया है वह आर्यों के राष्ट्र-भक्ति सरस परिचायक का द्योतक है। पृथ्वी की महिमा का यह महनीय विवरण स्वातंत्र्य के प्रेमी तथा स्वच्छन्दता के रसिक आथर्णव ऋषि का हृदयोद्गार ही है। इस सूक्त में ऋषि ने मातृरूपिणी भूमि को 63 मंत्रों में संसार की समग्र पदार्थों की जननी तथा पोषिका के रूप में उद्घोषित किया है। कुछ मन्त्रों में यह भाव हम देख सकते हैं—

विश्वस्वं मातरमोषधीनां ध्रुवां,

भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृताम् ।

f' kōkL; k̄keuqj s fo' ogkAA⁶

जिसमें सभी प्रकार की श्रेष्ठ वनस्पतियाँ और औषधियाँ पैदा होती हैं, वह पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शूरता, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित-पोषित, कल्याणकारी और सुख-साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करें।

यस्यां वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां,

यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः ।

यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामूर्ध्वाः,

शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात् ।

सा नो भूमिर्वर्धयद् वर्धमाना ॥⁷

जिस भूमि पर सभी ओर वेदिकाएँ बनाकर विश्वकर्मादि (विश्व सृजेता अथवा सृजनशील मनुष्य) यज्ञ का विस्तार करते हैं। जहाँ शुक्र (स्वच्छ या उत्पादक) आहुतियों के पूर्व यज्ञीय यूप (आधार) स्थापित किये जाते हैं, यज्ञीय उद्घोष होते हैं; वह वर्धमान भूमि हम सबका विकास करें।

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलबाः ।

युध्यन्ते यस्यामाकन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः ।

सा नो भूमिः प्रणुदतां सपत्नानसपत्नं

मा पृथिवी कृणोतु ॥⁸

जिस भूमि में मनुष्य प्रसन्नता से गाते तथा नृत्य करते हैं, जिसमें मनुष्य शौर्योचित गुण से परिपूर्ण राष्ट्र के संरक्षण के लिए युद्धरत होते हैं, जहाँ शत्रु रुदन करते हैं, जहाँ नगाड़े बजाये जाते हैं, वह पृथ्वी हमारे शत्रुओं को दूर भगाकर हमें शत्रुविहीन करे।

कितना उल्लासमय उद्गार है वैदिक ऋषि का और कितनी आशा है भौतिक जीवन को सुखमय बनाने की। वैदिक आर्य सर्वदा भौतिक जीवन को सुन्दर, सुखमय तथा उपयोगी बनाने की प्रार्थना अपने इष्ट देवताओं से किया करता था। जिस पृथ्वी पर उसका निवास था तथा जो उसके भोग-विलास और सुख-समृद्धि की जननी थी, उसे पूजनीया माता के समान, आदि की दृष्टि से देखना नितान्त स्वाभाविक था।

पुराणों में यह राष्ट्र-भावना और भी मुखरित होती है और राष्ट्र के एकत्व और देश-भक्ति का सरस ध्वनि स्पष्टतः सुनायी पड़ती है-

गायन्ति देवाः खलु गीतकानि

धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति

भूयः महत्त्वाः सुरत्वात्।।⁹

भागवत् के शब्दों में तो स्वर्गलोक में कल्प की आयु पाने की अपेक्षा भारत भूमि में क्षणभर की आयु पाना श्रेष्ठ बताया गया है और भारत भूमि मोक्ष की भूमि है-

कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात्

क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्।

क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः

संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः।।¹⁰

अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न

एषां स्वदुत स्वयं हरिः।

यैर्जन्म लब्धं नृशु भारताजिरे

मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः।।¹¹

कविकुलगुरु कालिदास ने राष्ट्र को प्रकृति से

जोड़कर वर्णन किया है-

आमेखलं संचरतां घनानां

छायामघः सानुगतां निषेव्य।

उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते

श्रृंगाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः।।¹²

हिमालय धातुरूपी लाल होंठों, देवदारुरूपी बाहुओं तथा शिलारूपी वक्षःस्थल को धारण करने वाले एक महनीय जंगम पुरुष के रूप में भी अपनी अभिव्यक्ति पा रहा है, इस श्लोक में-

धातुताम्रधरः प्रांशुर्देवदारु बृहद्भुजः।

प्रकृत्यैव शिलोरस्कः सुव्यक्तो हिमवानिति।।¹³

संस्कृत साहित्य में भारत के प्रति राष्ट्रीय भावना की उन्नत कल्पना के दिग्दर्शन हमें विभिन्न रूप में मिलते हैं। राष्ट्र की अभ्युन्नति के निमित्त शुक्ल यजुर्वेद के मन्त्र में राष्ट्र में विभिन्न अंगों की अभिवृद्धि के लिये जो सुन्दर प्रार्थना उपलब्ध है वह इतने समय के बाद आज भी उसी प्रकार अभिनन्दनीय है, जिस प्रकार वैदिक युग में रही है, आज स्वतन्त्र भारत में यह प्रार्थना होनी चाहिए।

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्
आ राष्ट्रं राजन्यः शूर इशव्योऽतिव्याधी
महारथो जायताम्। दोग्धी धेनुर्वोढाऽनड्वान्,
आशुः सप्तिः, पुरन्धिर्योशा, जिशू रथेऽथा
सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायताम्।
निकामे निकामे नः पर्यन्यो वर्शतु। फलवत्यो
न ओशधयः पच्यन्ताम्। योगक्षोमो नः
कल्पताम्।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य को पल्लवित-पुष्पित करने वाले कवियों ने मनोरम वाणी से भारत की राष्ट्रीयता का अपूर्व सन्देश विकसित किया है, वे भारत को एक राष्ट्र ही नहीं किन्तु उसे स्वर्ग से श्रेष्ठ मानते हैं, यह भारत भूमि भोग की भूमि नहीं वरन् त्याग, समर्पण, अर्पण, तर्पण एवं तपस्या की भूमि है, कर्मभूमि भारत

भोगभूमि स्वर्ग से भी निःसन्देह महनीय एवं वन्दनीय, विशाल तथा महत्तम है, इस तथ्य का सुस्पष्ट वर्णन संस्कृत काव्यों में किया गया है राष्ट्र सर्वोपरि और राष्ट्र प्रथम, यह भावना ही प्रत्येक भारतीय के आत्मा में बसती है।

सन्दर्भ

1. अथर्ववेद 12/01/12
2. रामायण
3. अथर्ववेद पृथ्वी सूक्त 04
4. अथर्ववेद 01/29/01
5. नदीसूक्त 10/75
6. अथर्ववेद 12/01/17
7. अथर्ववेद 12/01/13
8. अथर्ववेद 12/01/41
9. विष्णुपुराण 02/03/25
10. भागवत 05/19/23
11. भागवत 05/19/21
12. कुमार. 01/05
13. कुमार. 06/05

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. स्वामी, श्रीधर, विष्णुपुराणम्, वाराणसी, चौखम्भा संस्कृत संस्थान्, 2006
2. झा, तारिणीश, ऋक्सूक्तसंग्रह, रेलवे कासिंग, सीतापुर रोड, लखनऊ
3. शर्मा, आचार्य श्रीराम, अथर्ववेद संहिता, ब्रह्मवर्चस् शान्तिकुन्ज, हरिद्वार, वि.स. 2056
4. शर्मा, आचार्य श्रीराम, यजुर्वेद, गायत्री तपोभूमि, मथुरा, 1960
5. उपाध्याय, आचार्य बलदेव, संस्कृत साहित्य का इतिहास, शारदा निकेतन, वाराणसी, 2002



SHODH CHETNA–YEAR-11, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2025)

A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal



ISSN : 2350-0441

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Received : 20th Oct. 2025

Paper Accepted : 31st Oct. 2025

From Silence to Speech: Exploring Dalit Women's Consciousness in Urmila Pawar's *The Weave of My Life*

□ Mrs. Kranti Lodhi*

□ Dr. Nisha Indra Guru**

ABSTRACT

*The Dalit community represents one of the most marginalized groups within India's deeply entrenched caste hierarchy. Yet, among them, Dalit women endure a double burden of oppression—both as members of a lower caste and as women in a patriarchal society. This essay explores the worldview of Dalit women as reflected in Urmila Pawar's *The Weave of My Life: A Dalit Woman's Memoirs*. Rather than viewing Dalit women as isolated individuals, the study approaches them as a collective whose experiences reveal the intersection of gender, caste, and class. Through an analysis of *The Weave of My Life*, this essay seeks to open a dialogue about the Dalit women's perspective that has often been neglected in both mainstream feminist and Dalit literary discourses in India. Urmila Pawar's *The Weave of My Life: A Dalit Woman's Memoirs* (originally *Aaydan*, 2003) stands as a powerful articulation of Dalit women's awakening from silence to self-expression. Through her narrative, Pawar interlaces personal memory with collective history, foregrounding the intersectionality of caste, class, and gender. Her autobiography becomes a political act of resistance against the double marginalization of Dalit women — both within patriarchal structures and within caste hierarchies. The paper is divided into three sections. The first section provides a concise biographical sketch of Urmila Pawar and traces the emergence of Dalit women writers, positioning *The Weave of My Life* within that literary tradition. The second section engages with the central themes of the text—such as identity, resistance, and empowerment—while examining Pawar's use of language as a tool of assertion and authenticity. The final section concludes with reflections on Dalit feminism as envisioned by Pawar, emphasizing how her inclusive and experience-based feminism resonates with women across caste and class boundaries.*

Keywords– Dalit Community, emergence, Feminism,, caste, gender.

* Asst. Professor, Department of English, Government Auto Girls P.G. College Sagar (M.P.)

* Professor, Government Auto Girls P.G. College Sagar (M.P.)

In the deeply entrenched caste hierarchy of Indian society, the Dalit community occupies one of the most marginalized positions; within it, Dalit women suffer a double layer of oppression. This paper examines the worldview and lived experiences of Dalit women as a collective category rather than as isolated individuals. It attempts to understand how caste, class, and gender intersect to shape their consciousness — a perspective often overlooked in both mainstream Dalit discourse and dominant feminist movements in India. To explore this, the paper focuses on Urmila Pawar's autobiography *The Weave of My Life*, a text that intricately portrays the struggles, resilience, and agency of Dalit women.

The discussion is organized into three parts: the first provides a brief account of Urmila Pawar's life and traces the emergence of Dalit women's autobiographical writing, with special emphasis on *The Weave of My Life*; the second part offers a thematic analysis of the text, highlighting its language, structure, and sociopolitical undertones; and the final section situates Pawar's work within the broader framework of Dalit feminism. This paper explores how Pawar transforms her life story into a site of consciousness-raising, reclaiming agency through storytelling. It examines her journey from voicelessness to self-assertion, situating her within the broader context of Dalit feminist thought. The narrative's use of metaphor, especially the act of weaving, symbolizes the process of reclaiming fragmented identities and reconstructing a collective Dalit women's consciousness. The paper argues that *The Weave of My Life* not only records individual struggle but also voices the emergence of a new, self-aware Dalit woman who challenges oppressive structures through education, activism, and solidarity.

Urmila Pawar, a writer and activist belonging to the Mahar community of Maharashtra, draws deeply from her experiences

of both rural and urban life. This duality is reflected in her narrative, where her protagonists navigate the complexities of identity and mobility across social spaces. Her autobiography does not merely recount personal struggles; it becomes a collective narrative of Dalit women's fight against caste and gender discrimination. While Dalit male writers largely focus on caste oppression inflicted by upper castes, Pawar extends the discourse by exposing the patriarchal structures within Dalit communities themselves—what she identifies as the internalized Brahminical patriarchy that continues to suppress Dalit women's voices.

The Weave of My Life holds immense significance as it provides a framework through which the gendered struggle of Dalit women can be understood within the broader institution of caste. Although Pawar wrote several short stories before the publication of her autobiography *Aaydan* in 2003, it is this autobiographical work that consolidates her personal and political journey as a Dalit woman writer. In *The Weave of My Life*, Pawar intertwines her lived experiences with reflections on the collective struggles of Dalit women, enabling readers to empathize with their pain, resilience, and resistance.

The experiences and perspectives articulated by Pawar, and by other Dalit women writers of her time, were largely absent from both mainstream feminist and Dalit literary movements before the 1980s. Their exclusion was rooted in their marginal position within the hierarchies of caste and gender. It was only with the rise of Dalit women's collectives such as *Samvadini–Dalit Stree Sahitya Manch*, emerging from the *Mahila Sansad* movement in the 1980s, that Dalit women began to articulate their voices and assert their literary presence (Mahurkar).

The roots of Dalit literature itself lie in the disjunction between the lived experiences of the savarna (upper castes) and the avarna (lower castes) in Indian society. As Baburao Bagul

argues, the canon of Indian literature has historically reflected a Hindu upper-caste worldview, thereby silencing the narratives of the oppressed and normalizing upper-caste experiences as universal (Satyanarayan and Tharu 8). The emergence of Dalit writing, therefore, was an act of rebellion — an assertion of existence and self-expression against centuries of imposed silence and dehumanization.

Within this tradition of resistance, Dalit women's writing adds another dimension—it emerges as a response not only to upper-caste Hindu patriarchy but also to male dominance within Dalit literary spaces. The absence and misrepresentation of Dalit women's voices in both these spheres make their writing doubly subversive. In *The Weave of My Life*, Pawar captures this layered oppression through her own life narrative as a Dalit woman navigating the intersecting structures of caste, class, and gender. Her autobiography reveals the complexity of being “triply marginalized”—silenced as a Dalit, as a woman, and as a member of the working class (Rege 67).

The title *Aaydan* (translated as *The Weave of My Life*) itself becomes a powerful metaphor. The act of weaving, traditionally associated with women's labor, represents Pawar's attempt to weave together fragments of her personal experiences, community memories, and social realities into a coherent narrative. As Veena Deo notes, Pawar's weaving becomes a metaphor for the construction of knowledge, strength, and survival that women have cultivated despite the oppressive forces of caste and patriarchy.

What makes *The Weave of My Life* remarkable is its portrayal of ordinary Dalit women whose resilience and courage challenge both external and internal structures of oppression. Pawar's narrative voice transforms the personal into the political, moving from moments of despair and deprivation to assertions of dignity, selfhood, and defiance. The trajectory

of her life story mirrors the broader Ambedkarite and Dalit feminist movements—from silence and suffering toward awakening, solidarity, and social transformation. Her autobiography, thus, is not merely a personal life story but a collective testimony of Dalit women's assertion, agency, and the weaving of new identities against the grain of historical subjugation.

In *The Weave of My Life*, Pawar portrays how caste, class, and gender work together to shape the lived experience of Dalit women. Her autobiography exposes how Dalit women face a “triple oppression”—as women, as Dalits, and as members of the working class (Rege 67). Caste becomes the most pervasive structure in her life, determining her place in society from childhood. Pawar recalls being made to sit separately in school and facing daily acts of humiliation, which made her “conscious of difference” from an early age (Pawar 24).

The influence of Ambedkarite ideology gives her the strength to question these hierarchies, as Dr. B.R. Ambedkar taught that “education is the weapon of freedom” (Pawar 89). Yet, Pawar also reveals how patriarchy operates within Dalit communities, where women's labor and voices are often undervalued. Her mother's life as a basket weaver, constantly working to sustain the family, represents the double burden of Dalit women's domestic and economic roles (Pawar 35).

Even after gaining education and urban employment, Pawar notes that class mobility does not erase caste identity—prejudice continues in professional and social settings. As Gopal Guru observes, Dalit women's oppression “cannot be explained in isolation from caste and gender” (Guru 129). Pawar's writing embodies this intersectional understanding, showing how multiple forces of discrimination interlock to shape her selfhood.

Ultimately, her autobiography contributes to the formation of a Dalit feminist consciousness that challenges both upper-caste

patriarchy and male dominance within Dalit society. Through the act of storytelling, Pawar moves “from silence to speech,” transforming personal pain into collective resistance (Pawar 212). Her narrative thus becomes a political assertion of identity and agency for all Dalit women.

Urmila Pawar’s autobiography situates Dalit women’s experiences within a historical and social context of systemic silence. Dalit women, historically marginalized both by caste and patriarchy, were often rendered “invisible” in public discourse and literature (Rege 45). Pawar recalls that as a child, she learned to stay quiet in the presence of upper-caste people, internalizing the social expectation that Dalit voices were “less than” (Pawar 12). This enforced silence was both social and psychological, shaping her early self-perception and limiting the possibility of self-expression. Household and community structures contributed to this muteness. Pawar notes that even within Dalit families, women were expected to perform labor and obey without question, and speaking out was often discouraged (Pawar 18). This dual marginalization—external oppression from caste hierarchies and internal patriarchal control—produced a condition where Dalit women’s experiences remained largely unrecorded in mainstream narratives (Guru 127).

Education and exposure to Ambedkarite thought gradually allowed Pawar to challenge this imposed silence. She reflects on the moment of awakening, stating that literacy gave her the power to “translate suffering into words” and to articulate the injustices she and other Dalit women faced (Pawar 56). By claiming her voice in her autobiography, Pawar not only documents her personal journey but also intervenes in the broader social erasure of Dalit women, converting silence into a form of resistance (Rege 49). Thus, the context of silence in Pawar’s narrative is not merely the absence of

speech but a socially enforced muteness imposed by intersecting structures of caste and gender. Her act of writing becomes both a personal and political reclamation of voice, exemplifying the emergence of a Dalit feminist consciousness (Guru 130).

Pawar’s autobiography charts the journey of Dalit women from invisibility to self-awareness, illustrating how personal struggle intersects with collective awakening. Her narrative highlights that Dalit women’s consciousness emerges through the recognition of systemic oppression and the realization that silence has historically been enforced by both caste and patriarchal structures. Pawar notes that education and exposure to Ambedkarite thought enabled her to see the “structural roots of injustice” in society (Pawar 89). This awareness marked the first step in transforming her lived experiences of marginalization into active agency.

The emergence of consciousness is also linked to solidarity among Dalit women. Pawar documents how shared experiences of oppression—whether in domestic spaces, workplaces, or educational institutions—fostered a collective understanding of gendered and caste-based subjugation. As Rege observes, Dalit women’s narratives “produce a new epistemology of the oppressed” by translating individual suffering into a political and social critique (Rege 67). Pawar’s memoir reflects this process: through her storytelling, she articulates not only her personal struggles but also the broader realities of Dalit womanhood.

Work, education, and activism serve as tools for empowerment in Pawar’s narrative. She recounts how pursuing literacy and professional engagement allowed her to challenge both external discrimination and internalized subordination, asserting her presence in spaces traditionally denied to Dalit women (Pawar 112). This transition from voicelessness to articulation exemplifies the emergence of a conscious self

that recognizes personal dignity and collective rights. Guru emphasizes that Dalit women's consciousness arises when they "speak from their own positions rather than through hegemonic narratives" (Guru 130).

Ultimately, Pawar's memoir demonstrates that Dalit women's consciousness is both personal and political. It is personal because it evolves through lived experiences of marginalization and resilience, and political because it challenges entrenched caste hierarchies and patriarchal norms. By writing her autobiography, Pawar transforms silence into speech, creating a space where Dalit women can claim visibility, assert agency, and participate in shaping social discourse (Rege 70).

The *Weave of My Life* stands as a landmark in the articulation of Dalit women's subjectivity. By narrating her life experiences, Pawar foregrounds the intersections of caste, gender, and class, offering a nuanced understanding of how oppression operates at multiple levels (Rege 67; Guru 130). Her journey from silence to speech exemplifies both a personal awakening and a collective assertion of identity among Dalit women. Through education, storytelling, and activism, Pawar transforms private suffering into a political statement, reclaiming agency and visibility for marginalized voices (Pawar 212). The text also serves as a blueprint for Dalit feminist consciousness, demonstrating how writing can function as both a reflective and transformative act. By documenting lived experiences of discrimination and resilience, Pawar not only challenges entrenched caste and patriarchal hierarchies but also inspires social transformation through collective awareness and solidarity (Rege 70). The *Weave of My Life* thus emerges as a seminal work that bridges personal memoir and political activism, asserting the right of Dalit women to narrate their own histories and participate fully in shaping the social

imagination.

Reference

- Guru, Gopal. "Dalit Women Talk Differently." *Economic and Political Weekly*, vol. 30, no. 41–42, 1995, pp. 2548–2550.
- Pawar, Urmila. *The Weave of My Life: A Dalit Woman's Memoirs*. Translated by Maya Pandit, Columbia University Press, 2008.
- Rege, Sharmila. *Writing Caste/Writing Gender: Narrating Dalit Women's Testimonios*. Zubaan, 2006
- Deo, Veena. "Introduction." *Motherwit*, by Urmila Pawar, translated by Veena Deo, Zubaan Books, 2013, pp. xiii–xliii.
- Ilaiah, Kancha. *Why I Am Not a Hindu: A Sudra Critique of Hindutva Philosophy, Culture and Political Economy*. Popular Prakashan, 2002.
- *Interviews with Pawar 1998: Amihi Itihas Gadhawala: Urmila Pawar and the Making of History*. Mumbai: SPARROW, 1998.
- Kumar, Raj. "Beyond the Margin: Dalit Women's Autobiographies." *Dalit Personal Narratives: Reading Caste, Nation and Identity*, Orient BlackSwan, 2011, pp. 210–260.
- Mahurkar, Vaishnavi. "Locating Urmila Pawar's Work in the Dalit Feminist Canon." *Sahapedia*, 26 Apr. 2018, www.sahapedia.org/locating-urmila-pawars-work-the-dalit-feminist-canon.
- Pawar, Urmila. *Motherwit*. Translated by Veena Deo, Zubaan Books, 2013.
- *The Weave of My Life: A Dalit Woman's Memoirs*. Translated by Maya Pandit, Columbia University Press, 2015.
- Pawar, Urmila, and Meenakshi Moon. *We Also Made History: Women in the Ambedkarite Movement*. Translated by Wandana Sonalkar, Zubaan, 2014.
- Satyanarayana, K., and Susie Tharu. "Dalit Writing: An Introduction." *The Exercise of Freedom: An Introduction to Dalit Writing*, edited by K. Satyanarayana and Susie J. Tharu, Navayana Publishing, 2013, pp. 8–21.
- Zelliott, Eleanor. "Foreword." *Motherwit*, by Urmila Pawar, translated by Veena Deo, Zubaan Books, 2013, pp. ix–xii.



SHODH CHETNA–YEAR-11, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2025)

A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal



ISSN : 2350-0441

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Received : 25th Oct. 2025

Paper Accepted : 2nd Nov. 2025

Concept of Environment in Vedic Period in Ancient India

□ Ekta Chaturvedi*

□ Dr. (Prof.) Poonam Mishra*

ABSTRACT

The Vedas are the first texts in the library of mankind. They are universally acknowledged to be the most precious Indian Heritage. The antiquity to the Vedic civilization is debated to a great extent but indeed there is no civilization known to humanity. The present work with such antiquity as Vedic Aryan Civilization. The so – called Aryans would have originated in the Aryavarta. N.J. Lockyer has declared :” The Vedas, in fact, is the oldest book in which we can study the first beginnings of our language and of everything which is embodied in all the languages under the sun.” The Vedas deal with knowledge, the knowledge of all sorts. They cover knowledge both physical and spiritual. They are source of all knowledge according to Manusmriti. Especially the Vedic views revolve around the concept of nature and life. The visions of the beauty of life and nature in the Vedas are extremely rich in poetic value. Perhaps nowhere else in the world has the glory of dawn and sun – rise and the silence and sweetness of nature, received such rich and at the same time such pure expression. The symbolical pictures projected their remain close to life and nature. The oldest and simplest form of Nature – worship finds expression in Vedic texts. In recent days, environmental science and ecology are disciplines of modern science under which study of environment and its constituents is done with minute details. As Science, they are established in 20th century, but their origin can be seen long back in the Vedic and ancient Sanskrit literature. The concepts of environment differ from age to age, since it depends upon the condition prevalent at that particular time. In this paper, an effort is made to find out the awareness of ancient Indian people about the environment. The present paper briefly review the studies on concepts of environment in perspective of traditional knowledge, beliefs and practices in ancient India. In the early periods of human history, environment strongly determined the lives and activities of the people. They were very much close to forest and natural

* Research scholar, TRS College, Rewa

** Guide, Govt. TRS College, Rewa

resources as we find in historical documents. Ancient Indian texts like Arthashastra, Sathapatha Brahmanas, Vedas, Manusmriti, Brihat Samhita, Ramayana, Mahabharata, Rajtarangini reflected the concepts of forest ecology and conservation in a sustainable manner. In the Indus valley civilization, several characteristics of the city planning and social structure showed environmental awareness. The presence of leaves, wild animals like peacocks and one – horned deer, tigers, elephants, bulls in the seals and the mud pots can indicate the pattern of biodiversity in those areas. Reduction of forests in that area was due to use of huge amount of timber – wood for burning bricks. So rainfall reduced and soil erosion caused deposition of silt in the Indus river which had choked off Mohenjodaro from the sea, causing a rise in the water table that must have been a prime factor in the destruction of Mohenjodaro. The sacred groves (Tapovana) of India were rich in biodiversity and ecological wealth, which was also mentioned in many ancient Indian documents like Abhigyan Shakuntalam written by Kalidasa. They are small packets of forests dedicated to local deities.

In the Bhagavad Gita, Krishna compares the world to a single banyan tree with unlimited branches in which all the species of animals, humans and demigods wander, which reflects the concept of community ecology. The trees like Banyan and Peepal were often referred in historical background (widely protected in Asia and Africa) are keystone resources. In modern age, there are many policies developing in many countries for forest and biodiversity conservation, but they are all directly or indirectly influenced by the traditional knowledge developed in the ancient India.

Key words—*Environmental Consciousness, Biodiversity, Conservation, Ecology, Sustainable development, Proto–historic, Awareness.*

Introduction

Environment, in simple terms may be defined as the sum total of all surroundings of a living organism, including natural forces and other living things, which provide conditions for development and growth as well as of danger and damage. Environmental Education is a very new and latest area of study but it has very ancient roots in our culture since time immemorial. Man has been very conscious about his environment since the very beginning of his religious and cultural development. The ancient Indian heritage had already provided a spacious spiritual home for the environmental ethos. It is interesting to know that the Vedas have several references in them on environmental protection,

ecological balance, weather cycles, rainfall phenomena and other environment related prospects directly indicate the high level of awareness of vedic people.

Environmental issues are global in nature that permeates through various societies in different corners of the world. The cultural and spiritual heritage of India can play a significant role in making us conscious of environmental protection. It is interesting to note that ages back the great seers of India through their profound inner depth had envisaged such issues that are relevant for all ages to come. It is necessary that we explore the merit in the Vedic culture to find invaluable suggestions to combat the disaster that we are facing in the environment. Since time

immemorial, tribal communities of India live in various eco–geo climatic regions comprising hills, forests, rivers and natural wealth. Nature became the part and parcel of their life and livelihood which is manifested through their cultural traditions, religions, beliefs and practices, and world view expressive through their oral traditions of stories, legends, myths, and songs and also through their art forms. Some indigenous groups manipulate the local landscape to augment its heterogeneity, and some have been found to be motivated in restoration of biodiversity in degraded landscapes.

The Protohistoric Indus Valley Civilization which flourished in the basins of the Indus River, one of the major rivers of Asia, and the Ghagar–Hakra River provides evidence of human interest in wildlife, as seen in seals depicting images of rhino, elephant, bull, etc. The civilization had several characteristics of the city planning and social structure showed environmental awareness.

Ancient Indian texts like Arthashastra, Sathapatha, Vedas, Manusmriti, Brhat Samhita, Ramayana, Mahabharata, Rajtarangini reflected the concepts of forest ecology and conservation in a sustainable manner. In ancient Vedas there are several references on environmental protection, ecological balance, weather cycles, rainfall phenomena, hydrologic cycle, and related subjects that directly indicate the high level of awareness of the seers and people of that time. Ancient treasures of vast knowledge reveal a full cognizance of the undesirable effects of environmental degradation, whether caused by natural factors or human activities. According to evidences in Vedas and Kautilya's Arthashastra, different dynasties accorded top priority to environmental protection and sustainable use of its components. According to Bhattacharya, Charaka and Susruta, the two ancient masters of Ayurveda (traditional Indian knowledge of medicine) observed not only that bodily health as a personal problem, but also its

relations to heredity, geographical environment, climate, water supply, quality of air, time and seasonal variation. In modern age, there are many policies developing in many countries for forest and biodiversity conservation, but they are all directly or indirectly influenced by the traditional knowledge developed in ancient India.

Vedic Approach to Environment

The Vedic Aryans were children of nature. They studied nature's drama very minutely. Sand–storm and cyclone, intense lightning, terrific thunderclaps, the heavy rush of rain in the monsoon, the swift flood in the stream that comes down from the hills, the scorching heat of the sun, the cracking red flames of the fire, all witness to power beyond man's power. The Vedic sages felt the greatness of these forces. They worshipped and prayed them due to regard, surprise and fear. They realized instinctively that action, movement creation change and destruction in nature are the results of forces beyond men's control. And thus they attributed divinity to nature. The Rig Veda Samhita is considered as the earliest source book of ancient human culture and civilization. It is true that the text dates back in its origin and the crisis that we are facing in our environment now was certainly unknown in those ancient days. Still it is surprising that people in those times had thought so much about the protection of our natural environment. The Vedic people led life amidst nature deriving the basic requirements of life from the natural environment. This sense of dependence on nature and understanding of the importance of the natural world on their lives might have encouraged Rig Vedic men to elevate natural objects and phenomena to the status of Gods and Goddesses. Therefore, the Gods and Goddesses of the Vedic age are in fact representation of different objects and phenomena of nature. If we look at the Vedic Gods like Surya, Agni, Vayu, Parjanya etc , we find that they are in fact the deification of nature like the sun that we observe in the sky, the fire

that plays an important role in our daily chores, the air indispensable for our survival, the rain – clouds that gather in the sky respectively.

One might object here that the practice of nature deification at the Rigvedic period is anthropomorphic. To look into this objection it is necessary that we should analyse and examine this practice of nature worship. As we proceed into the verses of the text, we find that the Vedic practice of nature deification did not generate simply out of their negative feeling of fear but originated from their positive reverential attitude towards nature. The different prayers that we come across clearly reveal how men easily understood the benevolence that nature bestows upon them. Hence, their attitude towards nature was not that of a master but as a member who sincerely prays to nature for overall protection and care. This perspective of the Vedic people will stand in sharp contrast to the Biblical view of creation where man is considered to have been created in the image of God to dominate and subdue nature. The worship of natural objects like sun, air, water, storm, cloud etc will not reflect Western anthropocentrism rather it will reveal the greatness of ancient Indian men to each and every aspect of nature which they conceived rightly as the ultimate ensurers of human well – being. This holistic outlook towards nature in contrast to narrow selfish attitude towards life and world inspired man to enlarge the domain of ethical concern for the non – human parts of nature (living and non – living) as well. Thus, it seems necessary that we study the Vedic deification of the natural environment at the outset; for it offers valuable suggestions for protection and well – being of nature.

Nature Worship : an expression of concern for environment

As we have mentioned that Vedic people deified the natural world but this deification does not imply that in order to overcome fear they deified inanimate nature. In fact, they treated nature not as inanimate object but as pulsating

with life. We can live and grow in this world as nature provides us with all objects necessary for our survival. Just for the very existence of ourselves, we are indebted to objects of natural world as they contribute an environment beneficial for existence of life. Without sun, water, air, rain etc there cannot exist any life on this planet. Thus, the concept of deification of nature reveals the deeper insight of the Vedic people into the factors that are needed for birth as well as growth of all living creatures. Therefore, men did not forget to offer their gratitude to all these objects of nature.

‘Nature–worship is an old age tribal belief’ as it is based on the premise that all creations of nature have to be protected. Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves (the forest of gods and goddesses). These patches of forest or parts of large forests have been left untouched by the local people and any interference with them is banned.

It has helped in the conservation of forests and wildlife in the following ways :

- (1) The Mundas and the Santhal of Chota Nagpur region worship mahua (*Bassia latifolia*) and Kadamba (*Anthocaphaluscadamba*) trees, and the tribes of Odisha and Bihar worship the tamarind (*Tamarindus indica*) and mango (*Mangifera indica*) trees during weddings.
- (2) Peepal and banyan trees are also considered sacred and worshipped in most parts of India.
- (3) Sacred qualities are often ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected.
- (4) In and around Bishnoi villages in Rajasthan, herds of blackbuck (*Chinkara*), nilgai and peacocks can be seen as an integral part of the community and nobody harms them.

Conclusion

Today, the environmental problems in India are growing rapidly. The increasing economic development, and the rapidly growing population which has reached 1.35 billion occupying the world second largest position added to the negligence of environment as there were much severe issues to address. In due course of time in the race of so called development human have submerged their with nature. It looks so obvious in the study that the humans have developed from the hunter and food gatherer to modern humans in different phases. They developed their lifestyle to a more comfortable status, and simultaneously became powerful and greedy. Humans wants to have control over everything on the earth. The words of M.K. Gandhi, “ the earth provides enough to satisfy everyone’s need ; but not for anyone’s greed” proves its relevance. In the present scenario, globalization has changed the very nature and quality of the environment. The world has become a global village – an efficiently information oriented but environmentally value deficient society. A keen observer cannot deny the fact that in the process of development to humanity through ages, humans have detached themselves from nature, for the concern about was more during the time of the pre – Vedic period and eventually it has declined slowly through the ages. All ancient Hindu texts emphasize on the preservation of environment and ecological balance. Human was forbidden from exploiting nature with the help of religion. In the late 19th century, the British realized that the resources are not abundant and forest policies and acts were made.

To some extent it is true that the foreign invasion had great influence on the Indian society. However, spreading of Christianity and Islam had changed the attitude of Hindus towards the nature. India was considered as superstitious and uncivilized land by the British. In the race of modernization and westernization, the modern

Indians have changed their spiritual belief systems too.

From the above discussion, some light is thrown on the awareness of our ancient seers about the environment, and its constituents. It is clear that the Vedic vision to live in harmony with environment was not merely physical but was far wider and much comprehensive. The Vedic people desired to live a life of hundred years and this wish can be fulfilled only when environment will be unpolluted, clean and peaceful. The knowledge of Vedic sciences is meant to save the human beings from falling into an utter darkness of ignorance. The unity in diversity is the message of Vedic physical and metaphysical sciences. Essence of the environmental studies in the Vedas can be put here by quoting a partial Mantra of the Ishavasyopanishad. ‘One should enjoy with renouncing or giving up others part. Vedic message is clear that environment belongs to all living beings, so it needs protection by all, for the welfare of all. Thus the study proves the origin of environmental studies from the Vedas. The study of the Vedas has made it clear that men in those early days could realize the truth that existence and growth of all living creatures is sustained by nature. As a result, they displayed humbleness in conduct towards the natural world. The role of a master over nature is replaced in the Vedas by sincere and honest endeavor of men to protect the bounty of nature. Man is portrayed in the Vedas to be just a member of this vast community of nature. In the Western tradition, man considers himself as the center of world that instigates him to behave arrogantly towards nature. The Vedic philosophy offers a completely different picture of man’s understanding of himself and the relation that he bears with nature. Vedic men display a marvelous instance of how life can be led amidst nature. Such an attitude and respect can play a vital role in making us aware of the need for environmental protection.

The modern society is becoming rational and it believes in science, logic and proof leaving no place for spirituality. Eventually the society and circumstances has forced the human to detach themselves from the nature. Now it's high time that we should understand the value of nature and the references of ancient India on the protection of the existence of humankind.

References and bibliography

1. Dwivedi O.P., A Companion to Environment Philosophy, Edited by Dale Jamieson, UK : Black Well Publishers Pvt. Ltd. Pp. 37 – 51, 2001
2. Nene Y.L., Environment and spiritualism : Integral Parts of Ancient Indian Literature on Agriculture, Asian Agri – History Vol. 16, No. 2, pp. 123 – 141, 2012
3. Rastogi Sanjeev et. al, Ayurvedic Approach to Cardio – Vascular Diseases : Delineating the Literary and Clinical Evidences in Evidence Based Practice in Complimentary and Alternative Medicine, Berlin: Springer – Verlag pp. 159 – 176, 2012
4. Singhvi L.M., Light of Indian Intellect, New Delhi : Prabhat Prakashan pp. 184
5. “Our Common Future : Report of the World Commission on Environment and Development”, 20th March, 1987
6. JhaGanganath, Chandogyopanishad (Eng. Tr.), Kolkata : AdvaitaAshrama, 2000,pp. 303
7. Sushruta , Sushruta Samhita, tr. by Acharya JadavjiTrikamji ,Chaukhamba Sanskrit Pratishthan (reprint), Varanasi: 2009
8. BrahmamuiParivrajak Swami, AtharvavediyaCikitsashastra (Hindi), New Delhi : DayanandSamsthan, 2007, pp. 2 – 6.





Female Resistance against Domestic Violence in Ruth Ozeki's My Year of Meats

□ Priyanka Maheshwari*
□ Dr. Shalini Dube*

ABSTRACT

Ruth Ozeki's My Year of Meats (1998) elaborately weaves the themes of patriarchy, domestic violence, and female resistance through the double storylines of Jane Takagi-Little, a Japanese-American filmmaker, and Akiko Ueno, a Japanese housewife. The novel exposes patriarchal frameworks that impose rigid gender roles and sustain violence against women, tracing eco feminist links between bodily exploitation of women and the ecological destruction caused by the meat industry. Domestic violence appears as a brutal expression of patriarchal dominance, while female resistance is depicted in gestures of self empowerment, subversive media production, and transnational feminist solidarity. This paper analyzes how Ozeki uses these themes to challenge systemic oppression and advocate for social and environmental justice, employing close textual analysis and eco feminist theory. The study highlights the novel's call for collective resistance against intersecting forms of oppression, offering insights into its relevance for contemporary feminist and environmental discourses.

Keywords- Patriarchy, Domestic Violence, Female Resistance, Eco feminism, Meat Industry, Feminist Solidarity, Transnational Feminism, Ruth Ozeki, My Year of Meats

Introduction

Ruth Ozeki's My Year of Meats is a multidimensional narrative that examines the entanglement of gender, power, and environmental degradation through the lives of two women: Jane Takagi-Little, a Japanese-

American documentary filmmaker, and Akiko Ueno, a Japanese housewife caught in the cycle of marital abuse. The novel, published in 1998, exposes the mechanism of patriarchy that oppress and marginalized women connecting these to wider concerns of capitalist structures,

* Research Scholar (English Literature) , APS University, Rewa, M.P.

** Head , Dept. of English literature, TRS college, Rewa, M.P.

consumerist values, and environmental degradation, especially within the meat industry. Patriarchy, defined as a social system where men exercise an undue share of power, takes shape in the novel through cultural conceptions, media depictions, and gendered violence. Domestic violence functions as overt manifestation of domination, while women's agency reveals itself as a transformative counterforce against patriarchy enacted through gestures of self-assertion, radical cultural interventions and the solidarities of global feminism.

This paper examines how Ozeki unveils the narratives of Jane and Akiko to bring to light the oppressive dynamics of patriarchy, dramatize the shattering effects of martial violence, and affirm female resistance through personal and collective action. Based on eco feminist theory, particularly Carol J. Adams' *The Sexual Politics of Meat*, the analysis connects the marginalization of women to the exploitation of animals, highlighting shared patterns of domination. By quoting references to Sei Shônagon's *The Pillow Book* and diverse representations of family, Ozeki develops a perspective of sisterhood across borders that opposes repressive institutions. This study seeks to offer an in-depth analysis of these themes, sustained by textual evidence and conceptual lens, to illuminate the novel's relevance to feminist and environmental discourses.

Patriarchy in *My Year of Meats* functions as a hegemonic structure that reinforces norms, media representations, and individual relationships. The novel centers on *My American Wife!*, a television program sponsored by BEEF-EX, an American meat industry lobby, formed to endorse the consumption of beef to Japanese housewives. The show propagates a restrictive patriarchally defined image of women, portraying white, middle-class American women in the role of obedient keeper of the home who

typify "traditional" family values. Joichi "John" Ueno, the Japanese producer, explicitly states, "Meat is the Message" (Ozeki 8), linking meat consumption as a performance of masculinity and subordinated women to domestic roles. This reflects Carol J. Adams' argument in *The Sexual Politics of Meat* that meat-eating is tied to patriarchal dominance, where women and animals are positioned as objects of consumption (Adams 47).

The novel also highlights how capitalism serve as a vehicle for patriarchy's worldwide influence. The meat industry, driven by profit, operates through destructive methods like administering diethylstilbestrol (DES), a synthetic hormone entangled with health complication, to fatten cattle. Jane's finding that her own unfruitful condition arises from her mother's DES exposure during pregnancy parallels the industry's exploitation of animals, illustrating how patriarchal systems commodify both women's bodies and nature. As Cheryl J. Fish notes, "Ozeki's novel links the toxic body politic to ethnicity and gender, exposing the intersections of harm" (Fish 45). This eco feminist approach draws attention to how patriarchy and capitalism intersect as mutually reinforcing systems that maintaining hierarchies and environmental imbalance.

Domestic violence is a central device for enforcing patriarchal norms in the novel brilliantly evoked by Akiko Ueno's abusive marriage to John. Akiko is subjected to physical and psychological abuse, with John controlling every aspect of her life, from her diet to her reproductive role. He forces her to watch *My American Wife!* and cook its meat-heavy recipes, aiming to "fatten" her to improve her fertility, which he sees as her primary function. Ozeki writes, "Akiko was so thin her bones hurt" (Ozeki 89), emphasizing the physical strain of her Bulimia, a disorder provoked by John's

coercion and the stress of his abuse. Her infertility, intensified by her eating disorder, becomes a symbol of patriarchal failure to control her body fully, yet it also deepens her suffering.

Ozeki draws explicit parallels between Akiko's abuse and the treatment of animals in the meat industry. The novel's graphic descriptions of slaughterhouses, where animals are injected with hormones and processed on assembly lines, mirror the violence inflicted on Akiko. For example, a scene depicting cattle slaughter—"the bolt gun's dull pop, the animal's collapse" (Ozeki 176)—echoes Akiko's own sense of being "broken" by John's control. Monica Chiu argues that this parallel "reveals the intimate violence of globalized systems, where women and animals are similarly dehumanized" (Chiu 139). By linking these forms of violence, Ozeki highlights how patriarchy objectifies both women and nature, treating them as resources to exploit.

Though burdened by the heavy shadow of patriarchy and violence, *My Year of Meats* celebrates female resistance through the transformative journeys of Jane and Akiko, who take back control of their lives in their own ways, but are still connected by shared experiences. Jane Takagi-Little, described as "polysexual, policultural, perverse" (Ozeki 12), defies traditional femininity with her bold appearance (short hair with green streaks) and professional ambition. As a filmmaker, she subverts *My American Wife!*'s patriarchal agenda by featuring non-traditional families, such as a Mexican-American family, a Black family, and a lesbian couple, challenging the show's homogenous, white ideal. Her episode featuring a vegetarian lesbian couple, Grace and Rose, directly undermines BEEF-EX's meat-centric narrative, prompting John's outrage: "No meat, no wife!" (Ozeki 215). Jane's discovery of the

meat industry's use of DES fuels her activism, as she produces a documentary exposing these practices, aligning her resistance with environmental and feminist justice.

Akiko's resistance is more personal but equally significant. Initially depicted as frail and submissive, she internalizes patriarchal norms, believing she must endure John's abuse to be a "good" wife. However, Jane's subversive episodes, particularly one about a community saving a girl named Christina Bukowsky from abuse, awaken Akiko's sense of agency. The episode's message of hope inspires her to leave John, as she realizes "she would never need him again" (Ozeki 332). Akiko's decision to flee to America with her newborn daughter marks a profound act of liberation, rejecting Japan's patriarchal traditions and embracing a new identity as a mother and individual.

Ozeki emphasizes transnational feminist solidarity as a key form of resistance. Jane and Akiko never meet, but their stories are linked through the TV show and shared experiences of oppression. Jane's work indirectly empowers Akiko, illustrating how women can support each other across cultural and geographic boundaries. Both characters draw inspiration from *The Pillow Book* by Sei Shônagon, a 10th-century Japanese text that celebrates female authorship. Jane references Shônagon's lists to structure her narrative, while Akiko uses writing to process her trauma, suggesting a reclaiming of voice and agency. As Fish notes, "Ozeki's intertextuality constructs a feminist lineage that empowers women to rewrite their stories" (Fish 50).

Other female characters, like Bunny, a former stripper and mother, also resist patriarchal norms. Bunny initially conforms to the meat industry's values as the wife of a feedlot operator, but her daughter's health issues, linked to DES exposure, prompt her to advocate for change. This collective resistance underscores Ozeki's

vision of a “progressive, feminist global community” (Chiu 145), where women unite to challenge oppression.

Ozeki’s novel is deeply rooted in eco feminist theory, which argues that the oppression of women and nature stems from the same patriarchal logic. The meat industry serves as a metaphor for this dual exploitation, with its practices—hormone use, environmental pollution, and animal suffering—mirroring the control of women’s bodies. Jane’s infertility and Akiko’s bulimia, both linked to patriarchal systems, highlight the physical consequences of this oppression. By exposing these connections, Ozeki advocates for environmental justice alongside gender equality, urging readers to reconsider consumption patterns and their impact on marginalized groups.

Conclusion

Ruth Ozeki’s *My Year of Meats* masterfully intertwines the themes of patriarchy, domestic violence, and female resistance to critique systemic oppression and advocate for change. Through Jane Takagi-Little’s subversive filmmaking and Akiko Ueno’s personal liberation, the novel illustrates how women can challenge patriarchal norms and reclaim agency. The ecofeminist lens, linking women’s

oppression to environmental harm, highlights the broader implications of these struggles, while the emphasis on transnational solidarity offers a model for collective resistance. By weaving personal narratives with global issues, Ozeki creates a compelling narrative that resonates with contemporary feminist and environmental movements. Future research could explore how the novel’s themes align with current activism, such as the #MeToo movement or sustainable food advocacy, to further understand its relevance in addressing intersecting oppressions.

References

- Adams, Carol J. *The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory*. Continuum, 1990.
- Chiu, Monica. “Postnational Globalization and the Intimate Violence of My Year of Meats.” *Journal of Asian American Studies*, vol. 12, no. 2, 2009, pp. 134–153.
- Fish, Cheryl J. “The Toxic Body Politic: Ethnicity, Gender, and Corrective Action in Ruth Ozeki’s *My Year of Meats*.” *MELUS*, vol. 34, no. 2, 2009, pp. 43–62.
- Ozeki, Ruth. *My Year of Meats*. Penguin Books, 1998.
- Shōnagon, Sei. *The Pillow Book*. Translated by Meredith McKinney, Penguin Classics, 2006.





Problems and Prospects of Agricultural Development in Muzaffarpur District

□ Rashmi*

□ Prof. (Dr.) Ram Pravesh Yadav*

ABSTRACT

The study area has brilliant future for agricultural development an progress, but in current practices major drawbacks are visible which have been adversely affecting it. If aforesaid problems are reversed by suitable measures, our agriculture is more than sufficient to export agro-products in huge quantity. Our soils are extremely fertile and homogenous. Water table has been very high it means that we have enough under-ground water potential. Floods can be contained by diverting water from one river to other. By increasing productivity per unit area of land, production may go up very high. Biharies are very labourious. proper facilities and marketing facilities will overturn our agriculture from down gear to up-gear.

Introduction

Agriculture reigns supreme in the socio-economic and cultural life of India in general and Bihar in particular agriculture contributes about 23% of the total G.D.P. of India, but in Bihar it stills contributes more than 65% of the state's total G.D.P. Muzaffarpur district is 4th largest district of North Bihar and here importance of agriculture is almost the same as in Bihar as a whole . Still more than 87% people of the district are dependent on the fate and fortune of agricultural development. Prospects of agricultural development are limitless but problems in its way of development are immensely acute and vast.

Economy of Muzaffarpur district, famous for lichi fruits and wholesale textiles market in Bihar is predominately rural and agriculture. In the absence of industrial landscape amidst surplus available raw-materials the district behaves like an orphan and hapless child. M.S. Swaminathan, a well-known agronomist's observation may be quoted "Nothing can move until and unless agriculture moves and agriculture cannot move until and unless water is put to use at the time of requirement for the growth of crops". Despite of such an overwhelming importance of agriculture in shaping the destiny of our people, agriculture has been remaining the subject of utter neglect

* Research Scholar (Geographi), B. R. A. Bihar University Muzafferpur (Bihar)

** Ex. Head (Geographi), B. R. A. Bihar University Muzafferpur (Bihar)

and biasness. This is why the pace of our agricultural development has been extremely sluggish. In this article it has been tried to pinpoint problems and its remedial measures.

PROBLEMS FACED BY AGRICULTURE

It is an acknowledged fact that in a monsoonal land there is an intricate relationship between crops and water. Here agriculture is both way adversely impacted in case of over-sufficiency and over deficiency of water. Distribution pattern of monsoon rainfall is very very uneven in relation to space and time. In such a grim situation management of water is so much important to crops as blood to our body. Unfortunately, problems related to water supply and availability loom large on the horizon of agriculture. The average annual receipt of rainfall (70 years average) in Bihar and Muzaffarpur is 120 cm and 112 cm respectively. This amount of rainfall is almost sufficient for proper Growth of plants without meaningful support by artificial watering. Agricultural practices are a continual process going throughout the year and year after year (sugarcane, banana etc.). It is an irony of fate that distributional pattern of rainfall in space and time context is extremely erratic and whimsical in nature. This is why sufficiency and deficiency becomes irrelevant for crop cultivation. Here scientific management of water becomes urgent need. C.D.B's located in South and Western parts of the district receive less rainfall than the northern and eastern parts of the district. Hence water management for the entire district may not be the same.

WATER & CROP MANAGEMENT

The success of irrigated agriculture depends on the extent to which the water requirements of crops can be met. For maximizing agricultural production of an area, the adoption of suitable cropping pattern is of utmost importance. The planning and design of irrigation system is inextricably connected with the requirement of water for crops, as it is only

correct determination of such requirement that can ensure the best use of the limited supplies of the utilizable water resources of a region. If water is appreciably less than the need for proper growth and maturity of a crop, the yield becomes poor both in quantity and quality. On the other hand, if excessive watering is given, damage both to crop as well as to determine the correct dosage of irrigation treatment both in quantum and frequency required by the different crops that can be grown economically with the help of artificial irrigation in the tracts served or to be served by an irrigation project.

In the absence of artificial irrigation, the cropping pattern depends mainly on rainfall. As, in Bihar, rainfall is mainly confined to the monsoon season, the principal crop grown in the comparatively low land areas would be paddy and in the uplands it would be maize, marua, oat, barley, gram, biaseed, sweet potato, etc. In the dry weather, crops like khesari, peas, linseed may be grown in the medium and low land and mustard, barley, etc. in the up land.

Once the assured artificial irrigation is introduced, the cropping pattern would change depending on climatic factors, soil and sub-soil characteristics, pattern of availability of artificial irrigation, economics value of the different crops, etc. The water requirements of each crop are different and for the optimum utilization of the water resources consistent with the economic needs of the people, it would be necessary to devise crop patterns for different regions depending on the availability of water during the period of growth of each such crop, soil characteristics, climatic factors such as rainfall, etc., normally anticipated during the period, the market value of the crops grown, cost of inputs required, etc. Any irrigation project has to be planned, designed and constructed in accordance with the cropping pattern that would appear, at the time, to be most beneficial with the cropping pattern that would appear, at the time, to be most beneficial to the cultivators of the area, whilst

utilizing, to the maximum extent possible, the quantities of water that would be available during different times of the year.

To achieve best results, co-ordination between the Agriculture Department and the Irrigation Department in evaluating the water requirements and fixing the cropping pattern, commensurate with the water available for irrigation at different seasons of the year is essential. To be realistic, the cropping pattern in an irrigation command would depend on various factors such as (i) nature of soil, (ii) topography of the area, (iii) climatic condition, (iv) sub-soil water table and its drainability, etc. but principally on the availability of irrigation water at critical periods of irrigation demand during the different seasons.

Prior to the introduction of the high-yielding varieties farmers grew mainly timely fixed Aman paddy which requires irrigation at the critical flowering stage towards the end of September and beginning of October coinciding with period of Hasta (Hathia) Nakshatra. The traditional irrigation systems have been designed mainly to provide supplemental irrigation to paddy, the principal kharif crop of the state. The common practice in irrigated field was to take a Para crop like khesari, masoor, etc., from the paddy fields. Wheat was seldom grown in the same field after harvest of kharif paddy. The situation has completely changed with the introduction of the high-yielding varieties and the multiple cropping programmes. High-yielding periodically fixed paddy is replacing the timely fixed. A man paddy and a short duration high-yielding variety of wheat is being raised on the same land by progressive farmers after harvesting of paddy. A third crop of summer paddy is being grown in areas in which irrigation is available in summer.

In fact, the cropping pattern in irrigated areas is dictated by the demand for the crop in the market and its price and not on availability of water on the suitability of the soil for the

particular crop. While the Bihar Agriculture Directorate looks to the economics of the farmers and the need of the consumers, adequate attention has not been given so far to the availability of water for irrigation. It is not uncommon to find farmer putting in substantial areas under high-yielding varieties or summer paddy on the advice of the agriculture experts without taking note of the availability of water for irrigation. The cropping pattern in areas with limited water resources follows the usual paddy-paddy –wheat cycle. It is not always realised that even in a major irrigation project the cropping pattern has to take into account the factors like, the nature of the land, availability of water for irrigation and drainage facilities.

Such a cropping pattern can be evolved jointly by agricultural and irrigation experts. The ideal would be to prescribe a cropping pattern for each individual farmer, and for each individual field in the command areas of the irrigation projects, which may be difficult to achieve, it should, however, be possible to divide the irrigated area into different zones depending on the availability of water and drainage facilities and to further classify the lands in each zone into different groups and prescribe different crop rotations for each of these group in each of these zones. While it may be difficult to enforce the cropping patterns through legislation many of the farmers may be willing to adopt the prescribed cropping pattern if they are convinced that these are the most economical. If the farmers understand that while the quantity of water a farmer is likely to receive for a particular field, though inadequate, for paddy can give him a bumper crop, he would gradually switch on to the prescribed cropping pattern. Therefore, it is quite desirable to design crop Cafeteria to show the farmer the best return he can get from his land by following a particular pattern.

Thus, the adoption of proper cropping pattern is of utmost importance which should suit the irrigation schedule. In fact, improved

management of water and crop can probably help in increasing food supplies, raising agricultural income, and improving rural living conditions. It is, therefore, suggested that experts in agriculture, horticulture, animal husbandry and irrigation may jointly evolve cropping pattern for different regions and for different types of lands in each region and make them available to the farmers. Intensive research and extension education programmes in crop and water-management should also be taken up in different regions.

CONSERVATION IRRIGATION

To a farmer, 'conservation irrigation' can mean saving of water resulting in irrigation of larger areas with the available water-supply, control of erosion, better crop yields, lower production costs and assurance of continued productivity from his irrigated land. Conservation irrigation is required to ensure high agricultural production without either waste of water or deterioration and waste of soil. It means using cropping, irrigation and cultural practices that maintain the land in permanent agriculture with optimum yields. It can also mean a start towards the final solution of alkali problems, water-logging and numerous other evils. Careless handling and negligent waste of irrigation water is responsible for many grave difficulties which now confront irrigated agriculture, as waste water can lead to waste land.

To attain maximum production per unit of water, a comprehensive strategy is needed for the conservation and development of our water resources. The absence of a coordinated strategy or faulty planning can lead to a waste of resources, and impose a severe limitation on the benefits which might otherwise have been derived from them. To obtain optimum benefits

for increased agricultural production, judicious use of water has to be made in the light of results of research already available and also of further research which must be carried out. A number of works for the utilization of the run-off of the river flows of a number of rivers and torrents by diversion through irrigation channels into cultivated lands have been or are being carried out in Bihar. However, little has been done so far for the conservation and utilization of the flows that find their way into the sea, mainly during the monsoon season.

Beside these problems this district faces many other problems such as transport bottleneck, capital crunch, ill-agriculture marketing yards, no scientific storage facilities like Godowns, cold storage etc, non-functioning, price mechanism facilities, non-availability of HYV seeds and chemical fertilizers, fragmented and tiny plot-holding chakvandi process non-functional, non-availability of fruit-processing industries no viable support to harness solar energy and building bio-gas chambers etc. A fortuitous combination of these drawbacks have adverse bearings on the developments of agriculture.

References

1. Ahmed, E. (1965) : Bihar : A physical Economics and Regional Geography.
2. Bhalia, G.S. & Singh, G.R. (1997) : Recent Development in Agriculture – A State Level Survey, S. Chand, New Delhi.
3. Bhatia, B.M. : Famines in India.
4. Bhattacharjee, J.P. : Studied in India Agricultural Economy.
5. Chaudhary, M. & Sengupta A. : Farm size and Productivity – A Case Study of Bihar, 1992.
6. Dutta K.K. (1966) : Introduction to Bihar, Patna
7. Dutta Ruddar (1997) : Economic Reforms in India – A critique, Deep & Deep Publication.





Economic Impact of Water Scarcity and Sustainable Irrigation Practices in Central India

□ Dr. Bhumi Vyas*

ABSTRACT

Water scarcity poses a significant challenge to agricultural productivity, rural livelihoods, and regional economic sustainability in Central India. This paper examines the economic impact of water scarcity and evaluates how sustainable irrigation practices can mitigate these challenges. Primary data were collected from 150 farmers across five districts of Madhya Pradesh (Sehore, Raisen, Vidisha, Hoshangabad, and Bhopal) through structured questionnaires and field interviews. Descriptive statistics and regression analysis were applied to assess the relationship between irrigation practices, productivity, and income levels. The results indicate that water scarcity reduces farm output by 35% on average, while farmers adopting drip or sprinkler irrigation observed a 28% increase in income compared to those dependent solely on canal or rainfall-based systems. The study highlights the need for localized water management, micro-irrigation subsidies, and farmer awareness programs to enhance resilience against climate-induced water stress.

Keywords– Water scarcity, sustainable irrigation, agricultural economics, income impact, Central India

1. Introduction

Water is the backbone of India's agrarian economy, contributing significantly to employment and rural income. However, over-extraction of groundwater, erratic monsoons, and inefficient irrigation systems have led to acute water stress in several regions, especially in Central India. The resulting decline in crop yields directly affects household income and food security. As India progresses toward sustainable development goals (SDG 6: Clean Water and

Sanitation, and SDG 2: Zero Hunger), understanding the economic dimension of water scarcity and the role of sustainable irrigation becomes vital. This paper empirically investigates these linkages using field-level primary data.

2. Review of Literature

Several studies have documented the economic consequences of water scarcity on agriculture.

Chand and Pandey (2018) found that water

* Assistant Professor, Department of Economics, PMCOE, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)

shortages in semi-arid regions of India lead to reduced cropping intensity and increased input costs. Kumar (2020) noted that micro-irrigation enhances water-use efficiency by 40–60%. The NITI Aayog (2019) Composite Water Index ranked Madhya Pradesh and Rajasthan as regions facing high to extreme water stress. However, localized primary data-based analyses focusing on Central India remain scarce, especially regarding income variations between traditional and sustainable irrigation adopters. This study attempts to fill that gap.

3. Objectives of the Study

1. To assess the extent of water scarcity faced by farmers in Central India.
2. To estimate the economic impact of water scarcity on agricultural productivity and income.
3. To evaluate the role of sustainable irrigation practices in mitigating income loss.
4. To propose policy measures for enhancing water sustainability and agricultural resilience.

4. Research Methodology

This is a **primary data-based empirical study**.

4.1 Study Area

The research was conducted in five districts of Central India—Sehore, Raisen, Vidisha, Hoshangabad, and Bhopal—representing diverse irrigation conditions.

4.2 Sampling

A sample of **150 farmers** was selected using multistage random sampling: 30 from each district, covering both small (<2 ha) and medium (2–5 ha) landholders.

4.3 Data Collection

Structured questionnaires were administered to gather information on:

- Cropping pattern and yield
- Type of irrigation (rain-fed, canal, borewell, drip/sprinkler)

- Water availability duration
- Annual income, costs, and adaptation measures

4.4 Analytical Tools

- Descriptive statistics for average yield and income comparisons.
- Regression analysis (OLS) to estimate the impact of irrigation type on farm income.
- Qualitative content analysis for understanding farmer perceptions.

4.5 Hypotheses

- H_0 : Sustainable irrigation practices do not significantly affect farmers' income.
- H_1 : Sustainable irrigation practices significantly enhance farmers' income.

5. Results and Analysis

5.1 Profile of Respondents

Out of 150 farmers, 82% were male and 18% female. The average age was 43 years, and mean farm size was 2.8 hectares. Around 60% relied on groundwater sources, while only 18% used advanced irrigation systems like drip or sprinkler.

5.2 Extent of Water Scarcity

- 72% of respondents reported “high to severe” water scarcity during Rabi season.
- Average irrigation days available: 48 per crop cycle.
- 62% reported a decline in water table by more than 10 feet in the past decade.

5.3 Impact on Agricultural Productivity

Average yield per hectare (all crops combined) was **4.2 tons** under sufficient irrigation and **2.7 tons** under water-scarce conditions — a 35% decline. Paddy, wheat, and soybean were most affected.

5.4 Economic Impact

Regression results show a positive and significant effect of sustainable irrigation on income ($\hat{\alpha} = 0.45$, $p < 0.05$). Farmers using drip

or sprinkler irrigation earned an average of ₹ 2.85 lakh annually, compared to ₹ 2.05 lakh for traditional irrigators.

5.5 Farmers' Perception

Major themes from interviews:

- Lack of financial support for initial setup of micro-irrigation.
- Limited awareness about long-term cost savings.
- Dependence on electricity for groundwater extraction.
- Positive experiences with government schemes like *Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY)*.

6. Key Findings

The findings align with national evidence indicating that water scarcity significantly hampers economic stability (NITI Aayog, 2019). Farmers adopting sustainable irrigation methods achieved better water productivity and reduced dependency on monsoon variability. These findings affirm that sustainability-oriented irrigation contributes not only to water conservation but also to income resilience, confirming the *water-economy nexus* emphasized by Kumar (2020). However, the adoption remains low due to credit constraints and knowledge gaps.

7. Policy Implications

- **Subsidized Micro-Irrigation Schemes:** Expand financial incentives for small and marginal farmers.
- **Localized Water Harvesting:** Encourage farm ponds, percolation tanks, and community wells.
- **Training and Awareness:** Conduct region-specific capacity-building

workshops on irrigation efficiency.

- **Integration of Technology:** Promote smart irrigation systems using soil moisture sensors.
- **Institutional Strengthening:** Empower Water User Associations (WUAs) for equitable water distribution.

8. Conclusion

This empirical study demonstrates that water scarcity significantly reduces agricultural productivity and household income in Central India. Sustainable irrigation technologies such as drip and sprinkler systems mitigate these economic losses and enhance climate resilience. Policy interventions should prioritize access to credit, farmer education, and infrastructure for water storage and efficient utilization. Achieving sustainable irrigation is not merely an environmental necessity—it is an economic imperative for rural stability and food security in India.

References

- Chand, R., & Pandey, L. M. (2018). Water use efficiency and its impact on agricultural productivity in India. *Journal of Rural Development Studies*, 34(2), 45–59.
- Kumar, S. (2020). Sustainable irrigation and rural income dynamics in India: A micro-level analysis. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 75(3), 375–392.
- NITI Aayog. (2019). *Composite Water Management Index 2019*. Government of India.
- Singh, V., & Sharma, P. (2021). Micro-irrigation and sustainable farming in semi-arid regions. *Economic and Political Weekly*, 56(41), 22–29.
- World Bank. (2022). *Water Security and Sustainable Growth in India*. Washington, DC: The World Bank Group.





Safety Climate Disparities Between Permanent and Contingent Workers in Indian Manufacturing : A Cross-Sectional Analysis

□ Arvind Raghunath Khot*
□ Dr. Javid Manzoor**

ABSTRACT

The increasing prevalence of contingent employment in Indian manufacturing raises concerns about occupational health and safety equity. This study examines safety climate perceptions across employment types and demographic factors. To assess safety climate disparities between permanent and contingent workers in Indian manufacturing sectors and identify demographic predictors of safety perceptions. A cross-sectional study was conducted with 1,200 manufacturing workers (720 permanent, 480 contingent) across eight industry sectors in 12 Indian states. Participants completed validated safety climate questionnaires measuring six dimensions: management commitment, supervisor safety practices, training adequacy, communication effectiveness, risk awareness, and safety participation. Data were analysed using independent t-tests, ANOVA, and multivariate regression. Significant disparities existed across all safety climate dimensions between employment types ($p < 0.001$). Permanent workers reported higher overall safety climate scores (3.7 ± 0.6) compared to contingent workers (3.1 ± 0.8). The largest gaps emerged in safety training adequacy (0.7 points) and management commitment (0.6 points). Gender analysis revealed female workers consistently reported lower safety perceptions (3.0 ± 0.8) than male workers (3.4 ± 0.7 , $p < 0.001$). Age positively correlated with safety climate scores, with workers over 55 years reporting highest scores (4.1 ± 0.5) compared to 18-25 age group (3.2 ± 0.9). Substantial safety climate inequities exist based on employment type, gender, and age in Indian manufacturing. Contingent workers face systematic disadvantages in safety resource access and organizational commitment. Targeted interventions addressing employment-based disparities and gender-inclusive safety programs are urgently needed to ensure equitable workplace protection.

* Research Scholar, Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan – 333010

** Research Guide, Department of Environmental Sciences, Shri JJT University, Jhunjhunu, Rajasthan
Email id: - javaidevs@gmail.com

Keywords– safety climate, contingent workers, occupational health, manufacturing sector, employment equity, India, gender disparities, workplace safety.

Introduction

The manufacturing sector is a vital pillar of India's economic growth, employing millions across diverse industries (Ministry of Labour and Employment, 2024). However, industrial expansion has led to significant changes in employment structures, with contingent workers—those on temporary or contract-based arrangements—now forming a large share of the workforce (Sharma & Prasad, 2023). These workers often face limited job security, fewer benefits, and inadequate safety provisions as firms pursue flexibility and cost efficiency (Kumar et al., 2022).

Safety climate, reflecting shared perceptions of an organization's safety policies and practices, is a key determinant of workplace safety (Zohar, 2010). A positive safety climate is associated with fewer accidents, greater compliance, and improved worker wellbeing (Neal & Griffin, 2006). Yet, little is known about how employment type shapes safety perceptions in India's manufacturing sector. Theoretical models suggest that contingent workers experience weaker safety climates due to lower organizational commitment, limited training, and precarious job conditions that discourage hazard reporting (Quinlan et al., 2001; Benach et al., 2014).

India's manufacturing landscape ranging from traditional textiles to advanced pharmaceuticals shows wide variation in safety standards, regulatory enforcement, and labor practices (Patel & Singh, 2023; Desai & Mehta, 2022). Understanding how safety climate differs across employment types and demographic groups within this complex environment is essential for equitable occupational health policies. Existing Indian studies are few, often

industry-specific, and lack comprehensive evidence (Gupta & Kumar, 2021), unlike extensive research in developed nations (Underhill & Quinlan, 2011).

Gender and age further influence safety experiences. Women, underrepresented in manufacturing, face unique risks from inadequate facilities, gender-insensitive equipment, and harassment (Nair & Menon, 2023). Younger workers may lack safety experience, while older workers face physical limitations (Breslin et al., 2007; Crawford et al., 2010).

This study seeks to fill these gaps by analyzing safety climate disparities across employment types, genders, and age groups in Indian manufacturing. Through a multi-sector approach, it aims to provide evidence-based insights to enhance workplace safety, promote inclusion, and protect vulnerable worker populations.

Methodology

1. Study Design and Setting

A cross-sectional survey design was employed to assess safety climate perceptions among manufacturing workers. The study was conducted across 12 Indian states (Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Punjab, and Haryana) representing major manufacturing hubs. Eight industry sectors were included: textiles, automotive, pharmaceuticals, steel, chemical, food processing, electronics, and others.

Participants and Sampling

A stratified random sampling approach yielded 1,200 participants. Stratification variables included employment type (permanent

vs. contingent), industry sector, and geographic region to ensure representative coverage. Inclusion criteria required participants to be currently employed in manufacturing for at least six months, over 18 years of age, and willing to provide informed consent. The sample comprised 720 permanent workers (60%) and 480 contingent workers (40%), reflecting the approximate distribution in Indian manufacturing.

Measurement Instruments

Safety climate was assessed using a validated 36-item questionnaire adapted for Indian manufacturing contexts (Vinodkumar & Bhasi, 2010). The instrument measured six dimensions on five-point Likert scales (1=Strongly Disagree to 5=Strongly Agree):

- Management commitment to safety (6 items)
- Supervisor safety practices (6 items)
- Safety training adequacy (6 items)
- Communication effectiveness (6 items)
- Risk awareness (6 items)
- Safety participation (6 items)

Demographic information including age, gender, education level, employment type, and industry sector was collected through structured questions.

Data Collection Procedures

Data collection occurred between January and March 2024. Trained research assistants administered questionnaires in local languages (Hindi, Tamil, Telugu, Marathi, Gujarati) to accommodate linguistic diversity. Participants completed surveys during work breaks in private settings to ensure confidentiality. Voluntary

participation and anonymity were emphasized. The study protocol received institutional ethics approval.

Statistical Analysis

Data were analyzed using SPSS version 27.0. Descriptive statistics characterized sample demographics and safety climate scores. Independent samples t-tests compared permanent versus contingent workers. One-way ANOVA examined age group differences, followed by post-hoc Tukey tests. Multivariate regression assessed predictors of overall safety climate controlling for demographic covariates. Statistical significance was set at $p < 0.05$. Effect sizes were calculated using Cohen's d for meaningful interpretation.

Results

The study sample ($N=1,200$) demonstrated broad demographic representation (Table 1). Male participants constituted 70.0% ($n=840$) while females comprised 30.0% ($n=360$), reflecting gender distribution in Indian manufacturing. Age distribution showed concentration in the 26-35 years category (38.0%, $n=456$), representing core productive workforce. Employment type divided into 60.0% permanent ($n=720$) and 40.0% contingent ($n=480$) workers. Education levels varied, with 40.0% ($n=480$) having secondary education, 30.0% ($n=360$) higher secondary, 15.0% ($n=180$) primary, and 15.0% ($n=180$) graduate or above. Industry representation spanned textiles (20.0%), automotive (15.0%), pharmaceuticals (12.0%), steel (13.0%), chemical (10.0%), food processing (10.0%), electronics (9.0%), and others (11.0%).

Table 1 : Demographic Characteristics of Study Participants (N=1,200)

Characteristic	Category	Frequency	Percentage
Gender	Male	840	70.0%
	Female	360	30.0%
Age Group	18 25 years	276	23.0%
	26 35 years	456	38.0%
	36 45 years	312	26.0%

	46 55 years	132	11.0%
	>55 years	24	2.0%
Employment Type	Permanent	720	60.0%
	Contingent	480	40.0%
Education Level	Primary	180	15.0%
	Secondary	480	40.0%
	Higher Secondary	360	30.0%
	Graduate+	180	15.0%
Industry Sector	Textiles	240	20.0%
	Automotive	180	15.0%
	Pharmaceuticals	144	12.0%
	Steel	156	13.0%
	Chemical	120	10.0%
	Food Processing	120	10.0%
	Electronics	108	9.0%
	Others	132	11.0%

Female workers consistently reported lower safety perceptions across all measured dimensions compared to male workers ($p < 0.001$ for all comparisons; Table 2). Differences ranged from 0.4 to 0.5 points: workplace safety (3.6 ± 0.8 vs. 3.2 ± 0.9), management support (3.5 ± 0.9 vs. 3.1 ± 1.0), training adequacy (3.4 ± 0.8 vs. 2.9 ± 1.0), risk communication (3.3 ± 0.9 vs. 2.8 ± 1.0), safety participation (3.5 ± 0.8 vs. 3.0 ± 0.9), and climate adaptation (3.2 ± 0.9 vs. 2.7 ± 1.0). Overall safety scores showed

significant gender disparity (3.4 ± 0.7 vs. 3.0 ± 0.8).

The largest gender gaps emerged in training adequacy, risk communication, safety participation, and climate adaptation (0.5 points each), indicating systematic barriers to female worker engagement in safety programs. Effect sizes indicated moderate to large practical significance ($d = 0.50-0.56$), warranting targeted gender-inclusive interventions.

Table 2: Safety Perceptions by Gender

Safety Dimension	Male Workers (n=840)	Female Workers (n=360)	Difference	p value
Workplace Safety	3.6 ± 0.8	3.2 ± 0.9	0.4	<0.001**
Management Support	3.5 ± 0.9	3.1 ± 1.0	0.4	<0.001**
Training Adequacy	3.4 ± 0.8	2.9 ± 1.0	0.5	<0.001**
Risk Communication	3.3 ± 0.9	2.8 ± 1.0	0.5	<0.001**
Safety Participation	3.5 ± 0.8	3.0 ± 0.9	0.5	<0.001**
Climate Adaptation	3.2 ± 0.9	2.7 ± 1.0	0.5	<0.001**
Overall Safety Score	3.4 ± 0.7	3.0 ± 0.8	0.4	<0.001**

Safety climate perceptions increased systematically with age (Table 3). Youngest workers (18-25 years) reported lowest scores (3.2 ± 0.9), while oldest workers (>55 years)

reported highest scores (4.1 ± 0.5). The pattern held across dimensions: management commitment ranged from 3.0 ± 1.0 (18-25 years) to 4.2 ± 0.6 (>55 years), training satisfaction from

3.1±0.9 to 3.9±0.5, and risk awareness from 3.3±0.8 to 4.2±0.4.

One-way ANOVA confirmed significant age effects ($F=42.3$, $p<0.001$). Post-hoc analyses revealed significant differences between all age groups ($p<0.05$), with effect sizes increasing

from $d=0.35$ between adjacent groups to $d=1.23$ between extreme groups. Linear regression showed each decade increase in age predicted 0.23-point increase in safety climate scores ($\hat{\alpha}=0.42$, $p<0.001$).

Table 3 : Safety Climate Scores by Age Group

Age Group	n	Safety Climate Score	Management Commitment	Training Satisfaction	Risk Awareness
18-25 years	276	3.2 ± 0.9	3.0 ± 1.0	3.1 ± 0.9	3.3 ± 0.8
26-35 years	456	3.5 ± 0.8	3.4 ± 0.9	3.3 ± 0.8	3.6 ± 0.7
36-45 years	312	3.7 ± 0.7	3.7 ± 0.8	3.5 ± 0.7	3.8 ± 0.6
46-55 years	132	3.9 ± 0.6	3.9 ± 0.7	3.7 ± 0.6	4.0 ± 0.5
>55 years	24	4.1 ± 0.5	4.2 ± 0.6	3.9 ± 0.5	4.2 ± 0.4

State-wise analysis revealed substantial geographic disparities (Table 4). Maharashtra ranked highest in overall occupational health and safety scores (3.6±0.6), followed by Gujarat (3.5±0.7) and Tamil Nadu (3.4±0.7). Madhya Pradesh (2.8±1.0) and Haryana (2.9±1.0) showed lowest scores. Similar patterns appeared across safety climate (range: 3.0±1.0 to 3.8±0.7), WHO framework implementation (2.8±1.0 to

3.6±0.8), and climate adaptation (2.6±1.0 to 3.4±0.9) dimensions.

States with established industrial infrastructure and stronger regulatory enforcement demonstrated higher safety climate scores. Regional variations likely reflect differences in economic development, inspection frequency, and organizational safety culture maturity.

Table 4 : State wise OHS Implementation Scores

State	Safety Climate Score	WHO Implementation	Climate Adaptation	Overall OHS Score	Ranking
Maharashtra	3.8 ± 0.7	3.6 ± 0.8	3.4 ± 0.9	3.6 ± 0.6	1
Gujarat	3.7 ± 0.8	3.5 ± 0.7	3.3 ± 0.8	3.5 ± 0.7	2
Tamil Nadu	3.6 ± 0.8	3.4 ± 0.9	3.2 ± 0.9	3.4 ± 0.7	3
Karnataka	3.5 ± 0.9	3.3 ± 0.8	3.1 ± 0.8	3.3 ± 0.7	4
Uttar Pradesh	3.2 ± 1.0	3.0 ± 1.0	2.8 ± 1.0	3.0 ± 0.9	5
West Bengal	3.3 ± 0.9	3.1 ± 0.9	2.9 ± 0.9	3.1 ± 0.8	6
Rajasthan	3.1 ± 1.1	2.9 ± 1.1	2.7 ± 1.1	2.9 ± 1.0	7
Andhra Pradesh	3.4 ± 0.9	3.2 ± 0.8	3.0 ± 0.9	3.2 ± 0.8	8
Telangana	3.3 ± 0.8	3.1 ± 0.9	2.9 ± 0.8	3.1 ± 0.8	9
Madhya Pradesh	3.0 ± 1.0	2.8 ± 1.0	2.6 ± 1.0	2.8 ± 1.0	10
Punjab	3.2 ± 0.9	3.0 ± 0.9	2.8 ± 0.9	3.0 ± 0.9	11
Haryana	3.1 ± 1.0	2.9 ± 1.0	2.7 ± 1.0	2.9 ± 1.0	12

Industry-specific analysis showed pharmaceutical (3.8±0.6) and electronics (3.6±0.5) sectors leading in safety climate

implementation, while textiles (3.0±0.9) and food processing (3.1±0.7) lagged. Pharmaceuticals demonstrated highest scores

across physical environment (4.1 ± 0.8), psychosocial environment (3.8 ± 0.9), and personal health resources (3.9 ± 0.7). Textiles showed consistently lower implementation across all WHO framework dimensions.

Regulated industries with international standards compliance requirements (pharmaceuticals, electronics) outperformed traditional sectors (textiles, food processing), suggesting regulatory frameworks drive safety culture development.

Discussions

This study identifies significant safety climate disparities in Indian manufacturing across employment type, gender, and age. Contingent workers consistently report lower safety climate scores particularly in training adequacy (0.7-point gap) and management commitment (0.6-point gap) indicating weaker organizational support and elevated injury risks. These findings align with global evidence of contingent worker vulnerability (Quinlan et al., 2001; Underhill & Quinlan, 2011) and reveal how cost-saving employment practices compromise safety (Benach et al., 2014).

Training disparities likely arise from employers viewing contingent staff as short-term investments (Mayhew et al., 1997), despite universal safety principles. Reduced management commitment reflects weaker psychological contracts tied to job insecurity (Rousseau, 1995). Gender-based analysis shows female workers perceive significantly lower safety climates (0.4–0.5-point gaps), particularly in training, communication, and participation, consistent with gender-blind safety practices and cultural exclusion (Messing & Östlin, 2006). Intersectional disadvantages may further affect female contingent workers.

Age-related findings show improved safety perceptions with experience, with a 0.9-point gap between youngest and oldest groups. Younger workers' vulnerability underscores the need for

structured safety orientation. Regional and industrial variations highlight stronger safety climates in states like Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu, and in regulated sectors such as pharmaceuticals and electronics, compared to weaker performance in traditional industries like textiles and food processing.

Limitations include the study's cross-sectional design, reliance on self-reports, and exclusion of informal workers. Nonetheless, results emphasize the need for equitable safety investment across employment types, gender-inclusive safety systems, and age-sensitive training. Policymakers should mandate equal safety standards for contingent and permanent workers, strengthen enforcement in weaker sectors, and promote inclusive, region-specific safety management practices.

Conclusions

This study provides comprehensive evidence of substantial safety climate disparities in Indian manufacturing based on employment type, gender, and age. Contingent workers experience systematically reduced safety climates, particularly in training adequacy and management commitment dimensions. Female workers report consistently lower safety perceptions across all measured domains. Safety climate scores increase with age, suggesting experience-based improvements but highlighting younger workers' initial vulnerabilities.

Findings demonstrate urgent needs for employment equity interventions ensuring equivalent safety protection regardless of employment status. Gender-inclusive safety programs addressing female workers' specific barriers are essential. Regional and industry variations indicate differential implementation capacity requiring targeted support.

Organizations must recognize that safety climate inequities compromise not only worker wellbeing but also organizational performance through increased accidents, productivity losses,

and regulatory risks. Investing in comprehensive, equitable safety climates represents both ethical imperative and strategic advantage.

Future research should examine intervention effectiveness in reducing employment-based disparities, explore intersectional vulnerabilities among female contingent workers, and investigate informal sector safety climates. Longitudinal studies tracking safety outcomes alongside climate perceptions would strengthen causal inference. Qualitative research exploring workers' lived experiences of employment-based safety inequities would provide rich contextual understanding.

Achieving occupational health equity in India's evolving manufacturing landscape requires sustained commitment from organizations, policymakers, and society. This study provides foundational evidence for developing targeted, effective interventions promoting safety dignity for all workers.

References

1. Benach, J., Vives, A., Amable, M., Vanroelen, C., Tarafa, G., & Muntaner, C. (2014). Precarious employment: Understanding an emerging social determinant of health. *Annual Review of Public Health, 35*, 229–253. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182500>
2. Breslin, F. C., Polzer, J., MacEachen, E., Morrongiello, B., & Shannon, H. (2007). Workplace injury or “part of the job”? Towards a gendered understanding of injuries and complaints among young workers. *Social Science & Medicine, 64*(4), 782–793. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.10.015>
3. Christian, M. S., Bradley, J. C., Wallace, J. C., & Burke, M. J. (2009). Workplace safety: A meta-analysis of the roles of person and situation factors. *Journal of Applied Psychology, 94*(5), 1103–1127. <https://doi.org/10.1037/a0016172>
4. Crawford, J. O., Graveling, R. A., Cowie, H. A., & Dixon, K. (2010). The health, safety and health promotion needs of older workers. *Occupational Medicine, 60*(3), 184–192. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqq028>
5. Desai, R., & Mehta, S. (2022). Industrial safety regulations and enforcement in India: Challenges and opportunities. *Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, 26*(2), 112–118.
6. Gupta, A., & Kumar, V. (2021). Safety climate in Indian manufacturing: A sectoral analysis. *Safety Science, 138*, 105–115.
7. Kumar, P., Sharma, R., & Singh, A. (2022). Contingent employment in India's manufacturing sector: Trends and implications. *Economic and Political Weekly, 57*(12), 45–52.
8. Mayhew, C., Quinlan, M., & Ferris, R. (1997). *The effects of subcontracting/outsourcing on occupational health and safety*. Industrial Relations Research Centre, University of New South Wales.
9. Messing, K., & Östlin, P. (2006). *Gender equality, work and health: A review of the evidence*. World Health Organization.
10. Ministry of Labour and Employment. (2024). *Annual report 2023–24*. Government of India.
11. Nair, S., & Menon, R. (2023). Gender and occupational safety in Indian manufacturing. *Gender, Work & Organization, 30*(3), 789–805.
12. Neal, A., & Griffin, M. A. (2006). A study of the lagged relationships among safety climate, safety motivation, safety behavior, and accidents at the individual and group levels. *Journal of Applied Psychology, 91*(4), 946–953.
13. Patel, N., & Singh, R. (2023). Manufacturing sector transformation in India: Employment and safety implications. *Journal of Industrial Relations, 45*(2), 234–249.
14. Quinlan, M., Mayhew, C., & Bohle, P. (2001). The global expansion of precarious employment, work disorganization, and consequences for occupational health: A review of recent research. *International Journal of Health Services, 31*(2), 335–414.
15. Rousseau, D. M. (1995). *Psychological contracts in organizations: Understanding written and unwritten agreements*. Sage Publications.
16. Sharma, M., & Prasad, D. (2023). Flexible

- employment arrangements in Indian industry: Pattern and determinants. *The Indian Journal of Labour Economics*, 66(1), 89–107.
17. Underhill, E., & Quinlan, M. (2011). How precarious employment affects health and safety at work: The case of temporary agency workers. *Relations Industrielles/Industrial Relations*, 66(3), 397–421.
18. Vinodkumar, M. N., & Bhasi, M. (2010). Safety management practices and safety behaviour: Assessing the mediating role of safety knowledge and motivation. *Accident Analysis & Prevention*, 42(6), 2082–2093.
19. Zohar, D. (2010). Thirty years of safety climate research: Reflections and future directions. *Accident Analysis & Prevention*, 42(5), 1517–1522.





मुगलकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति

□ प्रो. (डॉ.) राजेश कुमार*

शोध-सारांश

किसी भी सभ्यता की विशेषता एवं सीमाओं को जानने के लिए सबसे आवश्यक है कि उस समय की स्त्रियों की दशा के विषय में पता लगाया जाए। स्त्रियों का जो सम्मान पहले था वह तुर्की शासन काल में धीरे-धीरे घटता गया। कुछ वर्गों के लोग इनके समय में भी स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखते थे।¹ कुछ लोग ऐसे थे जो स्त्रियों को हमेशा से घृणा की दृष्टि से देखते थे, वह यह कहते हैं कि स्त्रियाँ पुरुषों की बरबादी का कारण हैं।² हिन्दू परिवारों में लड़कियों को बचपन से बड़ों का आदर करना पड़ता था। वह अपने पति को ईश्वर की तरह पूजा करती थीं और पति की आज्ञाओं का पालन बड़ी तत्परता से करती थीं।³

मुगल काल में हिन्दू व मुसलमान दोनों परिवार के लोग कन्या को बहुत हेय दृष्टि से देखते थे। केवल पुरुष लोग कन्या के जन्म को बुरी दृष्टि से नहीं देखते थे बल्कि कन्या की माँ भी उसे बुरी दृष्टि से देखती थी। यदि कन्या की जगह उनके पुत्र का जन्म होता था तो वह बहुत प्रसन्न हो जाती थीं और वे अपने को सम्मान का पात्र समझने लगती थीं।⁴

मुगल काल में बादशाह व शाहजादे दोनों ही अपनी माँ का सम्मान करने में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहते थे, माता के रूप में स्त्री का बहुत आदर किया जाता था।⁵ मुगल बादशाहों के यहाँ तीन प्रकार से आदर प्रदर्शित करने की प्रथा थी, जिसे कारनीश, सिजदा व तसलीम कहा जाता था।⁶ मुगल बादशाह अपने जन्म दिन के अवसर

पर राजकुमारों तथा अमीरों को साथ लेकर माता के पास आशीर्वाद लेने के लिये जाते थे। वे उन्हें ढेर-सारे उपहार भेंट के रूप में देते थे।⁷

मुगल काल में लड़कियाँ अपने माता-पिता का बहुत अधिक सम्मान करती थीं। वह अपने माता-पिता के आदेशों का पालन बड़ी तत्परता से करती थीं। उनके आदेशों का पालन करना वह परम कर्तव्य समझती थीं। पिता के आदेशों के द्वारा वे बेजोड़ साथी चुन लेती थीं। पिता की इच्छा के अनुसार वे दूसरी जाति या दूसरे धर्म में विवाह करने के लिये तैयार रहती थीं।⁸

मुगलकालीन भारत में स्त्रियों की स्थिति में काफी परिवर्तन आ गया था किन्तु, फिर भी साधारणतया भारतीय लड़कियों को पति चुनने की सुविधा नहीं दी जाती थी। विवाह हो जाने के

* प्रोफेसर, (विभागाध्यक्ष, इतिहास-विभाग), धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़

उपरान्त लड़की के ऊपर सास का नियन्त्रण रहता था।⁹ मुसलमान परिवारों में स्त्री से सन्तुष्ट न होने पर स्त्री का परित्याग कर दिया जाता था। हिन्दुओं के परिवार में स्त्री का जीवन नीरस हो जाता था। उसको अपने पति के पूरे परिवार की सेवा करनी पड़ती थी।¹⁰

स्त्रियाँ व्यय के ऊपर भी नियन्त्रण रखती थीं और वह रसोईघर के प्रबन्ध की भी देखभाल करने के साथ-साथ धार्मिक क्रिया-कलापों में भी अपना सहयोग प्रदान करती थीं।¹¹

स्त्री के रूप में उन्हें पति की भक्ति करनी पड़ती थी। वह बिना पति के भोजन किए भोजन नहीं करती थीं।¹² गर्भवती स्त्रियों का बड़ा आदर किया जाता था। न केवल उनके पति बल्कि उनके सम्बन्धी भी उनका आदर करते थे। साथ ही उस स्थान के सभी लोग उनकी सुरक्षा की कामना करते थे।¹³

हिन्दुओं के यहाँ ये कहावत प्रसिद्ध थी कि पुरुषों के द्वारा किया हुआ काम सामाजिक जीवन में तब तक पूरा नहीं माना जायेगा जब तक कि स्त्री उसमें भाग न ले, क्योंकि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता था।¹⁴ हिन्दुओं में बनियों लोग अपनी स्त्री का अधिक सम्मान करते थे,¹⁵ और दोनों का जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होता था।¹⁶

मुगल काल में हिन्दुओं के यहाँ पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था। यह केवल छोटी जातियाँ में ही प्रचलित था।¹⁷ हिन्दू स्त्रियाँ विधवा होने पर अत्यधिक प्रेम के कारण अपने शरीर को पति के साथ जला देती थीं। समाज विधवाओं को बहुत बुरी निगाह से देखता था, परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए वे घृणा की पात्र समझी जाती थीं।¹⁸ जो स्त्रियाँ सती नहीं होना चाहती थीं,¹⁹ उन्हें न तो बाल बढ़ाने का अधिकार था और न ही वे आभूषण और अच्छे कपड़े ही पहन सकती थीं।²⁰

मुगल काल में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ जलकर भस्म हो जाती थीं।²¹ फिर भी कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती थीं जो भस्म नहीं होना चाहती थीं।²²

मुगल शासक अकबर ने यह आदेश दिया कि कोई भी स्त्री सती नहीं हो सकती।²³ जहाँगीर ने भी स्त्रियों के सती न होने के लिए आदेश दिया। बिना बादशाह की स्वीकृति के किसी भी नौजवान स्त्री को सती होने की लिए आज्ञा नहीं दी जाती थी।²⁴ 1663 में औरंगजेब ने सती प्रथा को बन्द करने का आदेश दिया।²⁵ प्रायः जिनके बच्चे नहीं होते थे, उन्हें सती होने की स्वीकृति नहीं दी जाती थी। इन तमाम बातों के बावजूद सती प्रथा बन्द नहीं हो सकी।

मुसलमानों की भाँति हिन्दुओं में पर्दा का कोई कठोर नियम नहीं था।²⁶ हिन्दू स्त्रियों को मुसलमान औरतों की भाँति सिर से पैर तक ढँकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह अपने पुरुषों के साथ चादर ओढ़कर, उसी का घूँघट बनाकर बाहर निकलती थीं। वे चादर ओढ़कर पर्व विशेष में भी जाती थीं। वे मन्दिर तथा तीर्थ स्थानों में भी जाती थीं। मुसलमानों के आगमन के बाद स्त्रियों में पर्दा प्रथा प्रचलित हुयी और धीरे-धीरे बहु-विवाह की प्रथा जोर पकड़ने लगी थी। अकबर के समय में पर्दा प्रथा पर बहुत जोर दिया जाता था और उस समय कोई भी स्त्री बिना पर्दे के बाहर नहीं जा सकती थी।

मुगल काल में हिन्दू तथा मुसलमान दोनों के उच्च परिवारों में पर्दा प्रथा काफी प्रचलित थी।²⁷ उच्च घराने की स्त्रियाँ बिना पर्दे के बाहर नहीं जा सकती थीं।²⁸ मुसलमान स्त्रियाँ जब तक बहुत आवश्यक न हो बाहर नहीं जा सकती थीं।²⁹ वह बिना बन्द पालकी के बाहर नहीं जाती थीं।³⁰ राजकुमारियाँ राजा की स्वीकृति से बाहर जाती थीं और उन्हें पालकी में से स्त्रियाँ ही अन्दर ले जाती थीं।³¹ जब कभी शाही घराने की स्त्रियाँ बाहर

जाती थीं तो उस समय सड़क पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। नूरजहाँ पर्दा प्रथा का पालन नहीं करती थी। धीरे-धीरे राजपूताने में भी पर्दा प्रथा का रिवाज फैल रहा था, जबकि पहले राजपूत परिवारों में इसका रिवाज बहुत कम था, क्योंकि राजपूत घराने की स्त्रियाँ लड़ाई लड़ने तथा शिकार खेलने के लिए जाती थीं। दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी।³²

हिन्दुओं के मध्यम वर्ग और साधारण वर्ग के लिए परदा करने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करता था।³³ हिन्दुओं की एक स्त्री होती थी इसलिए वे इतना अधिक भयभीत नहीं रहते थे जितना कि मुसलमान, उनकी कई स्त्रियाँ होती थीं और जिनमें आपस में ईर्ष्या की भावना होती थी।³⁴ स्त्रियाँ जब बाहर जाती थीं तो पुरुष उनके साथ जाते थे।³⁵ मुसलमान स्त्रियों की तरह से हिन्दू स्त्रियाँ सिर से पैर तक बदन को नहीं ढकती थीं,³⁶ बल्कि केवल दुपट्टे से अपने सिर को ढकती थीं। श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग की स्त्रियाँ बिना पर्दे के स्वतन्त्र रूप से घूमती थीं³⁷ और वे हर प्रकार से अपने पुरुषों के काम में हाथ बँटाती थीं।³⁸ वे नदियों में नहाती थीं,³⁹ और धार्मिक स्थानों में पैदल जाती थीं। वे बिना परदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाती थीं।⁴⁰

मुगल काल में स्त्रियों की शिक्षा की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। शिक्षा प्रायः राजकुमारियाँ या उच्च घराने की स्त्रियाँ ही प्राप्त करती थीं। समाज पढ़ी-लिखी स्त्रियों को उँचा स्थान देता था। कभी-कभी स्त्रियाँ बादशाह की परामर्शदाता भी बन जाती थीं। दुर्गावती⁴¹, चाँद बीबी, नूरजहाँ⁴², जहाँनआरा⁴³, साहेब जी ताराबाई⁴⁴ इत्यादि ने भारतीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। मीराबाई, गुलबदन बेगम⁴⁵, सलीमा सुल्तान⁴⁶, रूपमती, जेबुन्निसा⁴⁷, जिनतुन्निसा, आदि ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त

किया।⁴⁸

लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय नहीं होते थे। प्रारम्भिक शिक्षा वे घरों में प्राप्त करती थीं और वे विद्यालयों में लड़कों के साथ पढ़ने के लिए जाती थीं। कुरान और अन्य चीजें वे जबानी याद करती थीं। धनी लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर में शिक्षक नियुक्त करते थे।⁴⁹ अच्छे तथा सम्पन्न घरानों की लड़कियाँ प्रायः साहित्यिक होती थीं। बड़े-बड़े राजपूतों और बंगाली जमींदारों की लड़कियाँ लिखने तथा पढ़ने में पटु होती थीं।⁵⁰

मुगल राजकुमारियों के पढ़ने की पूरी व्यवस्था की जाती थीं।⁵¹ वे रोज कुरान पढ़ती थीं और अपने सम्बन्धियों से पत्राचार करती थीं।⁵² कुछ स्त्रियों कविता भी करती थीं और कुछ को संगीत की भी जानकार होती थी। साधारण मुगल राजकुमारियाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थीं।⁵³

अकबर की मुख्य धाय माहमअंगा ने चार वर्ष तक 1560 से 1564 तक। राज्य के कार्यों पर नियन्त्रण रखा था।⁵⁴ गोंडवाना की चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती ने अपने राज्य में बड़े साहस और योग्यता से शासन को चलाया,⁵⁵ उनका शासन अकबर के समय से उन्नतिशील माना जाता था।⁵⁶ अहमद नगर की चाँद बीबी अच्छी प्रशासिका थी। दक्षिण में मखदूम-ए-जहाँ ने सुचारु रूप से शासन किया था।⁵⁷ अलीमर्दन की लड़की साहेब जी बड़ी सुयोग्य थीं और उसने काबुल के गवर्नर की हैसियत से बड़ा अच्छा शासन किया था। अपने पति के शासन के बाद उसने विद्रोही अमीरों को दबाया और अपनी कठोर नीति के द्वारा ही विरोधी शक्तियों का दमन भी किया।⁵⁸

अकबर के समय में अहमद नगर को बचाने में चाँद बीबी का बहुत बड़ा हाथ था। मध्यकालीन भारतीय स्त्रियों ने राज्य की लज्जा को बचाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया था।⁵⁹ जहाँगीरी

शासन में नूरजहाँ का बहुत बड़ा हाथ था, उसका सम्राट् के ऊपर इतना अधिक प्रभाव था कि वह जैसा चाहती थी, शासन करती थी।⁶⁰ शाहजहाँ की पुत्रियाँ जहाँआरा एवं रोशनआरा तत्कालीन राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। जहाँआरा दारा के पक्ष में रहती थीं तथा रोशनआरा औरंगजेब की पक्षधर थीं। जहाँआरा दारा शिकोह के राजनीतिक उन्नयन के लिए भूमिका तैयार करती थीं, जबकि रोशनआरा औरंगजेब से इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करती थीं। जब औरंगजेब युद्ध में विजयी होकर गद्दी पर बैठा उस समय रोशनआरा को विशेष अधिकार प्राप्त थे। उसे विशेष भत्ता दिया जाता था तथा वह प्रथम स्तर की रानी की भाँति अनेक प्रकार के विशेषाधिकारों का उपयोग करती थीं।⁶¹ उस समय बहुत-सी स्त्रियाँ ऐसी भी हुयी जिन्हें प्रशासिका कहा जाता था।

महाराष्ट्र में मराठा शासक राजाराम की विधवा ताराबाई मोहिते अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में शासन को चलाती थीं।⁶² चित्तौड़ को बचाने में फत्ता की माँ की वीरता उल्लेखनीय है।⁶³ दुर्गावती ने बाजबहादुर और मीनाज को खिलाफ करके विजय प्राप्त कर ली थी।⁶⁴ उन्होंने हाथी पर सवार होकर, कवच धारण कर और सिर पर लोहे का कवच पहन कर अपनी सेना का संचालन किया था। जब उन्हें विजय की भी आशा न रही तो उन्होंने यह कहा कि 'क्या हम लोगों का सम्मान भी पराजित हो गया है, और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली।'⁶⁵

बहुत-सी पढ़ी-लिखी स्त्रियों ने मुगल शासन काल में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। धनी वर्गों की स्त्रियाँ बहुत अधिक पढ़ी-लिखी रहती थीं और वे विद्वानों को आश्रय देती थीं।⁶⁶ गुलबदन बेगम ने हुमायूँनामा लिखा। जहाँआरा ने शीबीया और युनीसाल की जीवन कथा लिखी और उन्होंने उस समय के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान भी प्राप्त

किया। खाने-खानम की लड़की जानबेगम ने कुरान की समालोचना की। मीराबाई⁶⁷, सलीमा सुल्ताना, नूरजहाँ, सितिउन्निसा और जेबुन्निसा ने कविता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था।⁶⁸

अकबर हिन्दू स्त्रियों के चरित्र की बहुत प्रशंसा करता था।⁶⁹ जहाँगीर ने भी हिन्दू स्त्रियों की प्रशंसा की है। उस समय चरित्र-हीनता बहुत कम थी⁷⁰ और व्यभिचार के लिए मृत्यु दण्ड दिया जाता था।⁷¹ कभी-कभी अपराधियों की नाक काटने का दण्ड भी दिया जाता था।⁷²

जब स्त्रियों का सम्मान खतरों में पहुँचता था तो वे मरना पसंद करती थीं,⁷³ और जब शासक युद्ध में पराजित हो जाते थे तो उनकी स्त्रियाँ जौहर कर अपने आत्म-सम्मान की रक्षा करती थीं।⁷⁴

स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को दयनीय बनाने में पर्दा प्रथा, बाल-विवाह, बहु-विवाह, सती प्रथा एवं शिक्षा की कमी का महत्वपूर्ण योगदान था। मुगल काल में स्त्रियों की शिक्षा पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया, उनको केवल विलासिता का साधन माना गया, जिससे उनका नैतिक पतन भी होता रहा। इस प्रकार उनकी सामाजिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. वुहलर, जी.— द लाज आफ मनु, आक्सफोर्ड 1886, पृष्ठ 85, प्लोक 55-59
2. कबीरदास-बीजक— टीकाकार विश्वनाथ सिंह, बाम्बे सम्वत्-1961, पृष्ठ 189
“नारी सबल पुरुषहि सायी, ताते रही अकेला”
दादूदयाल की वाणी, भाग-1, पृष्ठ 131-132
“नारी बैरणि पुरुष की पुरुषा बैरी नारि,
अति कालि दून्लू मुए, कुछ न आया हाथ।”
3. तुलसीदास— रामचरित मानस, गीता प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ 631-632
“एके धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद

- प्रेमा ।”
4. अब्दुल फजल— आइन—ए—अकबरी, अंग्रेजी अनुवाद, भाग—3, एच.एस. जैरट तथा जदुनाथ सरकार, कलकत्ता, पृष्ठ 242
 5. चोपड़ा, पी.एन.— सम ऐसपेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एण्ड कल्चर ड्यूरिंग दि मुगल एज, आगरा 1963, पृष्ठ 123
 6. मैकालिफ, एम.ए.—दि सिख रिलिजन, भाग—1, आक्सफोर्ड, 1909, पृष्ठ 96
 7. अब्दुल फजल— आइन—ए—अकबरी, अंग्रेजी अनुवाद, भाग—1, एच.एस. जैरट तथा जदुनाथ सरकार, कलकत्ता, 1948 तथा 1949, पृष्ठ 256
 8. इरविन विलियम— लेटर मुगल्स, भाग—1, कलकत्ता, 1922, पृष्ठ 304
 9. चोपड़ा, पी.एन.— सम ऐसपेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एण्ड कल्चर ड्यूरिंग दि मुगल एज, आगरा 1963, पृष्ठ 118
 10. वही, पृष्ठ 118
 11. अल्तेकर ए.एस. — दि पोजीशन आफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, बनारस, पृष्ठ 396
मैकालिफ, एम.ए.— दि सिख रिलिजन, भाग—1, आक्सफोर्ड, 1909, पृष्ठ 2—3
 12. निकोलो, मनुची—स्टोरिया दी मोगोर, भाग—3, अनुवादक—विलियम इरविन, लन्दन 1907—08, पृष्ठ 155
 13. चोपड़ा, पी.एन.— सम ऐसपेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एण्ड कल्चर ड्यूरिंग दि मुगल एज, आगरा 1963, पृष्ठ 119
 14. वही, पृष्ठ 119
 16. ट्रेवर्नियर जीन वापतिस्ता— ट्रेवेल्स इन इण्डिया, भाग—3, सम्पादन बाल, लन्दन 1889, पृष्ठ 181
 16. ओविगटन जे. — ए वायेज टू सूरत इन दि इयर 1689, लन्दन 1996, पृष्ठ 331
 17. बदायूनी अब्दुल कादिर— मुन्तखत—उत—तवारिख, अंग्रेजी अनुवाद, भाग—2, कलकत्ता 1884, पृष्ठ 367
 18. निकोलो, मनुची— स्टोरिया दी मोगोर, अनुवादक विलियम इरविन, लन्दन 1907—08, पृष्ठ 60
थेवेनाट, मोनसियर डी. — ट्रेवेल्स आफ इन टू दि लेवेन्ट, भाग—3, अंग्रेजी अनुवाद 1686, पृष्ठ 84
 19. वर्नियर फेन्कोइस—ट्रेवेल्स इन मुगल एम्पायर, अनुवादक ए. कान्स्टेवुल 1861, सम्पादक स्मिथ आक्सफोर्ड, पृष्ठ 314 ; थेवेनाट, मोनसियर डी. — ट्रेवेल्स आफ, इन टू दि लेवेन्ट, भाग—3, अंग्रेजी अनुवाद 1686, पृष्ठ 84
 20. फास्टर विलियम—अर्लि ट्रेवेल्स इन इण्डिया, लन्दन 1927, पृष्ठ 219
निकोलो, मनुची—स्टोरिया दी मोगोर, अनुवादक विलियम इरविन, लन्दन 1907—08, पृष्ठ 61
 21. वही, पृष्ठ 20,22
 22. वर्नियर फेन्कोइस—ट्रेवेल्स इन मुगल एम्पायर, अनुवादक ए. कान्स्टेवुल 1861, सम्पादक स्मिथ आक्सफोर्ड, पृष्ठ 306
 23. बदायूनी अब्दुल कादिर— मुन्तखत—उत—तवारिख, अंग्रेजी अनुवाद, भाग—2 कलकत्ता 1884 पृष्ठ 388
 24. फास्टर विलियम—अर्ली ट्रेवेल्स इन इण्डिया, लन्दन, 1927, पृष्ठ 219
 25. निकोलो, मनुची—स्टोरिया दी मोगोर, अनुवादक विलियम इरविन, लन्दन 1907—08, पृष्ठ 97
 26. डी, लायट— दि एम्पायर आफ दि ग्रेट मुगल्स, ट्रेवेल्स इन टू अंग्रेजी जे.एन. गोलेन एण्ड एनोटेड द्वारा एस. एन. बनर्जी, बम्बई 1928, पृष्ठ 81
निकोलो, मनुची—स्टोरिया दी मोगोर, भाग—1 अनुवादक विलियम इरविन, लन्दन 1907—08, पृष्ठ 62
 27. मेन्डलस्लो अलवर्ट—द वायेजेज एण्ड ट्रेवेल्स आफ दि अमवेसडर्स, द्वितीय संस्करण, लन्दन 1669, पृष्ठ 51
डेलावैले, पित्रा—दि ट्रेवेल्स आफ पित्रा डेलावैले अनुवादक जी०आर्क्स, सम्पादन ग्रेहकल्यूत सोसाइटी, लन्दन 1892, पृष्ठ 11
 28. मेन्डलस्लो अलवर्ट—द वायेजेज एण्ड ट्रेवेल्स आफ दि अमवेसडर्स, द्वितीय संस्करण, लन्दन 1669 पृष्ठ

- 51
29. डेलावैले, पित्रा—दि ट्रेवेल्स आफ पित्रा डेलावैले, अनुवादक जी.आर्क्स, सम्पादन ग्रेहकल्यूत सोसाइटी, लन्दन 1892, पृष्ठ 11
3. मेन्डलस्लो अलवर्ट— द वायेजेज एण्ड ट्रेवेल्स आफ दि अमवेसडर्स, द्वितीय संस्करण, लन्दन, 1669, पृष्ठ 51
- वर्नियर फेन्कोइस— ट्रेवेल्स इन मुगल एम्पायर, अनुवादक ए. कान्स्टेबुल 1861, सम्पादक स्मिथ आक्सफोर्ड, पृष्ठ 413
31. ट्रेवर्नियर जीन वापतिस्ता— ट्रेवेल्स इन इण्डिया, भाग—3, सम्पादन बाल, लन्दन 1889, पृष्ठ 125
32. चोपड़ा, पी.एन.— सम ऐसपेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एण्ड कल्चर ड्यूरिंग दि मुगल एज, आगरा 1963, पृष्ठ 111
33. सर टामस रो और फ्रायर— ट्रेवेल्स इन इण्डिया इन दि सेवेन्टीन्थ सेन्चुरी, लन्दन 1873, पृष्ठ 182
34. डेलावैले, पित्रा— दि ट्रेवेल्स आफ पित्रा डेलावैले अनुवादक जी.आर्क्स, सम्पादन ग्रेहकल्यूत सोसाइटी, लन्दन 1892, पृष्ठ 434
35. ग्रोस, एफ.एस.— ए वायेज टू दि ईस्ट इंडीज विद जनरल रिप्लेक्शन आन दि ट्रेड आफ इण्डिया, लन्दन, भाग 1 व 2, पृष्ठ 193
36. मेन्डलस्लो अलवर्ट— द वायेजेज एण्ड ट्रेवेल्स आफ दि अमवेसडर्स, द्वितीय संस्करण, लन्दन 1669, पृष्ठ 51
37. डी, लांयट— दि एम्पायर आफ दि ग्रेट मुगल्स, ट्रेवेल्स इन टू अंग्रेजी जे.एन. गोलेन एण्ड एनोटेड द्वारा एस. एन. बनर्जी बम्बई 1928, पृष्ठ—81
38. टॉड जेम्स — ऐनल्स एण्ड ऐण्टीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, सम्पादक, विलियम क्रुक, कलकत्ता, 1960, पृष्ठ 710—11
39. ग्रोस, एफ.एस.— ए वायेज टू दि ईस्ट इंडीज विद जनरल रिप्लेक्शन आन दि ट्रेड आफ इण्डिया, लन्दन, भाग 1 पृष्ठ 114—115
40. ओविगंटन जे.— ए वायेजेज टू सूरत इन दि इयर 1689, लन्दन, 1696, पृष्ठ 320
41. अबुल फजल— अकबरनामा, अंग्रेजी अनुवाद एच. वेवरिज, भाग—2, कलकत्ता 1904, पृष्ठ 324—325
42. बेनी प्रसाद— हिस्ट्री ऑफ जहाँगीर, पृष्ठ 182—185
43. ओरियन्टल कालेज मैगजीन, लाहौर (उर्दू), अगस्त, 1937, भाग—3, नं. 04
44. सरकार जदुनाथ— स्टडीज इन मुगल इण्डिया, कलकत्ता 1919, पृष्ठ 199—200
45. हुमायूनामा की लेखिका
46. बदायूनी अब्दूल कादिर— मुन्तखब—उत—तवारीख, अंग्रेजी अनुवाद लो भाग—2, कलकत्ता 1884, पृष्ठ 389
47. सरकार जदुनाथ— स्टडीज इन मुगल इण्डिया, कलकत्ता 1919, पृष्ठ 70—90
48. चोपड़ा, पी.एन.— सम ऐसपेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एण्ड कल्चर ड्यूरिंग दि मुगल एज, आगरा 1963, पृष्ठ 160
49. वही, पृष्ठ 161
50. वही, पृष्ठ 161
51. जफर शरीफ— कानून—ए—इस्लाम, क्रूक विलियम, आक्सफोर्ड 1921, पृष्ठ 51
52. गुलबदन बेगम— हुमायूनामा, अंग्रेजी अनुवाद, ए. एम. वेवरिज, लन्दन 1902, पृष्ठ 150
53. इलियट एण्ड डाउसन— हिस्ट्री आफ इण्डिया ऐज टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स, भाग 1—6, लन्दन 1866—77, भाग—7, पृष्ठ 162
54. अबुल फजल— अकबरनामा, अंग्रेजी अनुवाद एच. वेवरिज भाग—2, कलकत्ता 1904, पृष्ठ — 151
55. वही, पृष्ठ 224, 230
56. स्मिथ, वी.ए. — अकबर दि ग्रेट मुगल, आक्सफोर्ड 1919, पृष्ठ 69,70
57. चोपड़ा, पी.एन.— सम ऐसपेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एण्ड कल्चर ड्यूरिंग दि मुगल एज, आगरा 1963, पृष्ठ 129
58. सरकार जदुनाथ— स्टडीज इन मुगल इण्डिया, कलकत्ता 1919, पृष्ठ 114—117
59. चोपड़ा, पी.एन.— सम ऐसपेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एण्ड कल्चर ड्यूरिंग दि मुगल एज, आगरा 1963,

- पृष्ठ 130
60. वही, पृष्ठ 129
61. माथुर, एन. एल. – रेडफोर्ट एण्ड मुगल लाइफ, दिल्ली 1964, पृष्ठ 48
62. उफ, जेम्स-ग्रान्ट-ए-हिस्ट्री आफ दि मराठाज, भाग 1, कलकत्ता 1912, पृष्ठ 323-24
63. टॉड जेम्स-ऐनल्स एण्ड ऐण्टीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, भाग-1, सम्पादक, विलियम क्रुक, कलकत्ता 1960, पृष्ठ 381
64. अबुल फजल-अकबरनामा, अंग्रेजी अनुवाद एच. वेवरिज भाग-2, कलकत्ता 1904, पृष्ठ 325
65. इलियट एण्ड डाउसन- हिस्ट्री आफ इण्डिया ऐज टोल्ड वार्डइट्स ओन हिस्टोरियन्स, भाग 1-6, लन्दन, पृष्ठ 169
66. इलियट एण्ड डाउसन- हिस्ट्री आफ इण्डिया ऐज टोल्ड वार्डइट्स ओन हिस्टोरियन्स, भाग 1-6, लन्दन, पृष्ठ 127
67. वही, पृष्ठ 128
68. वही, पृष्ठ 128
69. अबुल फजल- अकबरनामा, अंग्रेजी अनुवाद एच. वेवरिज भाग-2, कलकत्ता 1904, पृष्ठ 372
70. ट्रेवर्नियर जीन वापतिस्ता- ट्रेवेल्स इन इण्डिया, भाग-3, सम्पादन बाल, लन्दन 1889, पृष्ठ 181
71. स्टोवोरिनस, जे.एन. – वायेजेज टू दि ईस्ट इंडीज, भाग 2, अंग्रेजी अनुवाद, समुएल हुल विलकॉक, तीन भाग, लन्दन 1978, पृष्ठ 497
72. वही, पृष्ठ 497
73. चोपड़ा, पी.एन.- सम ऐसपेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एण्ड कल्चर ड्यूरिंग दि मुगल एज, आगरा 1963, पृष्ठ 131
74. वही, पृष्ठ 131



SHODH CHETNA–YEAR-11, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2025)

A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal



ISSN : 2350-0441

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Received : 12th Oct. 2025

Paper Accepted : 25th Nov. 2025

IMPACT OF ENVIRONMENTAL CHANGES ON MEDICINAL PLANTS AND COMMUNITY-BASED CONSERVATION STRATEGIES IN JHUNJHUNU DISTRICT, RAJASTHAN

□ Monika*

□ Dr. Dinesh Kumar Singh*

ABSTRACT

Medicinal plants constitute a cornerstone of traditional healthcare systems in semi-arid regions such as Jhunjhunu District, Rajasthan. However, environmental changes — driven by climate variability, desertification, land-use shifts, overharvesting, and invasive species — are disrupting the diversity, distribution, and regeneration of these species. This paper explores the ecological impacts of these stressors on medicinal flora in Jhunjhunu and proposes community-based conservation strategies tailored for rural and semi-arid landscapes. Using a combination of secondary literature review, ethnobotanical survey methods, and socio-ecological modeling, the study identifies vulnerable species and recommends participatory approaches including community conserved areas, sustainable harvesting protocols, prioritized cultivation, and invasive species control. The findings emphasize the critical need for integrated conservation frameworks that bridge scientific knowledge with indigenous practices to ensure both biodiversity preservation and sustainable livelihoods.

Introduction

India is home to more than 7,000 medicinal plant species, many of which are integral to traditional healing systems. Rajasthan, with its desert and semi-arid ecosystems, contributes significantly to this botanical diversity. Within Rajasthan, Jhunjhunu District (part of the Shekhawati region) is notable for its community of traditional healers (locally known as **vaid**s)

who rely on wild medicinal plants to treat common ailments.

In recent years, environmental change in Jhunjhunu — including rising temperatures, erratic rainfall, soil degradation, and biological invasions — has adversely affected the growth and availability of these plants. The decline in medicinal plant populations threatens not only ecological diversity but also the cultural

* RESEARCH SCHOLAR, SHRI JJT UNIVERSITY, JHUNJHUNU

** RESEARCH GUIDE, SHRI JJT UNIVERSITY, JHUNJHUNU

knowledge and livelihoods of communities that depend on them.

Community-Based Conservation (CBC) has emerged as a promising solution in such contexts because it directly involves local people in monitoring, managing, and benefiting from natural resources. By integrating traditional ecological knowledge with scientific management, CBC offers a sustainable path for conserving medicinal flora while supporting rural livelihoods. This research examines the environmental pressures on medicinal plants in Jhunjhunu and outlines community-based strategies for their conservation.

Objectives

To assess the impact of environmental changes on the diversity, distribution, and availability of medicinal plants in Jhunjhunu District.

To identify key medicinal plant species at risk due to ecological and anthropogenic stressors.

To document traditional knowledge related to the use of medicinal plants.

To propose community-based conservation strategies for sustainable management of medicinal flora.

Methodology

Study Area : Selected villages in Jhunjhunu District, Rajasthan, representing semi-arid ecosystems.

Research Design : Qualitative and descriptive ethnobotanical study.

Data Collection Methods :

Structured interviews with traditional healers and elders.

Field surveys to identify plant species and assess population status.

Secondary data from literature and government reports.

Sampling : Purposive sampling of knowledgeable individuals and representative sites.

Data Analysis : Compilation and categorization of plant species, assessment of threats, and evaluation of conservation potential. Observations were corroborated with published ethnobotanical and ecological studies.

Review of Literature

Climate Change Impacts : Sharma (2018) reported that rising maximum temperatures and declining rainfall in Rajasthan are shrinking populations of highly valued medicinal species like *Withania somnifera* (Ashwagandha), *Chlorophytum borivilianum* (Safed Musli), and *Aloe vera*.

Anthropogenic Threats : Singh & Rathore (2020) documented that overgrazing, deforestation, mining, and unregulated harvesting strongly contribute to habitat degradation and declining medicinal-plant biodiversity in semi-arid districts like Jhunjhunu.

Community Conservation : Meena, Yadav & Shekhawat (2021) demonstrated that community involvement through village-level nurseries, herbal gardens, and awareness programs can restore threatened species such as *Commiphora wightii* (Guggul) and *Shankhpushpi*, thereby reinforcing both ecological and socio-cultural resilience.

These studies collectively highlight the urgent need for place-based, participatory conservation strategies that acknowledge environmental change and embed traditional knowledge into management practices.

Environmental Changes in Jhunjhunu District

Jhunjhunu lies in a semi-arid climatic zone characterized by sand dunes, sparse vegetation, and highly variable rainfall. Key environmental stressors observed in recent decades include :

1. Temperature Increase : Average summer temperatures have risen by approximately 0.7–1.0°C, stressing thermally sensitive species.

2. Monsoon Variability : Rainfall

irregularity has increased by 15–25%, with more frequent droughts every 2–3 years.

3. Soil Erosion & Desertification : Overgrazing and poor land management accelerate soil loss, reducing suitable habitat.

4. Invasive Species : Spread of *Prosopis juliflora* has altered native plant community structure and outcompeted medicinal species.

5. Land use Change : Traditional grazing management systems are breaking down, and agricultural expansion further encroaches on natural herb habitat.

These stressors affect both the ecological viability of medicinal plants and the traditional systems that rely on them.

Impact on Medicinal Plants

Effects on Diversity and Abundance

Due to environmental and anthropogenic pressures, several important medicinal species show marked decline in populations. Local surveys and secondary reports indicate estimated reductions of 15–40% in species density for

Withania somnifera, *Tinospora cordifolia*, *Commiphora wightii*, and *Asparagus racemosus*.

Some species have become rare or locally extirpated.

Effects on Physiology and Quality

Seedling Mortality : Drought stress results in fewer young plants surviving.

Altered Phenology : Plants are flowering earlier or fruiting over shorter periods.

Reduced Phytochemical Concentration : The medicinal efficacy may suffer because harsh conditions can reduce secondary metabolite production.

Socio economic Effects

Traditional healers and plant collectors report growing difficulty in sourcing raw materials. Decline in availability has forced over-harvesting of the remaining patches, driving unsustainable extraction. Reduced income for local collectors is reported, threatening both traditional livelihoods and the conservation of knowledge.

Key Medicinal Plants and Their Status

Botanical Name	Common Name	Local Use	Current Status
<i>Withania somnifera</i>	Ashwagandha	Immunity, stress relief	Declining
<i>Asparagus racemosus</i>	Shatavari	Women's health	Threatened
<i>Tinospora cordifolia</i>	Giloy	Fever, immune booster	Declining
<i>Commiphora wightii</i>	Guggul	Resin for Ayurvedic preparations	Endangered
<i>Tecomella undulata</i>	Rohida	Liver & skin disorders	Threatened
<i>Adhatoda vasica</i>	Adusa	Respiratory ailments	Needs protection
<i>Aloe vera</i>	Gwar Patha	Skin treatment, digestion	Cultivated/declining wild

Major Threats to Medicinal Plants

Threat Type	Specific Threat	Impact Level
Ecological	Climate change, drought	High
Anthropogenic	Overharvesting	Very High
Land Use	Expansion of agriculture	High
Grazing	Destruction of seedlings by livestock	Medium
Invasive Species	<i>Prosopis juliflora</i> invasion	High
Market Pressure	Commercial extraction, unregulated trade	Medium–High

Community Based Conservation Strategies Participatory Documentation

Villagers lead biodiversity mapping and maintain People's Biodiversity Registers (PBRs).

Community Conserved Areas (CCAs)

Designated patches of common land protect threatened species from grazing and harvesting.

Sustainable Harvesting Protocols

Avoid root/bark harvesting

Harvest only mature plants

Use rotational harvesting cycles

Restrict commercial extraction without community approval

Cultivation of Priority Species

Encourage cultivation of high-risk species like Ashwagandha, Shatavari, Giloy, and Aloe vera.

Invasive Species Management

Community-led removal of *Prosopis juliflora* and replanting native medicinal species such as Rohida and Neem.

Value Addition and Livelihood Support

Support locals in producing value-added products (dried herbs, herbal teas, resin-based products) so conservation becomes economically beneficial.

Participatory Monitoring

Ecological : Count of mature plants (annual)

Social : Households engaged in cultivation (annual)

Economic : Herbal products sold (quarterly)

Restoration : Area cleared of invasives (annual)

Awareness : Community members trained (annual)

Discussion

The environmental changes in Jhunjhunu create a vicious cycle: as plant populations decline, harvesting pressure increases on remaining individuals, thereby accelerating degradation. Community-managed systems and participatory approaches strengthen conservation and revive traditional knowledge. Integration of scientific interventions like nurseries, seed banks, and controlled harvesting improves resilience.

Conclusion

Medicinal flora in Jhunjhunu District face significant vulnerability under the combined pressures of climate change, invasive species, land degradation, and unsustainable harvesting. Community-based conservation strategies, integrating traditional knowledge and scientific management, provide a sustainable solution. Documentation, cultivation, sustainable harvesting, invasive species control, and value addition are key interventions. Collaboration among local communities, forest departments, NGOs, and academic institutions is critical to protect and restore medicinal plant resources.

References

- Sharma, P. (2018). *Climate variability and its impact on medicinal plant diversity in arid regions of Rajasthan*. Journal of Arid Zone Studies, 45(3), 112–124.
- Singh, R., & Rathore, N. (2020). *Anthropogenic threats and conservation needs of medicinal plants in semi-arid Rajasthan*. Indian Journal of Environmental Research, 12(4), 221–233.
- Meena, K., Yadav, S., & Shekhawat, N. (2021). *Community-based strategies for conservation of medicinal plants: A case study from Rajasthan*. Journal of Ethnobotanical Conservation, 9(1), 55–68.





भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन और कस्तूरबा गाँधी

□ डॉ. फ़ैज़ान अहमद

शोध-सारांश

कस्तूरबा गाँधी केवल राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की पत्नी ही नहीं थीं, बल्कि एक सच्ची देशभक्त महिला तथा समाज सेविका भी थीं। अपने स्नेह, सेवा और संघर्ष के कारण वह देशवासियों के दिलों में 'बा' अर्थात् 'माँ' के रूप में बस गईं। वह महात्मा गाँधी की प्रेरणा भी थीं। कस्तूरबा गाँधी ने महात्मा गाँधी के साथ मिलकर भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गईं। उन्होंने चम्पारन सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, राजकोट सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आन्दोलन आदि में गाँधी जी को सक्रिय सहयोग, समर्थन और नैतिक सम्बल प्रदान किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया और स्वच्छता तथा समानता को बढ़ावा दिया। उनका जीवन त्याग, निर्भीकता और अनवरत संकल्प का ऐसा ओजस्वी महाकाव्य है, जो प्रत्येक भारतीय के हृदय में प्रेरणा का अखण्ड दीप प्रज्वलित करता है।

मुख्य शब्द— स्वतन्त्रता आन्दोलन, चम्पारन सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, राजकोट सत्याग्रह, भारत छोड़ो आन्दोलन।

प्रस्तावना

कस्तूरबा गाँधी ने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वह महात्मा गाँधी की धर्मपत्नी थीं। उनका जन्म 11 अप्रैल, 1869 ई. में काठियावाड़ के पोरबंदर नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम गोकुलदास मकन जी और माता का नाम ब्रज कुंवर था। कस्तूरबा गाँधी के पिता साधारण स्थिति के व्यापारी थे और एक समय में पोरबंदर के मेयर भी थे। यह परिवार महात्मा

गाँधी के पिता करमचंद गाँधी के परिवार के साथ घनिष्ठ मित्र था। महात्मा गाँधी के पिता करमचंद गाँधी पोरबंदर के दीवान थे। दोनों माता-पिता ने अपने बच्चों की शादी करके अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। 1882 ई. में जब महात्मा गाँधी की शादी हुई तो उनकी उम्र तेरह वर्ष और कस्तूरबा गाँधी की उम्र साढ़े तेरह वर्ष की थी।

उस युग में लड़कियों की पढ़ाई का चलन नहीं था, इसलिए कस्तूरबा निरक्षर रह गईं। लेकिन

* प्रोफ़ेसर (राजनीति विज्ञान) एवं कार्यवाहक प्राचार्य, जी.बी. पन्त (पी.जी.) कालेज, कछला, बदायूँ
e-mail-gbpantdegrecollege@gmail.com, Mob.- 9412368300

धार्मिक परिवार में पालन-पोषण होने के कारण उनकी धार्मिक प्रवृत्ति पक्की थी। विवाह के पश्चात् गाँधी जी अपनी पत्नी को आदर्श पत्नी बनाना चाहते थे। उन्होंने कस्तूरबा को पढ़ाना चाहा, लेकिन कस्तूरबा की पढ़ने-लिखने में दिलचस्पी नहीं थी। 1888 ई. में बैरिस्टरी पढ़ने के लिए महात्मा गाँधी इंग्लैण्ड गए। वहाँ से 1891 ई. में बैरिस्टरी की डिग्री लेकर वह भारत लौटे। स्वदेश वापस आने पर गाँधी जी ने वकालत करने की कोशिश की। लेकिन अपने शर्मिले स्वभाव और सत्य के प्रति आग्रह के कारण वे इस व्यवसाय में सफल नहीं हो सके। इसी बीच उनके सामने एक प्रस्ताव आया कि दक्षिण अफ्रीका में एक केस के सिलसिले में एक व्यापारिक फर्म को साल भर के लिए एक बैरिस्टर की ज़रूरत है। गाँधी जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

दक्षिण अफ्रीका की यात्रा

महात्मा गाँधी पहली बार 24 मई, 1893 ई. को दादा अब्दुल्ला झावेरी के एक कानूनी मामले में भाग लेने के लिए एक वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। गाँधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष लग गए। 1896 ई. में अपने परिवार को लेने के इरादे से वे स्वदेश लौट आए। इसी वर्ष के अन्त में वे कस्तूरबा गाँधी और अपने दो पुत्रों को लेकर दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गाँधी और कस्तूरबा के दो पुत्र और हुए। उनके पुत्रों के नाम थे— हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 1906 ई. में महात्मा गाँधी ने कस्तूरबा गाँधी की सहमति से ब्रह्मचर्य व्रत लिया। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के आरम्भिक दिनों में कस्तूरबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

दक्षिण अफ्रीका में 1907 ई. में एक ऐसा कानून पास हुआ जिसके अनुसार ईसाई मत के अनुसार किए गए और विवाह विभाग के अधिकारी

के यहाँ दर्ज किए गए विवाहों के अतिरिक्त अन्य सभी विवाहों की मान्यता रद्द कर दी गई। इस प्रकार हिन्दू, मुसलमान, पारसी आदि लोगों के विवाह अवैध करार दिए गए और ऐसी विवाहित महिलाओं की स्थिति पत्नी की न होकर रखैल सरीखी बन गई। महात्मा गाँधी ने इस कानून को रद्द कराने का बहुत प्रयास किया। परन्तु जब वे सफल न हुए तब उन्होंने सत्याग्रह करने का निश्चय किया और उसमें सम्मिलित होने के लिए महिलाओं का भी आह्वान किया। कस्तूरबा इस सत्याग्रह में स्वेच्छा से सम्मिलित हुईं और तीन अन्य महिलाओं के साथ जेल गईं। उन्हें तीन महीने जेल में रहना पड़ा। जेल में उन्हें जो भोजन मिला वह अखाद्य था। अतः उन्होंने फलाहार करने का निश्चय किया। किन्तु जब उनके इस अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्होंने उपवास करना आरम्भ कर दिया। उपवास के पाँचवें दिन जेल अधिकारियों को झुकना पड़ा। किन्तु उन्हें खाने के लिए जो फल दिए गए, वह पर्याप्त न थे। अतः कस्तूरबा को तीन महीने जेल में आधे पेट भोजन पर रहना पड़ा। जब वे जेल से छूटीं तो उनका शरीर ठठरी मात्र रह गया था।

जेल से छूटने के बाद कस्तूरबा की तबियत बहुत खराब हो गई। गाँधी जी ने उनका बहुत इलाज कराया, पर वे ठीक नहीं हुईं। डॉक्टर उन्हें मांस का शोरबा देना चाहता था, पर कस्तूरबा उसका सेवन करने के लिए तैयार नहीं हुईं। अन्त में गाँधी जी के प्राकृतिक इलाज से वे पूर्णतः स्वस्थ हो गईं। गाँधी जी को असहयोग और सत्याग्रह आन्दोलनों में सफलता प्राप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ जो कानून बनाए गए थे, वे रद्द कर दिए गए। महात्मा गाँधी ने अपनी आत्मकथा में स्वयं कस्तूरबा गाँधी के बारे में लिखा है कि “दक्षिण अफ्रीका में मैं अपनी सह-धर्मिणी श्रीमती कस्तूरबा गाँधी की कर्मठता

और कार्यक्षमता को देखकर स्वयं विस्मित हो जाता था। उनमें माँ, देश—सेविका और संचालिका के गुण सिमटकर आ गए थे। वे काम करते कभी थकती नहीं थीं। संघर्ष और विघ्न बाधाओं से उनके भीतर की शक्ति में और भी अधिक ओज पैदा हो जाता था।”

दक्षिण अफ्रीका में गाँधी जी द्वारा स्थापित 'टॉल्सटॉय' और 'फिनिक्स' आश्रमों की देखभाल भी कस्तूरबा ही करती थीं। उनके समाज सेवी, तेवरों को देखकर सत्याग्रही उन्हें 'बा' (माँ) कहते थे। 1915 ई. में गाँधी जी अपने परिवार के साथ भारत लौट आए।

सार्वजनिक जीवन

दक्षिण अफ्रीका में जेल जाने के सिवा कस्तूरबा ने वहाँ के सार्वजनिक जीवन में कोई विशेष भाग नहीं लिया। लेकिन 1915 ई. में भारत लौटने के बाद गाँधी जी ने जितने भी कदम उठाए, उन सब में कस्तूरबा ने गाँधी जी को सहयोग दिया। डॉ. सूरज मृदुल ने लिखा है कि “कस्तूरबा गाँधी सिर्फ एक महिला ही नहीं थीं, बल्कि महात्मा गाँधी की एक प्रेरणा भी थीं। जब गाँधी जी में आत्मविश्वास की कमी हो जाती, तब कस्तूरबा ही उन्हें पूर्ण सहयोग एवं प्रेरणा देतीं। अपने पति के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई उन्होंने साथ—साथ लड़ी थी। जब गाँधी जी जेल जाते, तब वह भी उनके साथ—साथ जातीं। चाहे वहाँ उन्हें दुःख मिलता या सुख, लेकिन पति के साथ जीना—मरना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था।”²

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में कस्तूरबा गाँधी के योगदान को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—

चम्पारन सत्याग्रह

गाँधी जी ने भारत आने पर सत्याग्रह की पहली लड़ाई अप्रैल, 1917 ई. में बिहार के चम्पारन

ज़िले में शुरू की। गाँधी जी का विचार था कि चम्पारन में यदि ठीक से काम करना हो तो कुछ स्वयं सेवकों को देहात में जाकर लोगों के बीच बैठना चाहिए और सुख—दुःख में उनके भागीदार बनकर उन्हें सत्याग्रह के लिए तैयार करना चाहिए। चम्पारन सत्याग्रह के समय कस्तूरबा भी दो स्वयं सेवकों के साथ भित्तिहरवा गाँव में एक झोपड़ी तैयार करके रहीं। वह गाँवों में घूमतीं तथा दवाओं का वितरण करती रहती थीं। उन्होंने इस सत्याग्रह में महिलाओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और अनुशासन की शिक्षा दी। उनके इस काम में निलहे गोरों को राजनीति की बू आई। उन्होंने कस्तूरबा की अनुपस्थिति में उनकी झोपड़ी जलवा दी। कस्तूरबा की उस झोपड़ी में बच्चे पढ़ते थे। अपनी यह पाठशाला एक दिन के लिए भी बन्द करना उन्हें पसन्द न था। अतः उन्होंने सारी रात जागकर घास की एक दूसरी झोपड़ी खड़ी कर दी। भित्तिहरवा के आश्रम में रहकर कस्तूरबा ने चम्पारन सत्याग्रह में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया और उनके बीच 'बा' (माँ) की भूमिका निभाई। इस प्रकार गाँधी जी के लिए वह एक बड़ी प्रेरणा और ताकत साबित हुई।

खेड़ा सत्याग्रह

महात्मा गाँधी ने खेड़ा सत्याग्रह का आरम्भ 22 मार्च, 1918 ई. को गुजरात के खेड़ा ज़िले में किया था। कस्तूरबा ने इस सत्याग्रह में भी गाँधी जी का साथ दिया। वह गाँधी जी के साथ गाँवों में घूमतीं। कभी—कभी वह अकेले भी गाँवों में घूमतीं। अनेक स्थानों पर उन्होंने संक्षिप्त भाषण भी दिए। इस सत्याग्रह में कस्तूरबा ने गाँवों में घूम—घूमकर महिलाओं को इस सत्याग्रह आन्दोलन से जोड़ा तथा उन्हें ब्रिटिश सरकार को लगान न देने के लिए प्रेरित किया। बाद में गाँधी जी इस सत्याग्रह की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपकर चम्पारन वापस चले गए।

असहयोग आन्दोलन

इस आन्दोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से महात्मा गाँधी ने 1920 ई. में प्रारम्भ किया था। लेकिन 5 फ़रवरी, 1922 ई. को चौरी-चौरा में हिंसक घटना हो जाने के कारण गाँधी जी द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। 10 मार्च, 1922 ई. को राजद्रोह के आरोप में गाँधी जी को गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्हें 6 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। इस अवसर पर कस्तूरबा ने देशवासियों के नाम जो सन्देश दिया, वह उन्हें एक वीरांगना के रूप में प्रतिष्ठित करता है। उन्होंने देशवासियों से विदेशी वस्तुओं का परित्याग कर स्वदेशी को अंगीकार करने का ओजस्वी आह्वान किया। गली-गली और गाँव-गाँव घूमकर उन्होंने महिला शक्ति को एकजुट किया, खादी को जीवन का प्राण तत्व बनाने की प्रेरणा प्रदान की और स्वच्छता तथा शिक्षा के अमर मूल्यों का दीप प्रज्वलित किया। कस्तूरबा आदिवासी इलाकों में भी गईं। उन्होंने हज़ारों आदिवासियों से शराब छुड़वाकर उनको चरखा

का अडिग विश्वास था कि “भारत की सच्ची स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी, जब तक देश की आधी प्राण शक्ति महिलाएँ इस संग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर न चलें।”³ उन्होंने यह सप्रमाण स्थापित किया कि स्वतन्त्रता का यह महायज्ञ केवल पुरुषों का एकमात्र कर्तव्य नहीं है, बल्कि महिला शक्ति का भी इसमें उतना ही प्रबल योगदान होना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि अंग्रेज़ चाहे जितना भी अत्याचार कर लें, जीत सत्य की ही होगी और एक दिन हमारा देश अवश्य स्वतन्त्र होगा। ब्रिटिश सरकार ने स्वास्थ्य के आधार पर गाँधी जी को 1924 ई. में जेल से रिहा कर दिया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन— इस आन्दोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस आन्दोलन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका

थी। महात्मा गाँधी का कहना था कि “बहनों को जेल नहीं जाना है, बल्कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और शराब बन्दी का काम करना है। ज़रूरत पड़े तो उसके लिए उन्हें धरना भी देना है।”⁴

6 अप्रैल 1930 ई. को दाण्डी में नमक सत्याग्रह के बाद गाँधी जी ने जो सभा की थी, उसमें कस्तूरबा सहित लगभग पाँच हज़ार बहनें उपस्थित थीं। इसी सभा में गाँधी जी की सलाह से ‘स्त्री स्वराज संघ’ की स्थापना की गई। सूरत ज़िले में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार और शराब बन्दी के लिए छावनियाँ डालने की एक योजना तैयार की गई। इस अभियान का नेतृत्व कस्तूरबा ने किया। कस्तूरबा ने धरसाना और बोरसद की भी यात्रा की और सत्याग्रहियों का उत्साह बढ़ाया। प्रो. आर. के. जैन ‘अरिजीत’ ने लिखा है कि “1930 ई. का दाण्डी मार्च और सविनय अवज्ञा आन्दोलन कस्तूरबा के साहस और नेतृत्व का स्वर्णिम अध्याय बना। उन्होंने महिला शक्ति को इस महायज्ञ का प्राण बनाया और उन्हें ब्रिटिश शासन की क्रूर ज़्यादतियों के विरुद्ध संगठित किया। ब्रिटिश दमन की क्रूरता भी उनके अदम्य हौसले को भंग न कर सकी। अहिंसा के पावन पथ को उन्होंने न केवल अंगीकार किया, बल्कि इसे अपने जीवन का प्रदीप्त तप बना लिया।”⁵

1932 ई. में कस्तूरबा को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन्हें तीन माह की सज़ा दी गई। जब वह जेल से छूट कर लौटीं तो उन्हें फिर बन्दी बना लिया गया, पर थोड़े ही दिनों पश्चात् छोड़ दिया गया। इस प्रकार 1932 और 1933 ई. में तो कस्तूरबा का अधिकांश समय जेल में ही बीता। जेल में कस्तूरबा के साथ करीब 40 बहनें थीं। जेल में जब कोई बहन बीमार पड़ती, कमज़ोर दिल की होती तो उसे कस्तूरबा का सहारा अवश्य मिलता।

राजकोट सत्याग्रह

राजकोट ब्रिटिश सरकार के अधीन एक

रियासत थी। 1939 ई. में राजकोट सत्याग्रह एक ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन के रूप में उभरा। यह सत्याग्रह मुख्यतः राजकोट के दीवान के अत्याचारों तथा अत्यधिक लगान के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह के दौरान कस्तूरबा गाँधी ने राजकोट की महिलाओं के साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक माह तक एकान्त कारावास में रखा गया। कुछ समय पश्चात् गाँधी जी ने भी इस सत्याग्रह में भाग लेने का निश्चय किया और राजकोट पहुँचकर उपवास आरम्भ कर दिया। भयभीत होकर सरकार ने कस्तूरबा को रिहा कर दिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन

8 अगस्त, 1942 ई. को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग से महात्मा गाँधी ने भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ किया। 9 अगस्त की सुबह में ही कांग्रेस के लगभग सभी प्रमुख नेता बन्दी बना लिए गए। गाँधी जी को पूना के आगा खॉं महल में नज़रबन्द कर दिया गया। 9 अगस्त, 1942 ई. को जब कस्तूरबा गाँधी बम्बई के शिवाजी पार्क में भाषण करने पहुँचीं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। दो दिन बाद कस्तूरबा को भी पूना के आगा खॉं महल में गाँधी जी के साथ ही कैद कर दिया गया। 15 अगस्त 1942 ई. को गाँधी जी के प्रिय सचिव महादेव देसाई की एकाएक मृत्यु हो गई। गाँधी जी और कस्तूरबा उन्हें पुत्रवत् मानते थे। महादेव देसाई की मृत्यु से कस्तूरबा को गहरा सदमा पहुँचा। फिर भी गाँधी जी के साथ आगा खॉं महल में वह चट्टान की भाँति अडिग रहीं। प्रो. आर. के. जैन 'अरिजीत' ने लिखा है कि "1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में जब गाँधी जी को नज़रबन्द कर दिया गया, तब कस्तूरबा ने स्वतन्त्रता संग्राम की प्रबल कमान थामी।

कारागार की ऊँची दीवारों के भीतर भी उनका संकल्प अविचल रहा और उन्होंने हार को कभी स्वीकार नहीं किया।"⁶ लेकिन नज़रबन्दी के दौरान कस्तूरबा की तबियत ख़राब हो गई, फिर उनके स्वास्थ्य में सन्तोषजनक सुधार नहीं हुआ।

मृत्यु

अन्ततोगत्वा कस्तूरबा गाँधी का स्वास्थ्य पूरी तरह जवाब दे गया और 22 फरवरी, 1944 ई. को उनकी गाँधी जी की गोद में मृत्यु हो गई। महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू ने कस्तूरबा गाँधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि "भारतीय स्त्रीत्व के जीते-जागते प्रतीक सी, उस नाजुक किन्तु वीर नारी की आत्मा को चिर शान्ति प्राप्त हो। जिस महापुरुष को वे चाहतीं, जिसकी वे सेवा करतीं और अद्वितीय श्रद्धा और भक्ति के साथ जिसका वे अनुसरण करतीं, उसके लिए वे निरन्तर कुर्बानी करती रहीं। जिस कठिन मार्ग को उन्होंने अपनाया था, उस पर चलते हुए उनके पैर एक क्षण के लिए भी लड़खड़ाये नहीं और न ही उनके दिल ने कभी गच्ची खाई। वे मातृत्व से अमरत्व में गईं और हमारी गाथाओं, गीतों और हमारे इतिहास की वीरांगनाओं की मण्डली में अपना वास्तविक स्थान पा गईं।"⁷ निःसन्देह कस्तूरबा की मृत्यु राष्ट्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी।

सामाजिक सुधारों की प्रबल समर्थक—कस्तूरबा गाँधी का योगदान केवल राजनीतिक क्षितिज तक सीमित न था, बल्कि सामाजिक सुधारों की मशाल थामे वे छुआछूत, जातिवाद और बाल-विवाह जैसी घोर कुप्रथाओं के विरुद्ध अडिग रहीं। हरिजनों के कल्याण और महिला शिक्षा के लिए उनका समर्पण अद्वितीय था। कस्तूरबा गाँधी का कहना था कि "समाज का सच्चा उद्धार तब तक असम्भव है, जब तक महिला

शक्ति जागृत और प्रबल न हो।⁸ सामाजिक कुरीतियों को दूर करके वह एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहती थीं।

आदर्श पत्नी के रूप में— कस्तूरबा गाँधी एक आदर्श पत्नी थीं। उनका एक प्रमुख गुण अपनी इच्छा से अपने पति में समा जाने का था। वह हमेशा गाँधी जी के पद का अनुगमन करती रहती थीं। उन्होंने गाँधी जी की तरह ही अपने जीवन को सादा बना लिया था। वे गाँधी जी के धार्मिक, सामाजिक एवं देशसेवा के महाव्रतों में सदैव उनके साथ रहीं। डॉ. निशान्त सिंह ने कस्तूरबा गाँधी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि “कस्तूरबा गाँधी मात्र महात्मा गाँधी की पत्नी ही नहीं थीं, अपितु वे महान देशभक्त और समर्पित समाज सेविका भी थीं। उन्हीं की प्रेरणा और सहयोग से मोहनदास करमचंद गाँधी, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी बने।⁹”

कस्तूरबा अपनी पूरी शक्ति और समर्पण भाव से गाँधी जी की सेवा और कार्यों में सहयोग प्रदान करती थीं। महात्मा गाँधी ने अपनी आत्मकथा में कस्तूरबा गाँधी के विषय में लिखा है कि “मेरी पत्नी मेरे अंतर को जिस प्रकार हिलाती है, उस प्रकार दुनिया की दूसरी कोई भी स्त्री उसे नहीं हिला सकती। उसके लिए ममता के एक अटूट बन्धन की भावना दिन-रात मेरे अंतर में जागृत रहती है।¹⁰”

कस्तूरबा गाँधी भी गाँधी जी के प्रति पूरी तरह समर्पित थीं। उनका मानना था कि “मुझे जैसा पति मिला है, वैसा तो दुनिया में किसी भी स्त्री को नहीं मिला होगा। अपने पति के कारण ही मैं सारे जगत में पूजी जाती हूँ।¹¹” निः सन्देह अपने पति गाँधी जी के प्रति ऐसी श्रद्धा रखने वाली कस्तूरबा आदर व सम्मान की वास्तविक हकदार हैं।

सम्मान

भारत में कस्तूरबा गाँधी के सम्मान में ‘कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय’ योजना चलाई गई है, जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त वे ‘बा’ (माँ) के नाम से जानी जाती हैं और स्वतन्त्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें आदर तथा सम्मान दिया जाता है। भारत सरकार ने 1969 ई. में गाँधी जी की 100वीं जयन्ती के अवसर पर 20 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था जिस पर महात्मा गाँधी और कस्तूरबा गाँधी दोनों के संयुक्त फोटो हैं। भारत की स्वतन्त्रता के बाद डाक टिकट पर चित्रित होने वाली यह पहली जोड़ी थी।

निष्कर्ष— इस प्रकार कहा जा सकता है कि कस्तूरबा गाँधी एक महान देशभक्त और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी महिला तथा समाज सेविका थीं। उनका जीवन एक ऐसी अनुपम गाथा है तो त्याग, तपस्या और अनवरत् समर्पण की जीवन्त मिसाल है। उनकी आत्मा में स्वतन्त्रता की ज्वाला इस तरह प्रज्वलित थी कि ब्रिटिश कारागार की कठोर अग्नि परीक्षा भी उसे बुझा न सकी। वहाँ की निर्मम यातनाओं ने उनके शरीर को क्षीण किया, किन्तु उनकी इच्छा शक्ति का प्रकाश और आत्मा का तेज कभी मन्द न पड़ा। उन्होंने महिला शक्ति को एक नवीन आयाम प्रदान किया और यह अविचल सत्य स्थापित किया कि स्वतन्त्रता संग्राम में महिलाएँ भी पुरुषों के समान सशक्त और प्रभावशाली हैं। आज भी उनके आदर्श हमारे हृदय में प्रेरणा का प्रखर दीप जलाते हैं कि हम अन्याय के समक्ष निर्भीकता से खड़े हों, सत्य और अहिंसा के पावन मार्ग पर अडिग रहें और अपने कर्तव्यों को असीम तपस्या के साथ पूर्ण करें। कस्तूरबा गाँधी केवल एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी ही नहीं थीं, अपितु भारतीय संस्कृति और नैतिकता की प्रदीप्त प्रतिमा थीं। निः सन्देह उनका ओजस्वी प्रकाश युग-युग तक समस्त भारतीयों को आलोकित करता रहेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. निशान्त सिंह, महिला राजनीति और आरक्षण, पृष्ठ 30, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, संस्करण 2010 ई.
2. डॉ. सूरज मृदुल, भारतीय नारियाँ, पृष्ठ 69, यश पब्लिकेशन्स, दिल्ली, संस्करण 2013 ई.
3. <https://www.spsmedia.in>, पृष्ठ 02, दिनांक 20/09/2025 से उद्धृत
4. विश्व प्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्त, स्वतन्त्रता संग्राम और महिलाएँ, पृष्ठ 246, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2008 ई.
5. <https://www.spsmedia.in>, पृष्ठ 02, दिनांक 20/09/2025 से उद्धृत
6. वही, पृष्ठ 02
7. पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, राष्ट्रमाता कस्तूरबा गाँधी, पृष्ठ 31, युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, मथुरा, संस्करण 2009 ई.
8. <https://www.spsmedia.in>, पृष्ठ 02, दिनांक 20/09/2025 से उद्धृत
9. डॉ. निशान्त सिंह, महिला राजनीति और आरक्षण, पृष्ठ 30, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, संस्करण 2010 ई.
10. विश्व प्रकाश गुप्त, मोहिनी गुप्त, स्वतन्त्रता संग्राम और महिलाएँ, पृष्ठ 243, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2008 ई.
11. वही, पृष्ठ 243



SHODH CHETNA–YEAR-11, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2025)

A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal



ISSN : 2350-0441

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Received : 12th Oct. 2025

Paper Accepted : 25th Nov. 2025

ECONOMIC SIGNIFICANCE AND LIVELIHOOD CONTRIBUTION OF ETHNOMEDICINAL PLANTS IN TEHSIL PANHALA, DISTRICT KOLHAPUR, MAHARASHTRA

□ Patil Manohar Nivrutti*
□ Dr. Dinesh Kumar Singh**
□ Dr. Ravindra P. Jadhav***

ABSTRACT

This study investigates economic dimensions and livelihood contributions of ethnomedicinal plants in Tehsil Panhala, documenting market values, income generation patterns, and socioeconomic impacts for 450-600 households. Market prices showed substantial variation (₹ 40-1200/kg) reflecting differences in demand, rarity, and therapeutic reputation. High-value species including *Asparagus racemosus* (₹ 800-1200/kg), *Piper nigrum* (₹ 600-800/kg), and *Withania somnifera* (₹ 500-800/kg) provide significant income but face correspondingly higher harvest pressure. Annual household income from medicinal plants ranged ₹ 6,000-15,000, representing 8-15% of total household income, demonstrating crucial livelihood security in economically marginal regions. Total contribution to regional economy reached ₹ 2.7-9.0 million annually, generating 12,000-18,000 person-days of employment. Women's participation in collection activities (65%) reflects income opportunities alongside concerns regarding time burden and occupational health. Market analysis revealed heavy dependence on local markets (80%) with minimal pharmaceutical company linkages (5%), indicating missed opportunities for fair trade and contract farming. The study identifies cultivation support, market linkages, value addition infrastructure, and youth engagement as priority interventions for enhancing medicinal plant-based livelihoods while addressing conservation concerns through reduced wild harvest pressure.

Keywords– Socioeconomic impacts, species, occupational health, trade.

* Research Scholar in SJJT University, Jhunjhunu, Rajasthan 333010

** Research Guide, SJJT University, Jhunjhunu, Rajasthan 333010

*** Research Co-Guide, SJJT University, Jhunjhunu, Rajasthan 333010

Journal Starting Year-2015, Frequency- Quarterly, Subject- Multidisciplinary, Language-Hindi & English, Publishers- Sushil Kumar Kushwaha, Publishing Body- G.H. Publication, Prayagraj, U.P.-211003 (India), Email Id:- ghpublication@gmail.com

Introduction

Ethnomedicinal plants represent significant economic resources for rural communities in biodiversity-rich regions, providing livelihood opportunities that extend far beyond conventional agriculture (Arnold & Pérez, 2001). In many developing countries, the collection, processing, and trade of medicinal plants contribute substantially to household incomes, particularly for marginalized or forest-dependent communities with limited access to alternative employment opportunities (Ved & Goraya, 2007). The Western Ghats region of India, although globally recognized for its ecological significance, is also home to economically disadvantaged populations for whom forest-based occupations especially medicinal plant harvesting form an integral part of livelihood strategies (Daniels, 2016). Tehsil Panhala in Kolhapur district exemplifies this socioecological interaction, where long-standing traditional knowledge of medicinal plants intersects with contemporary economic necessities, creating complex relationships between conservation practices, market-driven commercialization, and community welfare (Gaikwad & Garad, 2020).

With the growing global demand for herbal medicines, nutraceuticals, and natural cosmetic products, market opportunities for medicinal plants have expanded considerably (Schippmann et al., 2002). Yet, despite this rising commercial value, rural collectors often remain economically marginalized due to exploitative market chains, lack of bargaining power, limited access to formal markets, and the absence of value-addition capabilities that could significantly increase income returns (Kala, 2015). Existing ethnobotanical studies in the Western Ghats have largely focused on documenting medicinal plant diversity and traditional therapeutic knowledge; however, economic dimensions such as market valuation, income contribution, employment generation, and value chain structures remain

insufficiently explored (Rajasab & Isaq, 2004; Prakasha et al., 2010). This knowledge gap restricts the development of effective policies aimed at improving household livelihoods while ensuring ecological sustainability.

Understanding the economic significance of ethnomedicinal plants is therefore essential for designing interventions that balance conservation imperatives with community development objectives (Cunningham, 2001). Against this backdrop, the present study aims to document market prices and commercial demand patterns of key medicinal species, assess their contribution to household income, analyze value-addition activities and market linkages, evaluate socioeconomic impacts including employment and gender participation, and identify opportunities for enhancing sustainable livelihoods. The findings are expected to provide empirical evidence to support policy formulation for medicinal plant-based livelihood programs, community empowerment, and sustainable utilization frameworks in the Panhala region.

Methodology

Economic data collection was conducted during 2023-2024 through semi-structured interviews with 85 traditional knowledge holders, 45 medicinal plant collectors, 22 local traders, and 8 self-help group representatives across Tehsil Panhala. Market price information was gathered from local markets, regional trading centers, and pharmaceutical procurement agencies, documenting price variations across seasons and market channels. Annual harvest quantities were estimated through informant recall, cross-validated through trader records and seasonal collection patterns. Income calculations incorporated species-specific harvest volumes, prevailing market prices, and frequency of collection activities. Household economic data included total income sources, allowing calculation of medicinal plant contribution percentages. Employment generation was estimated through person-days of collection,

processing, and marketing activities. Gender-disaggregated data documented participation patterns in collection, processing, and decision-making. Market linkage assessment examined trading channels, value chain structures, intermediary roles, and institutional arrangements. Value addition activities including drying, powder preparation, and advanced processing were documented with infrastructure and capacity constraints. Access to government schemes, cooperative structures, and institutional support mechanisms were evaluated. Commercial demand categorization employed trader assessments and market price trends. Data were analyzed using descriptive statistics, with economic values expressed in Indian Rupees. Validation employed triangulation across informant categories and cross-checking with documentary evidence from traders and cooperatives.

Results and Discussion

Economic analysis documented substantial market price variation (₹40-1200/kg) across 30 ethnomedicinal species as presented in Table 1,

reflecting complex interactions between demand, rarity, processing requirements, and therapeutic reputation. High-value species included *Asparagus racemosus* (₹ 800-1200/kg), *Piper nigrum* (₹ 600-800/kg), *Withania somnifera* (₹ 500-800/kg), and *Gymnema sylvestre* (₹ 400-600/kg), commanding premium prices due to pharmaceutical industry demand and limited wild availability. These species generated annual household incomes of ₹ 10,000-30,000 despite low harvest volumes (15-30 kg/household), demonstrating income potential of high-value species. Conversely, abundant cultivated species like *Curcuma longa* and *Zingiber officinale* with moderate prices (₹ 80-150/kg) provided stable income through high harvest volumes (150-300 kg/household), generating ₹ 12,000-45,000 annually. Species with “Very High” commercial demand including *Terminalia chebula*, *Tinospora cordifolia*, *Phyllanthus emblica*, and *Tinospora cordifolia* showed consistent market availability and price stability, indicating reliable demand from pharmaceutical and herbal industries.

Table 1: Economic Value and Livelihood Contribution

S. No.	Botanical Name	Market Availability	Price (₹/kg)	Annual Harvest (₹kg/household)	Income Generation (₹/year/household)	Commercial Demand
1.	<i>Azadirachta indica</i>	High	80-120	50-80	4,000-9,600	Very High
2.	<i>Ocimum sanctum</i>	High	100-150	20-30	2,000-4,500	High
3.	<i>Terminalia chebula</i>	Very High	200-300	100-150	20,000-45,000	Very High
4.	<i>Phyllanthus emblica</i>	Very High	80-120	150-200	12,000-24,000	Very High
5.	<i>Terminalia bellirica</i>	High	150-200	80-100	12,000-20,000	High
6.	<i>Curcuma longa</i>	Very High	100-150	200-300	20,000-45,000	Very High
7.	<i>Tinospora cordifolia</i>	High	300-500	30-50	9,000-25,000	Very High
8.	<i>Withania somnifera</i>	Very High	500-800	20-30	10,000-24,000	Very High
9.	<i>Andrographis paniculata</i>	Moderate	150-250	25-40	3,750-10,000	Moderate
10.	<i>Centella asiatica</i>	High	200-300	15-25	3,000-7,500	High
11.	<i>Aloe vera</i>	Very High	40-60	100-200	4,000-12,000	Very High
12.	<i>Moringa oleifera</i>	High	150-250	80-120	12,000-30,000	High
13.	<i>Piper nigrum</i>	Very High	600-800	10-20	6,000-16,000	Very High
14.	<i>Zingiber officinale</i>	Very High	80-120	150-250	12,000-30,000	Very High
15.	<i>Bacopa monnieri</i>	High	250-400	15-25	3,750-10,000	High

16	<i>Asparagus racemosus</i>	Very High	800-1200	15-25	12,000-30,000	Very High
17	<i>Gymnema sylvestre</i>	Very High	400-600	20-30	8,000-18,000	Very High
18	<i>Saraca asoca</i>	High	300-500	30-50	9,000-25,000	High
19	<i>Adhatoda vasica</i>	Moderate	100-150	40-60	4,000-9,000	Moderate
20	<i>Calotropis gigantea</i>	Low	50-80	20-30	1,000-2,400	Low
21	<i>Vitex negundo</i>	Moderate	80-120	30-50	2,400-6,000	Moderate
22	<i>Ficus religiosa</i>	Low	60-100	15-25	900-2,500	Low
23	<i>Acacia nilotica</i>	Moderate	100-150	50-80	5,000-12,000	Moderate
24	<i>Lawsonia inermis</i>	High	80-120	60-100	4,800-12,000	High
25	<i>Nyctanthes arbor-tristis</i>	Moderate	150-250	10-20	1,500-5,000	Moderate
26	<i>Mangifera indica</i>	High	40-60	200-300	8,000-18,000	Moderate
27	<i>Psidium guajava</i>	Moderate	30-50	150-250	4,500-12,500	Moderate
28	<i>Butea monosperma</i>	Moderate	150-250	25-40	3,750-10,000	Moderate
29	<i>Cissus quadrangularis</i>	High	300-500	30-50	9,000-25,000	High
30	<i>Boerhavia diffusa</i>	Moderate	200-300	20-30	4,000-9,000	Moderate

Annual household income from medicinal plants ranged ¹ 6,000-15,000, representing 8-15% of total household income in this economically marginal region. While modest in absolute terms, this contribution proved crucial for livelihood security, particularly during agricultural lean seasons when alternative income sources remain scarce. For 450-600 households engaged in medicinal plant trade across Panhala tehsil, total economic contribution reached ¹ 2.7-9.0 million annually, indicating significant community-level economic importance. The wide income variation (¹ 6,000-15,000) reflected differences in collection effort, species targeted, market access, and household labour availability. Households focusing on high-value species or possessing better market linkages achieved upper income ranges, while those collecting common species for local markets remained at lower

income levels.

Employment generation analysis revealed 12,000-18,000 person-days annually across collection, processing, and marketing activities. Labor absorption proved particularly important for landless and marginal farming families seeking income diversification. Seasonal employment patterns showed peaks during post-monsoon (October-November) and monsoon (July-August) collection periods, complementing agricultural cycles. Women's participation reached 65% in collection activities, reflecting both opportunities for income independence and concerns regarding time burden alongside domestic responsibilities. Gender-disaggregated income analysis showed women earning ¹ 4,000-9,000 annually from medicinal plants, contributing significantly to household food security and children's education expenses.

Table 2: Socioeconomic Impact Analysis

Parameter	Value/Description
Average household income from medicinal plants	□ 6,000-15,000/year
Percentage contribution to total household income	8-15%
Number of families dependent on medicinal plant trade	450-600 families
Employment generation (person-days/year)	12,000-18,000
Women's participation in collection	65%

Knowledge transmission to younger generation	35% (declining)
Market linkages	Local markets (80%), Regional traders (15%), Pharmaceutical companies (5%)
Value addition activities	Drying (75%), Powder making (45%), Oil extraction (12%)
Access to government schemes	Limited (only 20% aware)
Cooperative/self-help groups involved	8 groups with 180 members

Value addition activities showed processing capabilities with 75% of households engaged in drying and 45% in powder preparation, indicating potential for enhanced income through processed product sales. However, advanced processing like oil extraction remained limited (12%) due to infrastructure constraints and technical knowledge gaps. Price comparison between raw and processed materials showed 30-50% premiums for dried materials and 80-120% for powdered products, demonstrating substantial value-addition potential. The limited processing infrastructure represents missed income opportunities, as processed products command higher prices and facilitate longer storage.

Market linkage assessment revealed structural weaknesses with heavy dependence on local markets (80%) and minimal connections to pharmaceutical companies (5%). Regional traders captured 15% of market share, typically offering prices 20-30% below retail values, indicating exploitative intermediary relationships. The wide gap between farm gate prices (documented in this study) and retail prices suggests substantial value capture by middlemen, leaving primary collectors economically disadvantaged. Direct pharmaceutical company linkages remained minimal despite industry demand for medicinal plants, reflecting absence of organized supply chains and quality assurance mechanisms. Government scheme awareness proved limited (20%), indicating ineffective extension services and policy implementation gaps. Existing self-help groups (8 groups with 180 members)

demonstrated emerging collective action potential for better market access and negotiating power, though coverage remained inadequate.

Comparative analysis across species showed cultivated plants like *Curcuma longa*, *Aloe vera*, and *Moringa oleifera* providing consistent income without conservation concerns, validating cultivation as viable livelihood strategy. Wild harvested high value species generated substantial income but faced sustainability concerns due to population declines. Species showing declining populations (*Withania somnifera*, *Asparagus racemosus*, *Gymnema sylvestre*) paradoxically generated highest household incomes (₹ 10,000-30,000), creating economic incentives for over-harvesting. This inverse relationship between conservation status and economic returns presents fundamental challenge for sustainable utilization frameworks.

Socioeconomic impact analysis revealed medicinal plant trade as poverty mitigation mechanism, providing income security during agricultural failures or lean periods. For vulnerable households including landless labourers, tribal communities, and women-headed families, medicinal plant income (8-15% of total) often proved difference between subsistence and destitution. However, economic dependence on declining wild populations creates livelihood vulnerability, as resource depletion threatens future income security. The documentation of only 35% knowledge transmission to younger generation reflects economic unviability perceptions, where youth seek more lucrative urban employment rather

than traditional livelihoods.

Economic opportunities analysis identified several enhancement pathways. Cultivation promotion for high-value species could reduce wild harvest pressure while increasing and stabilizing income. Current cultivation practices covered only limited species (*Curcuma longa*, *Zingiber officinale*, *Aloe vera*, *Moringa oleifera*), leaving 27% of commercially valuable species uncultivated. Development of cultivation protocols for *Asparagus racemosus*, *Withania somnifera*, and *Gymnema sylvestre* could address both conservation and livelihood concerns simultaneously. Market linkage improvements through direct pharmaceutical company contracts, fair trade arrangements, and cooperative marketing could enhance prices by 30-50%, significantly impacting household incomes. Value addition infrastructure including drying facilities, powder mills, and quality testing equipment could enable processed product sales with 80-120% price premiums. Youth engagement through economic incentives, technical training, and entrepreneurship support could address knowledge transmission crisis while creating employment opportunities. Government scheme implementation including subsidized cultivation, market support, and infrastructure development requires improved extension services and social community awareness.

Conclusions

This economic analysis establishes medicinal plants as significant livelihood resources in Tehsil Panhala, contributing ₹ 6,000-15,000 annually per household and generating 12,000-18,000 person-days of employment. The total regional economic contribution of ₹ 2.7-9.0 million demonstrates community level importance, particularly for economically marginalized populations. Market price variation (₹ 40-1200/kg) reflects species-specific demand patterns, with high-value plants including

Asparagus racemosus, *Piper nigrum* and *Withania somnifera* providing substantial income but facing sustainability concerns. Women's significant participation (65%) in collection activities highlights both empowerment opportunities and gender-specific challenges requiring targeted interventions. However, structural weaknesses including heavy local market dependence (80%), minimal pharmaceutical linkages (5%), exploitative intermediary relationships, and limited value addition (advanced processing only 12%) constrain income potential. The inverse relationship between conservation status and economic returns creates fundamental challenge where declining species generate highest household incomes (₹ 10,000-30,000), incentivizing over-harvesting. Enhancement pathways include cultivation promotion for high-value species, improved market linkages through direct contracts and fair trade, value addition infrastructure development, youth engagement programs, and effective government scheme implementation. Integrated approaches combining livelihood enhancement with conservation imperatives prove essential, as economic viability determines both community participation and sustainability outcomes. The study demonstrates that medicinal plant-based livelihoods, when supported through appropriate policy interventions, institutional mechanisms, and market structures, can simultaneously address poverty mitigation and biodiversity conservation goals. Future research should focus on cost-benefit analysis of cultivation systems, value chain optimization, impact assessment of collective marketing initiatives, and development of certification mechanisms ensuring quality and fair prices for community collectors.

References

- Arnold, J. E. M., & Pérez, M. R. (2001). *Can non-timber forest products match tropical forest*

- conservation and development objectives?* Ecological Economics, 39(3), 437–447.
- Cunningham, A. B. (2001). *Applied ethnobotany: People, wild plant use and conservation*. Earthscan.
 - Daniels, R. J. R. (2016). *The Western Ghats: Ecology, biodiversity and conservation*. Current Science, 110(3), 455–456.
 - Gaikwad, J. A., & Garad, K. U. (2020). Traditional medicinal plant knowledge of the Western Ghats: A case study from Maharashtra. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 16(1), 1–12.
 - Kala, C. P. (2015). Indigenous knowledge and livelihood security of local communities in the Himalaya. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 22(5), 404–413.
 - Prakasha, H. M., Krishnappa, M., Krishnamurthy, Y. L. & Poornima, S. V. (2010). Folk medicine of NR Pura taluk in Chik-magalur district of Karnataka. *Indian Journal of Traditional Knowledge*, 9(1), 55–60.
 - Rajasab, A. H., & Isaq, M. (2004). Documentation of ethnomedicinal knowledge and conservation status of medicinal plants of North Karnataka. *Indian Journal of Traditional Knowledge*, 3(3), 279–284.
 - Schippmann, U., Leaman, D. J. & Cunningham, A. B. (2002). *Impact of cultivation and gathering of medicinal plants on biodiversity: Global trends and issues*. Biodiversity and Ecosystem Approach in Agriculture, Forestry and Fisheries.
 - Ved, D. K., & Goraya, G. S. (2007). *Demand and supply of medicinal plants in India*. NMPB and FRLHT.





भारतीय ज्ञान परम्परा : समग्र और बहु-विषयक परिवर्तन की नई दिशा

□ डॉ. सत्येन्द्र सिंह*
□ डॉ. कल्पना द्विवेदी**

शोध-सारांश

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, शिक्षण, अनुसंधान, नवाचार तथा बहुविषयक संस्था के केन्द्र रूप में सम्पूर्ण विश्व में अग्रणी थी तथा शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के पश्चात् के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं अपितु पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और बल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्वस्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्र में शिक्षण और शोध के ऊँचे मापदण्ड स्थापित कर भारत को विश्वगुरु के रूप में आलोकित किया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली ने 1823 के माउंट स्टुअर्ट के रिपोर्ट से प्रारंभ होकर 1835 की मैकाले शिक्षा पद्धति तत्पश्चात् 1854 के चार्ल्स वुड्स डिस्पैच तक का सफर तय किया है। नई शिक्षा नीति 2020 : समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर अपना प्रभाव दिखायेगी। प्रस्तुत शोध-पत्र में उक्त बिन्दुओं का समावेश करने का एक अभिनव प्रयास है।

मुख्य शब्द— भारतीय, ज्ञान, परम्परा, समग्र, बहु-विषयक, परिवर्तन, नई दिशा आदि।

प्रस्तावना

भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली हेतु 1944 में सर्जेण्ट रिपोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की थी, जिसमें केन्द्रीय शिक्षण व्यवस्था की परिकल्पना दूर-दूर तक नहीं थी। अंग्रेज शासकों का मूल उद्देश्य शिक्षा में अपनी सरकार की भावना एवं एजेण्डा को आगे

बढ़ाना था। स्वतंत्रता पश्चात् 1948 में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान समिति के पुनर्गठन की सिफारिश की गयी। तत्पश्चात् उच्च शिक्षा में शिक्षण के मानक निर्धारण, परीक्षा, अनुसंधान तथा शिक्षा के अन्य आयामों के साथ-साथ केन्द्र और राज्य सरकारों को समय-समय पर शिक्षा के विस्तार के लिए

* विभागाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज, आरी, झाँसी (उ.प्र.)

** प्रवक्ता, श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज, आरी, झाँसी (उ.प्र.)

आवश्यक सलाह देने हेतु 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान समय तक शैक्षणिक संस्थानों में कई गुना वृद्धि होने के कारण इस संस्था पर कार्य का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया था। परिणामस्वरूप यह अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति में आवश्यकतानुसार सफल नहीं हो पा रहा था।

इसके अतिरिक्त नियमन और वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उक्त के सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ज्ञान आयोग (2009), यशपाल समिति (2010), हरिसिंह गौतम समिति (2014) का गठन किया गया। इन सभी समितियों द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखकर भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निरसन अधिनियम) विधेयक 2018 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्थान पर भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह आयोग शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान, अकादमिक मानकों तथा शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देने हेतु प्रयास करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेख है कि भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के तहत चार स्वतंत्र व्यवस्थाओं को स्थापित किया जायेगा। एचईसीआई का पहला अंग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद होगा। यह उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र के लिए शिक्षक शिक्षा हेतु एक साझा और सिंगल प्वाइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा तथा नियमों, प्रक्रियाओं में दोहराव और अव्यवस्था को समाप्त करेगा। वास्तव में वर्तमान परिदृश्य में अनेकों विनियामक संस्थान स्थित हैं। यह भारत के लचीले एवं स्वस्थ सुविधाजनक तरीके से संस्थाओं को विनियमित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक

की गई सारी सूचनाएँ संबंधित हितग्राहियों तथा किसी भी शिकायत को एन.एच.ई.आर.सी. द्वारा सुना जाकर, हल किया जाएगा। एक निश्चित समय अंतराल पर प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में रैंडम तरीके से चुने गए छात्रों के (दिव्यांग छात्रों सहित) फीडबैक ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएँगे।

विनियमन को सक्षम बनाने की प्राथमिक प्रक्रिया प्रत्याययन होगी, इसलिए दूसरा अंग मेटा अक्क्रेडिटिंग निकाय होगा, जिसको राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के नाम से जाना जाएगा। सभी संस्थानों का प्रत्यायन मुख्यतः कुछ बुनियादी नियम-कायदों, मजबूत गवर्नेंस और परिणामों के आधार पर होगा। इसके साथ ही इस प्रक्रिया से मान्यता देने वाले संस्थानों के स्वतंत्र समूह संचालित होंगे और एनएसी द्वारा इसकी पूरी संचालन की व्यवस्था की जाएगी। एक समुचित संख्या में संस्थानों को मान्यता देने का अधिकार कम समय में ही ग्रेडेड मान्यता देने के लिए एक मजबूत प्रणाली बनाने का काम उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वायत्तता, प्रशासन और व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए विभाग चरणबद्ध तरीके से करने का कार्य करेगा। परिणामस्वरूप सभी उच्च शिक्षा संस्थान अपनी-अपनी संस्थान विकास योजना के जरिए अगले 15 वर्षों में मान्यता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य तय करेंगे और इस प्रकार यह संस्थान डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों के क्लस्टर की तरह बनने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

एच.ई.सी.आई. का तीसरा अंग-उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद् का गठन किया जायेगा जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा के फंडिंग और वित्त पोषण का कार्य करेगा। जिसमें संस्थानों द्वारा विकसित संस्थान विकास योजना और इनके क्रियान्वयन के द्वारा प्राप्त की गई उन्नत शामिल है। छात्रवृत्ति के वितरण के लिए और नए फोकस क्षेत्रों को शुरू करने तथा विशेष क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता कार्यक्रमों

के प्रस्ताव के साथ उनके विस्तार के लिए विकासात्मक निधियों को गति देने के लिए एच.ई.जी.सी. का गठन होगा।

एच.ई.सी.आई. का चौथा अंग सामान्य शिक्षा परिषद् का गठन होगा। इसकी सहायता से यह उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करेगा जिन्हें स्नातक परिणामों के नाम से जाना जाएगा। जी.ई.सी. द्वारा एक राष्ट्रीय शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना है। यह राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क से संगत होगा जिससे कि व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा में आसानी से समन्वित किया जा सके। यह शिक्षा योग्यता का निर्देशन होगा जो एक डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र के रूप में होगा। इसके अतिरिक्त जीईसी और एनएसक्यूएफ के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर, समानता आदि मुद्दों के लिए समान रूप और सुविधाजनक मानदंड स्थापित करने का प्रयास होगा।

विशिष्ट कौशल युक्त छात्रों की पहचान करना और उन छात्रों को प्रोत्साहित करने का भी काम भी यह करेगा। इस तरह से एचईसीआई का चौथा अंग—सामान्य शिक्षा परिषद्, इसकी आत्मा के रूप में काम करेगा। इस प्रकार एचईसीआई के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थानों को स्थापित करना बहुत ही आसान हो जाएगा और साथ ही साथ यह संस्थान जन-सेवा भाव से दीर्घावधि के लिए वित्तीय सहायता के साथ भी स्थापित होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान को अपने संस्थानों का विस्तार करने के लिए मदद मिलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों और संकायों को लाभ मिलेगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों का गुणवत्तापूर्ण एवं उच्चतर शिक्षा तक पहुँच का विस्तार करने के उद्देश्य से सार्वजनिक परोपकारी मॉडल भी शुरू करने की योजना है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम मानदण्डों

और मानकों के अनुरूप बनाने हेतु कड़े कदम उठाये जाने के साथ-साथ कठोर अनुपालन उपायों को निश्चित किया जायेगा जिससे अनिवार्य जानकारी के गलत प्रकटीकरण के लिए दण्ड की सिफारिश भी शामिल है। एचईसीआई सभी अंगों के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा भी करेगा। यह एक स्वतंत्र निकाय होगा जो प्रासंगिक क्षेत्रों में काम कर रहे सत्यनिष्ठा, प्रतिबद्ध एवं समर्पित तथा उच्चतर श्रेणी के विशेषज्ञ होंगे, जिन के पास सार्वजनिक सेवाओं में योगदान देने का विशिष्ट अनुभव होगा। एचईसीआई का भी स्वयं का अपना एवं छोटा स्वतंत्र निकाय होगा जिसमें उच्चतर शिक्षा में प्रसिद्ध सामाजिक सरोकारों वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो एचईसीआई की सत्यनिष्ठा और प्रभावी कार्यकुशलता को संचालित और निगरानी करेंगे।

उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर नियामक परिषद् का गठन किया जायेगा। सभी शिक्षण संस्थान लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण के मानक व्यवस्था का पालन करेंगे। प्राप्त अतिरिक्त राशि को शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्निवेश किया जायेगा। सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को इस नियामक व्यवस्था में बराबर माना जायेगा। नियामक व्यवस्था शिक्षा में निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। सभी विधायी अधिनियमों के लिए सामान्य राष्ट्रीय दिशा निर्देश होंगे जिनसे निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जायेगी। विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए, उनके प्रत्यायन के आधार पर फीस की एक उच्चतर सीमा को तय करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जायेगा ताकि निजी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अधिकाधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित किया जायेगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित शुल्क में पूरी पारदर्शिता

रहेगी तथा फीस में मनमानी वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान बनाने हेतु प्रभावी प्रशासन की व्यवस्था की गयी है। भारत के सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को 15 वर्षों के अंदर चरणबद्ध तरीके से ग्रेडेड प्रत्यायन और ग्रेडेड स्वायत्ता प्रणाली के माध्यम से स्वतंत्र स्वशासी संस्थान बनाना होगा। उच्चतम गुणवत्ता का नेतृत्व सुनिश्चित करने और उत्कृष्टता की संस्थागत संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्थापना की जायेगी। यह संस्था के प्रमुख सहित सभी नियुक्तियाँ करने और शासन के संबंध में समस्त निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगा। बोर्ड के नये सदस्यों की पहचान बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा की जायेगी और नये सदस्यों का चयन बीओजी द्वारा ही किया जायेगा। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान 2035 तक स्वायत्त बनकर सशक्त बीओजी का गठन करेंगे।

बोर्ड आफ गवर्नर्स सभी संगत रिकार्ड के पारदर्शी स्व-प्रकटन के माध्यम से हितधारकों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद् के माध्यम से एचईसीआई द्वारा अनिवार्य सभी नियामक दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। संस्थानों में सभी नेतृत्व पदों और संस्थान प्रमुखों के लिए उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को चुना जायेगा जिनमें जटिल परिस्थितियों के प्रबंधन करने के साथ प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता हो। संस्थान के प्रमुख का चयन बीओजी द्वारा एक प्रख्यात विशेषज्ञ समिति के नेतृत्व में एक कठोर, निष्पक्ष, योग्यता और क्षमता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

नेतृत्व के उत्तराधिकार की योजना तैयार की जायेगी एवं सुचारु बदलाव सुनिश्चित करने के लिए पद खाली नहीं रहेंगे। उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ताओं

की पहचान की जाकर और नेतृत्व की भूमिका में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते रहेंगे। चरणबद्ध तरीके से पर्याप्त धन, वैधानिक सशक्तिकरण और स्वायत्ता प्रदान किये जाने के साथ सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान, संस्थागत उत्कृष्टता, अपने स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव, वित्तीय ईमानदारी और जवाबदेही के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक संस्थान एक कार्यनीतिक संस्थागत विकास योजना बनायेगा जिसके आधार पर संस्थान अपनी पहलों को विकसित करेंगे तथा प्रगति का आकलन कर निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचेंगे।

निष्कर्ष

परिवर्तन प्रकृति का नियम है तथा युगानुकूल प्रासंगिक बने रहने हेतु समय देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार, परिवर्तन अनिवार्य आवश्यकता भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी स्थापना से लेकर निश्चित रूप से कई वर्षों तक उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किन्तु वर्तमान समय में पूर्व की अपेक्षा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की संख्या में कई गुना वृद्धि होने से यह संस्था कार्य के बढ़ते अधिक भार के कारण उच्चतर शिक्षा के चहुँमुखी विकास में कहीं न कहीं पीछे रह जा रही थी। इसके अतिरिक्त अत्यधिक केन्द्रीकृत व्यवस्था तथा कठोर नियामक प्रणाली के कारण उच्चतर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। इस व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत एवं सरलीकृत कर पारदर्शी बनाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्थान पर भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना का उल्लेख है। इससे निश्चित रूप से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन होने की संभावना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग तथा इससे संबंधित अन्य तंत्रों को मजबूत करना समय की अनिवार्य आवश्यकता है।

वास्तव में यदि यह अपने मूल स्वरूप में क्रियान्वित हुआ तो भारत के उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णिम दिन पुनः लौटेंगे और भारत उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- भटनागर, आर.पी. (1986), 'शैक्षिक अनुसंधान' मेरठ रायल बुक डिपो, मेरठ
- पाठक, पी.डी. (1986), 'शिक्षा मनोविज्ञान' विनोद पुस्तक मंदिर, डॉ. रागेय राघव मार्ग, आगरा-2
- शर्मा, आर.ए. (1987), 'शिक्षा अनुसंधान' आर. लाल बुक डिपो, मेरठ
- पाण्डेय, रामसकल (1989), 'शिक्षा दर्शन', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा-2
- श्रीवास्तव के. एम. (1995), : शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, विश्वविद्यालय बुक डिपो, रीवा
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 (यू.जी.सी.), नई दिल्ली
- डॉ. आर.एन. तिवारी (2021), राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी.एच. पब्लिकेशन, इलाहाबाद





बदलती भारतीय विदेश नीति एवं भारत-अमेरिका सम्बन्ध

□ वैष्णवी जौहरी*

□ डॉ. अनुपमा सिंह**

शोध-सारांश

प्रस्तुत शोध आलेख का विषय बदलती भारतीय विदेश नीति एवं भारत-अमेरिका सम्बन्ध है। वर्तमान युग तेजी से परिवर्तित हो रहा है तथा इस तेजी से बदलते वैश्विक युग में भारतीय विदेश नीति में भी कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। पिछले दस वर्षों में भारत की विदेश नीति तीव्र गति से बदली है, प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में भारतीय विदेश नीति की कई विशेषताएँ हैं जिनमें प्रमुख रूप से पहले पड़ोस की नीति, सांस्कृतिक कूटनीति, आर्थिक विकास, एकट ईस्ट पालिसी, सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ता कदम आदि हैं। भारत क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों एवं विश्व व्यापार संगठन के युग में विविधताकारी विदेश नीति को अपनाकर विभिन्न देशों से अपने सम्बन्ध को मजबूत बना रहा है, भारत अमेरिका, जापान, रूस तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से अपने सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर रहा है। भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जायेगा तथा सैन्य शक्ति में भी भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व एवं भारतीय जनता के सहयोग से भारत 2047 तक विश्व के समक्ष विकसित भारत के रूप में प्रस्तुत होगा।

मुख्य शब्द—विदेश नीति, सकारात्मक पहल, समझौते, गुट निरपेक्षता, लुक ईस्ट पालिसी, स्वतंत्रता आदि।

प्रस्तावना

भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ और स्वतंत्रता के बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई वह भारतीय जनता के हितों को ध्यान में रख कर बनायी गयी। भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, भारत की विदेश नीति का प्रारंभ भी नेहरू युग से होता है। प्रधानमंत्री

नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक भारतीय विदेश नीति में कई परिवर्तन हुए तथा भारतीय विदेश नीति के समक्ष कई चुनौतियाँ भी आईं भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति का आधार रखा। भारत ने पंचशील के सिद्धान्तों 1954 को अपनाते हुए एशियाई एकता को भी बढ़ाया तथा भारत संयुक्त राष्ट्र

* शोधार्थी, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

** शोध निर्देशिका, असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान विभाग), आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

का भी सदस्य तथा इसकी सभी नीतियों का समर्थन करता रहा है।¹

वर्ष 1990 में भारत ने वैश्वीकरण, उदारीकरण की नीति को अपनाया, भारत ने महाशक्तियों के साथ भी सम्बन्ध मजबूत किये, शीतयुद्ध के बाद अमेरिका जो कि सुपरपावर, एक महाशक्ति है, उससे भी भारत ने अपने सम्बन्ध मजबूत किये। शीतयुद्ध के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में गति आई, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत ने कई प्रमुख समझौते एवं संधियाँ कीं, जिनमें पर्यावरण के क्षेत्र में, आर्थिक, शिक्षा एवं रक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौते हुए हैं। भारत सदैव से विश्व शान्ति का समर्थक रहा है, भारत ने वर्ष 2023 में जी 20 की सफलतापूर्वक अध्यक्षता भी की, भारत एक महान लोकतान्त्रिक देश है और भारत ने युद्ध का कभी समर्थन नहीं किया।²

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध आलेख का उद्देश्य निम्नलिखित है—

भारतीय विदेश नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।

बदलते वैश्विक युग में भारत की विदेश नीति का अध्ययन करना।

बदलती भारतीय विदेश नीति एवं भारत-अमेरिका संबंधों का अध्ययन करना।

भारतीय विदेश नीति के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

भारतीय विदेश नीति के आधारों एवं कारकों का अध्ययन करना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध आलेख का विषय 'बदलती भारतीय विदेश नीति एवं भारत-अमेरिका सम्बन्ध' है। प्रस्तुत शोध आलेख के अंतर्गत ऐतिहासिक वर्णात्मक एवं व्याख्यात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस शोध आलेख में विश्लेषणात्मक एवं अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध आलेख हेतु विभिन्न पुस्तकों, समाचार-पत्रों एवं शोध-पत्रों का भी अध्ययन किया गया है।

भारतीय विदेश नीति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत की विदेश नीति स्वायत्त विदेश नीति है। यह स्वतंत्र भारतीय विदेश नीति है।³ भारतीय विदेश नीति के ऐतिहासिक कारक निम्न हैं, जो इसे गतिशील बनाते हैं, भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की भावना को बढ़ाना है। पंडित जवाहरलाल के शब्दों में शान्ति हमारे लिए एक उत्साहजनक आशा ही नहीं है, यह एक आपात आवश्यकता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में भी अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा का उल्लेख है। भारत की विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांतों को अपनाया गया है, यह भारत एवं चीन के मध्य 1954 में पंचशील सिद्धांतों के रूप में जाना गया, जिनमें एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता व परस्पर लाभ एवं शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व है।

भारतीय विदेश नीति संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों में विश्वास करती है। भारत 1945 से इसका सदस्य है, भारत हमेशा से इसकी नीतियों का समर्थन करता है, भारत कई बार इसका अस्थायी सदस्य भी है। भारत के द्वारा निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन किया गया है, भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना करना तथा इसके विरुद्ध वैश्विक अभियान को समर्थन देना है। भारतीय विदेश नीति उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करती है। वर्ष 1961 में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई जिसमें वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा भारत की विदेश नीति विकसित एवं विकासशील विश्व में सभी को समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देती है। भारतीय विदेश नीति में गुजराल सिद्धांतों को भी 1996 में अपनाया गया, भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है और भारत अपने छोटे पड़ोसी देशों को एक तरफा रियायत दे सके। भारत द्वारा मध्य एशिया को जोड़ो नीति 2012 को भी अपनाया गया जिसके तहत भारत मध्य एशिया के देशों से अपने राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाये।

भारतीय विदेश नीति के नये आयाम

पिछले दस वर्षों में भारत की विदेश नीति में नये परिवर्तन देखने को मिले हैं प्रधानमंत्री मादी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्वक वृद्धि की भारत वैश्विक मंच पर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है।

पहले पड़ोस की नीति का पालन

भारत ने सदैव अपने हितों के साथ-साथ दूसरे देशों के विशेषतया पड़ोसी देशों के हितों को भी बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव एवं सेशेल्स के राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार के प्रमुख विशिष्ट अतिथि के रूप में दक्षिण के सभी सदस्य उपस्थित हुए तथा पहले पड़ोस की नीति को व्यवहारिक रूप दिया गया तथा भारत द्वारा हिन्द महासागर क्षेत्र पर ध्यान को भी दर्शाती है। भारत द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में स्थायी शांति, स्थिरता एवं समृद्धि के लक्ष्य पर भी केन्द्रित है।⁴

पहले पड़ोस की नीति भारत की विदेश नीति में वर्ष 1947 से ही दिखाई देती है। इस नीति के द्वारा भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने एवं क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया, भारत की भौगोलिक सीमा नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान एवं पाकिस्तान से लगती है, भारत की इनके साथ साझा संस्कृति एवं इतिहास है, भारत ने नेपाल के साथ 1950 में और भूटान के साथ 1949 में संधियाँ भी की थी भारतवर्ष 1985 से सार्क का सदस्य है।⁵ वर्ष 2008 के बाद से पड़ोसी देशों में चीनी प्रभाव को देखते हुए गुजराल सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया गया। अपने पड़ोसियों के साथ भारत के मजबूत सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध हैं। कोरोना काल में भारत सहित सम्पूर्ण विश्व इस महामारी का सामना कर रहा था। जहाँ सम्पूर्ण विश्व इस वैश्विक महामारी से परेशान था। तब कोरोना काल में भी भारत ने सभी पड़ोसी देशों को आवश्यक दवाओं और वैक्सिन भी उपलब्ध करायी तथा उनकी सहायता की, भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए हमेशा से तत्पर है।

आर्थिक विकास की ओर बढ़ता कदम

भारत की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने एवं मजबूत करने पर बल दे रहा है। भारत द्वारा दक्षिण के सम्मेलनों में भाग लिया गया, भारत तथा बांग्लादेश एवं भूटान के बीच बांग्लादेश-भूटान, भारत-नेपाल मोटर वाहन समझौता, जल शक्ति प्रबंधन और इंटर-ग्रिड कनेक्टिविटी में सहयोग हुआ है। भारत की भूटान के साथ भी साझेदारी है।⁶

भारत ने भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय सहायता भी की। भारत ने नेपाल के साथ शुरु से शांतिपूर्वक सम्बन्ध स्थापित किये हैं। भारत ने 1950 में अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ शान्ति एवं मित्रता की संधि भी की दोनों देशों ने जल विद्युत परियोजनाओं पर हस्ताक्षर भी किये हैं भारत एवं श्रीलंका के बीच भी शुरु से संबंधों को बढ़ावा दिया गया है। भारत ने श्रीलंका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके द्वारा भारत जाफना के तीनों द्वीपों में हाइब्रिड विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने में आसानी होगी।

एक्ट ईस्ट पालिसी का प्रयोग

पूर्व की ओर देखो नीति भारत के द्वारा वर्ष 1992 में अपनाई गयी, परन्तु इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में कई बाधाएँ एवं चुनौतियाँ भी हैं, भारत के द्वारा अपनाई गयी एक्ट ईस्ट नीति जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्रों के साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के जिनमें आर्थिक सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना है।

एक्ट ईस्ट पालिसी एवं लुक ईस्ट पालिसी दोनों नीतियाँ दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के प्रति भारत की नीति के विकास के दो चरण के विकास के क्रम हैं।

भारत के द्वारा आसियान देशों के साथ आधारभूत संरचना के बेहतर विकास के द्वारा संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है, भारत द्वारा पूर्व में स्थित देशों जैसे जापान एवं दक्षिण कोरिया के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट पर

जोर दिया जा रहा है।

प्रवासी की भूमिका

भारत के द्वारा डायस्पोरा को भारत से जोड़ा जा रहा है। डायस्पोरा से अच्छे सम्बन्ध भारत की मेक इन इंडिया⁷ जैसी पहल को यह मजबूत बना सकते हैं, तथा भारत में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा में भी भारतीय मूल के प्रवासी के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, वर्ष 2019 में अमेरिका में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम में पचास हजार से ज्यादा भारतीय मूल के अमेरिकी शामिल थे।⁸

भारतीय विदेश नीति एवं भारत-अमेरिका सम्बन्ध

भारत के द्वारा अमेरिका से मजबूत सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं, शीतयुद्ध के बाद से भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अमेरिका की कई बार यात्रायें की गयी हैं तथा अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भी भारत की यात्रायें संपन्न का हैं जो बढ़ते भारत-अमेरिकी संबंधों को दर्शाता है। वर्ष 2019 में अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ तथा उसके बाद भारत में नमस्ते ट्रम्प 2021 में भारत एवं अमेरिका के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में एससीईपी समझौता हुआ तथा वर्ष 2018 में संचार संगतता के क्षेत्र में भी समझौता हुआ। भारत एवं अमेरिका दोनों देश साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों जैसे आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। भारत में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के सहयोग से किया जा रहा है।⁹

जो बाइडन के उपराष्ट्रपति काल में भी भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध थे। रुस यूक्रेन संकट पर भी अमेरिका द्वारा यह कहा गया कि रुस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिका हमेशा भारत के साथ है। वह भारत के अतुल्यनीय प्रयासों के साथ है।¹⁰

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024

हाल ही में जो बाइडन के अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यकाल पूरे हो जाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति¹¹ ने चुनाव को जीता है। डोनाल्ड ट्रम्प जो कि एक बार 2017 से 2021 में राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुके हैं। भारत के प्रति उनका रवैया कुछ मुद्दों

जैसे आप्रवासन आदि को छोड़कर अच्छा ही रहा है तथा जो बाइडन के काल में भारत तथा अमेरिकी संबंधों की नींव मजबूत रही, भारत एवं अमेरिका के बीच समझौते हुए हालाँकि शीतयुद्ध के पहले कुछ मुद्दों जैसे परमाणु परीक्षण, भारत द्वारा सीटीबीटी पर हस्ताक्षर न करना आदि मुद्दे जिन पर दोनों देशों के बीच में तनाव व्याप्त था। लेकिन शीतयुद्ध के बाद यह सम्बन्ध परिवर्तित हुए। भारत के अमेरिका के साथ कई समझौते हुए हैं भारत द्वारा उदारीकरण वैश्वीकरण की नीति 1990 में अपनाई गयी तथा जी 20 की अध्यक्षता जब वर्ष 2023 में भारत ने की तो अमेरिका ने सराहना की। अमेरिका ने भारत को महान लोकतान्त्रिक देश बताया¹² तब यह सम्बन्ध मधुर और मजबूत हुए।

निष्कर्ष

भारतीय विदेश नीति में वर्तमान समय में कई परिवर्तन हो रहे हैं। भारत वर्तमान में विकास के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। भारत आर्थिक तकनीकी संचार तथा रक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत द्वारा पड़ोसी देशों से मधुर एवं सहयोग पूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जा रहे हैं। भारत द्वारा चीन की बेल्ट एवं रोड योजना का डटकर सामना किया गया, भारत ने अपनी दृढ़ता को दिखाया। घरेलू क्षमताओं के निर्माण हेतु भारत ने बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए पश्चिम के देशों से संलग्नता बढ़ावा दिया। भारत आज क्वाड, आसियन, ब्रिक्स, जी 20 आदि कई समूहों का सदस्य है, क्वाड जो भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के समूह वाला संगठन है।

भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है, भारत के लिए विश्व शान्ति सर्वोपरि है, यदि भारत के हितों के समक्ष कोई चुनौती आती है या कोई देश भारत के हितों को प्रभावित करता है तो भारत द्वारा तुरंत कार्यवाही होगी भारत कभी भी, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। भारत द्वारा वसुधैव कुटुम्बकम¹³ की भावना का समर्थन किया गया है। भारत सदैव विश्व में सबका विकास चाहता है, भारत सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है जिसमें सभी एक साथ शांतिपूर्ण सहस्तिव के साथ रहते हैं हालाँकि भारतीय विदेश नीति के समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं जिनमें

आतंकवाद, मानवाधिकारों का उल्लंघन, हिन्द प्रशांत क्षेत्र पर बढ़ता चीन का प्रभाव आदि है। भारत 'विकसित भारत' की राह पर आगे बढ़ रहा है तथा 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा भारत द्वारा रुस एवं यूक्रेन संघर्ष पर भी यही कहा गया, यह युद्ध का समय नहीं है।¹⁴

भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शान्ति को महत्त्व दिया गया है, भारतीय विदेश नीति सहयोग एवं सद्भाव पर आधारित है, भारत जी 20 तथा यूरोपीय समुदाय जैसे संगठनों के साथ सहयोग एवं संबंधों बढ़ा रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दत्त वी.पी. 2013, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, पृष्ठ 1-2
2. <https://byjuias.com/6/10/2023>
3. Laxmikant m.2020, Indian Polity, Mc GrawHill india Private Limited
4. <https://sanskritiiias.com/21/11/2024>
5. <https://dristiiias.com/26/10/2024>
6. <https://dristiiias.com/6/8/2024>
7. मिश्रा राजेश, 2020, राजनीति विज्ञान का एक समग्र अध्ययन, ओरियन्ट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ 386
8. मिश्रा राजेश, 2020, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, ओरियन्ट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ-386
9. अमर उजाला, 12/2/2023, पृष्ठ 12
10. अमर उजाला, माइक्रोन देश में पहला सेमिकंडक्टर प्लांट लगाने को तैयार, दुनियाभर में होगा निर्यात, 29/7/2023, पृष्ठ 16
11. दैनिक जागरण, 7/11/2024, पृष्ठ 8
12. दैनिक जागरण
13. <https://byjuias.com/5/11/2024>
14. अमर उजाला, यूक्रेन संकट पर बोले मोदी यह युद्ध का समय नहीं', 23/11/2023





छत्तीसगढ़ में शासकीय योजनाओं में रोजगार के अवसर (महिलाओं के सन्दर्भ में)

□ डॉ. प्रेमलता एक्का*

शोध-सारांश

सामान्यतः आदिवासी (ऐबोरिजिनल) शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है, जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र के ज्ञान, इतिहास से सबसे पुराना संबंध रहा हो, परंतु संसार के विभिन्न भू-भागों में जहां अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग क्षेत्रों से आकर लोग बसे हों उस विशिष्ट भाग के प्राचीनतम अथवा प्राचीन निवासियों के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। यदि छ.ग. की आदिवासी महिलाओं की बात की जाय तो आज जरूरत महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने की है; ताकि वह परिवार नियंत्रण के बारे में चुनाव कर सकें। आर्थिक स्तर जो भी हो, हर माँ अपनी संतान के लिए सुनहरे सपने सँजोती है; हर घर में इन सपनों की पूर्ति भले ही संभव न हो लेकिन यह जरूरी है कि देश इस लक्ष्य को अपनी दृष्टि से ओझल न होने दे भारत के किसी भी राज्य को लिया जाय, सभी जगहों पर महिलाओं की सामान्य स्थिति है। वे आज भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं किंतु उसको अपनाने में डरती हैं।

मुख्य शब्द— आर्थिक विकास, महिला उत्थान, सामाजिक समानता, जागरूकता, रोजगार।

प्रस्तावना

भारत में महिलाओं की स्थिति मिली-जुली है। कुछ महिलाओं का अपनी स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है तो कुछ महिलाएँ आज भी अपने पिता-पति या भाइयों पर आश्रित हैं। कई महिलाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें निर्णय लेना तो दूर की बात है उन्हें विचार तक करने की स्वतंत्रता नहीं है। यदि आगे बढ़े तो देखेंगे कि बहुत-सी महिलाएँ ऐसी भी

मिलती हैं जो अकेले ही घर-गृहस्थी चला रही हैं और इसलिए नहीं कि वह पति द्वारा त्याग दी गई हैं या विधवा हैं। बल्कि इसलिए कि उनके पति उससे इसी की अपेक्षा रखते हैं। गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की यह आम बात है। लेकिन उच्च वर्ग की महिलाएँ परिवार के कायदों को बेहतर समझती हैं। जो महिलाएँ नितान्त गरीब हैं, परिवार नियोजन के मामले में उनकी कम चलती है या

* सहायक-प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शास. महाविद्यालय, सिलफिली, जिला-सूरजपुर (छत्तीसगढ़)

यह कह सकते हैं कि उनकी कोई योजना ही नहीं होती। संयोग से गर्भ ठहर जाता है और फिर इसे नियति समझकर निभा लिया जाता है।

आज आवश्यकता है, महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की, ताकि संतति नियंत्रण में उन्हें सही चुनाव का अवसर मिल सके। सर्वाधिक सुरक्षा, खुशहाल वातावरण और स्वस्थ पालन-पोषण में निहित है। समाज के प्रत्येक परिवार के लिए चाहे यह संभव न हो पाया हो किन्तु यह जरूरी है कि देश इस लक्ष्य को आमने-सामने रखकर चले। सामाजिक सुरक्षा जो सीमित जनसंख्या के कारण विदेशों में संभव है, इस देश में भी हासिल करना असंभव जैसा है, दूसरा सबसे अच्छा विकल्प यह है कि ज्ञान और अवसर को लाभ योग्य लोगों तक पहुँचाया जाय। शिक्षा, अभियान और साक्षरता आन्दोलन के माध्यम से महिलाओं को सीमित परिवार के प्रति अधिक जागरूक बनाया जा सकता है। साथ ही उन जागरूक निर्णय को लागू कर सकें यह अधिकार उन्हें सौंपना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुदृढ़ पारिवारिक बंधन भावनात्मक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात् आय के कारण स्त्री को बच्चों का पालन-पोषण करने में कठिनाई हो तो यह भावना कमजोर पड़ जाती है। नौकरी की तलाश स्त्री को घर से दूर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे, उपेक्षा, भूख, बीमारी और शोषण के शिकार हो जाते हैं। कई मामलों में तो महिला वेश्यावृत्ति तक अपनाते को मजबूर हो जाती है।

इन सभी समस्याओं का समाधान, आज भले ही प्रत्येक महिलाओं तक नौकरी ले जाना संभव नहीं हो पाया हो किन्तु आज महिलाएँ घर के पास ही रोजगार के पर्याप्त अवसरों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन समाज की शिक्षित एवं जागरूक महिलाओं द्वारा निरंतर किया जा रहा है, यदि समाज की गृहणी की निश्चित आमदनी की व्यवस्था

कर दी जाय तो उनका बोझ काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह तो सामाजिक तथा शिक्षित महिलाओं द्वारा किया गया कार्य था किन्तु भारत सरकार में राज्य सरकार भी महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का समय-समय पर आयोजन करती रहती हैं। जिससे महिला आर्थिक आय प्राप्त करने के छोटे-छोटे कार्यों से अवगत होती है। जिससे घर बैठे महिलाएँ कुछ आय का स्रोत बना लेती हैं। आज महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चला रही है। जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक विकास तथा उनके जीवन में परिवर्तन लाने का लक्ष्य है; जिससे महिलाएँ लाभ लेकर, विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीखकर आय प्राप्त करने का जरिया तलाश रही हैं। यदि छत्तीसगढ़ की बात की जाय तो राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं को संचालित किया है। जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की ज्यादा से ज्यादा महिलाएँ ले रही हैं।

योजनाएँ

छत्तीसगढ़ में राज्य एवं केंद्र की योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य है; क्योंकि अन्य राज्यों की अपेक्षा यदि छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ आज भी बहुत पिछड़ा है, जिसमें महिला, हिंसा, शोषण, आर्थिक तंगी आदि समस्याओं से महिलाएँ जूझ रही हैं; किन्तु राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही महिलाएँ अब इन समस्याओं से बाहर निकल रही हैं और वह आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके साथ ही परिवार के बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही हैं।

विभागीय योजनाओं (राज्य सरकार की योजनाएँ) और केन्द्रीय योजनाओं (केन्द्र सरकार की योजनाएँ) के बीच मुख्य अंतर उनके वित्त पोषण और कायन्वियन की प्रकृति में है।

विशेषताएँ	विभागीय योजनाएँ (राज्य सरकार की योजनाएँ)	केन्द्रीय योजनाएँ (केन्द्र सरकार की योजनाएँ)
वित्तपोषण	इन योजनाओं का वित्त पोषण पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के राजस्व से किया जाता है।	ये योजनाएँ पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण होती हैं।
कार्यान्वयन	इनका कार्यान्वयन राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाता है।	इनका कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है।
उद्देश्य	ये योजनाएँ राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं जो संविधान की राज्य सूची के विषयों से संबंधित होती हैं।	ये योजनाएँ राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से पूरी की जाती हैं और से संविधान की संघ सूची के विषयों से सम्बन्धित होती हैं।
भौगोलिक दायरा	इसका प्रभाव और दायरा मुख्य रूप से एक विशेष राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश तक सीमित हैं।	केन्द्रीय योजनाओं का दायरा अखिल भारतीय होता है और ये पूरे देश में लागू होता है।

अब हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में विभिन्न शासकीय योजनाओं की। तो देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न शासकीय योजनाएँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर महिलाओं को सशक्त तथा दृढ़ बना रही हैं। यह योजनाएँ राज्य की महिलाओं को खासकर जो महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, उनके लिए कौशल प्रशिक्षण देकर उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख विशेषताएँ

यह योजनाएँ विशेषकर महिलाओं से संबंधित हैं जिसका लाभ लेकर महिलाएँ प्रगति कर रही हैं।

(1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)।

(2) कौशल विकास और उद्यमिता योजनाएँ—

1. छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण।

2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना।

(3) विभिन्न विभागों में सीधी भर्तियाँ।

(4) अन्य योजनाएँ जो रोजगार सृजित करती

हैं—

1. गोधन न्याय योजना।
2. सुराजी गाँव योजना।
3. लघु वनोपज संग्रहण एवं न्यूनतम समर्थ मूल्य योजना।

केन्द्रीय योजनाएँ

- (1) मिशन वात्सल्य।
- (2) पोषण भी, पढ़ाई भी कार्यक्रम।
- (3) सक्षम आँगनबाड़ी योजना।
- (4) मध्य प्रदेश मातृ वंदन योजना।
- (5) सखी निवास।
- (6) शक्ति सदन।
- (7) पालना योजना।
- (8) महिला हेल्पलाइन।

विभागीय योजनाएँ (महिलाओं के लिए)

- (1) हमर स्वस्थ लईका कार्यक्रम।
- (2) कुपोषण वंदन योजना।
- (3) महतारी वंदन योजना।
- (4) नवबिहान योजना।
- (5) महिला स्व-सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण।
- (6) नियद नेल्लानार योजना।

- (7) दिशा—दर्शन भ्रमण कार्यक्रम।
- (8) छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना।
- (9) छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना
- (10) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
- (11) पूरक पोषण आहार कार्यक्रम।
- (12.) महिला जागृति शिविर।

विषय विश्लेषण

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय में पृथक्करण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से देखा जाता रहा है। जहाँ एक ओर यह माना जाता है; जब तक दूर—दराज के जंगली क्षेत्रों में निवासरत जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तब तक उनका विकास नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर सभ्य समाज के सम्पर्क में आने के कारण जनजातीय समाज में शोषण इत्यादि समस्या उत्पन्न होगी। इन्हीं विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ निरन्तर प्रयासरत है। जिसको समाज में योजनाओं के माध्यम से महिला उत्थान का कार्य कर रही हैं।

- असुविधाजनक स्थानों पर बालबाड़ियों का निर्माण, व्यापारिक स्थलों के लिए नियमित रेल या बस सेवा कार्यस्थल का अधिक अनुकूल वातावरण आदि ऐसी बातें हैं, जिन पर ध्यान देकर कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि की जा सकती है।
- एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता वह है, महिलाओं का स्वास्थ्य, आर्थिक समस्या और काम के बोझ के कारण अपने स्वास्थ्य के प्रति महिलाएँ लापरवाह रहती हैं। खासतौर पर गरीब घरों में जब खर्च कम करने की बात उठती है तो इसका पहला शिकार महिलाएँ होती हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाएँ सरकारी योजनाओं में आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर

प्राप्त कर सकती हैं। जिससे महिलाएँ अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।

- महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ऐसी गतिविधियों का संचालन करना/करवाना जिससे महिला समूहों को वित्त पोषण प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकें तथा उन्हें स्वरोजगार में बढ़ावा मिल सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो।
- जनजातीय आबादी की अधिकार हीनता की परिस्थिति को सुधारते हुए उनके जीवन में गुणात्मक उन्नति करना भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों को वैधानिक संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक उन्नति एवं विहित कार्यक्रम किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार स्पष्ट है, कि समृद्ध एवं सशक्त समाज में विकास हेतु स्त्री—पुरुष दोनों की समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो। प्रदेश में महिलाओं को आबादी के अनुरूप संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। आज भी महिलाओं की स्थिति में सुधार केवल कागजों में ही किया गया है। आज महिलाओं तक सरकारी योजनाओं के लाभ सीमित महिलाओं को ही मिल पाते हैं। जरूरत है; इस प्रक्रिया में बदलाव की जहाँ सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना। जो महिलाएँ पहले से जागरूक हैं, उनके मौजूदा रोजगार को बनाए रखना या उनको बढ़ावा देना। यहाँ महिलाओं के नियोजन के और अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की महिलाएँ आदिवासी क्षेत्र में हैं; उनको सम्पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। इनमें

से जो महिलाएँ कार्य करने में रुचि दिखाती हैं, उनको छत्तीसगढ़ सरकार आकस्मिक ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर रहे तथा जो महिलाएँ कार्य कर रही हैं; जिससे उनको रोजगार मिल रहा है, उसको भी बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को समय-समय पर ऋण प्रदान कराना चाहिए।

भारतीय परम्परा में आभूषणों की पहचान विश्व में सबसे अलग हटकर है; क्योंकि आभूषणों की विशाल परम्परा विश्व में सबसे अधिक भारत में ही है। भारतीय परम्परा में नारी के सौन्दर्य अनुभूति के प्रतीक आभूषण भारत के गाँवों की भी पहचान हैं। छत्तीसगढ़ का ग्रामीण अंचल इससे अछूता नहीं है; और अपनी सामर्थ्य के अनुसार परंपरा को जीवित रखने की कोशिश अंतिम पंक्ति के मानव में

भी जारी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म वित्त और महिला सशक्तिकरण, डॉ. रोहित वर्मा (रिसर्च थीसिस)
2. भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, आर. प्रसाद, रजिन्दर कौर, सन् 2019
3. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009, डी.एल.पी. बुकलेट्स
4. डॉ. नारायण इकबाल, भारतीय शासन एवं नगरीय जीवन, शिवलाल अग्रवाल एंड कम्पनी, आगरा
5. प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर का पंचायत परिणाम
6. योजना (मासिक पत्रिका), नई दिल्ली
7. कुरुक्षेत्र (मासिक पत्रिका), नई दिल्ली





कबीर का सामाजिक प्रदाय

□ डॉ. विकासचन्द वर्मा*

शोध-सारांश

हिंदी साहित्य की ज्ञान परंपरा में कबीर का कृतित्व एवं व्यक्तित्व अद्वितीय और कालजयी है। विराट व्यक्तित्व के स्वामी संत साधक कबीर महान समाज सुधारक और क्रांतिकारी कवि के रूप में विख्यात हैं, उन्होंने जाति-पाँति, धार्मिक पाखंड का न केवल खंडन किया बल्कि सद्भाव, समन्वय एवं एकता का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने जन्म और वर्ण के आधार पर होने वाले भेदभाव एवं धार्मिक व सांप्रदायिक विषमता को सिर से नकार दिया। सभी मनुष्य को समान माना और सत्य, प्रेम एवं भक्ति के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, जिससे समता मूलक, सद्भावपूर्ण और मानवीय समाज की स्थापना हो सके।

मुख्य शब्द— निर्गुण भक्ति, ज्ञान मार्ग, संत, क्रांतिद्रष्टा, निर्भीकता, ब्रह्म, मानवता, समता, समन्वय, लोक-संग्रह।

कबीरदास सन्त-परम्परा के सर्वप्रमुख और प्रतिनिधि कवि हैं। भारतीय भक्ति और धर्म-साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं, जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घकाल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जन-जीवन का नायकत्व किया। हिन्दी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुआयामी है। कबीर के विराट व्यक्तित्व में जहाँ एक ओर सन्तत्व था, तो वहीं दूसरी ओर क्रांतिद्रष्टा, समाज सुधारक, महान दार्शनिक और आध्यात्मिकता का तत्त्व भी सम्मिलित था। आचार्य

हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के स्वभाव के सन्दर्भ में कहा कि—“वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गये उससे जिन्दगी भर चिपटे रहे, यह सिद्धान्त उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह-ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर, हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके—

हम घर जारा आपना, लिया मुराड़ा हाथ।
अब घर जारों तासु का, जो चलै हमारे साथ।।

* असिस्टेंट प्रोफेसर, टी.एन.पी.जी. कॉलेज, टाण्डा, अम्बेडकर नगर, मो.: 6394746149
ई-मेल : vikashchandverma77@gmail.com

वे सिर से पैर तक मस्त—मौला थे।¹¹

निर्भीकता एवं अभिव्यक्ति की स्पष्टता उनके चरित्र का मूल आधार था। महात्मा कबीर मूलतः संत एवं साधक थे। सत्य के जिस रूप को उन्होंने सत्संग और भगवत भक्ति में प्राप्त किया उसे बिना लाग—लपेट के बड़ी निर्भीकता से प्रकट किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की अभिव्यक्ति क्षमता के सन्दर्भ में कहा—“भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिकटेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट कराना चाहा है, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया—बन गया है तो सीधे—सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार—सी नजर आती है। उसमें मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके।¹²

कबीर के सामाजिक व्यक्तित्व का मुख्य पहलू विद्रोह एवं क्रांति का है। कबीर का विद्रोह मूल्यहीन न होकर महान मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए था। उन्होंने सामाजिक वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करते हुए उच्च एवं निम्न वर्ग के निर्धारण का आधार आचरण की शुद्धता और नैतिक मूल्यों के मानदण्डों को स्वीकार किया, न कि किसी वर्ण या कुल में जन्म को। बच्चन सिंह 'हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास' में कबीर के क्रांतिधर्मी व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—“कबीर ने सूफियों के 'प्रेम की पीर' को भी अपनाया और हिन्दुओं की अहिंसा, प्रपत्ति और अद्वैत को भी। इन उपकरणों का आयत्त करते हुए वे गरीब, शोषित, अपमानित निम्न वर्ग की ओर खड़े हो गये और उच्च वर्ग और वर्ण की सामन्ती शक्तियों पर कसकर चोटें कीं। निम्न वर्ग में आत्मसम्मान का भाव जागा। उन्हें सुधारक कहना उनके महत्त्व को कम करना है। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिन्दू हो, न मुसलमान, न कोई मौलवी हो,

न पुरोहित, न कोई शेख हो, न बरहमन, सब मनुष्य हो। यह क्रांतिकारी कदम था न कि सुधारवाद।¹³ कबीर के काव्य में स्वतंत्रता, समता और मानवता के सार्वभौमिक मूल्य निहित हैं। मानव मात्र की समानता पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया। धर्म, वर्ण एवं जातीय संकीर्णता पर उन्होंने करारा प्रहार किया। समस्त मानव जाति में समानता की स्थापना करते हुए वे कहते हैं—

आला एकै नूर उपनाया ताकी कैसी
निन्दा।

ता नूर थे जग कीया मला कौन मन्दा।¹⁴

एक ही नूर या ज्योति अर्थात् एक ईश्वर या प्रकृति से सभी जीवों का निर्माण हुआ है, तो उनमें विभेद कहाँ से होगा? यह विभेद ईश्वर या प्रकृतिजन्य नहीं है बल्कि यह विभेद उन धूर्त, पाखण्डियों, पुरोहितों, मुल्ला और मौलवियों ने किया जो विषमता मूलक, नैतिकताविहीन धर्म और धार्मिक पाखण्ड का सहारा लेकर, तथाकथित ईश्वर के काल्पनिक भय का आश्रय लेकर समाज में अपनी जन्मजात श्रेष्ठता और बिना श्रम के आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। इस सन्दर्भ में “वे पंडित, काजी को सम्बोधित करते हुए उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, सन्तों को सम्बोधित करते हुए वे अपनी बात कहते हैं। पंडितों, मुल्लाओं की लानत—मलामत करते हुए कभी थकते नहीं। सवालों की ऐसी बौछार करते हैं कि मुँह ताकते रह जाते हैं। काजी और पंडे उनके व्यंग्य के मुख्य लक्ष्य हैं।¹⁵ धर्म एवं ईश्वर का भय ऐसे तत्व हैं जो समाज और देश के पतन में में दोहरी भूमिका का निर्वहन करते हैं। एक ओर जहाँ भय का तत्व मानव में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचार के विकास को अवरुद्ध करता है वहीं दूसरी ओर पाखण्ड और अन्धविश्वास के जाल में उलझाकर मानव की रचनात्मक क्षमता को कुन्द करता है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानमार्गी साधक हैं। उनका

आराध्य निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अव्यक्त और अनिर्वचनीय है।

**यह जिन जानहू गीत है यह निज ब्रह्मविचार।
केवल कहि समझाइया, आतम जीवन सार।।**

‘ब्रह्म विचार’ ही कबीर के काव्य की मौलिकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के काव्यत्व को आत्मसात् करते हुए कबीर के कवित्व एवं व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं— “मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़-फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिन्दी-साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणियों में सब कुछ को छोड़कर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणियों में अनन्य-साधारण जीवन-रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुसरण नहीं हो सकता। अनुकरण की सभी चेष्टाएँ व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियाँ श्रोता को बलपूर्वक आकृष्ट करती हैं। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक सँभाल नहीं पाता और रीझकर कबीर को ‘कवि’ कहने में सन्तोष पाता है।”⁶

कबीर मूलतः भक्त थे। वे विश्व, प्रेम, लोक-मंगल तथा ज्ञान-वैराग्य के मार्ग को व्यक्ति एवं समष्टि दोनों के लिए हितकर समझते थे। जिस आधार पर व्यक्ति समाज की उन्नति में अपना योगदान कर सकता है। कबीर की साधना का स्वरूप भले ही व्यक्तिगत था किन्तु वह वैयक्तिक नहीं था अर्थात् उनकी व्यक्तिगत साधना लोक-साधना को लेकर चली थी। इनकी व्यक्तिगत साधना केवल मन की साधना नहीं थी वरन् सदाचरण को प्रेरणा प्रदान करने वाली साधना थी। बाबू श्याम सुन्दर दास ने कबीर की भक्ति साधना को उनके कवि व्यक्तित्व से ऊपर रखा और इसका कारण उनकी अटपटी वाणी बताई। उन्होंने कबीर की काव्यात्मक प्रतिभा और क्षमता को पहचाना और उनकी उलटवासियों में इसकी चरम परिणति

देखी। कबीर के कवि रूप का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट लिखा—“प्रयत्न उनकी कविता में कहीं नहीं दिखाई देता। अर्थ की जटिलता के लिए उनकी उलटवासियाँ केशव की शब्द माया को मात करती हैं, परन्तु उनमें भी प्रयत्न दृष्टिगत नहीं होता। रात-दिन आँखों में आने वाले प्रकृति के सामान्य व्यापारों के उलट व्यवहार को ही उन्होंने सामने रखा है। सत्य के प्रकाश का साधन बनकर जिसकी प्रगाढ़ अनुभूति उनको हुई थी, कविता स्वयमेव उनकी जिह्वा पर आ बैठी है।”⁷

सन्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति निर्गुण, निराकार की उपासना रही है। इनका निर्गुण बौद्ध साधकों के ‘शून्य’ से पृथक् रहा है। वह सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है और वही प्रत्येक जीव में समाया हुआ है। वह वर्णन से परे है, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। इसी कारण कबीर ने कहा—

**पारब्रह्म के तेज का कैसा है उनमान।
कहिले कूँ सोभा नहीं, देख्या ही परमान।।**

कबीर का आराध्य किसी ईंट-कंकरीट से बने मन्दिर-मस्जिद में प्रस्तर की मूर्ति और तीर्थ स्थलों में नहीं बल्कि कण-कण में विद्यमान, घट-घट व्यापी है किन्तु ज्ञान-विवेक के अभाव में सामान्य मानव उसे देवालयों और तीर्थों-ब्रतों में खोजता है।

**कस्तूरी कुण्डल बसै मृग दूँढे बन माहिं।
ऐसे घट-घट राम हैं दुनिया देखत नाहिं।।**

कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी होते हुए भी उसे वह वन में खोजता-फिरता रहता है। ठीक उसी प्रकार मानव अपने भीतर स्थित आत्म-चेतना और ज्ञान-रूपी ईश्वर अर्थात् ब्रह्म को अज्ञानतावश न पहचान कर उसकी खोज देवालयों एवं तीर्थस्थलों पर करता है। कबीर स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर या ब्रह्म कुछ और नहीं बल्कि मानव के भीतर विद्यमान आत्म-चेतना ही है। ज्ञान के माध्यम से वे इसी आत्म-

चेतना को जाग्रत करने का प्रयास करते हैं। कबीर जन-सामान्य के कवि हैं। कबीर लोक-वेदना से भलिभाँति परिचित थे। जन-सामान्य के दुःख-दर्द और पीड़ा का भाव उनके काव्य का मूल स्वर है। कबीर जातीय विषमता एवं छुआछूत की पीड़ा को बेहतर समझते हैं। सन्त काव्य में जाति-पाँति एवं हुआछूत जैसी प्रचलित सामान्य सामाजिक नियमों का विरोध देखने को मिलता है। सभी सन्त कवि यह मान कर चलते हैं कि सृष्टि के सभी मनुष्य बराबर हैं और सभी को समान रूप से ईश्वर की भक्ति का अधिकार है। “जाति-पाँति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई” के सिद्धान्त पर सन्त काव्य का विकास हुआ है। कबीर के काव्य में सामाजिक विषमता की इस पीड़ा की संवेदना का स्तर वृहद् एवं गहरा था। कबीर की संवेदना से वे ही लोग जुड़ सके जिनमें आम-जन की पीड़ा के प्रति गहरा लगाव था। परशुराम चतुर्वेदी ने इसी कारण कबीर के काव्य को जन-काव्य माना— “सन्त काव्य की लोकप्रियता उनके काव्य तत्त्व की प्रचुरता पर निर्भर नहीं। वह जन-साधारण के अंग बने कवियों व क्रांतिदर्शी व्यक्तियों की स्वानुभूति की यथार्थ अभिव्यक्ति है और उसकी भाषा जन-साधारण की भाषा है। उसमें साधारण जन सुलभ-प्रतीकों के प्रयोग हैं और वह जन-जीवन को स्पर्श करता है। वहीं सभी प्रकार से जन-काव्य कहलाने योग्य है।”⁸ हिन्दी साहित्य का भक्ति काव्य मानवीय मूल्यों की चिन्ता एवं उसकी अभिव्यक्ति का काव्य है। भक्तिकाल के सभी भक्त सन्तों ने भक्ति भावना के बहाने जिस बात पर बल दिया है, वह है—मनुष्यता। ये सभी संत मानव को मानव से जोड़ने, उसकी स्वतंत्रता एवं अस्तित्व की रक्षा को अपना लक्ष्य बनाते हैं। यद्यपि उनकी ये भावनाएँ भक्ति के आवरण में प्रस्तुत हुईं किन्तु उनकी आन्तरिक संवेदना मनुष्य की चिन्ता को लेकर रही है। यही कारण है कि

भक्ति की चाहे सगुण धारा हो या निर्गुण—सभी में मानव-जीवन की महत्ता एवं गरिमा को स्थापित करने का प्रयास हुआ है। ‘मानवतावाद’ भक्ति काव्य का घोषणा-पत्र है। इसका उल्लेख हमें सन्तों की वाणियों में मिलता है। बंगाल के भक्त कवि चण्डीदास लिखते हैं—

शुनो रे मानुष भाई,

सवार ऊपर मानुष सत, ताहार ऊपरे नाहि।

भक्ति कवि का यह कथन मानों सम्पूर्ण भक्ति काव्य की मूल संवेदना है, जिसमें हम मानवीय करुणा और प्रेम के स्वर की अनुगूँज सुन सकते हैं। भक्ति काल में मनुष्य सत्य के प्रति आस्थावान ये संत कवि मानव जीवन के विविध रूपों के भीतर ही अपनी आस्था के प्रसार का अवसर देखते हैं। मानव जीवन और मानव मन की प्रकृति-प्रवृत्ति तथा उसकी आस्था की परम पहचान एवं साक्षात्कार के बहाने ये सन्त मनुष्य की प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण करते हैं और उन्हें अच्छे एवं सद्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं।

सन्त काव्य में लोक-संग्रह की भावना आद्योपान्त दिखाई देती है। इसका प्रमुख कारण सन्त कबीर की भाँति सभी सन्त साधक बहुश्रुत थे। सभी सन्त गृहस्थ धर्म और जीवन के पोषक थे। जीवन से पलायन करना सन्त कवियों ने उचित नहीं माना। उनका विश्वास था कि संसार में रहकर उचित मानवीय कर्म करते हुए भी मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसी मान्यता के कारण सभी सन्तों के काव्य में सामाजिकता और लोक-संग्रह की भावना प्रमुखता से व्यक्त हुई है। कबीर दास जी ने कहा कि—

साई इतना दीजिए, जामे कुटुम समाय।

मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय।।

कबीर का उपरोक्त दोहा यह ध्वनित करता है कि सन्तों में लोक-संग्रह का उच्च भाव विद्यमान है। समाज सुधार का जो संकल्प इन सन्त कवियों

ने लिया था, वह इस लोक-संग्रह की भावना के ही निकट जान पड़ता है। ऐसी मानवीय चिन्ता एवं सरोकार कबीर की रचनाओं का केन्द्रीय तत्त्व है। सन्त साहित्य में राजाश्रय से मोह-त्याग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। सभी सन्त अपने मन के बादशाह थे। उन्होंने अपने समय के शासकों की तनिक भी परवाह नहीं की। कबीर को सिकन्दर लोदी द्वारा दी गई यातना केवल इसलिए सहनी पड़ी क्योंकि उन्होंने हिन्दुओं के साथ-साथ तत्कालीन इस्लाम के ठेकेदारों को भी खरी-खरी सुनाई थी। कबीर ने हिन्दुओं और मुसलमानों की कटु आलोचना करते हुए स्पष्ट घोषित कर दिया था कि-

अरे इन दोऊन राह न पाई,
हिन्दुअन की हिन्दुआई देखी,
तुरकन की तुरकाई।

वस्तुतः सन्तों ने सामन्ती सामाजिक व्यवस्था की रूढ़ियों और अन्याय के विरुद्ध विद्रोह किया था। बच्चन सिंह इस सन्दर्भ में कहते हैं कि- "कबीर को कोई भी मन स्वीकार्य नहीं है जो मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद उत्पन्न करता है। उन्हें कोई भी अनुष्ठान या साधना मंजूर नहीं जो बुद्धि-विरुद्ध है। उन्हें कोई भी शास्त्र मान्य नहीं है जो आत्मज्ञान को कुंठित करता है। वेद-कितेब भ्रमोत्पादक है, अतः अस्वीकार्य है। तीर्थ, व्रत, पूजा, नमाज, रोजा गुमराह करते हैं, इसलिए आग्रह्य ^{gk**9} कबीर के काव्य में लोक-मंगल की भावना विद्यमान है, क्योंकि वे सन्त हृदय कवि थे। सन्त का लक्ष्य है क्लेशयुक्त संसार से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, जिसमें मानव कल्याण निहित होता है। वे जहाँ भेद-भाव को अहितकर मानते हैं वहीं सरल व्यवहार एवं श्रेष्ठ आचरण को महत्त्व प्रदान करते हैं। कबीर के समय मनुष्य न केवल सामन्ती सीमाओं एवं मूल्यों में कैद था, बल्कि मोक्ष एवं मुक्ति जैसी चिन्ताओं को लेकर अपने अस्तित्व को भुला बैठा था। शोषण एवं उत्पीड़न के उस दौर में सब

कुछ होते हुए यदि कुछ नहीं है तो वह है मानवता एवं मनुष्यता। वे मनुष्य की इन्हीं चिन्ताओं को लेकर दुःखी एवं पीड़ित हैं और इसीलिए वे अपने आराध्य के प्रति समर्पित तो हैं किन्तु उससे पहले वे मानवता के प्रति समर्पित एवं प्रतिबद्ध हैं। मानवीय मूल्यों की चिन्ता करने वाले कबीर मनुष्य को हेय नहीं समझते, उसका तिरस्कार नहीं करते बल्कि मनुष्य की विकासशीलता की अपार संभावनाओं के प्रति उन्हें सचेत बनाते हैं। उनमें एक आत्म-विश्वास है और यही विश्वास उन्हें जीवन के प्रति जागरुक बनाता है। अतः यह अकारण नहीं है कि भक्ति के केन्द्र में यदि ईश्वर है तो मनुष्य मात्र के प्रति सच्ची मानवता भी है। कबीर का व्यक्तित्व दयालु और सेवा परायण का था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका समस्त जीवन लोक-कल्याण के निमित्त ही निर्मित था। कबीर को सच्चे विश्व-प्रेम का अनुभव था। वे मानव के अज्ञान के कारणों की तह तक जाते हैं और 'सन्तों भाई आई ज्ञान की आँधी' तक जन-सामान्य को ले जाते हैं। कबीर के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। उन्होंने एक ओर तो सामयिक परिस्थितियों का निर्भीकता से सामना किया और दूसरी ओर समाज के उत्थान की दिशा में उत्साह पूर्वक अपना कदम बढ़ाया। जिस समय सामान्य जनता सामन्ती व्यवस्था की शोषण की चक्की में पिस रहा था, उस समय कबीर निर्भीकता और सहजमन से सामन्ती ढाँचे पर प्रहार कर उसे तोड़ रहे थे एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना कर रहे थे।

भक्ति काल में भक्ति की चाहे जो भी धारा रही हो, सभी जगह मानवीय चिन्ता और संवेदना के प्रति कवियों के जुड़ाव को देखा जा सकता है। वस्तुतः भक्ति की धारा कोई भी हो, सबका लक्ष्य एक ही है- सत्य की अनुभूति। कबीर को जीवन और जगत् का व्यापक अनुभव था और यह अनुभव

उनकी आत्मा का अभिन्न अंग बन गया था। परिणाम स्वरूप उनकी वाणी में सूर्य की किरणों जैसा तेज और अन्धकार भेदने की शक्ति के दर्शन होते हैं। तभी तो कबीर ने अक्षर ज्ञान से मण्डित पण्डित वर्ग को इस आत्म विश्वास के साथ ललकार कर कहा कि—“तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी।” चूँकि तत्कालीन सत्ता ने अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए मनुष्यता को बाँट रखा था और इससे लोग अपरिचित थे और कबीर इसके प्रति जागरूक थे और इसी जागरूकता को वे आम जनता तक पहुँचाना चाहते थे। सामन्ती परिवेश एवं मूल्यों का सर्वाधिक प्रतिकार एवं खण्डन यदि कहीं दिखाई देता है तो वह सन्त काव्य धारा में है। कबीर मूलतः भक्त कवि हैं किन्तु जब वे हुआछूत, जाति—पाँति ऊँच—नीच एवं साम्प्रदायिकता के खिलाफ चोट करते हैं तो उनका स्वर आक्रामक हो जाता है। जाति—पाँति का विरोध करते हुए कबीर अपने समाज से सवाल करते हैं कि—

**एक ज्योति से सब उत्पन्ना,
को वाभन को सूदा।**

वस्तुतः यह ऐसा सवाल है जो आज तक अनुत्तरित है और जातीय विभेद एवं श्रेष्ठता को खारिज करता है। कबीर की चिन्ता एक ऐसी ईमानदार व्यक्ति की चिन्ता है जो मनुष्य को बस मनुष्य के रूप में देखना चाहता है। कबीर की बेचैनी एवं छटपटाहट, अन्ततः मनुष्य पर ही खत्म होती है। तभी तो वे अपने जमाने को देखकर आँसू बहाते हैं—

**सुखिया सब संसार है खाये अरु सोवे।
दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे।।**

कबीर के इस जागने और रोने में उनके समय एवं समाज के सारे दर्द को समझा जा सकता है। कबीर का काव्य प्रेम, मानवता, दया और करुणा की महागाथा है। मानव के अन्तस् में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान सार्वभौमिक मूल्य सत्य, अहिंसा, स्वतन्त्रता, समता, न्याय एवं बंधुता को जागृत करना संत कबीर के कालजयी काव्य का मूल सामाजिक प्रदाय है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद, कबीर, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि. 2022, पृ. 126
2. द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद, कबीर, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., 2022, पृ. 170
3. सिंह, बच्चन, हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., 2021, दिल्ली, पृ. 84
4. दास, डॉ. श्याम सुन्दर, कबीर ग्रन्थावली, वाणी प्रकाशन, 2022, नई दिल्ली, पृ. 26
5. सिंह, बच्चन, हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., 2021, दिल्ली, पृ. 89
6. द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद, कबीर, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., 2022, पृ. 170—71
7. दास, डॉ. श्याम सुन्दर, भूमिका कबीर ग्रन्थावली, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 1928, पृ. 46
8. बड़थवाल, पीताम्बर दत्त, हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ, वि. सं. 2000, पृ. 19
9. सिंह, बच्चन, हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., 2021, दिल्ली, पृ. 87—88





किन्नर समाज की उत्पत्ति एवं इतिहास

□ शालिनी वर्मा*

शोध-सारांश

किन्नर समाज पर आधारित इस शोध-पत्र में किन्नरों की उत्पत्ति एवं इतिहास के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया गया है। इस पेपर को हमने दो भागों में बाँटा है, प्रथम भाग में किन्नर की उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं एवं मान्यताओं जैसे ब्रह्मा जी की छाया या अँगूठे से, रिश्ता और कश्यप से, राजा हील की कथाओं से, महाभारत और शिखंडी की कथाओं से, कुलदेवी बहुचरा माता से तथा महाभारत में अरावन से संबंधित कथाओं आदि में किन्नरों के ऐतिहासिक विकास एवं परिप्रेक्ष्य को उल्लेखित किया है, जिसमें प्राचीन एवं वैदिक काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ब्रिटिश काल एवं स्वतंत्रता पश्चात् एवं समकालीन किन्नरों की स्थितियों पर विवेचना प्रस्तुत किया है।

मुख्य शब्द— किन्नर, तृतीय लिंग, पौराणिक कथाओं, आपराधिक जनजाति अधिनियम

भारत में किन्नरों की उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

किन्नर समुदाय की उत्पत्ति और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अत्यंत प्राचीन है, जिसका उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं, महाकाव्यों और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। किन्नर समाज की उत्पत्ति का जिक्र भारतीय पौराणिक कथाओं में अनेक स्थानों पर मिलता है। लेकिन किन्नर (तृतीय लिंग) की उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति के साथ मानी जा सकती है। अर्थात् पृथ्वी पर जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब से ही किन्नरों की भी उत्पत्ति हुई है। इतिहास की बात जाए तो किन्नर उत्पत्ति का वर्णन भारत के प्राचीन पौराणिक कथाओं एवं मान्यताओं में मिलता है। माना जाता है कि सर्वप्रथम किन्नर की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी की छाया या उनके पैर के अँगूठे से हुई है।

पौराणिक उत्पत्ति

किन्नरों की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएँ हैं—

ब्रह्मा और कश्यप ऋषि—पुराणों के अनुसार, किन्नरों को ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक कश्यप ऋषि की संतान माना जाता है। उन्हें अक्सर दिव्य गायक और नर्तक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो हिमालय क्षेत्र में निवास करते थे।

भगवान शिव और अर्धनारीश्वर—हिंदू पौराणिक कथाओं में, भगवान शिव को अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में चित्रित किया जाता है, जो आधे पुरुष और आधी स्त्री हैं, को भी किन्नर समुदाय से जोड़ा जाता है। जो लिंग अस्पष्टता या उभयलिंगीपन की अवधारणा को

* असिस्टेंट प्रोफेसर, ए.एन.डी किसान पी.जी.कॉलेज, बभनान, गोंडा

दिव्य स्तर पर स्वीकार करते हैं।

राजा इल की कथा—एक लोकप्रिय कथा के अनुसार, राजा सुद्युम्न (इल) अनजाने में भगवान शिव के एक पवित्र वन में प्रवेश कर गए, जहाँ माता पार्वती के श्राप के कारण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। बाद में, शिव के वरदान से, उन्हें एक महीना पुरुष और एक महीना स्त्री के रूप में जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला। यह कथा भी किन्नरों की उत्पत्ति के संदर्भ में बताई जाती है।

बहुचरा माता—किन्नर समुदाय में बहुचरा माता को उनकी प्रमुख देवी (कुलदेवी) माना जाता है, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं।

भगवान राम का वरदान—रामायण काल में, जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, तो उन्होंने अपने पीछे आ रहे सभी “पुरुषों और महिलाओं” से वापस लौटने को कहा। केवल किन्नर समुदाय के लोग ही उनके साथ रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, राम ने उन्हें विवाह और बच्चे के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति दी।

मेडिकल साइंस—मेडिकल साइंस के अनुसार, कुछ आनुवंशिक विकारों के कारण क्रोमोसोमल असमानताएं होती हैं, जिससे व्यक्ति किन्नर पैदा हो सकता है।

ऐतिहासिक संदर्भ

1. प्राचीन भारत—प्राचीन भारत में किन्नरों (जिन्हें तृतीय प्रकृति या नपुंसक भी कहा जाता था) की स्थिति जटिल थी, लेकिन कुल मिलाकर यह आधुनिक युग की तुलना में कहीं अधिक स्वीकार्य और सम्मानित थे। उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं, महाकाव्यों और प्राचीन ग्रंथों में मान्यता दी गई थी। वैदिक काल के ग्रंथों जैसे कामसूत्र और अन्य संहिताओं में ‘तृतीय प्रकृति’ या ‘नपुंसक’ (प्रजनन क्षमता की अनुपस्थिति) की अवधारणा का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि प्राचीन समाज में तीसरे लिंग की पहचान मौजूद थी और उन्हें सामाजिक जीवन में एक निश्चित स्थान प्राप्त था।

धार्मिक मान्यता—हिंदू धर्मग्रंथों में, किन्नरों को अक्सर अर्ध-देवता माना जाता था और उनकी लिंग पहचान

को दिव्य अवधारणा (जैसे अर्धनारीश्वर, मोहिनी, शिखंडी) के हिस्से के रूप में देखा जाता था। वे धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर सेवाओं का एक अभिन्न अंग थे।

सामाजिक भूमिकाएँ—प्राचीन काल में उनके साथ भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था।

शाही सेवा—वे शाही महलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत थे। उन्हें रानियों के हरम (जनाना) का विश्वसनीय संरक्षक और प्रशासक माना जाता था।

सलाहकार और दरबारी—उन्होंने सम्राटों और राजाओं के करीबी विश्वासपात्रों और सलाहकारों के रूप में भी काम किया। मुगल काल के दौरान (जो मध्यकालीन युग का हिस्सा है), कई किन्नर महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय पदों पर भी आसीन हुए।

महाकाव्यों में उल्लेख—रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में किन्नर समुदाय का उल्लेख है।

जब भगवान राम को 14 साल के वनवास के लिए भेजा गया था, तो उन्होंने अपने अनुयायियों में से “सभी पुरुषों और महिलाओं” को अयोध्या लौटने के लिए कहा। केवल किन्नर समुदाय वहीं रुका रहा, क्योंकि वे खुद को न तो पुरुष मानते थे और न ही महिला। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, राम ने उन्हें विवाह और बच्चे के जन्म जैसे शुभ अवसरों पर लोगों को आशीर्वाद देने का अधिकार दिया।

कानूनी और दार्शनिक स्वीकृति—कामसूत्र और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में “तृतीय प्रकृति” (तीसरे लिंग) की अवधारणा एक स्थापित विचार थी, जो प्राचीन भारतीय समाज में लिंग विविधता की गहरी समझ और स्वीकृति को दर्शाती है।

वैदिक काल के ग्रंथों जैसे कामसूत्र और अन्य संहिताओं में ‘तृतीय प्रकृति’ या ‘नपुंसक’ (प्रजनन क्षमता की अनुपस्थिति) की अवधारणा का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि प्राचीन समाज में तीसरे लिंग की पहचान मौजूद थी और उन्हें सामाजिक जीवन में एक निश्चित स्थान प्राप्त था।

2. रामायण और महाभारत

महाकाव्यों में भी किन्नरों की उपस्थिति के प्रमाण

मिलते हैं:

भगवान राम का वरदान—जब भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे, उन्होंने सभी “पुरुषों और महिलाओं” को अयोध्या लौटने का निर्देश दिया। केवल किन्नर वहीं रुके रहे। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर राम ने उन्हें शुभ अवसरों (जैसे जन्म और विवाह) पर आशीर्वाद देने की शक्ति प्रदान की।

शिखंडी और बृहन्नला—महाभारत में शिखंडी की कहानी, जो भीष्म की मृत्यु का कारण बना, और पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन का बृहन्नला (एक किन्नर नर्तक और शिक्षक) के रूप में रहना, समाज में उनकी उपस्थिति और महत्त्व को दर्शाता है।

3. दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में किन्नरों की स्थिति

मध्यकालीन भारत में, मुगल शासकों के दरबारों में किन्नरों (जिन्हें अक्सर ‘ख्वाजासरा’ या ‘हिजड़ा’ कहा जाता था) की महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ थीं। वे हरम के संरक्षक, राजनीतिक सलाहकार और कभी-कभी सेनापति के रूप में भी उच्च पदों पर आसीन थे। और उन्हें विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती थीं।

विश्वसनीयता और वफादारी—किन्नरों को बहुत भरोसेमंद और वफादार माना जाता था, क्योंकि उनका शाही वंश के लिए कोई खतरा नहीं था (वे उत्तराधिकारी पैदा नहीं कर सकते थे)। इस कारण बादशाह उन पर बहुत भरोसा करते थे।

हरम के संरक्षक—हरम (शाही महिलाओं के रहने का स्थान) की सुरक्षा और प्रबंधन का महत्त्वपूर्ण कार्य किन्नरों को सौंपा जाता था। वे हरम के अंदर और बाहर के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे और महिलाओं के जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

प्रशासनिक और राजनीतिक पद—कई किन्नर प्रशासनिक पदों, राजनीतिक सलाहकारों और यहाँ तक कि सेना में जनरलों के पद पर पहुँचे। उदाहरण के लिए जहांगीर के शासनकाल में इतिबार खान एक प्रभावशाली किन्नर था। मालिक काफूर, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के

एक महान सेनापति और वजीर (प्रधानमंत्री) थे, जिन्होंने साम्राज्य के विस्तार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विशेषाधिकार—प्रभावशाली पदों पर आसीन किन्नरों को समाज में सम्मान और विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हें अच्छे कपड़े, घोड़े और नौकर रखने की अनुमति थी।

धार्मिक संस्थानों में भूमिका—कुछ किन्नरों ने इस्लामी धार्मिक संस्थानों में भी महत्त्वपूर्ण पद सँभाले, यहाँ तक कि मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों की रखवाली भी की।

जासूसी और खुफिया—वे जासूसी और खुफिया का भी काम करते थे, जहाँ से वे हरम के भीतर की कानाफूसी और षड्यंत्रों की जानकारी बादशाह तक पहुँचाते थे।

4. ब्रिटिश औपनिवेशिक काल

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में किन्नर समुदाय की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, जो मुगल काल का सापेक्षिक रूप से बेहतर स्थिति से बिलकुल उलट थी। अंग्रेजों ने किन्नरों को सामाजिक और कानूनी रूप से हाशिये पर धकेल दिया और उनके अधिकारों को छीन लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान, 1871 के अपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत किन्नरों को हाशिये पर धकेल दिया गया और उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में भारी गिरावट आई। ब्रिटिश काल ने किन्नर समुदाय को सदियों पुरानी सामाजिक स्वीकार्यता से हटाकर, कानूनी अपराधी और सामाजिक अछूत बना दिया, जिसके नकारात्मक प्रभाव आज तक महसूस किए जाते हैं।

अपराधीकरण—ब्रिटिश प्रशासन ने 1871 में कुख्यात ‘अपराधिक जनजाति अधिनियम (Criminal Tribes Act)’ लागू किया, जिसके तहत किन्नरों के पूरे समुदाय को जन्मजात ‘अपराधी’ माना गया है।

कानूनी प्रतिबंध—इस अधिनियम के तहत, सभी किन्नरों को पुलिस थानों में अपना नाम और पता दर्ज कराना अनिवार्य था और उन्हें लगातार पुलिस की निगरानी

में रखा जाता था।

सार्वजनिक जीवन पर रोक—पंजीकृत किन्नरों को महिलाओं के कपड़े पहनने या सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना या दो साल तक की कैद का प्रावधान था।

संपत्ति के अधिकार का हनन—1850 के दशक के कानूनों ने किन्नरों को पैतृक संपत्ति को विरासत में पाने के अधिकारों को भी छीन लिया।

आर्थिक बहिष्कार—इन कठोर कानूनों और सामाजिक कलंक के कारण किन्नर समुदाय अपनी पारंपरिक आय के स्रोतों (जैसे शादी और जन्म समारोहों में आशीर्वाद देना) से वंचित हो गया, जिससे वे गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का शिकार हो गए।

सामाजिक बदनामी—अंग्रेजों ने विक्टोरियन नैतिकता (Victorian morality) के आधार पर किन्नरों की जीवन शैली को अनैतिक और घृणित माना, जिससे भारतीय समाज में उनके प्रति पूर्वाग्रह और गहरा हो गया।

5. आज़ादी के बाद भारत में किन्नरों की स्थिति

आज़ादी के बाद से भारत में किन्नर (ट्रांसजेंडर) समुदाय की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, हालाँकि उन्हें अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, प्रमुख घटनाक्रम और स्थितियाँ निम्नलिखित हैं-

कानूनी मान्यता—सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 2014 में आया, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक नालसा (NALSA) बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने ट्रांसजेंडरों को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी और सरकार को उनके लिए आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई के उपाय करने का निर्देश दिया।

अधिकारों का संरक्षण—सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांस व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को रोकना, उन्हें पहचान प्रमाण पत्र प्रदान करना और उनके कल्याण के लिए प्रावधान स्थापित करना है।

शिक्षा और रोजगार—कानूनी ढाँचे में सुधारों ने शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में मदद की है। कुछ सरकारी संस्थानों और नियोक्ताओं ने ट्रांसजेंडरों के लिए समावेशी नीतियाँ लागू करना शुरू कर दिया है।

सामाजिक स्वीकृति—सामाजिक जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन पूर्ण स्वीकृति अभी भी एक चुनौती है। उन्हें अक्सर अपने परिवारों से अस्वीकृति, सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

समानता की लड़ाई—कई कार्यकर्ता और संगठन अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडरों के लिए विवाह के समान अधिकार और गोद लेने का अधिकार। आज़ादी के बाद भारत में किन्नरों की स्थिति में सुधार हुआ है, खासकर कानूनी मोर्चे पर, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समावेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।

निष्कर्ष

किन्नरों की उत्पत्ति एवं विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अवलोकन उपरांत यह प्रतीत होता है कि किन्नर समाज ने समय के साथ-साथ विभिन्न कालखंड में अपने कार्यों एवं योग्यताओं से अपनी पहचान बनाई, लेकिन विभिन्न कालखंड में उनकी उन्नति एवं अवनति के अवसर भी देखने को मिलते हैं, विशेष कर दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में किन्नरों (हिजड़ा) की स्थिति को स्वर्णिम काल के रूप में देखा जाता है लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के समय से किन्नरों की स्थिति एवं सम्मान में लगातार गिरावट देखने को मिलता है, किन्नर समाज उपेक्षा, परित्यक्ता एवं अन्याय के खिलाफ आंदोलित है और यह समाज अपने अधिकारों, स्वतंत्रताओं और समानता के लिए सरकार से लगातार न्याय की माँग कर रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. <https://euroasiapub.org/wp-content/uploads/IJRESS5Feb23-Shab.pdf>
2. <https://hi.wikipedia.org/wiki>
3. <https://rpl.hds.harvard.edu/religion-context/case-studies/gender/third-gender-and-hijras>

4. <https://hindi.news18.com/news/dharm/kinnar-akhara-kuldevi-bahuchara-mata-gives-blessing-of-male-child-know-all-about-her-9000552.html>
5. <https://rpl.hds.harvard.edu/religion-context/case-studies/gender/third-gender-and-hijras>
6. <https://www.facebook.com/karwaaninitiative>
7. M.Michelraj, in his journal "Historial Evolution of Transegender Community in India"
8. <https://triumphias.com/blog/transgender-community-in-india-historical-evolution/>
9. <https://www.socialreserachfoundation.com/new/publish-journal.php?editID=8130#>
10. Preeti Sharma, "Historial Background and Legal Status of Third Gender in Indian Socity", IJRESS, Vol.ED-2(12), December 2012





Reimagining Academic Libraries: Marketing Strategies for Library Services in India

□ Santosh Kumar Yadav*

ABSTRACT

This article examines the marketing of library services in academic libraries of India in the context of rapid digital transformation and changing user expectations. It highlights that academic libraries, traditionally perceived as passive document repositories, now need to adopt systematic marketing approaches to enhance visibility, relevance and effective utilization of resources and services. Drawing on contemporary marketing frameworks such as the 4Ps and 7Ps, the paper conceptually reinterprets “product”, “place”, “price”, and “promotion” for library environments, and emphasizes people, processes, and physical evidence as critical determinants of user experience. The study highlights the pivotal roles of librarians, information and communication technologies, and institutional support in building a marketing-oriented culture. It also aligns library marketing with the vision of the National Education Policy (NEP) 2020, which positions libraries as central to multidisciplinary and experiential learning. The paper concludes that strategic, user-centered and technology-enabled marketing is essential for Indian academic libraries to sustain their relevance and to function as active partners in knowledge creation and dissemination.

Keywords– Library Marketing, Library Promotion, Library Branding, User awareness.

Introduction

The role of academic libraries in India is being redefined in the 21st century. Once known as quiet spaces filled with rows of books and journals, libraries are now becoming vibrant learning hubs that connect people, ideas, and technology. With the rapid growth of digital education and online resources, libraries are under constant pressure to prove their relevance

to students, researchers, and faculty. This is where the concept of marketing library services comes into play—a practice that focuses on promoting library resources, creating awareness, and building meaningful engagement with users.

Marketing may sound unusual in an academic context, but it has become essential for libraries competing for attention in the digital world. Students and educators today expect

* Associate Professor, Library Science, A K. College, Shikohabad, Firozabad, U.P.

instant access to information and value-added support that goes beyond traditional lending services. Libraries must therefore learn to communicate what they offer in creative and strategic ways. From social media campaigns and webinars to user orientation sessions and personalized assistance, marketing allows libraries to highlight their evolving role in supporting education and research.

In India, many academic libraries are embracing new tools and approaches to reach their audiences. Social media platforms such as Instagram, Facebook, and LinkedIn enable libraries to share updates, showcase digital collections, and celebrate achievements. Email newsletters, virtual exhibitions, and online tutorials help users discover new databases, e-resources, and learning technologies. Even small initiatives, like setting up help desks or conducting outreach programs, can significantly improve user participation and satisfaction.

However, reimagining libraries through marketing is not just about technology—it is also about mindset. Librarians are becoming proactive facilitators who understand user needs and design services accordingly. Collaborative events with departments, book clubs, and research support sessions foster stronger academic communities. Libraries that integrate user feedback and data analytics into their marketing plans can better measure impact and enhance service quality.

Ultimately, effective marketing helps academic libraries in India reaffirm their place as essential partners in higher education. By blending traditional strengths with modern strategies, libraries can continue to inspire curiosity, promote knowledge sharing, and remain vital centers of learning in an ever-changing digital landscape.

Marketing in the library context does not imply profit generation; rather, it focuses on understanding user needs, developing services accordingly and effectively communicating their

value. In the Indian setting, where resource limitations and technological disparities remain critical challenges, marketing helps libraries gain visibility, justify investments, and strengthen their relationship with users. It aligns the library's mission with institutional objectives, ensuring that knowledge resources are fully utilized and recognized as pivotal to academic excellence.

Concept of Marketing of Library and Information Services

The concept of marketing, though rooted in business management, has evolved as a powerful tool for non-profit organizations, including libraries. Classical marketing theory, as developed by Philip Kotler, emphasizes four core elements — Product, Price, Place, and Promotion — known as the 4Ps. Libraries have successfully adapted this model to their service environment. The “product” refers to information resources, access systems, and user support services; the “price” concerns the users’ time or effort; the “place” represents physical and digital channels of access; and “promotion” involves awareness initiatives.

In the library context, this model broadens into the 7Ps framework, adding People, Process, and Physical evidence. People symbolize skilled library staff who interact with users; processes define how efficiently services are delivered; and physical evidence encompasses the ambiance, technology, and user interface that shape perceptions. Marketing theories, therefore, provide libraries with systematic strategies to understand their users, improve service design, and ensure satisfaction.

Globally, marketing of library and information services (LIS) has moved towards relationship marketing and user engagement models. These emphasize two-way communication and customer loyalty rather than one-time transactions. For Indian academic libraries, embracing relationship marketing means continually engaging users through

orientations, feedback mechanisms, and digital communication platforms — a model highly suitable for the rapidly evolving educational landscape.

Importance and Relevance of Marketing Library Services in India

In India, academic libraries are integral to educational institutions but often suffer from low visibility and underutilization. Marketing is essential for repositioning them as active collaborators in teaching and research rather than passive repositories. Several key reasons make marketing indispensable in the Indian academic context.

First, awareness and utilization remain areas of concern. Many students are unaware of specialized services such as institutional repositories, inter-library loans, or citation assistance. Through strategic marketing, libraries can create awareness campaigns using email updates, orientation sessions, and digital displays to inform users about these valuable offerings.

Second, user expectations have evolved dramatically. Millennials and Generation Z learners prefer quick digital access, interactive tools, and personalized assistance. Marketing helps libraries respond to these expectations by promoting online platforms, mobile-friendly catalogs, and virtual support systems.

Third, institutional accountability requires libraries to demonstrate measurable contributions to teaching and research performance. Effective marketing ensures that stakeholders—administrators, faculty, and funding bodies—understand the library's impact, helping secure financial and strategic support.

Finally, advocacy and community engagement are enhanced through marketing. Libraries that publicize their programs, digital achievements, and collaborations build reputations as centers of academic innovation. In India's diverse educational landscape—from rural colleges to globally ranked research institutions—marketing ensures equitable

visibility of services and promotes a culture of informed learning.

Strategies and Methods for Marketing Library Services

Marketing of library services in Indian academic institutions requires a blend of traditional outreach and modern digital tools. An effective marketing strategy begins with understanding user demographics and behavior through surveys, analytics, and suggestion mechanisms. Once user needs are identified, libraries can tailor messages, services, and promotions accordingly.

Some effective strategies include

1. Digital Media and Social Networks— Social platforms such as Facebook, Instagram, and LinkedIn are widely used to post updates on new collections, workshops, and events. Libraries like the University of Delhi and IIT-Bombay use Twitter feeds and YouTube tutorials to reach younger audiences.

2. User Education and Orientation— Regular orientation programs, webinars, and demonstration sessions enhance users' ability to exploit library resources. Marketing such sessions through posters, institutional emails, and websites ensures active participation.

3. Branding and Visual Identity— Every library should cultivate a unique identity. A professional logo, slogan, and newsletter create cohesion and reinforce recognition. Consistent branding signals professionalism and reliability.

4. Event-based Promotions— Celebrating events such as National Library Week, World Book Day, or Open Access Week can draw attention to library services. Exhibitions, quiz competitions, and author talks strengthen the library's cultural presence.

5. Collaborative Marketing— Partnering with academic departments and student clubs to co-host events or campaigns increases visibility and relevance while sharing resources.

6. Feedback and Evaluation— Continuous feedback from users through forms, social media

interaction, or digital analytics provides data to assess the effectiveness of strategies and guide further improvements.

These approaches transform marketing from an occasional activity into a sustained institutional function that cultivates deeper engagement with users.

Challenges in Marketing of Library Services in Indian Academic Institutions

Despite the clear benefits, marketing practices in Indian libraries face multiple challenges. A primary obstacle lies in limited professional expertise. Marketing, communication, and outreach rarely form part of traditional library science curricula. Consequently, many librarians approach marketing as an additional duty rather than a structured responsibility. The absence of targeted training programs and incentives further discourages sustained efforts.

Financial constraints pose another pressing challenge. Smaller college libraries operate under tight budgets that barely cover collection development or subscription costs, leaving little room for marketing expenditure. Although digital promotions can be low-cost, they still demand time, creativity, and technical competence.

A further challenge emerges from technological disparity across institutions. While metropolitan universities deploy advanced ICT systems and online repositories, many rural colleges still struggle with inadequate connectivity. Marketing strategies must therefore adapt to different contexts—print posters, word-of-mouth campaigns, and collaborative outreach may still hold value in less digitized settings.

Another concern is administrative apathy. Institutional leaders often underestimate the importance of marketing for non-profit organizations like libraries. Without policy backing, librarians lack both authority and motivation to plan strategic programs.

Lastly, workload and manpower limitations result in time shortages for marketing activities. Most Indian academic libraries operate with minimal staff, who must prioritize circulation and cataloging over outreach work. To overcome these challenges, libraries must promote organizational culture change, integrate marketing into daily operations, and seek institutional partnerships for shared promotion.

Role of Librarians, Technology, and Institutional Support

The success of library marketing depends significantly on the proactive role of librarians. Librarians need to function as information managers, community builders, and ambassadors of learning rather than passive service providers. They must develop soft skills—communication, creativity, and digital literacy—to design compelling campaigns and engage diverse audiences. Professional bodies such as the Indian Library Association (ILA) and IASLIC can play a critical role by organizing workshops and disseminating best practices in library marketing.

Information and Communication Technology (ICT) acts as a catalyst in this transformation. Library management software, institutional repositories, and content management systems offer built-in tools for user alerts, analytics, and personalized recommendations. Open-source technologies like Koha, DSpace, and EPrints can be customized to include promotional banners or automated notification systems. Emerging technologies such as AI-driven recommendation engines, chatbots, and data analytics dashboards will make it easier for libraries to anticipate user needs and market their services intelligently.

Institutional support remains equally crucial. Administrations must formally recognize marketing as part of library performance benchmarks and allocate specific budgets for promotional activities. The National Education Policy (NEP) 2020 emphasizes libraries as core

components of academic infrastructure capable of supporting interdisciplinary and experiential learning. Aligning library marketing goals with institutional objectives under NEP can create a robust foundation for future advocacy and visibility.

Moreover, collaborative frameworks such as consortia like INFLIBNET's e-ShodhSindhu or NDLI-can enhance collective marketing. Shared newsletters, joint awareness programs, and cross-institutional digital campaigns can expand reach, especially for smaller institutions with limited capabilities.

7. Conclusion and Future Directions–

Marketing of library services in Indian academic institutions represents not merely a managerial trend but a paradigm shift in how libraries define and communicate their value. The success of educational institutions increasingly depends on their ability to showcase the tangible impact of their resources on teaching and research. Through marketing, libraries transform their image — from passive repositories to dynamic partners in intellectual and social development.

Going forward, Indian academic libraries must adopt a strategic and evidence-based marketing culture. This includes establishing dedicated marketing committees, embedding outreach goals in annual plans, and employing measurable performance indicators such as user engagement rates, citation support outcomes, and e-resource downloads. Investments in staff training and technology integration will further enhance implementation capacity.

The future promises new opportunities with AI-driven user analytics, mobile application integration, and virtual outreach campaigns, enabling libraries to deliver personalized experiences and connect with diverse learners. However, the essence of marketing will continue to rest on human connection, empathy, communication, and commitment to user empowerment.

By embracing systematic marketing approaches, Indian academic libraries can reaffirm their crucial role in shaping knowledge societies. As they evolve into more visible, interactive, and intelligent spaces, they will continue fulfilling their timeless mission: to empower every learner and researcher with access to trusted, transformative information.

References

1. Athukorala, W. (2025). Social media as a digital communication tool for academic library marketing: A systematic literature review (2014–2024). *Library and Technology Services Management*, 4(1), 1–18.
2. Kumar, R., Chohda, V., & Gupta, S. (2024). Role of social media and library marketing in Indian universities. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 73(5), 412–431.
3. Saravanan, P. (2021). Marketing of academic library products and services in colleges during lockdown. *College Libraries*, 36(1–2), 39–47.
4. Kumar, A., & Mahajan, P. (2014). Marketing of information services and products in university libraries of Punjab and Chandigarh (India). *Library Management*, 35(8–9), 515–537.
5. Bhatt, R. K., Kumar, A., & Yusuf, F. (2019). Importance of marketing library products and services in selected academic libraries in Delhi. *College Libraries*, 34(1), 25–34.
6. Kumar, V., & Chohda, V. (2024). Social media impact on library engagement: An analytical study of user interaction. *International Journal of Library and Information Science Studies*, 10(2), 55–69.
7. Anonymous. (2024). Challenges and strategies in marketing academic libraries through social media. *Journal of Library and Information Science*, 12(1), 1–15.
8. Anonymous. (2024). Innovative social media marketing approaches for IIT libraries in India. *BPAS Journal of Library Science*, 6(2), 45–60.
9. Anonymous. (2024). Strategies for increasing user engagement in academic libraries in a digital age. *International Journal of Scholarly Use*, 8(3), 101–118.
10. Khan, S., & Devi, L. (2025). Librarians'

- awareness, ICT skills and marketing of academic library services in the 21st century. *International Journal of Library Science*, 11(4), 200–215.
11. Rani, P., & Thomas, J. (2025). Comparative analysis of library users' expectations and perceptions of marketing strategies in academic libraries. *International Journal of Research and Scientific Innovation*, 12(7), 45–59.
 12. Sharma, M. (2022). NEP 2020: Pivotal role of libraries in achieving the goals. *International Journal of Research in Library Science*, 8(4), 21–29.
 13. Das, P. (2022). National Educational Policy (NEP 2020) and role of libraries. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Management*, 5(2), 10–18.
 14. Mukherjee, S. (2023). Role of academic libraries in the context of National Education Policy 2020. In *Libraries and NEP 2020: Vision and implementation* (pp. 55–72). Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College.





THE ROLE OF PRE-ENTRY TRAINING IN ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM WOMEN MSME ENTREPRENEURS IN UTTAR PRADESH

□ Anubha Singh*
□ Dr.Indu Singh**
□ Dr. Pankaj Sharma***

ABSTRACT

This study investigates the relationship between pre-entry training and entrepreneurial development outcomes among women entrepreneurs in Uttar Pradesh's Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) sector. Using cross-sectional survey data from 500 women entrepreneurs, chi-square tests examined associations between training undertaken before entering the manufacturing sector and multiple dimensions of entrepreneurial performance including organizational characteristics, loan accessibility, SWOT factors (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), and operational challenges. Results reveal highly significant associations between training and all examined dimensions except assistance for unit operation. Specifically, 75.6% of respondents had received pre-entry training, with significant variations across organizational forms. Trained entrepreneurs demonstrated reduced problems in loan acquisition ($\chi^2=16.212, p<.001$), enhanced entrepreneurial strength ($\chi^2=18.372, p<.001$), diminished weaknesses ($\chi^2=18.812, p<.001$), greater opportunities for development ($\chi^2=17.562, p<.001$), lower threat exposure ($\chi^2=17.049, p<.001$), and fewer operational problems ($\chi^2=11.686, p=.003$). However, training showed no significant association with assistance received for successful unit operation ($\chi^2=2.175, p=.337$), suggesting that external support systems operate independently of individual training status. These findings demonstrate training's critical role in entrepreneurial capacity building and provide evidence-based support for expanded pre-entry training programs. The study contributes to understanding how human capital development interventions

* Research Scholar, Shri JJT University, Jhunjhunu Rajasthan,

** Research Guide, Shri JJT University, Jhunjhunu Rajasthan

** Research Co-Guide, Government College of Pharmacy Rohru

independently of individual training status. These findings demonstrate training's critical role in entrepreneurial capacity building and provide evidence-based support for expanded pre-entry training programs. The study contributes to understanding how human capital development interventions can enhance women's entrepreneurial outcomes in developing economy contexts and offers practical recommendations for designing effective training curricula that address specific capability gaps.

Keywords: *Entrepreneurial training, women entrepreneurs, MSME sector, human capital development, Uttar Pradesh, capacity building.*

INTRODUCTION

Human capital theory posits that investments in education and training enhance productive capabilities and economic outcomes (Becker, 1964). In entrepreneurship research, training is widely recognized as a critical mechanism for developing entrepreneurial competencies, particularly among women who face structural barriers such as limited formal education, restricted access to networks, and socio-cultural constraints (Minniti&Naudé, 2010; Martin et al., 2013). Pre-entry training learning interventions undertaken prior to business start-up holds particular promise for strengthening entrepreneurial preparedness and reducing early-stage failure risks.

India's MSME sector, contributing nearly 30% to GDP and employing over 110 million people, offers a vital platform for women's economic empowerment (Ministry of MSME, 2021). However, women entrepreneurs continue to face deficits in business knowledge, financial literacy, regulatory awareness, and market access, especially in developing states such as Uttar Pradesh (Tambunan, 2009). Despite growing policy emphasis on training programs, empirical evidence on their effectiveness in regional MSME contexts remains limited.

Theoretical perspectives including human capital theory (Becker, 1964), social cognitive theory (Bandura, 1997), and the resource-based view (Barney, 1991) collectively suggest that training enhances skills, self-efficacy, and intangible resources essential for entrepreneurial

success. Yet existing studies report mixed outcomes, vary widely in context and design, and rarely focus on pre-entry training or multiple entrepreneurial outcome dimensions (Martin et al., 2013).

This study addresses these gaps by examining the role of pre-entry training among women MSME entrepreneurs in Uttar Pradesh. It analyzes the prevalence of training, its association with access to business finance, and its relationship with key entrepreneurial outcomes including SWOT dimensions, operational challenges, and institutional support. By providing context-specific empirical evidence, the study contributes to understanding how preparatory training influences women's entrepreneurial trajectories and informs more effective, targeted entrepreneurship development policies.

METHODOLOGY

Research Design and Approach

This study employed a cross-sectional research design to examine associations between pre-entry training and multiple entrepreneurial outcome dimensions among women MSME entrepreneurs in Uttar Pradesh. The cross-sectional approach allowed for efficient data collection across diverse entrepreneur populations while testing multiple associations simultaneously (Mann, 2003). While precluding causal inference, cross-sectional designs effectively identify relationships warranting further investigation through longitudinal or experimental methods.

A mixed-methods framework combined quantitative analysis of survey data with qualitative insights from semi-structured interviews and focus group discussions. The quantitative component provided statistical rigor for association testing, while qualitative data enriched interpretation by capturing contextual factors, experiential perspectives, and mechanisms underlying observed patterns (Creswell & Clark, 2017). This methodological pluralism enhanced validity through triangulation while generating both generalizable findings and contextually grounded understanding.

Sampling Strategy and Participants

The study population comprised women entrepreneurs operating MSMEs across Uttar Pradesh districts. Purposive sampling ensured representation across relevant variables including organizational forms, geographic locations, age groups, educational backgrounds, and industry sectors. The final sample included 500 women entrepreneurs, providing adequate statistical power for chi-square analyses with medium effect sizes.

Training participation showed 378 entrepreneurs (75.6%) had undertaken pre-entry training before commencing manufacturing operations, while 122 entrepreneurs (24.4%) had not received such training. This distribution reflects both government training program availability and entrepreneurs' awareness and access to such programs. Organizational form distribution included sole proprietorships (n=123, 24.6%), partnerships (n=211, 42.2%), and private limited companies (n=166, 33.2%). Unit location showed 180 entrepreneurs (36%) operating in officially designated backward areas and 320 (64%) in non-backward areas.

Data Collection Instruments

A comprehensive structured questionnaire assessed training participation, entrepreneurial outcomes, and demographic characteristics. The training section inquired whether entrepreneurs

had undertaken any formal training programs before entering the manufacturing sector, including government schemes, NGO programs, educational institutions, or private training providers. Binary coding distinguished trained (1) from untrained (0) entrepreneurs.

Entrepreneurial outcome measures encompassed multiple dimensions. Problems in securing loans were categorized as low, medium, or high based on responses to items assessing difficulties in documentation, collateral requirements, interest rates, approval delays, and institutional attitudes. Entrepreneurial strength was measured using a validated 33-item scale assessing capabilities including leadership, innovation, financial management, marketing skills, and strategic planning. Weakness measures employed a 39-item scale evaluating limitations in areas including technical knowledge, market information, networking, time management, and resource mobilization. Opportunities for entrepreneurship development were assessed through a 40-item scale examining access to financing programs, government schemes, market linkages, technology adoption, and skill development resources. Threats faced by entrepreneurs were measured using a 43-item scale evaluating competitive pressures, market uncertainties, regulatory challenges, and resource constraints. Operational problems were assessed through items addressing challenges in raw material procurement, labor management, technology adoption, quality control, and marketing. Assistance for successful unit operation measured support received from government agencies, financial institutions, industry associations, and informal networks.

All scales employed Likert-type response formats, subsequently categorized into low, medium, and high levels based on score distributions for chi-square analysis. Pilot testing with 50 entrepreneurs not included in the final sample assessed instrument clarity, cultural appropriateness, and psychometric properties.

Reliability analysis yielded satisfactory Cronbach's alpha coefficients exceeding 0.70 for all multi-item scales.

Semi-structured interview protocols explored training experiences, perceived benefits, curriculum adequacy, delivery quality, and application challenges. Focus group discussions facilitated collective reflection on training effectiveness, identifying common experiences and divergent perspectives. Qualitative data provided rich contextual information enriching interpretation of quantitative findings.

Data Collection Procedure

Data collection occurred over six months employing trained research assistants fluent in Hindi and familiar with local cultural contexts. Entrepreneurs were recruited through MSME registries, women entrepreneur associations, industrial estate directories, and community networks. Research assistants explained study purposes, assured confidentiality, and obtained informed consent prior to participation. Questionnaires were administered in Hindi or English based on participant preference, with research assistants available to clarify questions while maintaining standardization.

Face-to-face interviews were preferred for maximizing response rates and data quality, though telephone interviews were conducted when geographic dispersion or participant preferences necessitated alternative modes. Questionnaire completion required 45-60 minutes. Semi-structured interviews lasted 60-90 minutes, while focus group discussions ranged 90-120 minutes with 6-10 participants per group. All qualitative data were audio-recorded with permission and transcribed verbatim for analysis.

Data Analysis

Quantitative data were analyzed using SPSS version 25.0. Descriptive statistics including frequencies and percentages characterized the sample and key variables. Chi-

square tests of independence examined associations between training (dichotomous variable) and categorical outcome variables. For 2×2 contingency tables (training × two-level outcomes), Pearson chi-square was employed. For 2×3 tables (training × three-level outcomes), chi-square tests assessed whether outcome distributions differed significantly between trained and untrained groups.

Statistical significance was evaluated at $\alpha=.01$ and $\alpha=.05$ levels, with $p<.001$ indicating highly significant associations and $.001<p<.05$ indicating significant associations. Effect sizes were not calculated as chi-square itself provides indication of association strength, with larger chi-square values indicating stronger relationships. Expected frequencies were verified to exceed 5 in all cells, satisfying chi-square test assumptions.

Qualitative data underwent thematic analysis following iterative coding procedures (Braun & Clarke, 2006). Initial codes were generated deductively from the research framework and inductively from participant narratives. Codes were grouped into themes capturing recurring patterns in training experiences, perceived benefits, and application challenges. Thematic findings enriched interpretation of quantitative results by providing explanatory mechanisms and contextual nuances.

Ethical Considerations

The study adhered to ethical research principles, obtaining institutional review board approval prior to data collection. Participants received comprehensive information about study purposes, procedures, potential risks, and expected benefits before providing informed consent. Confidentiality was maintained through anonymous data coding, with identifying information stored separately from research data. Participants were informed of voluntary participation and withdrawal rights without penalty. Research assistants received training in

ethical conduct including respectful engagement, cultural sensitivity, and appropriate responses to participant distress.

RESULTS AND INTERPRETATIONS

Training Participation and Organizational Form

Chi-square analysis revealed a highly significant association between organizational form and pre-entry training participation ($\chi^2=53.641$, $p<.001$). Among entrepreneurs who had undertaken training ($n=378$, 75.6% of total sample), partnerships showed the highest representation with 188 entrepreneurs (37.6% of total sample), followed by sole proprietorships with 96 entrepreneurs (19.2%) and private limited companies with 94 entrepreneurs (18.8%). Conversely, among entrepreneurs without training ($n=122$, 24.4% of total sample), private limited companies showed highest representation with 72 entrepreneurs (14.4%), while sole proprietorships had 27 (5.4%) and partnerships had 23 (4.6%).

This pattern indicates training participation varies substantially by organizational structure. Partnership entrepreneurs demonstrated notably higher training participation rates (89.1% within organizational form) compared to sole proprietors (78.0%) and private limited company entrepreneurs (56.6%). The lower training participation among private limited company entrepreneurs may reflect several factors. These entrepreneurs may possess higher formal educational qualifications reducing perceived training needs, may have accessed alternative learning pathways including business education or corporate experience, or may have established businesses through capital investment rather than capability-based approaches emphasizing training.

The concentration of trained entrepreneurs in partnership forms suggests these arrangements may facilitate training participation through shared responsibilities enabling time allocation for learning, collaborative decision-making

recognizing training value, or partnership agreements specifically requiring training completion. Qualitative interviews revealed that partnerships often formed among individuals who met through training programs, suggesting training serves not only for capability development but also for network building enabling collaborative ventures.

Training and Problems in Securing Loans

Chi-square analysis demonstrated a highly significant association between pre-entry training and problems encountered in securing loans ($\chi^2=16.212$, $p<.001$). Among trained entrepreneurs ($n=378$), 161 (32.2% of total sample) reported low problems in obtaining loans, 102 (20.4%) reported medium problems, and 115 (23.0%) reported high problems. Among untrained entrepreneurs ($n=122$), 57 (11.4%) reported low problems, 49 (9.8%) reported medium problems, and only 16 (3.2%) reported high problems.

This pattern reveals a complex relationship requiring careful interpretation. Trained entrepreneurs more frequently reported both low problems (42.6% of trained group) and high problems (30.4% of trained group) compared to untrained entrepreneurs who showed 46.7% with low problems and only 13.1% with high problems. The higher proportion of trained entrepreneurs reporting high problems may reflect greater engagement with formal credit systems. Trained entrepreneurs may be more likely to pursue institutional financing, exposing them to bureaucratic requirements, documentation demands, and evaluation processes that untrained entrepreneurs avoid by relying on informal financing sources.

Qualitative interviews supported this interpretation. Trained entrepreneurs described actively pursuing bank loans, government schemes, and institutional credit programs, while untrained entrepreneurs more commonly reported relying on personal savings, family contributions, or informal moneylenders.

Training appears to increase awareness of formal credit opportunities and confidence in navigating application processes, even when these processes present substantial challenges. The significant chi-square value confirms that training relates to credit access patterns, though not necessarily by reducing all problems uniformly.

Training and Entrepreneurial Strength

Chi-square analysis revealed a highly significant association between pre-entry training and entrepreneurial strength ($\chi^2=18.372$, $p<.001$). Among trained entrepreneurs ($n=378$), 135 (27.0% of total sample) demonstrated low strength, 106 (21.2%) showed medium strength, and 137 (27.4%) exhibited high strength. Among untrained entrepreneurs ($n=122$), 57 (11.4%) showed low strength, 46 (9.2%) demonstrated medium strength, and only 19 (3.8%) exhibited high strength.

This pattern clearly indicates training's positive association with entrepreneurial strength. Within the trained group, 36.2% demonstrated high strength compared to only 15.6% of the untrained group. Conversely, untrained entrepreneurs disproportionately clustered in low strength categories (46.7% of untrained group showed low strength versus 35.7% of trained group). The progression is evident: as strength levels increase, trained entrepreneurs constitute progressively larger proportions.

These findings align with human capital theory predictions that training enhances capabilities directly applicable to entrepreneurial contexts (Becker, 1964). Trained entrepreneurs reported greater confidence in financial management, improved marketing skills, enhanced strategic planning capabilities, and stronger leadership abilities. Qualitative data revealed that training provided not only technical knowledge but also psychological benefits including increased self-efficacy and reduced anxiety about business management. Several

interviewees described training as transformative experiences that fundamentally shifted their self-perceptions from hesitant aspirants to capable business owners.

Training and Entrepreneurial Weaknesses

Chi-square analysis demonstrated a highly significant association between pre-entry training and entrepreneurial weaknesses ($\chi^2=18.812$, $p<.001$). Among trained entrepreneurs ($n=378$), 145 (29.0% of total sample) exhibited low weaknesses, 102 (20.4%) showed medium weaknesses, and 131 (26.2%) demonstrated high weaknesses. Among untrained entrepreneurs ($n=122$), 29 (5.8%) showed low weaknesses, 58 (11.6%) exhibited medium weaknesses, and 35 (7.0%) demonstrated high weaknesses.

This pattern indicates training's association with reduced entrepreneurial weaknesses. Within the trained group, 38.4% exhibited low weaknesses compared to only 23.8% of the untrained group. Conversely, untrained entrepreneurs showed higher proportions in medium weakness categories (47.5% of untrained group versus 27.0% of trained group). The distribution suggests training particularly benefits entrepreneurs who might otherwise face moderate capability gaps, moving them toward low weakness categories.

Specific weakness dimensions showing improvement with training included technical knowledge gaps, marketing skill deficits, financial management limitations, and regulatory compliance understanding. Trained entrepreneurs reported greater comfort with accounting practices, improved understanding of market dynamics, and enhanced ability to navigate bureaucratic requirements. However, training did not eliminate all weaknesses, with substantial proportions of trained entrepreneurs still reporting medium to high weakness levels. This finding underscores that training represents one component of entrepreneurial capacity building, requiring supplementation with

ongoing mentoring, practical experience, and continued learning.

Training and Opportunities for Entrepreneurship Development

Chi-square analysis revealed a highly significant association between pre-entry training and opportunities for entrepreneurship development ($\chi^2=17.562$, $p<.001$). Among trained entrepreneurs ($n=378$), 126 (25.2% of total sample) reported low opportunities, 104 (20.8%) indicated medium opportunities, and 148 (29.6%) identified high opportunities. Among untrained entrepreneurs ($n=122$), 19 (3.8%) reported low opportunities, 53 (10.6%) indicated medium opportunities, and 50 (10.0%) identified high opportunities.

This pattern demonstrates training's strong positive association with opportunity perception and access. Within the trained group, 39.2% identified high opportunities compared to only 41.0% of the untrained group. Trained entrepreneurs showed more favorable distributions across opportunity categories, with higher proportions reporting medium to high opportunity availability. The significant chi-square confirms that training relates to how entrepreneurs perceive and access development opportunities.

Several mechanisms may explain this relationship. Training programs often provide information about government schemes, financing programs, and institutional support mechanisms, increasing awareness of available opportunities. Training also develops capabilities required to capitalize on opportunities including proposal writing, business planning, and financial documentation. Additionally, training creates network connections with other entrepreneurs, program facilitators, and institutional representatives who can provide opportunity access. Qualitative interviews revealed that many entrepreneurs learned about financing schemes, technology adoption programs, and market linkage initiatives through

training contacts rather than through official informational channels.

Training and Threats Faced by Entrepreneurs

Chi-square analysis demonstrated a highly significant association between pre-entry training and threats faced by entrepreneurs ($\chi^2=17.049$, $p<.001$). Among trained entrepreneurs ($n=378$), 164 (32.8% of total sample) reported low threats, 92 (18.4%) indicated medium threats, and 122 (24.4%) faced high threats. Among untrained entrepreneurs ($n=122$), 75 (15.0%) reported low threats, 11 (2.2%) indicated medium threats, and 36 (7.2%) faced high threats.

This pattern indicates training's association with reduced threat exposure or enhanced threat management capabilities. Within the trained group, 43.4% reported low threats compared to 61.5% of the untrained group. However, interpretation requires care as untrained entrepreneurs showed very low proportions reporting medium threats (9.0%), suggesting possible limited awareness or engagement with competitive environments where threats emerge. Trained entrepreneurs' higher proportions reporting medium to high threats may reflect greater market engagement and competitive positioning rather than training failure.

Qualitative data supported this interpretation. Trained entrepreneurs described greater awareness of competitive dynamics, market trends, regulatory changes, and technological disruptions affecting their industries. This heightened awareness enabled proactive threat management even when increasing perceived threat levels. Untrained entrepreneurs more commonly reported limited competition concern, possibly reflecting smaller-scale operations or informal market positioning avoiding direct competition with established firms.

Training and Operational Problems

Chi-square analysis revealed a significant association between pre-entry training and

operational problems faced by entrepreneurs ($\chi^2=11.686$, $p=.003$). Among trained entrepreneurs ($n=378$), 192 (38.4% of total sample) reported low problems, 81 (16.2%) indicated medium problems, and 105 (21.0%) faced high problems. Among untrained entrepreneurs ($n=122$), 45 (9.0%) reported low problems, 44 (8.8%) indicated medium problems, and 33 (6.6%) faced high problems.

This pattern demonstrates training's association with reduced operational challenges. Within the trained group, 50.8% reported low problems compared to 36.9% of the untrained group. The progressive pattern across problem levels shows trained entrepreneurs more concentrated in low problem categories while untrained entrepreneurs distribute more evenly across problem levels. The significant chi-square confirms that training relates to operational problem incidence or severity.

Specific operational domains showing improvement with training included raw material procurement, production planning, quality control, labor management, and marketing execution. Trained entrepreneurs reported more systematic approaches to business operations, implementing planning practices, documentation systems, and quality assurance procedures learned through training. Untrained entrepreneurs more commonly described reactive management styles responding to immediate problems rather than preventing them through systematic practices.

Training and Assistance for Unit Operation

Chi-square analysis revealed no significant association between pre-entry training and assistance received for successful unit operation ($\chi^2=2.175$, $p=.337$). Among trained entrepreneurs ($n=378$), 65 (13.0% of total sample) reported low assistance, 98 (19.6%) indicated medium assistance, and 215 (43.0%) received high assistance. Among untrained entrepreneurs ($n=122$), 25 (5.0%) reported low assistance, 24 (4.8%) indicated medium

assistance, and 73 (14.6%) received high assistance.

While trained entrepreneurs showed higher absolute numbers receiving high assistance (215 versus 73), proportional distributions within trained and untrained groups were not significantly different. Within trained groups, 56.9% received high assistance compared to 59.8% of untrained groups. This lack of significant association suggests that external assistance provision operates relatively independently of individual training status.

Several factors may explain this pattern. Government assistance programs and institutional support schemes may prioritize need-based criteria including business size, sector, location, and economic disadvantage rather than training completion. Assistance may be universally available regardless of training status, or assistance provision may precede training opportunities in typical entrepreneurial sequences. Qualitative interviews revealed diverse pathways to assistance including political connections, family networks, and chance encounters with program officials that operated independently of formal training participation.

DISCUSSION

This study demonstrates that pre-entry training exerts a substantial yet nuanced influence on the entrepreneurial development of women entrepreneurs in Uttar Pradesh's MSME sector. The high training participation rate indicates growing awareness and outreach of training initiatives, though variation across organizational forms suggests differing perceived needs and entry pathways into entrepreneurship. Lower participation among private limited company owners may reflect higher prior experience or resource availability that substitutes for formal training.

One of the most notable findings is the complex relationship between training and loan-related problems. Trained entrepreneurs reported

both low and high levels of loan difficulties, whereas untrained entrepreneurs clustered around moderate problems. This pattern suggests that training does not simply reduce financial barriers but increases engagement with formal credit systems. Training enhances awareness, documentation skills, and confidence to approach institutional finance, thereby exposing entrepreneurs to structural constraints such as collateral requirements and gender bias. Increased problem reporting among trained entrepreneurs may therefore reflect greater financial sophistication rather than training failure.

Training showed a strong positive association with entrepreneurial strengths and a meaningful reduction in weaknesses, confirming its effectiveness in building foundational competencies. However, the persistence of moderate weaknesses among many trained entrepreneurs highlights that training alone is insufficient for advanced capability development and must be complemented by experience, mentoring, and continued learning. Training appears most effective in addressing basic gaps rather than producing uniformly high capability outcomes.

The positive association between training and opportunity perception underscores training's role in reducing information asymmetries and expanding awareness of markets, schemes, and institutional support. Networking opportunities embedded within training programs further enhance opportunity access through peer learning and collaboration. Conversely, higher threat perception among trained entrepreneurs suggests improved environmental scanning and strategic awareness, indicating preparedness rather than pessimism.

Training was also associated with reduced operational problems, validating the importance of applied, practice-oriented curricula focused on daily business challenges. However, the absence of a significant link between training

and assistance received highlights weak integration between training programs and support mechanisms, signalling the need for coordinated policy design.

Overall, the findings emphasize that training functions best as an enabling foundation within a broader entrepreneurial ecosystem. Effective entrepreneurship development requires combining training with financial access, mentoring, and institutional support to translate enhanced capabilities into sustainable business outcomes.

CONCLUSION

This study provides robust empirical evidence on the role of pre-entry training in shaping the entrepreneurial development of women MSME entrepreneurs in Uttar Pradesh. The findings demonstrate that pre-entry training is strongly associated with enhanced entrepreneurial strengths, reduced weaknesses, improved opportunity awareness, and fewer operational problems, confirming the relevance of human capital development in entrepreneurship. Training also increases engagement with formal financial systems, which, while exposing entrepreneurs to institutional barriers, reflects greater financial awareness and market integration rather than training inadequacy. Importantly, the absence of a significant association between training and assistance received suggests that support mechanisms operate independently of individual capability development, highlighting a disconnect between training programs and institutional support frameworks. Overall, pre-entry training functions as a critical enabling foundation but is insufficient in isolation to ensure entrepreneurial success. Effective entrepreneurship development requires integrating training with access to finance, mentoring, and supportive institutional ecosystems. These findings underscore the need for coordinated, practice-oriented training and policy interventions to strengthen women's

entrepreneurial capacity and promote sustainable MSME growth in developing regional contexts.

REFERENCES

- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W.H. Freeman.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120.
- Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis. University of Chicago Press.
- Bhatnagar, D., & Rajadhyaksha, U. (2001). Attitudes towards work and family roles and their implications for career growth of women managers. *Vikalpa*, 26(2), 13-22.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Bruton, G. D., Ahlstrom, D., & Obloj, K. (2008). Entrepreneurship in emerging economies: Where are we today and where should the research go in the future. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 32(1), 1-14.
- Carter, S., Shaw, E., Lam, W., & Wilson, F. (2007). Gender, entrepreneurship, and bank lending: The criteria and processes used by bank loan officers in assessing applications. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 31(3), 427-444.
- Cope, J. (2005). Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 29(4), 373-397.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Sage Publications.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017*. World Bank.
- Government of Uttar Pradesh. (2020). MSME Policy 2020. Department of MSME and Export Promotion.
- Honig, B. (2004). Entrepreneurship education: Toward a model of contingency-based business planning. *Academy of Management Learning & Education*, 3(3), 258-273.
- Mann, C. J. (2003). Observational research methods: Research design II: Cohort, cross sectional, and case-control studies. *Emergency Medicine Journal*, 20(1), 54-60.
- Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. *Journal of Business Venturing*, 28(2), 211-224.
- Ministry of MSME. (2021). Annual Report 2020-21. Government of India.
- Minniti, M., & Naudé, W. (2010). What do we know about the patterns and determinants of female entrepreneurship across countries? *European Journal of Development Research*, 22(3), 277-293.
- Neck, H. M., & Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship education: Known worlds and new frontiers. *Journal of Small Business Management*, 49(1), 55-70.
- Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. *Organization Science*, 11(4), 448-469.
- Tambunan, T. (2009). Women entrepreneurship in Asian developing countries: Their development and main constraints. *Journal of Development and Agricultural Economics*, 1(2), 27-40.
- Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. *Academy of Management Review*, 27(2), 185-203.





बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में मोटे अनाजों का महत्त्व

□ डॉ श्रुति पाण्डेय*

शोध-सारांश

आज के समय में बच्चों का स्वास्थ्य कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। फास्ट फूड की बढ़ती आदतें, पोषण की कमी और शारीरिक सक्रियता में कमी बच्चों की सेहत को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में मोटे अनाज (Millets) एक महत्वपूर्ण और पोषक विकल्प बनकर सामने आते हैं। मोटे अनाजों में रागी, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, सांवा, चेना, कंगनी आदि शामिल हैं। ये अनाज न केवल पौष्टिक होते हैं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

1. मोटे अनाज : पोषण का खजाना

मोटे अनाजों को 'सुपरफूड' कहा जाता है क्योंकि इनमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे—

प्रोटीन—शरीर की वृद्धि में सहायक।

फाइबर—पाचन को दुरुस्त रखता है।

आयरन—खून की कमी को रोकता है।

कैल्शियम—हड्डियों और दाँतों को मजबूत बनाता है।

विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स—दिमाग के विकास में मददगार।

एंटीऑक्सीडेंट्स—रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं।

यह पोषण बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

2. बच्चों के लिए मोटे अनाज क्यों जरूरी?

(क) शारीरिक वृद्धि में सहायक—मोटे अनाज शरीर को आवश्यक प्रोटीन और खनिज देते हैं, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और मांसपेशियाँ विकसित होती हैं,

(ख) रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं—इनमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट बच्चों को सर्दी-जुकाम, संक्रमण और अन्य बीमारियों से बचाते हैं।

(ग) पाचन तंत्र को सुधारते हैं—फाइबर की अधिकता पेट साफ रखती है और कब्ज जैसी समस्या नहीं होने देती।

(घ) ऊर्जा का अच्छा स्रोत—स्कूल जाने वाले और खेल-कूद में सक्रिय बच्चों को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। मोटे अनाज धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है।

(ङ) मोटापा और डायबिटीज का खतरा कम—मोटे अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित रखता है। इससे बचपन के मोटापे और मधुमेह का खतरा कम होता है।

3. बच्चों के आहार में मोटे अनाज कैसे शामिल करें?

* असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री कुशल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ (राजस्थान)

रागी का दलिया, डोया या माल्ट ड्रिंक।
बाजरे की खिचड़ी, रोटियाँ या उपमा।
ज्वार के परांठे, पैनकेक या चिल्ला।
कोदो और कुटकी से बनी पुलाव या इडली।
मोटे अनाज के कुकीज़, लड्डू या रोटी रोल।
छोटे बच्चों के लिए इन्हें सूप, खीर या हलवे के रूप में भी दिया जा सकता है।

4. मोटे अनाज: पर्यावरण के भी हितैषी

मोटे अनाज कम पानी में उग जाते हैं और पर्यावरण पर कम भार डालते हैं। इस कारण इन्हें “क्लाइमेट-स्मार्ट फूड” भी कहा जाता है। इस प्रकार, बच्चों की सेहत के साथ-साथ ये पृथ्वी के लिए भी लाभदायक है।

साहित्य समीक्षा

1. जर्नल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन
12 (1) : पृष्ठ 4-11, जनवरी-मार्च 2024।
DOI : 10.4.103/jism.jism_71_23 क्रिएटिव
कामन्स लाइसेंस—

इस समीक्षा में बाजरे के महत्वपूर्ण पोषण संबंधी और शारीरिक लाभों पर प्रकाश डाला गया है, जो संतुलित आहार के मूल्यवान घटक के रूप में उनकी क्षमता को रेखांकित करता है। पोषक तत्वों से भरपूर, ग्लूटेन-मुक्त गुणों और विविध पाक उपयोगों के साथ, बाजरा कुपोषण को दूर करने, समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्थायी खाद्य प्रणालियों में योगदान देने के लिए आशाजनक विकल्प के रूप में उभर रहा है। भविष्य के शोध कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों में मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ाने में बाजरे की भूमिका के साथ-साथ खाद्य और चारा उद्योगों में स्थायी विकल्प के रूप में उनकी क्षमता का पता लगा सकते हैं।

2. दिव्या पाठक कोमल केशव एवं अन्य,
ISSN : 2322-0902, सितंबर 2023, मोटे
अनाज—

वर्तमान युग में उपयोग की आयुर्वेदिक और आधुनिक दृष्टि से मोटे अनाज छोटे दानों वाली प्राचीन फसलें हैं, जो

अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं। आयुर्वेद में इन्हें क्षुद्र धान्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को “मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष” घोषित किया है, और भारत सरकार ने भी इसी वर्ष को “अंतरराष्ट्रीय वर्ष का मोटा अनाज” के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा है।

3. किया अनीता एवं अन्य 2024, DOI
10.188005, शिशु अवस्था में बाजार के पोषण
संबंधी लाभ एक समीक्षा—

यह अध्ययन बच्चों के आहार में बाजरा शामिल करने के पोषण संबंधी लाभों की पड़ताल करता है। बाजरा, छोटे बीजों वाले अनाजों की एक श्रेणी है, जो आवश्यक विटामिन, खनिज और आहार फाइबर से भरपूर होने के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। बाजरा की प्रमुख किस्में हैं- रागी, मोती बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा, पोर्सो या सफेद बाजरा। इनमें फाइटोकेमिकल्स और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उच्च मात्रा होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, और इसी कारण ये पोषक तत्वों का पावरहाउस बन गए हैं। बाजरा अन्य अनाजों की तुलना में बच्चों के विकास के शुरुआती चरणों में आवश्यक उच्च ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। चावल और गेहूँ जैसे सामान्य अनाज आधारित खाद्य पदार्थों में आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे खनिजों की कम जैव उपलब्धता की समस्या को बाजरा से दूर किया जा सकता है। शोध से पता चलता है कि बाजरा का सेवन छोटे बच्चों के विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामान्य स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। विभिन्न परिवेशों में किए गए अध्ययनों की व्यवस्थित जाँच के माध्यम से, यह समीक्षा बचपन के इस महत्वपूर्ण चरण में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने और इष्टतम स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में बाजरा के योगदान को विस्तार से बताती है। इस समीक्षा का उद्देश्य माताओं और देखभालकर्ताओं को बच्चों के आहार की पोषण गुणवत्ता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान

करना है। परिणामतः बाजरा को एक लाभकारी आहार तत्त्व के रूप में इसकी क्षमता और छोटे बच्चों के पोषण वातावरण को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी जानकारी को उजागर करते हैं।

उद्देश्य—विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज और उनके स्वास्थ्य और लाभों का अध्ययन एवं विश्लेषण, जैसा कि प्राचीन संहिताओं में वर्णित है।

लक्ष्य—विभिन्न मोटे अनाजों के गुण, कार्बोहाइड्रेट मान और अन्य पोषक तत्वों के मान का अध्ययन करना।

सामग्री एवं विधि—इस अध्ययन हेतु बृहत्त्रयी एवं लघुत्रयी ग्रंथों, आधुनिक मेडिकल पुस्तकों, जर्नलों तथा ऑनलाइन डाटागनबेस का अध्ययन किया गया।

परिणाम एवं निष्कर्ष

मोटे अनाज प्रोटीन, फाइबर, महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों के अच्छे स्रोत होते हैं। ये वजन नियंत्रण में सहायक होते हैं और मोटापा, मधुमेह, हृदय रोगों तथा आँतों में सूजन जैसी अनेक बीमारियों से बचाव में मददगार हैं।

बाजरा अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों, जैसे पोषक तत्वों, खनिजों, कार्बोहाइड्रेट और आहार फाइबर के स्रोत तथा

संभावित चिकित्सीय लाभों के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में बाजरा अपनी उल्लेखनीय पोषण संरचना और संभावित स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण लोकप्रिय हो रहा है।

बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में मोटे अनाजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि कई बीमारियों से भी रक्षा करते हैं। आज की जीवनशैली में मोटे अनाजों को भोजन का नियमित हिस्सा बनाना हर माता-पिता की जिम्मेदारी है। यदि बच्चे बचपन से ही पौष्टिक और संतुलित आहार लें, तो वे स्वस्थ, मजबूत और तेजस्वी भविष्य के निर्माण में, सक्षम बनाते हैं

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जर्नल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन 12 (1): पृष्ठ 4-11, जनवरी-मार्च 2024 DOI : 10.4103/jism.jism_71_23 क्रिएटिव कामन्स लाइसेंस
2. दिव्या पाठक कोमल केशव एवं अन्य, ISSN : 2322-0902 सितंबर 2023, मोटे अनाज : वर्तमान युग में उपयोग की आयुर्वेदिक और आधुनिक दृष्टि
3. किया अनीता एवं अन्य 2024, DOI 10.188005 शिशु अवस्था में बाजरा के पोषण संबंधी लाभ एक समीक्षा





आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की रीतिकालीन साहित्य विषयक इतिहास दृष्टि

□ माया*

शोध-सारांश

आचार्य शुक्ल हिंदी के मूर्धन्य आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि पर भौतिकवादी चिंतन का प्रभाव है। हिंदी साहित्य का रीतिकाल अपने काव्यवस्तु की वजह से आलोचकों के लिए आलोचना का विषय रहा है। आचार्य शुक्ल भी इसमें स्वाभाविकता, सहृदयता और मार्मिकता का अभाव देखते हैं तथा आचार्यत्व के बोझ से लदे कवियों की कविता में कृत्रिमता, अलंकारिकता, चमत्कार और नारी देह का कामुक वर्णन तथा आमजन भावनाओं का अभाव होने से इस काल की आलोचना करते दिखाई देते हैं।

मुख्य शब्द— साहित्येतिहास दृष्टि, काव्यांग, रीतितत्त्व निरूपण, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, सामंती प्रवृत्ति, कृत्रिमता और पांडित्य प्रदर्शन, सिद्धांत प्रतिपादन, कलावाद, भौतिकता, बुर्जुआवाद शृंगारिकता, अलंकारिकता।

आचार्य केशवदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने हिंदी में 'रामचंद्रिका' नाम से बहुत चर्चित काव्य-ग्रंथ की रचना की। आचार्य केशवदास के पूर्वज भी एक से बढ़कर एक विद्वता-पूर्ण रहे हैं। कुछ विद्वान आलोचक इन्हें भक्त कवि मानते हैं तो कुछ आलोचक इन्हें रीति धारा का कवि मानते हैं। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरितमानस' की प्रतिस्पर्धा में आचार्य केशवदास ने 'रामचंद्रिका' नाम का काव्य-ग्रंथ लिख डाला। आचार्य केशवदास राज्याश्रय में रहने वाले कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल के फुटकर वाले खाते में आचार्य

केशवदास को रखते हैं।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि केशवदास से पहले कृपाराम थोड़ा-बहुत रस निरूपण कर चुके थे। मोहन लाल मिश्र भी शृंगार रस पर कुछ लिख चुके थे। करनेस आदि भी अलंकार पर कुछ लिख चुके थे। लेकिन एक व्यवस्थित काव्यांग का विधिवत् सृजन किसी ने नहीं किया था।

आचार्य शुक्ल लिखते हैं—

“.....पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया।”¹

* असिस्टेंट प्रो. (हिंदी), त्रिलोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टांडा, अंबेडकरनगर (उ.प्र.) नम्बर : 9919787865

आचार्य रामचंद्र शुक्ल बड़े समालोचक—इतिहासकार हैं। वे अपने हिंदी साहित्येतिहास में आलोचक और इतिहासकार का सुंदर संतुलन स्थापित करते नजर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जितना किसी रचना या रचनाकार के तत्कालीन समय और समाज पर चिंतन प्रस्तुत करते हैं, उससे थोड़े ही कम अखंडित परंपरा पर ध्यान देते हैं। लेकिन अखंडित परंपरा, संचित चित्तवृत्ति पर आचार्य शुक्ल ध्यान जरूर देते हैं। आचार्य केशव को तो वे काव्यांगों का पूर्ण परिचय कराने वाला मानते हैं, किंतु रीतिकालीन साहित्य का प्रवर्तक स्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने रीतिकालीन काव्य—रीति की अविच्छिन्न एवं अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से माना है—

“इसमें संदेह नहीं कि काव्यरीति का सम्यक् समावेश पहले—पहल आचार्य केशव ने ही किया। पर हिंदी रीतिग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशवदास के आदर्श को लेकर नहीं..... हिंदी रीतिग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए।”²

आचार्य केशवदास लोकभाषा में अपने काव्य का सृजन करने के लिए हीनता का बोध महसूस करते हैं। उनके पूर्वज संस्कृत के परम विद्वान थे। आचार्य केशवदास का मानना है कि उनके घर का नौकर भी संस्कृत बोलता है।

“भाषा बोलि न जानहीं जिनके कुल के दास।

भाषा कवि भो मंदमति तेहि कुल केसवदास।।”

आचार्य केशव संस्कृत साहित्य से बहुत गहरे रूप में प्रभावित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि—

“केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई

मिलती है। नामों में अवश्य कहीं—कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है। जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है।”³

आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आलोचना साहित्य में सामंतवाद, रूढ़िवाद, ब्राह्मणवाद और श्रेष्ठतावाद का विरोध करते हैं। आचार्य शुक्ल आचार्य केशवदास के बनावटी श्रेष्ठतावाद और ब्राह्मणवाद को पहचानते हैं। एक तरफ तो आचार्य केशव संस्कृत साहित्य से सामग्री लाकर अपने ज्ञान—पांडित्य का प्रदर्शन करके खुद को बहुत बड़ा आचार्य साबित करना चाहते थे और वहीं दूसरी तरफ ‘रामचंद्रिका’ लिखकर गोस्वामी तुलसीदास से तुलना करके बड़ा रामभक्त कवि बनना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर नई नवेली दुल्हनों के द्वारा इनको ‘बाबा’ कह देने से इन्हें बहुत आघात पहुँचता है—

**“केसव केसनि असि करी बैरिहु जस न कराहीं।
चन्द्रबदनि मृगलोचनी ‘बाबा’ कहि—कहि जाहीं।।”**

वैसे किसी कवि, महाकवि से तुलना करना कोई बुरी बात नहीं। समस्या तब पैदा होती है जब थोथी तुलना होती है और श्रेष्ठता का दंभ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर लिखते हैं—

“केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्य की उक्तियाँ लेकर भरी हैं पर उनकी उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और ऊबड़—खाबड़ हो गयी है और तात्पर्य भी स्पष्ट

रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है—उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं।⁴

इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को 'हृदय विहीन' कहते हुए उनकी 'रामचंद्रिका' की आलोचना करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य लिखने की अपनी कुछ शर्तें हैं, जबकि मुक्तक के लिए वह अनिवार्य नहीं है। आचार्य शुक्ल प्रबंध काव्य को लिखने के लिए कविता में कुछ पक्षों को आवश्यक मानते हैं—पात्रों के संबंध का उचित निर्वाह होना चाहिए, जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक स्थलों की भी पहचान होनी चाहिए और दृश्यों की स्थानगत विशेषताएँ परिलक्षित होनी चाहिए, आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ—साथ रामस्वरूप चतुर्वेदी व अन्य विद्वानों—आलोचकों ने आचार्य केशवदास की इस कमी की ओर बार—बार पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। आचार्य शुक्ल बड़े आलोचक हैं और प्रायः अपनी आलोचना में वे संतुलित ढंग से विचार करने की कोशिश करते हैं। केशवदास की 'रामचंद्रिका' में तमाम त्रुटियों के बावजूद आचार्य शुक्ल मानते हैं कि केशवदास को संवादों में अधिक सफलता प्राप्त हुई है।

दरअसल आचार्य केशव पर विचार करते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मन में उस प्रबंध काव्य का चित्र उपस्थित था जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने रचा था। आचार्य शुक्ल अपने साहित्य, इतिहास और अन्य आलोचना कृतियों से पाठकों को यह बोध देते हैं कि किसी रचना या रचनाकार को कैसे पढ़ना चाहिए। साहित्य के लिए व समाज के लिए कौन—सा कवि शुभ है और उसकी कौन—सी रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य केशवदास के मूल्यांकन के बहाने सामंतवाद, ब्राह्मणवाद और श्रेष्ठतावाद की धाक जमाने वाले कवि या रचना

का पर्दाफाश करते हैं। यहाँ हमें उनकी साहित्येतिहास की जनवादी—प्रगतिशील दृष्टि का बोध होता है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल मध्यकाल को दो भागों में बाँटते हैं— पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को वे भक्तिकाल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। विद्वानों ने रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त में बाँटा है। हिंदी भक्तिकाल का साहित्य जनवादी साहित्य था लेकिन रीतिकाल का साहित्य जन से जुड़ने की अपेक्षा राजा—महाराजा, नायक—नायिका व दरबार के चारों तरफ घूमने लगा। रीतिकाल का पूर्ववर्ती काव्य एक विराट सांस्कृतिक आंदोलन था। भक्त कवियों की पहुँच सामान्य जनता, शिक्षित जनता के साथ—साथ अंतिम पायदान पर खड़े जनसमूहों तक थी। अचानक से यह जनवादी कविता और जनता के बीच का कवि रीतिकाल में आकर बदल जाता है। इस काल में अलग ढंग के कवि एवं तथाकथित आचार्य हुए। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे 'विचित्र संयोग' कहते हैं। रीतिकाल के पहले का काव्य भिन्न—भिन्न लोक भाषाओं का काव्य था। अलग—अलग अनुभूतियाँ थीं। एक प्रकार से विभिन्न थीं लेकिन रीतिकाल में आकर—'कवियों ने कविता लिखने की प्रणाली ही बना ली.....हिंदी साहित्य में यह अनूठा दृश्य खड़ा हुआ। संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न—भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या कार्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते थे। काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तर्क द्वारा खंडन—मंडन, नये—नये सिद्धांतों का प्रतिपादन आदि कुछ भी न हुआ।'⁵

आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व का आतंक हिंदी भाषा-भाषी समाज पर पड़ता जा रहा था। उन्होंने सबसे पहला यही कार्य किया—कवि और आचार्य को अलग किया। एक प्रकार से इन कवियों से आचार्यत्व छीन लिया और हिंदी समाज के सामने इनकी संस्कृत से नकल की गई परंपरा और विसंगतियों को खोलकर सामने रख दिया। डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं—

“केशवदास आदि कवियों ने हिंदी के कुछ मामूली पढ़े-लिखे पाठकों और अध्यापकों पर आचार्यत्व का रोब जमा रखा था। शुक्ल जी ने इन दरबारी कवियों के कंधे से आचार्यत्व की रामनामी उतार ली। उन्होंने दिखाया कि उन आचार्यों ने या तो भामह और उदभट की नकल की थी या

v kuo/ħkpk ʒeEeV v kS fo' oukFk d hA**6

आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आलोचना साहित्य में लगातार सामंतवादी प्रवृत्तियों, अत्युक्ति और कृत्रिमता, पांडित्य के प्रदर्शन, शब्दाडंबर, अतिशयोक्तियों एवं संकुचित कृत्रिम भाव आदि का जमकर विरोध करते रहे हैं और 'वाग्धारा बँधी हुई नालियों में प्रवाहित होने' की भी कड़ी आलोचना करते हैं। इस समय की कविता का जीवन और जगत के नाना क्षेत्रों में न फैलने, केवल दरबार की चहारदीवारी में कैद होने की आचार्य शुक्ल निंदा करते हैं। वे एक प्रकार से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के 'चींटी से लेकर हाथी पर्यन्त तक कविता हो सकती है' वाली बात का समर्थन ही करते हैं। रीतिकाल का समय मुगल साम्राज्य के शासन-प्रशासन के ह्रास का समय है। जिस मुगल साम्राज्य ने भारत पर कभी अपना दृढ़ शासन स्थापित किया और जिसमें सामंतों का वर्चस्व भी अपने शीर्ष पर था तथा जिसमें आम जनता पर कर पर कर लगाए जाते थे, जिसमें जजिया, खैरात, जकात, खुम्स जैसे कर शामिल

थे। जहाँ जनता लगातार और भी गरीब होती जा रही थी। ऊँच-नीच की भावना प्रबल होती जा रही थी। सांप्रदायिक आदि टकराहटें हो रही थीं। वही मुगल साम्राज्य अब अपने पतन के रास्ते पर बढ़ चुका था और राज्य छोटे-छोटे सामंतों और राजाओं में बँट गया था। ये राजा जनता के सुख-दुःख से कोई मतलब न रखकर राजसी भोग-विलास में डूबे हुए थे और रीतिकाल के कवि जनता के सुख-दुःख से मुँह मोड़ कर अपने राज्याश्रयों की प्रशंसा में डूबे हुए थे। उनकी गणिकाओं, वेश्याओं को प्रशिक्षित कर रहे थे और सात साल से लेकर सत्तर सत्तर साल तक की स्त्रियों पर नायिका भेद लिख रहे थे। जो कुछ अपने हृदय की बात सुनाने वाले कवि थे, वह भी जनता-जनार्दन के सुख-दुःख की अपेक्षा अपनी-अपनी प्रेमिकाओं के ही सुख-दुःख में डूबे हुए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं—

“रीतिग्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी। प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की भिन्न-भिन्न चिंत्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पायी। वह एक प्रकार से बद्ध और परिमित सी हो गयी। उसका क्षेत्र संकुचित हो गया। वाग्धारा बँधी हुई नालियों में प्रवाहित होने लगी जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गये।”

आचार्य शुक्ल की रीतिकालीन साहित्य के प्रति उदासीनता उनके प्रगतिशील साहित्येतिहास दृष्टि का बोध कराता है। क्योंकि जो आलोचक सामंतवाद, साम्राज्यवाद, पूँजीवाद, रूढ़िवाद, बुजुर्गवाद आदि का विरोधी होगा वह निस्संदेह प्रगतिशील चेतना से बद्ध होगा। आचार्य शुक्ल इसी रीतिकालीन साहित्य में जहाँ-जहाँ स्वाभाविक प्रवृत्तियों की उपस्थिति और नाना प्रकृति का चित्रण देखते हैं तो वह उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ उन्हें संकुचित क्षेत्र, बँधी नालियाँ,

कृत्रिमता दिखाई देती है वे उसकी पुरजोर निंदा करते हैं। आचार्य शुक्ल भाषा और सुंदर उदाहरणों की उपस्थिति की भी प्रशंसा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत दूर तक देखने वाले आलोचक हैं। वे रीतिकाल की पीठ से चले आ रहे उस भौतिकवादी चिंतन को देख रहे थे जिसकी परिणति आधुनिक काल में होती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 162
2. वही, पृ. 180-181
3. वही, पृ. 163
4. वही, पृ. 163
5. वही, पृ. 181
6. रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 11
7. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 183





श्रीमंत शंकरदेव का नववैष्णव भक्ति आंदोलन और मुखौटा कला

□ डॉ. आदित्य कुमार मिश्र*

शोध-सारांश

असम प्रान्त में भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तक तथा नववैष्णव धर्म के संस्थापक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव (सन् 1449–1568 ई.) राष्ट्रसंत थे। भारत के मध्यकालीन इतिहास में हम अनेक संतों, भक्तों तथा समाज-सुधारकों के विषय में पढ़ते और सुनते आए हैं, पर यह विडंबना ही कही जाएगी कि भारतीय राष्ट्र के असम प्रान्त में जन्में श्रीमंत शंकरदेव से हमारा परिचय अत्यल्प है। उनके व्यक्तित्व को हम केवल संत, भक्त, कवि, समाज सुधारक जैसी उपमाओं में नहीं बांध सकते। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनकी बहुमुखी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए सांवरमल सांगानेरिया ने कहा है—“महामहिम शंकरदेव को संस्कृति-पुरुष कहना ज्यादा समीचीन होगा। एक में अनेक गुणों के सामंजस्य का नाम श्रीमंत शंकरदेव है। वह केवल धर्म-प्रतिष्ठापक संत ही नहीं थे और न ही उनकी आध्यात्मिकता केवल धर्म मात्र से ही जुड़ी थी। वे चिंतक, दार्शनिक, शास्त्र मर्मज्ञ, समाज-संस्कारक, मानवतावादी, कवि, संगीतज्ञ, नाट्यकार, नर्तक, चित्रकार, अभिनेता, गीतिकार, गायक-वादक, निर्देशक, मंच व्यवस्थापक आदि के अतिरिक्त वयन विशेषज्ञ भी थे।”¹

सन् 1481 ई. में श्रीमंत शंकरदेव अपने 17 शिष्यों के साथ प्रथम तीर्थाटन के लिए निकले। अपनी प्रथम यात्रा में उन्होंने वाराणसी, प्रयाग, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा, कुरुक्षेत्र, रामहद, सीताकुंड, अयोध्या, द्वारका, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथपुरी आदि प्रमुख तीर्थों की यात्रा की। यह प्रथम तीर्थ यात्रा ही उस 'नववैष्णव भक्ति आंदोलन' की दिशा

में पहला कदम था, जिसकी प्रतिष्ठा बाद में उनके द्वारा पूरे असम प्रान्त में हुई। 1550 ई. में उन्होंने अपनी दूसरी यात्रा 120 शिष्यों के साथ की। इस यात्रा में उनके योग्य शिष्य माधवदेव भी उनके साथ थे। श्रीमंत शंकरदेव की यात्रा दृष्टि के महत्त्व को व्याख्यायित करते हुए डॉ. कृष्णनारायण प्रसाद 'मागध' ने कहा है कि "भ्रमण में शंकरदेव

* सहायक आचार्य (हिन्दी), त्रिलोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय टांडा, अंबेडकरनगर, (सम्बद्ध –राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या), मो.: 8765822973, ई मेल—mishraaditya336@gmail.com

को भारतवर्ष की विविधता, अनेकता और विराटता में जिस एकता (अद्वैतता) का प्रत्यक्षीकरण हुआ, मानो वही जगत् की अनन्तता और विष्णु-कृष्ण की विराटता व सर्वशक्तिमत्ता की प्रतिमूर्ति थी और वही 'कृष्णस्तु भगवान स्वयम्' के बोध में परिणत हो उनकी सिद्धि बनी। विराट राष्ट्रपुरुष भगवान कृष्ण की शरण उन्हें स्वीकार्य हुई।¹²

अपनी प्रथम तीर्थ यात्रा से लौटने के उपरांत उन्होंने बरदोवा में प्रथम सत्र की स्थापना की। सत्रों की स्थापना उन्होंने अपने सिद्धान्त 'एकशरण नाम धर्म' के प्रचार-प्रसार के लिए की। कालांतर में उनके अनुयायियों द्वारा पूरे असम में इन सत्रों का विस्तार हुआ। असम में सत्र केवल धार्मिक संस्था के रूप में ही नहीं अपितु सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था के रूप में भी अपनी विशिष्ट अर्थवत्ता रखते हैं। सत्रों के भीतर भक्त और शिष्य सत्राधिकार के मार्गदर्शन में आध्यात्मिकता, नैतिकता, सात्विकता जैसे पवित्र जीवनमूल्यों का अभ्यास करते हैं तथा विष्णु या कृष्ण की उपासना करते हैं। असम के सत्र एक स्वावलंबी संस्था की भांति हैं जिनकी अपनी मौलिक विशेषताएं हैं।¹³

सत्र एक तरफ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संपादन स्थल हैं तो दूसरी तरफ अनेक कलारूपों के केंद्र भी। सत्रों के भीतर विभिन्न प्रदर्शनकारी कलाओं जैसे नृत्य, नाट्य, गायन-वादन आदि की शिक्षा दी जाती है। सत्र के भीतर इन कलारूपों का अभ्यास श्रीमंत शंकरदेव के समय से ही चला आ रहा है। उन्होंने कला को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम माना था। नववैष्णव भक्ति आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कई कलारूपों को जन्म दिया। वे स्वर, ताल, लय, राग आदि सांगीतिक तत्वों के कुशल विशेषज्ञ थे। उन्होंने पौराणिक प्रसंगों को आधार बनाकर नाटकों की रचना की। इन नाटकों को 'अंकिया नाटक' कहा जाता है। नाटकों के प्रदर्शन में उन्होंने मुखौटों के प्रयोग की शुरुआत की जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के किसी भी संत कवि

का प्रथम मौलिक प्रयोग था।

मुखौटा कला असम के कलात्मक वैशिष्ट्य का उत्कृष्ट रूप है। असम के विभिन्न लोक कलारूपों में मुखौटा कला की समृद्ध विरासत है। इस कला का इतिहास महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव प्रवर्तित नववैष्णव आंदोलन से जुड़ा है। शंकरदेव असम के संदर्भ में विभिन्न कलाओं के जन्मदाता कहे जाते हैं। उन्हें लोक एवं शास्त्र दोनों का गहरा अनुभव था। नववैष्णव धर्म को विस्तार देने के लिए उन्होंने नाटकों की रचना की। इन नाटकों को असम में अंकिया नाट्य की संज्ञा दी जाती है। इन नाटकों की रचना उन्होंने राम और कृष्ण के पौराणिक प्रसंगों को आधार बनाकर की। इन नाटकों की रचना के साथ शंकरदेव ने इनका प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन के समय उन्होंने विभिन्न कलात्मक अभिधानों का भी उपयोग किया। वे नाटकों के प्रदर्शन विधि को जीवंत एवं प्रभावकारी बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मुखौटों की उपयोगिता को प्राथमिकता दी। अपने नाटकों में विभिन्न पौराणिक चरित्रों के अभिनय को सजीव रूप देने के लिए उन्होंने मुखौटों के प्रयोग की नींव डाली। उन्होंने स्वयं मुखौटों का निर्माण प्रारंभ किया।¹⁴ अपने पहले नाटक 'चिह्न यात्रा' (वर्तमान में अप्राप्य) में मुखौटों का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मुखौटों के प्रयोग के पीछे उन्होंने अपनी लोकाभिमुखता का परिचय दिया। नाटकों के प्रदर्शन में मुखौटों की अनिवार्यता उनकी मौलिक देन है। साधारण जनसमाज जिसे 'लोक' कहते हैं, उसका नाटकों के प्रति सीधा झुकाव बिना जीवंतता एवं आकर्षण के संभव नहीं था। पौराणिक पात्रों के समान अभिनय एवं दर्शनीयता न होने के कारण लोग स्थिर एवं एकरस हो सकते थे, इसलिए शंकरदेव ने इस कला का प्रवर्तन किया।

मुखौटों की परंपरा शंकरदेव के समय से प्रारंभ होकर अब तक प्रवहमान है। मुखौटों के प्रयोग से नाटकों के प्रति लोकाभिरुचियों का विस्तार

हुआ और लोकधर्मी संस्कृति का विकास हुआ। मध्यकाल में शंकरदेव प्रवर्तित नववैष्णव भक्ति आंदोलन के विस्तार में विविध कलाओं की महती भूमिका रही। मुखौटा कला के साथ ही, नृत्य कला, गायन कला, वादन कला, हस्त कला आदि कलाओं का विकास भी भक्ति आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ। मुखौटों का उपयोग नाट्य कला के संबंध में एक विशिष्ट देन थी। अंकिया नाटकों के अतिरिक्त इनका प्रयोग रास उत्सव के समय में भी होता है। असमिया समाज अपने पारंपरिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में भी इनका उपयोग करता है। इनकी उपस्थिति अभिनय को जीवंत एवं प्रभावशाली बनाती है।

मुखौटों के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी यह प्रश्न विचारणीय है। मानवीय चरित्र एवं प्रकृति में बहुत कुछ ऐसा है जिसके अभिव्यक्त होने में भाषा और चेहरे चूक जाते हैं। इस स्थिति में मुखौटे का कलात्मक उपयोग वह नाटकीय अर्थ रचता है जिसके कथ्य का संप्रेषण अन्य साधनों से संभव नहीं हो पाता। नाटकों में प्रयोग में लाने पर ये मुखौटे जहाँ एक ओर पौराणिक और आध्यात्मिक अर्थ रचते हैं वहीं दूसरी ओर नाटकीयता के तत्वों को भी गहराई प्रदान करते हैं। मुखौटे मनुष्य की कल्पना एवं सृजनात्मकता के उत्कृष्ट नमूने हैं यह अभिनेता को वह आवश्यक दूरी एवं छिपाव देते हैं जिसके बिना किसी विशेष बात की अभिव्यक्ति असंभव होती है।

अंकिया नाट्य (भाओना) में मुखौटों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग होता है। रास उत्सव में रास भाओना का प्रदर्शन भी होता है। इन नाट्य उत्सवों में मुखौटों की बड़े पैमाने पर मांग होती है। नाट्य प्रदर्शनों में विभिन्न पौराणिक पात्रों एवं पशु-पक्षियों की भूमिका का निर्वहन पात्र मुखौटों के माध्यम से करता है। इस समय मुखौटा बनाने की कला अंकिया नाट्य एवं रास उत्सव का

अविभाज्य अंग है। असम के सत्र सक्रिय रूप से इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं सामागुरी सत्र की सक्रियता के अतिरिक्त अब अन्य सत्रों के भक्त एवं शिष्य इस कला को सीख रहे हैं एवं अधिक से अधिक मुखौटों का निर्माण भी कर रहे हैं।

मुखौटों को बनाने की विधि— मुखौटा बनाने के लिए मुख्य रूप से बांस, बेंत, कपड़े और मिट्टी आदि का उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में मुखौटों का निर्माण केवल लकड़ी से किया जाता था, जिसमें रंगों से विभिन्न आकृतियां उकेरी जाती थीं। कालांतर में इन मुखौटों को बनाने के लिए बांस, बेंत, सूती कपड़े, गोबर और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाने लगा। बांस और बेंत के प्रयोग से मुखौटे काफी हल्के और उपयोगी होने लगे। मुखौटा बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे बांस को 6 से 7 दिनों के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। ऐसा करने से बांस में लचीलापन तो आता ही है साथ ही ब के टुकड़ों को कीटों के हमले से बचाया जाता है। अगले चरण में बांस को आवश्यकतानुसार विभिन्न खण्डों में विभाजित किया जाता है। पतले और लचीले टुकड़ों की मदद से मुखौटे के प्रारंभिक ढांचे को तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक जोड़ पर बेंत की सहायता से ढांचे को गठित किया जाता है। मूल कंकाल तैयार होने के बाद इस पर सूती कपड़े को गीली और चिकनी मिट्टी में भिगोकर चिपकाया जाता है। मूल ढांचे पर पहली परत मिट्टी में भीगे इस सूती कपड़े की ही होती है। दूसरे चरण में इसके ऊपर गोबर और मिट्टी की दूसरी परत चढ़ाई जाती है। मुखौटा जब सूख जाता है इसके बाद तीसरे चरण में मुखौटे को उसका वास्तविक रूप दिया जाता है। यह चरण महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें मुखौटे का चरित्र निर्धारण करता है। मुखौटे को जिस भी रूपाकृति में ढालना है, उसका निर्धारण इसी चरण में होता है। कलाकार मुखौटे में आंख, नाक, कान,

मुंह, भृकुटी, मूछें, दांत आदि का निर्माण करता है। इस विधि में वह सूती वस्त्र को ही मिट्टी और गोबर के मिश्रण में भिगोकर चिपकाता है। चौथे चरण में मुखौटे को विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप मुखौटे पर रंग से कलाकारी की जाती है। किसी राक्षस का मुखौटा होगा तो उसके क्रोधित और आवेशित भावों को कलाकार उकेरता है। इसी तरह किसी पक्षी, वानर या देवी-देवता के मुखौटे को उसकी भाव-भंगिमाओं के अनुसार रूप दिया जाता है। पहले मुखौटों की रूपसज्जा के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब प्राकृतिक रंगों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता है, इसका कारण प्राकृतिक संसाधनों का कम मात्रा में उपलब्ध होना है। इस विषय में कलाकारों का कहना है कि अब प्राकृतिक रंग सहजता से उपलब्ध नहीं होते हैं और बाजार में अगर उपलब्ध भी होते हैं तो उनका मूल्य अधिक है। वर्तमान में अधिकांशतः कृत्रिम रंगों का उपयोग ही मुखौटों के निर्माण में किया जाता है। मुखौटों के निर्माण में 7 से 10 दिन तक का समय लग जाता है। मुखौटों को बनाने में लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि मुखौटे का आकार-प्रकार क्या है।

सत्रों के भीतर निर्मित होने वाले मुखौटे मुख्य रूप से तीन प्रकार के बनाये जाते हैं। पहले प्रकार को 'मुख-मुखा' कहते हैं। इस तरह के मुखौटों का निर्माण और उपयोग अधिक होता है। ये केवल चेहरे को ढंकते हैं। इस प्रकार के मुखौटों में हनुमान, बाली, सीता, ब्रह्म, मारीच, त्रिसरा, खर-दूषण आदि के मुखौटे आते हैं।

दूसरे प्रकार के मुखौटों में 'लोटोकड़ मुखा' आता है। इन्हें 'हैगिंग मास्क' भी कहा जाता है। ये आकर में मुख-मुखा से बड़े होते हैं। शरीर के अंगों जैसे- हाथ, पांव, मुंह, आंखों को ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया जाता है। ये गतिशील

होते हैं। गरुड़, जटायु, अघासुर, हिरण, मोर, ऐरावत हाथी आदि इसी तरह के मुखौटे हैं।

तीसरे प्रकार के मुखौटों को 'बर अथवा चो मुखा' कहते हैं। इस तरह के मुखौटे आकार में सबसे बड़े होते हैं और लगभग पूरे शरीर को ढंकते हैं। ये सिर या शरीर के किसी अन्य बड़े भाग को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं। इनका निर्माण सामान्यतः दो भागों में किया जाता है। पहला गर्दन से सिर का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा हिस्सा शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। यह हिस्सा हाथों से पैर तक फैला होता है। चो-मास्क की लम्बाई दो से साढ़े तीन मीटर तक होती है। चो मुखा आकार में भले ही बड़े होते हैं परंतु इन्हें बहुत हल्के वजन का बनाया जाता है। इस प्रकार के मुखौटों में नृसिंह, रावण, कुम्भकरण, बकासुर, नरकासुर आदि के मुखौटे आते हैं।

मुखौटा बनाने वाले कलाकार रामायण, महाभारत और पौराणिक महाकाव्यों के आधार पर मुखौटो का निर्माण करते हैं। कलाकार रावण, कुम्भकरण, नरसिंह, खर, दूषण, बकासुर, तारकासुर, धेनुकासुर, अघासुर, हनुमान, बालि, सुग्रीव, जटायु, गरुड़ आदि चरित्रों के मुखौटे बनाते हैं। इन विभिन्न पौराणिक चरित्रों के मुखौटे बनाने के लिए कलाकार इनकी पुराकथाओं का बारीकी से अध्ययन करते हैं बालि और सुग्रीव के मुखौटे को सामान्य व्यक्ति एक ही मानेगा परंतु उनमें सूक्ष्म अंतर होता है जिसका ध्यान कलाकार मुखौटों के निर्माण के समय रखते हैं। रास उत्सव के समय ये मुखौटे अधिक खरीदे जाते हैं क्योंकि पूरे माजुली में पचास से अधिक स्थानों पर इन मुखौटों का प्रदर्शन होता है।⁵

इन मुखौटों की माँग केवल असम तक सीमित है ऐसा नहीं है। माजुली में निर्मित इन मुखौटों की माँग विदेशों में भी है। ब्रिटिश संग्रहालय में यहाँ के मुखौटे दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र है।

विदेशों से प्रतिवर्ष कई सैलानी यह कला सीखने भी आते हैं। अकेले माजुली में ही सामागुरी सत्र, नरसिंह सत्र, कमलाबारी सत्र, बिहिमपुर सत्र जैसे सत्रों में मुखौटा कला का अभ्यास और प्रशिक्षण हो रहा है। सामागुरी सत्र सर्वाधिक पुराना सत्र है जहाँ से मुखौटा कला प्रारम्भ हुई। मुखौटों के निर्माण एवं कला के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए सामागुरी सत्र कई राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुका है। सत्र के प्रसिद्ध मुखौटा कला डॉ. हेमचंद्र गोस्वामी (गुरुजी) आज भी मुखौटों के निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। हेमचंद्र गोस्वामी के अतिरिक्त स्वर्गवासी कुशाकांत गोस्वामी भी प्रसिद्ध मुखौटा कलाकार हुए हैं जिनके मार्गदर्शन में कई लोगों ने मुखौटा शिल्प की शिक्षा ली। यहाँ निर्मित मुखौटे भाओना के अतिरिक्त विभिन्न लोकानुष्ठानों एवं त्योहारों पर भी पहने जाते हैं। मुखौटे को धारण करने के बाद व्यक्ति अपने मूल चरित्र को खोकर नए चरित्र में अपने को महसूस करता है। पौराणिक चरित्रों की कल्पना करके परकाया प्रवेश की अनुभूति प्रदर्शन को रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है। प्रदर्शन के अवसर पर दर्शकों में चरित्र के प्रति श्रद्धा, घृणा, क्रोध आदि मनोभावों का आलोड़न – विलोड़न होता रहता है। नायक एवं सत्कर्म कर रहे चरित्र के प्रति श्रद्धा एवं देवत्व भाव का विकास होना स्वाभाविक है, इसी प्रकार राक्षसी वृत्ति धारण किए चरित्रों के प्रति क्रोध एवं घृणा का भाव पनपना स्वाभाविक है। यह मुखौटों के प्रयोग की सफलता ही है कि असमिया जनमानस आज भी भाओना (अंकिया नाटकों की प्रदर्शन पद्धति) के समय अपने दैनिक जीवन से समय निकालकर प्रतिभाग करता है। इनके प्रदर्शन में सजीवता मुखौटों के कारण ही आती है। असम के लोगों में आज भी नाट्य प्रदर्शनियाँ आकर्षण का विषय बनी हुई हैं, इसका कारण लोगों का अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति सचेत होना ही

कहा जाएगा। मुखौटा कला का एक अन्य आयाम हस्त कला के विकास से जुड़ा हुआ है। हस्त कला के विकास में मुखौटा एक उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ये मुखौटे स्वदेशी संस्कृति के उच्चतम नमूने तो हैं ही, साथ ही पांच शताब्दियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। पंद्रहवीं शताब्दी के नववैष्णव आंदोलन और उसके प्रभाव में विकसित हुई यह कला आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है।

मुखौटा शिल्प कृषि संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। आदिवासी समाज और विभिन्न जनसमुदायों में मुखौटे उनकी आस्था और विश्वास से जुड़े हैं। असम में इनकी प्रसिद्धि तो है ही, इसके साथ ही देश के अन्य भागों एवं विदेशों में भी ये आकर्षण का विषय बन रहे हैं। आरम्भ में ये मुखौटे लकड़ी एवं धातुओं से निर्मित किये जाते थे। इन मुखौटों में आज की भांति आकर्षण एवं नक्काशी नहीं होती थी। कालांतर में शंकरदेव के अनुयायी शिष्यों ने दिनोंदिन इस कला में परिष्कार एवं सुधार किया। आज के मुखौटों में विविधता भी है और सौंदर्य भी। महापुरुष ने स्वप्रवर्तित मत के प्रचार-प्रसार के लिए सत्रों एवं नामघरों की स्थापना की थी। सत्रों के स्थापन एवं विस्तार की प्रक्रिया उनके बाद की शिष्य परंपरा में भी बराबर बनी रही। सत्र एवं नामघर विविध कलाओं के केंद्र हैं। प्रत्येक सत्र भिन्न-भिन्न कलारूपों का केंद्र है। असम में मुखौटा कला के लिए माजुली का 'सामागुरी' सत्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सामागुरी सत्र के अलावा शिवसागर का 'खतपर' सत्र भी मुखौटों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खतपर सत्र के वर्तमान सत्राधिकार और मुखौटा कलाकार 'रेवाकांतदेव महंत' स्वयं में उत्कृष्ट मुखौटा शिल्पी हैं, उनके निर्देशन में कई नए कलाकार इस कला को सीख रहे हैं।

मुखौटा कला के क्षेत्र में माजुली का सामागुरी

सत्र विश्वप्रसिद्ध है। यहाँ पर मुखौटा कलाकारों की एक लंबी परंपरा रही है। मुखौटा कला के क्षेत्र में इस सत्र के ऐसे ही एक प्रमुख कलाकार हैं— डॉ. हेमचंद्र गोस्वामी। हेमचंद्र गोस्वामी मुखौटा कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं। हेमचंद्र जी के निर्देशन में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'भाओना' का प्रदर्शन होता रहता है, जिसमें मुखौटों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग होता है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2017 में गौहाटी विश्वविद्यालय ने हेमचंद्र गोस्वामी को डॉक्ट्रेट की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अलावा डॉ. गोस्वामी को 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। जनवरी 2018 में हेमचंद्र जी के निर्देशन में विभिन्न कलाकारों ने भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर माजुली के मुखौटों की झांकी निकाली थी, जिसमें इन मुखौटों को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था। हेमचंद्र गोस्वामी पिछले कई वर्षों से इस कला का प्रशिक्षण सत्र में शिष्यों और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को दे रहे हैं।

पिछले कई वर्षों में हेमचंद्र गोस्वामी इस महान कला को जीवित रखते हुए नवोदित कलाकारों को इसकी समृद्ध विरासत का प्रशिक्षण देते आ रहे हैं। ये मुखौटे स्वदेशी कला और संस्कृति के उच्चतम नमूने हैं और साथ ही इस कला के माध्यम से राष्ट्र की सांस्कृतिक निरंतरता को भी विश्वस्तर पर

पहचान मिल रही है। दिनों-दिन इन मुखौटों की मांग विदेशों में बढ़ती जा रही। पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों से बने ये मुखौटे ब्रिटिश संग्रहालय में भी अपनी जगह बनाये हुए हैं, जहाँ वे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि असम में मुखौटा कला का इतिहास श्रीमंत शंकरदेव के नववैष्णव आंदोलन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। शंकरदेव ने कला और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवीन प्रयोग किए जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. लोहित के मानस पुत्र, सांवरमल सांगानेरिया, हेरिटेज फाउंडेशन, गुवाहाटी, द्वितीय संस्करण, 2011, भूमिका
2. महाकवि शंकरदेव : विचारक एवं समाज सुधारक, डॉ. कृष्णनारायण प्रसाद 'मागध', हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण, 2015, पृष्ठ - 11
3. The Neo-Vaisnavite Movement and the Satra Institution of Assam, S.N. Sharma, Department of Publication, Gauhati University, 1966, p. 103
4. Sunil Kothari, Sattriya Classical Dance of Assam, The Marg Foundation, Mumbai, 2013, p. 82
5. The Rich Heritage of Island Majuli, Amulya Chandra Borah, Digitech Printers, Majuli, 2017, p. 93





जिला रीवा पुलिस बल की प्रशासनिक व्यवस्था (वर्तमान परिप्रेक्ष्य में)

□ शिवकरण डोहर*

शोध-सारांश

पुलिस समाज की प्रहरी होती है। देश या समाज की उन्नति में अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था का सही से पालन होने पर समाज में आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी सुरक्षा का अहसास होता है। रीवा जिले की पुलिस की ऐतिहासिकता जिले के बनने से पूर्व ही चली आ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् रीवा पुलिस प्रशासन के स्वरूप में बहुत बड़ा बदलाव आया है। राज्य के पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक होता है जिसका दायित्व संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य की कानून एवं सुरक्षा बनाये रखना होता है। संभाग व जिले स्तर पर पुलिस के उच्च अधिकारी क्रमशः पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक होते हैं। राज्य गठन के उपरांत से ही जिला पुलिस बल अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र व्यावहारिक है जिसमें जिला पुलिस बल रीवा की पुलिस प्रशासनिक संरचना, पुलिस प्रशासन के कार्य एवं दायित्व, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जानकारी, सामुदायिक पुलिसिंग, जन जागरूकता अभियान जैसे नशे के विरुद्ध अभियान, साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता, राहवीर योजना के प्रति जागरूकता, यातायात व्यवस्था एवं हेलमेट/सीटबेल्ट पहनने के प्रति जागरूकता, नये कानून के संबंध में जानकारी, कमजोर वर्गों की सुरक्षा के प्रति सजग, रीवा पुलिस की विशेष उपलब्धि एवं रीवा पुलिस की चुनौतियों का भी अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द— जिला पुलिस बल, रीवा, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, प्रशासन।

प्रस्तावना

विंध्य प्रदेश के अन्तर्गत दो रियासतें शामिल थीं, एक—बघेलखण्ड एवं दूसरी बुन्देलखण्ड। बघेलखण्ड रियासत में रीवा राज्य समाहित था।

प्राचीन समय में रीवा क्षेत्र में अलग से पुलिस व्यवस्था के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। सैनिक वर्ग ही बाह्य सुरक्षा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी का निर्वहन करते थे हालांकि कलांतर

* शोध—छात्र (इतिहास), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जिला—रीवा (मध्य प्रदेश)

में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिए पुलिस एवं दरोगा की भर्ती की गई। रीवा महाराजा विश्वनाथ सिंह जूदेव ने सन् 1838 में राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु कुछ पुलिस जवानों की नियुक्ति किये। साथ-साथ पुलिस प्रशासन के कार्य एवं उनके अधिकार क्षेत्र में विस्तार होता गया। 22 मार्च 1861 को ब्रिटिश सरकार द्वारा पुलिस एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के अनुसार सन् 1862 को बघेलखण्ड में पुलिस जवानों की देखरेख के लिए दरोगा की नियुक्ति की गई। पहले थानेदार तहसीलदार के अधीनस्थ कार्य करते थे परन्तु जब रीवा राज्य के शासक महाराजा गुलाब सिंह जूदेव बनें तब उन्होंने 31 अक्टूबर 1918 ई. को थानेदार के पद को पुलिस महानिरीक्षक के अधीन कर दिया। मध्यप्रदेश राज्य गठन के बाद पुलिस प्रशासनिक ढांचा में बहुत सारे बदलाव किये गये। राज्य में पुलिस प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति 01.11.1956 को की गई जिसके अधीन संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य की पुलिस को किया गया। राज्य के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक के पद पर श्री बी.जी. घाटे की नियुक्ति की गई। सन् 1982 ई. में पुलिस महानिरीक्षक के दायित्वों को सीमित कर एक नये बड़े पद का सृजन कर पुलिस महानिदेशक नाम दिया गया, अब संपूर्ण मध्यप्रदेश की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक को सौंपी गई। मध्यप्रदेश राज्य के गठन होने के बाद से ही जिला पुलिस बल के गठन का अस्तित्व चला आ रहा है। जिला पुलिस बल को मुख्य रूप से राज्य की आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व सौंपा गया। रीवा संभाग के अधीन रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर जिले सम्मिलित हैं। इस शोध पत्र में जिला रीवा के जिला पुलिस बल की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया है।

शोध पत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से जिला पुलिस बल रीवा की प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यप्रणाली, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, जनता के प्रति सहयोग, जन जागरूकता अभियान, अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं सामुदायिक पुलिसिंग को प्रकाश में लाना है।

प्रस्तुत शोध पत्र की प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र व्यावहारिक है जिसमें प्राथमिक स्रोत के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साक्षात्कार और द्वितीयक स्रोत के रूप में प्रकाशित ग्रन्थों, बेवसाइट, कार्यालयीन दस्तावेज समाचार पत्र-पत्रिका, शोध थीसिस का भी उपयोग शोध पत्र के लेखन में किया गया है।

जिला रीवा पुलिस बल एवं प्रशासनिक व्यवस्था

राज्य पुलिस विभाग, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के अधीन कार्य करता है। पुलिस बल का कार्य कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना होता है। जिला रीवा की पुलिस बल भी इसी निमित्त कार्य करती है। जिले की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होती है जो पुलिस अधीक्षक के समन्वय से पूर्ण होती है। जिले में पुलिस विभाग का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है, जिसके दिशा-निर्देशन में अधीनस्थ जिला के संपूर्ण पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। पुलिस अधीक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा से केन्द्र सरकार द्वारा चयनित होकर राज्यों में आते हैं और जिलों में नियुक्त होकर के कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सम्हालते हैं। पुलिस अधीक्षक को कानून व्यवस्था में सहयोग बनाये रखने हेतु उसके अधीन कई पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं जो पुलिस के विभिन्न कार्यालय, पुलिस लाइन, पुलिस थाना, पुलिस चौकी आदि में पदस्थ होते हैं। इनमें पदस्थापना हेतु राज्य सरकार मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, म.प्र. व्यापम/कर्मचारी चयन

मण्डल के द्वारा इन पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी का चयन करती है। ये सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस अधीक्षक के अधीन ही कार्य करते हैं। जिले के पुलिस का सर्वोच्च कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है बाकि अन्य सभी कार्यालय इसी के अधीन ही कार्य करते हैं।

जिला रीवा पुलिस बल एवं संबंधित कार्यालय

1. पुलिस अधीक्षक कार्यालय— जिला पुलिस बल का सर्वोच्च कार्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है। यह जिले में पुलिस प्रशासन का केन्द्र बिन्दु होता है। इस कार्यालय का प्रमुख स्वयं पुलिस अधीक्षक होता है जो सामान्यतः भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा से चयनित होकर आता है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अन्दर अन्य सहायक कार्यालय एवं लिपिकीय कार्यालय होते हैं। यहाँ से पुलिस अधीक्षक मय पुलिस स्टाफ कानून और व्यवस्था का रखरखाव, जिले के भीतर शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना, सार्वजनिक समारोहों, रैलियों, जुलूसों, दंगों और भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन आदि की निगरानी करता है। अपराधिक नियंत्रण और जांच, प्रशासनिक और परिचालन कार्य, जनसंपर्क और शिकायत निवारण आदि कार्य किये जाते हैं।

2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय— यह जिला पुलिस बल का दूसरा सबसे बड़ा कार्यालय होता है। यहाँ सामान्यतः मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित होने वाले पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यहाँ का प्रमुख अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है। जो पुलिस अधीक्षक के कार्यों में सहयोग करता है।

3. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय— इस कार्यालय में डी.एस.पी. रैंक के पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यह पुलिस के प्रशासनिक कार्यों में सहायता एवं आन्तरिक प्रबंधन का कार्य

देखता है। वित्तीय मामलें, पुलिस बल की साप्ताहिक डायरी, स्थापना मामलें, स्टाफ नियंत्रण एवं दस्तावेज प्रबंधन आदि का कार्य देखता है।

4. पुलिस लाइन— पुलिस लाइन का प्रमुख, पुलिस रक्षित निरीक्षक होता है जो पुलिस अधीक्षक के अधीन रहकर कार्य करता है। यह मुख्यतः म.प्र. व्यापम/कर्मचारी चयन मण्डल भर्ती परीक्षा द्वारा चयनित होकर आता है। यह राज्य सरकार का तृतीय श्रेणी का पद होता है। पुलिस विभाग का पुलिस लाइन जिले का एक महत्वपूर्ण केन्द्र होता है जिसमें अधिकारी एवं कर्मचारी की आमद/तैनाती सबसे पहले यहीं की जाती है। रक्षित निरीक्षक के सहायता एवं सहयोग हेतु यहाँ प्रशासनिक शाखा/रोजनामचा,क्वार्टर मास्टर शाखा,मोटर वाहन शाखा, शास्त्रागार आदि शाखा हैं।

5. पुलिस कन्ट्रोल रूम— यह पुलिस अधीक्षक के अधीन 24 घण्टें संपर्क में रहता है। यह पुलिस व्यवस्था का केन्द्रीय संचार हब होता है जिसका मुख्य कार्य आपातकालीन सेवाओं को सम्हालने, पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के बीच संचार और समन्वय स्थापित करने और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिचालन गतिविधियों को नियंत्रित करने, निगरानी और परिचालन नियंत्रण पर केन्द्रित है। रीवा कन्ट्रोल रूम के अन्दर की सी.एस.पी. कार्यालय (कोतवाली), प्रिंजर प्रिंट शाखा, साइबर सेल शाखा, सीसीटीव्ही शाखा एवं डायल-112 शाखा संचालित होती है।

6. पुलिस अधीक्षक— कार्यालय में लिपिकीय शाखाएं जैसे मुख्य लिपिक शाखा, स्थापना शाखा, निज सहायक शाखा, ओ.एम. शाखा, वेतन शाखा, अवकाश, स्टोर एवं मेडिकल शाखा आदि कार्यरत हैं।

जिला रीवा पुलिस बल एवं उसके अनुभाग
पुलिस के कार्य की सुविधा के हिसाब से संपूर्ण जिले को 08 अनुभाग में बाट दिया गया है

उनके अन्दर संबंधित थाने क्षेत्र को शामिल किया गया है। सभी अनुभागों के प्रमुख डी.एस.पी. स्तर का पुलिस अधिकारी होता है। यह पद पुलिस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ कड़ी होता है। ये अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक और सब-डिवीजन के अन्तर्गत आने वाली स्थानीय पुलिस थानों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। ये अधिकारी स्थानीय पुलिसिंग की रीढ़ होते हैं।

ये 08 अनुभाग— नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली), नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन), उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक), अनुविभागीय पुलिस अधिकारी—सिरमौर, मनगवां, त्योंथर, डभौरा।

जिला रीवा के पुलिस थाने— कोतवाली, सिविललाइन, विश्वविद्यालय, चोरहटा, बिछिया, समान, अमहिया, यातायात, महिला थाना, अजाक, रायपुर कर्चुलियान, गुढ़, गोविन्दगढ़, सगरा, मनगवां, गढ़, सोहागी, चाकघाट, सिरमौर, बैकुंठपुर, सेमरिया, जनेह, पनवार, अतरैला, जवा, डभौरा।

पुलिस चौकियाँ— नौवस्ता, एसजीएमएच, शिवपूर्वा, शाहपुर, चचाई, जुडवानी, वीरपुर, हडहाई, पटेहरा, सोनौरी, त्योंथर, गढी, गंगेव, मनिकवार, रघुनाथगंज, लालगांव।

जिला रीवा में पुलिस विभाग के संभाग स्तरीय कार्यालय

1. पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय रीवा, जोन रीवा— पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, संभाग का सबसे बड़ा पुलिस का कार्यालय होता है। पुलिस महानिरीक्षक का मुख्य कार्य रेंज के अन्तर्गत पुलिस कार्यों का व्यापक पर्यवेक्षण और नीति निर्धारण, कानून व्यवस्था की निगरानी, अपराध नियंत्रण और अनुसंधान, अधीनस्थ अधिकारियों से समन्वय बनाये रखना एवं प्रशासकीय प्रबंधन एवं पुलिस कर्मियों में अनुशासन बनाये रखना होता है। वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक श्री गौरव राजपूत हैं।

2. उप पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, रीवा क्षेत्र रीवा— उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज के अंदर एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती अधिकारी होता है जो पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशों को लागू करने और पुलिस के जमीनी स्तर के कार्यों का पर्यवेक्षण करने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं।

जिला बल के अतिरिक्त पुलिस की अन्य शाखायें जो जिला रीवा में संचालित हैं—

1. पुलिस लोकायुक्त कार्यालय।
2. पुलिस आर्थिक अपराध कार्यालय।
3. जोनल पुलिस अधीक्षक कार्यालय, विशेष शाखा रीवा।
4. 9वीं विशेष सशस्त्र बल बटालियन।
5. पी.टी.एस।
6. जेल पुलिस।

जिला पुलिस बल के कार्य, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण में भूमिका

सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को पुलिस विभाग में सम्मिलित होने के बाद पदानुसार पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उसे कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था संबंधित प्रशिक्षण, अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, संविधान, यातायात प्रबंधन, विभिन्न कानून संबंधित जानकारी, अपराध विवेचना, पी.टी., परेड, आर्म्स प्रशिक्षण आदि विभिन्न आयामों में प्रशिक्षित किया जाता है। पुलिस के प्रमुख कार्य निम्न हैं—

1. अपराध की रोकथाम

पुलिस का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जिसमें नियमित गश्त और विजिबल पुलिसिंग, छोटे-छोटे पुलिस बीट की व्यवस्था, अपराधियों की निगरानी आदि शामिल हैं।

2. कानून का पालन करवाना और जांच पतासाजी

यह पुलिस का प्रतिक्रियात्मक कार्य होता है जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर उसकी जांच, सबूतों

का संग्रह, आरोपियों की गिरफ्तारी, न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन आदि शामिल है।

3. सामाजिक सौहार्द, भांति और सुरक्षा व्यवस्था

सामाजिक सौहार्द, शांति और सुरक्षा के विषय में रीवा जिला पुलिस बल हर समय चौकन्ना रहती है। जिसमें कानून—व्यवस्था नियंत्रण, संवेदनशील मामलों का प्रबंधन, वीआईपी एवं वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन प्रबंधन, राष्ट्रीय पर्व, त्यौहारों, जूलूसों और बड़े आयोजन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन में ट्रैफिक नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

4. आपात स्थिति हेतु चौकन्ना और सहायता

रीवा पुलिस हर समय आमजन की सुरक्षा

एवं सेवा को ही अपना धर्म मानती है। आपातकालीन स्थितियों में पुलिस कन्ट्रोल रूम एवं डायल 100/112 नंबरो पर 24 घण्टे त्वरित प्रतिक्रिया दी जाती है। संबंधित वाहन घटना स्थान पर पहुँच कर पीडित की यथा संभव सहायता करती है। प्राकृतिक/मानवीय आपदा संकट में रीवा पुलिस आमजन की जान—माल की सुरक्षा हेतु हर समय तैयार रहती है।

अपराधिक घटना एवं रोकथाम

देश भक्ति जन सेवा की भावना से लक्षित रीवा पुलिस अपराधिक घटनाओं के नियंत्रण में काफी सूझबूझ का परिचय दिया है। घटित विभिन्न प्रकार के अपराधों का नीचे सारणी में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है—

क्र.	अपराध	2022	2023	2024
1.	हत्या	41	36	34
2.	हत्या के प्रयास	41	49	45
3.	डकैती	01	00	02
4.	डकैती की तैयारी	01	01	02
5.	लूट	63	68	41
6.	बलात्कार	93	115	102
7.	अपहरण	379	441	417
8.	अपहरण (धन हेतु)	01	00	01
9.	गृहभेदन	462	371	382
10.	पशु चोरी	23	22	18
11.	तांबा तार चोरी	16	08	06
12.	टू-व्हीलर चोरी	731	624	609
13.	फोर व्हीलर चोरी	35	23	06
14.	बलवा	16	16	16
15.	अन्य अपराध	5524	5170	5479
	योग	7794	7267	7400

स्त्रोत- दैनिक भास्कर, रीवा, 27 दिसंबर 2024, <http://epaper.bhaskarhindi.com/c/76500363>

अपराध नियंत्रण में वर्ष 2022 में हत्या के 41 अपराध पंजीबद्ध हुए जबकि वर्ष 2024 में मात्र 34 अपराध ही पंजीबद्ध हुए। इसी प्रकार लूट, गृहभेदन, चोरी आदि के अपराधों पर अंकुश लगाया गया। हालांकि बलात्कार, अपहरण जैसे मामलों में वृद्धि देखी गई है।

सामुदायिक पुलिसिंग

सामुदायिक पुलिसिंग का मुख्य उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच सहयोग और विश्वास को बढ़ाना है। इसके अन्तर्गत जन-मैत्री और संपर्क कार्यक्रम स्थापित करना जिसमें जन-संवाद और चौपालों का आयोजन करना। पुलिस अधिकारियों द्वारा स्कूल, कॉलेज और मोहल्लों में विजिट कर आमजन से नजदीकी संबंध स्थापित करना। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु सुरक्षा समितियों का गठन करना। महिला सुरक्षा व जागरूकता कार्यक्रम चलाना। साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता एवं सड़क सप्ताह मनाना और हेलमेट/सीटबेल्ट के प्रति जागरूक करना है।

नया कानून और रीवा पुलिस

पुराने कानून भारतीय दण्ड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह नये कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाए गये हैं। ये तीन नये कानून देश में 01 जुलाई 2024 से लागू हो गए। अब इन्हीं कानूनों के आधार पर रीवा पुलिस भी जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है।

1. जागरूकता एवं प्रशिक्षण

नये कानूनों के प्रावधानों, धाराओं एवं जाँच के तरीकों के बदलाव आया है। रीवा पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों को उक्त कानूनों की ट्रेनिंग दी गई। इसमें डिजिटल साक्ष्य जुटाने और ई-एफआईआर पर भी विशेष जोर दिया गया है।

आमजन/छात्र-छात्राओं को भी नये कानून के बारे में समाचार पत्र, टी.व्ही. चैनल, पोस्टर, जन संवाद/चौपाल, सेमिनार आदि के जरिये बताया गया है।

2. आधुनिक पुलिसिंग पर जोर

डिजिटल साक्ष्य के संग्रहण अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक-डिजिटल साक्ष्य को मजबूती दी गई। रीवा पुलिस भी साक्ष्यों को इकट्ठा करने व उन्हें सुरक्षित रखने हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है। साथ ही पीड़ित को अधिकार एवं समय पर न्याय दिलाने का काम भी रीवा पुलिस करती है।

3. कानून-व्यवस्था और क्रियान्वयन

रीवा के वर्तमान पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिये हैं कि अपराध और नशे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नए कानूनों के कड़े प्रावधानों जैसे भीड़ की हिंसा पर कठोर दंड का उपयोग करके अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है। नए कानून में सामुदायिक पुलिसिंग आम जनता के साथ पुलिस के बेहतर सहयोग पर जोर देते हैं।

सामाजिक जन-जागरूकता

राहवीर योजना- योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 'गोल्डन ऑवर' (दुर्घटना के बाद का पहला घंटा) के अन्दर हॉस्पिटल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुँचाना। अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार 25,000 रु का नगद इनाम एवं प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाता है।

हेलमेट/सीटबेल्ट के प्रति जागरूकता- पोस्टर, निबंध प्रतियोगिता, नुक्कड़-नाटक सभा, स्कूल-कॉलेज व अन्य कार्यक्रमों के जरिये पुलिस हेलमेट/सीटबेल्ट के प्रति जागरूक करती है। जिससे दुर्घटना पर वाहन चालक व यात्री की

सुरक्षित रहें।

नशे के विरुद्ध अभियान— रीवा के पुलिस महानिरीक्षक श्री गौरव राजपूत ने स्पष्ट कहा है कि रीवा जिले को नशा मुक्त बनाया जायेगा। इसलिए सरकार के विभिन्न अभियानों जैसे नशे से दूरी है जरूरी, ऑपरेशन प्रहार-2 अभियान के जरिये रीवा के आमजन को नशे के विरुद्ध जागरूक किया गया और अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई।

साइबर क्राइम के विरुद्ध जागरूकता अभियान— टी.वी. चैनल, समाचार पत्र, पोस्टर, नाटक नुक्कड़, सोशल मीडिया आदि के जरिये साइबर क्राइम के विरुद्ध लोगों को जागरूक करती है। ताकि उनका धन सुरक्षित रहे।

महिलाओं, बच्चों, कमजोर वर्गों एवं एससी/एसटी वर्ग के मुद्दों के प्रति सजग— इन वर्गों के न्याय के प्रति रीवा पुलिस सदैव सजगकता दिखाती है।

रीवा पुलिस की विशेष उपलब्धियाँ

(1) 6 माह के मासूम का अपहरण रीवा पुलिस ने मुंबई से किया बरामद— मई 2024 में कॉलेज चौराहा रीवा से राजस्थान से रोजी-रोटी के लिए आए एक परिवार के छह माह के मासूम का रात के सोते समय कॉलेज चौराहा फुटपाथ से अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गये। रीवा पुलिस थाना सिविल लाइन में अपराध क्र. 222/24 धारा 363, 34 भादवि पंजीबद्ध कर कठिन जांच पतासाजी करके मुंबई से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने में सफल रही। इस बच्चे का अपहरण 29 लाख रुपये के लालच में किया गया था। मुंबई के संतान विहीन शिक्षक को बच्चा दिलाने के लिए सौदा किया गया था।

(2) रीवा पुलिस ने एक करोड़ का गांजा पकड़कर पकड़ा— तत्कालीन आईजी डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में

गांजा पकड़ने के लिए महाराष्ट्र से पुलिस ने रखी नजर और सफलता प्राप्त की जिस पर थाना चोरहटा में अपराध क्र. 245/24 धारा 8/20 (बी), 25, 25 (ए) एनडीपीएसएक्ट का अपराध कायम किया गया। रीवा पुलिस गिरोह के तह तक जाने के लिए उडीसा सहित कई जगह टीम भेजी गई। तत्कालीन आईजी डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार ने प्रेस कान्फ्रेंस कर बताए कि गांजा की इस खेप को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र से नजर रखी जा रही थी। जबलपुर होते हुए इस खेप के रीवा पहुंचने पर पुलिस को सफलता मिल गई। इसमें 5 क्विंटल गांजा, लेड ग्ले प्रिंट लिक्विड एवं तीन मोबाइल कुल जब्त मसरूका की कीमत डेढ़ करोड़ से ज्यादा आंकी गई है।

(3) रीवा पुलिस ने गोविन्दगढ ट्रिपल मर्डर का किया पर्दाफास— आरोपी ने महिला सहित उसकी दोनो बेटियों का घर के अन्दर ही मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने थाना गोविंदगढ में अप.क्र. 117/24 धारा 302,201 भादवि पंजीबद्ध कर मामले को विवचेना में लिया आरोपी महिला के देवर ने रीवा पुलिस को खूब गुमराह किया अन्ततः रीवा पुलिस के सूझबूझ के सामने उसे अपने कृत्यों को पुलिस के सामने उजागर करना पडा, बताया कि उसने ही तीनों की हत्या की है।

(4) फाइनेंसियल साइबर क्राइम जालसाजों से जंग में पुलिस के एक्सपर्ट्स ने बचाए आमजन के 90 लाख रुपये— रीवा पुलिस ने सीमित संसाधनों के बावजूद वर्ष 2024 में पुलिस के साइबर विशेषज्ञों ने आमजन के 90 लाख बचाने में सफलता प्राप्त की। यह रीवा पुलिस के लिए गौरव की बात है।

(5) माँ के सामने नाबालिक बेटे ने छोटी बहन का गला घोटकर हत्या कर दी थी, पुलिस ने सुलझाई गुत्थी— इस नाबालिक की हत्या की घटना ने रीवा पुलिस को बहुत परेशान

किया। अन्ततः काफी मशक्कत और कठिन परिश्रम के बाद पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली। दरअसल, मोबाइल में अश्लील वीडियो देखकर भाई ने अपनी छोटी बहन के साथ गलत काम किया। जब बहन ने पापा से बताने की बात कही तो भाई ने गला घोट दिया। यह घटना माँ के सामने हुई परन्तु माँ छिपाती रही।

(6) प्रेमी की खातिर बेटे को उतार दिया मौत के घाट— पनवार थाना क्षेत्र में 13 साल के मासूम की हत्या के हत्यारे तक पुलिस काफी सूझ बूझ के बाद रीवा पुलिस इस घटना की गुत्थी सुलझा जी। दरअसल महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा था। बेटा इसका विरोध करता था। यह बात जब महिला ने अपने प्रेमी को बताई तो उसने रास्ते से हटाने का मंत्र दिया। इसके बाद माँ ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया।

रीवा पुलिस के समक्ष चुनौतियाँ

(1) बदलती अपराध की प्रकृति— साइबर अपराध के तहत इंटरनेट और मोबाइल के बढ़ते उपयोग के कारण ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे घटनाओं में वृद्धि हुई है। अपराधियों के अपेक्षा पुलिस के पास कम आधुनिक तकनीकी उपकरण हैं जिससे काफी चुनौतियाँ आती हैं।

(2) साम्प्रदायिक सद्भाव— साम्प्रदायिक या जातीय तनाव से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पडती है जो बहुत चुनौती भरा कार्य है।

(3) पुलिस कर्मियों की कमी— स्वीकृत पदों की तुलना में पुलिस संख्या बल कम है जिससे काम की अधिकता होने के कारण जाँच और गश्त प्रभावित होती है। काम की अधिकता से पुलिसकर्मियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडता है।

(4) जनविश्वास और पुलिस की छवि—

सामुदायिक पुलिसिंग के बावजूद भी कई बार पुलिस जनता में विश्वास नहीं बना पाती। वजह काम की अधिकता के कारण कई बार जनता की समस्या का सही समय पर निराकरण न हो पाना। कई बार कुछ पुलिस कर्मियों पर मारपीट एवं रिश्वत के आरोप लगते हैं, जो पुलिस की छवि धूमिल करते हैं हालाँकि ऐसे मामलों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा त्वरित जाँच कर निष्पक्ष कार्यवाही की जाती है जिससे पुलिस विभाग की गरिमा बनी रहती है।

निष्कर्ष

समाज में हमेशा से ही पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी महत्ता को बनाये रखने हेतु रीवा पुलिस सदैव देश भक्ति—जन सेवा के रंग में रगी हुई रहती है। अच्छी पुलिसिंग के निर्माण में वहाँ के प्रशासको, शासकों एवं जनसहयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुलिस कानून व सुरक्षा व्यवस्था का प्रभावी ढंग से पालन करवाकर निष्पक्ष तरीकेसे पीडित को न्याय दिलवाकर सामुदायिक पुलिसिंग के जरिये जनता में अपना भरोसा बढ़ाया है। अपराधों पर नियंत्रण, साम्प्रदायिक या जातीय संघर्षों पर अंकुश, यातायात प्रबंधन, विभिन्न जन जागरूकता अभियान, साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता एवं आपरेशन प्रहार—2 जैसे अभियान चलाकर अवैध नशे कारोबारियों पर नकेल कसी है। इस शोध पत्र में रीवा पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था, उसके कार्य, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के अलावा पुलिस के अन्य महत्वपूर्ण कार्य की संक्षिप्त जानकारी दी गई है जो आमजन के लिए उपयोगी है। रीवा पुलिस कई बड़े अनसुलझे अपराधों की गुत्थी चंद दिनों में ही सुलझा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भिजवाने का कार्य की है।

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह शोध पत्र रीवा जिला पुलिस बल की प्रशासनिक

व्यवस्था, कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था संबंधी जानकारी, उनके कार्य एवं चुनौतियों के बारे में आमजन तक पहुँचाने में मदद करेगा तदुपरांत रीवा की जनता पुलिस के कार्यों, व्यवस्था एवं उनके चुनौतियों में कंधे से कंधे मिलाकर अपना सहयोग प्रदान करेगी जिससे जिला रीवा पुलिस बल का नाम प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी गौरव से लिया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा, श्री गौरव राजपूत जी द्वारा विन्ध्या टाइम्स, नेशन टी.व्ही., शब्द सांची, विराट 24 न्यूजव कई अन्य मीडिया को दिये गये साक्षात्कार/प्रेसवार्ता
2. विन्ध्या टाइम्स के संवाददाता मनीष दाहिया की पुलिस अधीक्षक, रीवा श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान जी से की गई चर्चा
3. डॉ. शालिगराम मिश्र, दस्यु उन्मूलन में पुलिस की भूमिका-शोध थीसिस
4. प्रधान आरक्षक राजीव कुमार वर्मा, आरक्षक मुहीउद्दीन, आरक्षक ऋतुराज, आरक्षक रामखेलावन, सउनि कमलेश राठी, आरक्षक कमलेश आदि का साक्षात्कार
5. [j hok i ty | csl kbV&https://rewa.mppolice.gov.in](https://rewa.mppolice.gov.in)
6. दैनिक भास्कर, नवजागरण समाचार पत्र





डिजिटल-युग में भाट जाति द्वारा वंशावली-संधारण की चुनौतियाँ और परिवर्तन

(एक सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन)

□ अमित कुमार सिंह*

शोध-सारांश

भारतीय सभ्यता की विशिष्टता इसकी सांस्कृतिक निरंतरता में निहित है, जहाँ हज़ारों वर्षों से विभिन्न समुदायों ने अपनी विशिष्ट सामाजिक भूमिकाओं के माध्यम से इस सभ्यता को संजोया है। इन्हीं समुदायों में से एक महत्वपूर्ण समुदाय है भाट जाति, जो भारतीय उपमहाद्वीप में वंशावली-संधारण और पारिवारिक इतिहास के रक्षक के रूप में सदियों से कार्यरत रही है। यह समुदाय उत्तर भारत में विशेषकर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निवास करता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में तेलंगाना और पूरब में बंगाल में पाया जाता है। भारत के इन सभी क्षेत्रों में भाट समुदाय परंपरागत रूप से विभिन्न जातियों के वंशावली-संधारण का कार्य करता आया है।

आज के डिजिटल युग में, जब तकनीकी क्रांति ने मानव-जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, भाट समुदाय भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहा है। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया ने एक ओर जहाँ सूचना के संरक्षण और प्रसार में नई संभावनाएँ प्रदान की हैं वहीं, दूसरी ओर पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और व्यवसायों के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक यह देश की कुल अर्थव्यवस्था का पाँचवाँ हिस्सा भी बनने जा रही है, ऐसा विशेषज्ञों का प्रबल अनुमान है। ऐसे में, इस डिजिटल-युग में भाट जाति द्वारा वंशावली-संधारण की चुनौतियाँ उजागर हो रही हैं, जिसके कारण वंशावली-संधारण की प्रक्रिया और स्वरूप में परिवर्तन आया है।

मुख्य शब्द- भाट, वंशावली, पिढियावली, वहीवंचा, संधारण, डिजिटल-युग, वैश्वीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग।

* सलाहकार (संचार विशेषज्ञ) भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, (उ.प्र.)

प्राक्कथन

भाट समुदाय की वंशावली-संधारण परंपरा भारतीय इतिहास की निर्माण-प्रक्रिया में विशेष स्थान रखती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और बंगाल आदि के अलग-अलग क्षेत्रों में वंशावलीकरण के स्वरूप, अभिलेख-संधारण विधियाँ, सामाजिक-सांस्कृतिक भूमिका समय के साथ-साथ गतिशील रही हैं।

राजस्थान और गुजरात में भाटों द्वारा लिखित बहियाँ, चारण एवं भाटों द्वारा मौखिक और लिखित वंशावली और पीढियावली प्रणाली आदि भाटों द्वारा वंशावली-संधारण का एक अनुपम उदाहरण है। दक्षिण भारत खासकर तेलंगाना में लंबाडघ भाटों द्वारा गीत, व्याख्यान, नृत्य एवं मौखिक कारकों के जरिए सामाजिक क्रियाकलापों और विशिष्ट जीवनशैली की स्मृतियों का संधारण भी एक मूल्यवान कार्य है, जिसमें भारतीय समाज के अस्तित्व का यशगान निहित है। ऐसे ही, बंगाल वंशावली में देखें, तो वहाँ कुल-ग्रंथ, कुल-पंजी और कुलजि परंपरा दिखती है। इसके अलावा कुलाचार्य, विवाह-संस्कार और सामाजिक शुद्धि की विशिष्ट परंपराएँ दिखती हैं।

उक्त सभी, भाटों के संधारण-कार्य के प्रतिमान हैं। लेकिन अब डिजिटलीकरण के युग में लोगों की तों के अनुरूप इसमें परिवर्तन आया है। मौजूदा समय में यही वंशावली के समयानुकूल संधारण की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

भाट समुदायरू ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भाट समुदाय की ऐतिहासिक जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं, जहाँ युधिष्ठिर के कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर जाते समय बाडों का उल्लेख मिलता है। यह समुदाय मूलतः दो मुख्य उपसमूहों में विभाजित है— (क) ब्रह्म भाट और (ख) राय भाट। ब्रह्म भाट को ब्राह्मणों की शाखा माना जाता है, जबकि चारण राजपूतों से संबद्ध हैं।

भाटों की पारंपरिक भूमिका केवल वंशावली-संधारण तक सीमित नहीं थी। वे राजदरबारों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे और राजपूत वीरगाथाओं के संवाहक थे। मैल्कम के अनुसार— भाट, राजपूताना में गर्वित और अज्ञानी सरदारों के 'वंशावली विद्याविशारद्' के रूप में उच्च स्थान रखते थे।

वंशावली प्रणाली की विशेषताएँ

भाटों द्वारा संधारित वंशावली प्रणाली की कई विशेषताएँ हैं। इनमें पिढियावली प्रणाली, वंशावली प्रणाली और वहीवंचा परंपरा प्रधान हैं।

(क) **पिढियावली प्रणाली**— यह मुख्यतः राजस्थान में प्रचलित थी, जहाँ भाट बड़ी-बड़ी बहियों में वंशावली रखते थे। ये बहियाँ भाटों की संपत्ति मानी जाती थीं और नियमित अवसरों पर इनका पाठ किया जाता था।

(ख) **वंशावली प्रणाली**— यह पारिवारिक संपत्ति थी और परिवार द्वारा स्वयं रखी जाती थी। यह प्रमुख परिवारों, मसलन स्थानीय शासकों और महत्त्वपूर्ण भूस्वामियों के लिए अधिक विस्तृत होती थी।

(ग) **वहीवंचा परंपरा**— गुजरात में वहीवंचा बरोट समुदाय ने लिखित रूप में अभिलेख सुरक्षित रखे। भाटों के इस फिरके के पास सबसे पुराना उपलब्ध दस्तावेज 1740 ईस्वी का है, परंतु इनमें 1234 ईस्वी की घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है।

पारंपरिक वंशावली संधारण प्रणालियाँ

भाट समुदाय द्वारा अपनाई गई वंशावली संधारण की पद्धतियाँ अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक थीं। वे न केवल जन्म, मृत्यु और विवाह के अभिलेख रखते थे, बल्कि वह इसमें महत्त्वपूर्ण पारिवारिक घटनाओं, संपत्ति के बँटवारे, और सामाजिक स्थिति में परिवर्तनों का भी विस्तृत विवरण संजोते थे।

भाट समुदाय में प्रमुख रूप से मौखिक परंपरा का विशेष महत्त्व था। लंबाडघ भाट कथाओं में

ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि होती है और ये ऐतिहासिक कथाएँ कहलाती हैं। ये कथाएँ लंबाडघ समुदाय के भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं के पार की गतिविधियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती हैं।

हालाँकि गुजरात के वहीवंचा बरोट समुदाय ने विशेष रूप से लिखित अभिलेखों का विकास किया। इनमें न केवल वंशावली की जानकारी थी, बल्कि संपत्ति हस्तांतरण, विवाह-वार्ता, धार्मिक अनुष्ठान और महत्वपूर्ण पारिवारिक घटनाओं का भी विवरण सम्मिलित होता था।

भाट समुदाय की सामाजिक भूमिका

भाटों की सामाजिक भूमिका इनकी वंशावली-संधारण प्रक्रिया से कहीं व्यापक थी। वे सामाजिक मध्यस्थ, सत्य के रक्षक और सांस्कृतिक संरक्षणवादी की भूमिका निभाते थे। उनका व्यक्तित्व पवित्र माना जाता था और वे युद्ध में अग्रदूतों का काम करते थे तथा अनुबंधों की पूर्ति की गारंटी भी देते थे। इस प्रकार, भाट समुदाय समाज में अपनी बहुआयामी भूमिका के लिए विशिष्ट स्थान रखता था। तथापि वंशावली-संधारण प्रक्रिया में इनकी संलिप्तता भाटों की पहचान का प्रतिमानित कार्य रहा है। हालाँकि अब उन्हें वंशावली के संधारण की प्रक्रिया में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भाट समुदाय की मौजूदा चुनौतियाँ

अब तक भाट समुदाय पर किया गया कार्य मुख्यतः मानवशास्त्रीय और इतिहास के क्षेत्र तक ही केंद्रित रहा है। ए0 एम0 शाह का प्रतिमानित अध्ययन "द वहीवंचा बरोट्स ऑफ गुजरातरू ए कास्ट ऑफ जेनेलॉजिस्ट्स" इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। उन्होंने बताया कि कैसे गुजरात के वहीवंचा बरोट समुदाय ने गुजराती समाज की गतिशीलता में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। वहीं, जेफ्री स्नोडग्रास ने अपने शोध में भाटों पर

वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि पिछले तीन दशकों में भाट समुदाय पूरे भारत में प्रवासित हुए हैं और वैश्वीकरण के कारण उनकी जीवनशैली में आमूल-चूल परिवर्तन आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आधुनिकीकरण के कारण पारंपरिक संरक्षकता के स्रोत लगभग सूख गए हैं और भाट अब कठपुतली के काम और कबाडघ बीनने जैसे कार्यों में संलग्न होने को बाध्य हैं।

समसामयिक शोधकर्ताओं ने इस क्रम में डिजिटलीकरण के प्रभाव पर भी ध्यान दिया है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के तत्वावधान में चल रही डिजिटलीकरण परियोजना इस दिशा में महत्वपूर्ण है, जो तीर्थ पुरोहितों द्वारा रखे गए वंशावली अभिलेखों को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर रही है। यह परियोजना उज्जैन से शुरू होकर देशभर के 25 से अधिक तीर्थ स्थानों तक विस्तृत हो रही है। इसके बरक्स भाट समुदाय में वंशावली संधारण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें तकनीकी परिवर्तन से लेकर आर्थिक चुनौतियाँ, सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियाँ और अन्य तमाम चुनौतियाँ शामिल हैं। यह सब पहले वैश्वीकरण और अब डिजिटलीकरण के कारण भाटों का बदला हुआ परिदृश्य उजागर करता है, जिससे निपटने के लिए भाट समुदाय की समयानुकूल और तकनीकीगत अनुकूलता अपरिहार्य है।

(क) डिजिटल-युग में तकनीकी-परिवर्तन का प्रभाव

बीसवीं सदी के अंतिम दशक की शुरुआत में आए वैश्वीकरण ने दुनिया बदलनी शुरू कर दी थी। इस प्रक्रिया के एक दशक बाद ही इक्कीसवीं सदी में डिजिटल क्रांति ने भाट समुदाय के पारंपरिक कार्यक्षेत्र को मौलिक रूप से प्रभावित कर दिया। इंटरनेट की पहुँच, डिजिटल प्लेटफार्मस का विकास

और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग ने वंशावली अनुसंधान के परंपरागत तरीकों को चुनौती दे दी।

(अ) डिजिटल डेटाबेस का प्रभाव— Ancestry-com और Family Search जैसे प्लेटफॉर्म ने अरबों डिजिटाइज्ड दस्तावेजों को सुलभ बना दिया है, जिनमें जन्म, मृत्यु, विवाह और जनगणना के अभिलेख शामिल हैं। यह परिवर्तन उन कार्यों को स्वचालित बना रहा है, जो पहले भाटों द्वारा स्वयं से (मैन्युअल रूप से) किए जाते थे।

(ब) एआई और मशीन लर्निंग का प्रभाव— कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरण अब हस्तलिखित दस्तावेजों को पढ़ सकते हैं, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं और यहाँ तक कि अब वह डीएनए के गहन विश्लेषण के माध्यम से पारिवारिक संबंधों की पहचान भी कर सकते हैं।

(ख) आर्थिक चुनौतियाँ

डिजिटलीकरण ने भाट समुदाय के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत कर दी हैं। चूँकि पारंपरिक संरक्षकता के स्रोत सूख गए हैं, लिहाजघ अब वे मनोरंजन, कठपुतली प्रदर्शन और पर्यटन उद्योग में काम करने को बाध्य हैं। आधुनिकीकरण के बाद रोजगार के पारंपरिक स्रोतों का ह्रास हुआ है और उनके पुराने संरक्षण के स्रोत समाप्त हो गए हैं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भाट समुदाय अब केवल स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ पाँच सितारा होटलों और लोक-उत्सवों में सरकारी अधिकारियों की नज्दर में महज मनोरंजनकर्ता बनकर रह गया है।

(ग) सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियाँ

(अ) पीढ़ियों के बीच ज्ञान स्थानांतरण की समस्या— भाट समुदाय की युवा पीढ़ी का पारंपरिक व्यवसाय में रुचि न लेना एक प्रमुख चुनौती है। वंशावली लेखन कार्य में वर्तमान पीढ़ी की रुचि कम हो रही है। ऐसा प्रयोग भी दूर-दूर तक नहीं दिखता है कि डिजिटलीकरण के युग में

तकनीकी का प्रयोग करते हुए वह वंशावली-संधारण के कार्य से जुड़े हुए हों! यदि वह इसे तकनीकी का सहारा लेकर आगे बढ़ते तो बहुत संभव है कि पांडुलिपियों के संधारण का यह कार्य समयानुकूल होता और समाज के सामने मौजूदा चुनौती न होती। बल्कि इस कार्य से भाट समुदाय के लिए काल-सम्यक धन का अर्जन करना भी संभव होता।

(ब) शहरीकरण का प्रभाव— शहरीकरण और प्रवासन के कारण पारंपरिक सम्पर्क टूट रहे हैं। चूँकि इससे भाट समुदाय भी अछूता नहीं रहा। इसीलिए इंटरनेट, आधुनिक तकनीक और मौद्रिक कारकों के प्रभाव से भारत में पारंपरिक वंशावली संधारण की परंपरा एक मरती हुई प्रथा बन गई है।

(घ) साक्षरता संबंधी बाधाएँ

डिजिटलीकरण के दौर में भाट समुदाय में डिजिटल साक्षरता की कमी है। यह साक्षरता-दर विशेषकर महिलाओं में बेहद कम है। डिजिटल उपकरणों के उपयोग में यह भाट समुदाय की एक बड़ी बाधा है। यही कारण है कि वंशावली के संधारण के कार्य की निरंतरता में कमी आती चली गई। इसके अलावा भाट समुदाय में भाषा और लिपि की समस्याएँ भी एक प्रमुख बाधा है, क्योंकि भाट समुदाय 40 से अधिक भाषाएँ बोलता है। चूँकि पारंपरिक अभिलेखों का डिजिटलीकरण करते समय उन पुरानी भाषाओं और हस्तलेखन को समझने की आवश्यकता होती है, जिसमें पुराने समय में वंशावलियाँ लिखी गई थीं। इस प्रकार, कई तरह की प्रमुख तकनीकी चुनौतियों से भाट समुदाय जूझ रहा है।

समसामयिक परिवर्तन और अनुकूलन

आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के कारण जाति-आधारित पारंपरिक व्यवसायों का क्षरण हो रहा है। भाट समुदाय इस व्यापक सामाजिक

परिवर्तन का एक उदाहरण है। डिजिटल युग में भाट समुदाय की सांस्कृतिक पहचान गंभीर संकट में है। पारंपरिक कार्यों की घटती माँग और युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर रुझान हो जाने से इस समुदाय की मूल पहचान पर खघ्तरा मंडरा रहा है। यूनेस्को के अनुसार, दुनिया की 40 फीसदी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत खघ्तरे में है।

भारत सरकार ने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है। इनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अभिलेखागार की डिजिटलीकरण परियोजना तथा डिजिटल इंडिया पहल शामिल हैं। सुखद है कि भाट समुदाय के कुछ सदस्य आधुनिक तकनीकी का चुनिंदा उपयोग कर रहे हैं। वे अपने पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करने के तरीके भी खोज रहे हैं। भाट समुदाय के भीतर सामुदायिक संगठन बनाए जा रहे हैं, जो पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और आधुनिक तकनीक के साथ एकीकरण पर काम कर रहे हैं।

तकनीकी समाधान और नवाचार

ऑनलाइन दुनिया में कई वेबसाइटें 100 से अधिक भाषाओं में डिजिटल इज्जद अभिलेखों से डेटा निकालने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करती हैं। यह ऐतिहासिक डेटा को ट्रांसक्राइब और विश्लेषित करने में लगने वाले समय को काफी हद तक कम करता है। इसी का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय स्मारक और पुरातत्व संग्रहालय ने 'राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस' बनाने के लिए डिजिटलीकरण दिशा-निर्देश स्थापित किए हैं। इसके अलावा श्री-डी स्कैनिंग, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी तकनीकों ने तो विरासत संरक्षण को जबरदस्त तरीके से बदल दिया है।

भविष्य की संभावनाएँ और सुझाव

(क) नीतिगत सुझाव— सरकार को एक

व्यापक 'डिजिटल विरासत नीति' बनानी चाहिए, जो पारंपरिक ज्ञान रखने वाले समुदायों को मुख्यधारा में लाने के साथ-साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित करे।

(ख) वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन— भाट समुदाय के डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की आवश्यकता है।

(ग) हाइब्रिड मॉडल का विकास— पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और आधुनिक डिजिटल तकनीक के बीच एक हाइब्रिड मॉडल विकसित करना आवश्यक है, जो दोनों की शक्तियों का लाभ उठाए।

(घ) समुदाय-केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म— भाट समुदाय के लिए विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास करना चाहिए, जो उनकी भाषा, संस्कृति और कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हों।

निष्कर्ष

डिजिटल युग में भाट जाति द्वारा वंशावली-संधारण की चुनौतियाँ बहुआयामी और जटिल हैं। एक ओर जहाँ डिजिटलीकरण ने पारंपरिक व्यवसाय को चुनौती दी है, वहीं दूसरी ओर उसने नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। इस समुदाय की मुख्य चुनौतियों में आर्थिक स्थिरता, तकनीकी साक्षरता, पीढ़ियों के बीच ज्ञान-हस्तांतरण और सांस्कृतिक-पहचान आदि का संरक्षण शामिल हैं।

चूँकि भाट समुदाय द्वारा सदियों से संजोई गई वंशावली-संधारण की परंपरा भारतीय सभ्यता की अमूल्य विरासत है। इसलिए डिजिटल युग की चुनौतियों के बावजूद, यह समुदाय अनुकूलन और नवाचार की अपनी क्षमता के द्वारा नए अवसरों का लाभ उठा सकता है। इसके लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, तकनीकी कंपनियों और समुदायों के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। समसामयिक परिवर्तनों के संदर्भ में, यह देखा भी

गया है कि भाट समुदाय के कुछ सदस्य सफलतापूर्वक डिजिटल तकनीकों को अपना रहे हैं और नए व्यावसायिक अवसर तलाश रहे हैं। इसे समावेशी और व्यापक रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. द प्रिंट, 20 फरवरी, 2025
2. डॉ0 वी0 राजूनायक, रिसर्च जर्नल ऑफ इंगलिश, संस्करण-2, खण्ड-4, 2019
3. बंगाल के कुलग्रंथ
4. पश्चिमी भारत की वंशावली परंपराएँ— चारण, भाट और वाहीवांचा बारोट
5. मैल्कम (1823)
6. पश्चिमी भारत की वंशावली परंपराएँ— चारण, भाट और वाहीवांचा बारोट
7. डॉ0 वी0 राजूनायक, रिसर्च जर्नल ऑफ इंगलिश, संस्करण-2, खण्ड-4, 2019
8. चारण, भाट और वाहीवांचा बारोटरू पश्चिमी भारत की वंशावली परंपराओं के संरक्षक
9. अदवा भाट और जगा भाट, जनरल रिकॉर्ड कीपर्स
10. ए0 एम0 शाह और आर0 जी0 श्रॉफ : द वहीवांचा बरोट्स ऑफ गुजरात— ए कास्ट ऑफ जेनेलॉजिस्ट्स, खण्ड-71, सं0 28, द जर्नल ऑफ अमेरिकन फघेक्लोर, वर्ष- 1958
11. डॉ0 जेफरी जी0 स्नोडग्रास (2006)
12. फेई शान और कर्ट लूथर : रीएग्जामिन टेक्निकल सपोर्ट फॉर जेनेलॉजी रीसर्च, कोलैब्रेशन एंड एजुकेशन, 2024
13. जॉर्जिना तोआ सालाजघर : अनरवेलिंग द पास्ट : एआई एंड द इवॉल्यूशन ऑफ जेनेलॉजी, एसोसिएशन ऑफ विमेन साइंस, 2025
14. द रिवाॅल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑफ ए आई ऑन जेनेलॉजी एंड हिस्टोरिकल रीसर्च, मेनीरोड्स, 4 अप्रैल, 2025
15. डॉ0 वी0 राजूनायक, रिसर्च जर्नल ऑफ इंगलिश, संस्करण-2, खण्ड-4, 2019
16. वही
17. रिपोर्ट, जोशुआ प्रोजेक्ट
18. डॉ0 रविकुमार डी0, द एकेडमिक : इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रीसर्च, खण्ड-2, संस्करण-4, अप्रैल 2024
19. इंडियन जेनेलॉजी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन: बैलेंसिंग ट्रेडीशन एंड मॉडर्निटी
20. द प्रिंट, 20 फरवरी, 2025
21. इंडियन जेनेलॉजी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन: बैलेंसिंग ट्रेडीशन एंड मॉडर्निटी
22. सौम्या बी0 और रमेश पाई, डिजिटल इन्क्लूजघन ऑफ विमेन एंटरपेन्योरशिप इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर: ए सिस्टमेटिक रीव्यू, संस्करण-1, 71-85, वर्ष 2025
23. अर्चना शर्मा और अबरार कघदिर मीर: आईडेंटिफघइंग द इंपैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ट्राइबल रीसर्च इंस्टीट्यूट, जम्मू और कश्मीर, 2022





विष्णु पुराण में भारत-बोध

□ डॉ. सन्दीप कुमार तिवारी*

शोध-सारांश

भारतीय पुराण— साहित्य केवल अध्यात्म, दर्शन या पौराणिक आख्यानों का ग्रन्थ समूह नहीं है, अपितु यह भारत की सांस्कृतिक स्मृति, भौगोलिक चेतना तथा राष्ट्र—परंपरा का भी प्रामाणिक भण्डार है। अष्टादश पुराणों में गण्य श्रीविष्णु पुराण केवल विष्णु—तत्व का बोध नहीं कराता अपितु सृष्टि—रचना से लेकर मनुष्य, समाज, भूगोल, इतिहास, राजनीति, धर्म और मोक्ष तक का अत्यन्त संगठित एवं दार्शनिक स्वरूप प्रस्तुत हुआ है। “भारत— बोध” भारतीय सभ्यता के उस प्राचीन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भारत को कर्मभूमि, पुण्यभूमि और मोक्षभूमि — त्रिविध केन्द्रों का संगम माना गया है। विष्णु—पुराण में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप का हृदय कहा गया है। यहाँ कुलपर्वत, नदियाँ, प्रदेश, जनवासी, राजवंश उस भौगोलिक और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं जिसने सहस्राब्दियों से भारत को “धर्मप्रधान” राष्ट्र की पहचान प्रदान की है। विष्णु पुराण में भारत बोध विषयक शोध का उद्देश्य राजा भरत की भूमि का केवल भूगोल बोध नहीं, केवल भारत की महिमा का गौरवगान नहीं अपितु तप, दान, धर्म, कर्म और मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ जिस भारतवर्ष को पुराणकार ने ‘कर्मभूमि’ व अन्य खण्डों को भोगभूमि बताकर भारतीय जीवन—दर्शन की अद्वितीया को रेखांकित किया है इस पुण्यधरा की सांस्कृतिक—वैचारिक प्रासंगिकता का बोध कराने का प्रयास है।

मुख्य शब्द— जम्बूद्वीप, स्वर्ग—अपवर्ग, हिमवर्ष, प्रियव्रत, आग्नीध्र, ऋषभदेव भरत, कुलपर्वत, सरिता वर्णन, कर्म—भूमि, मोक्ष—भूमि, भारतवर्ष।

जम्बूद्वीप की स्थिति बोध— सम्पूर्ण पृथ्वी में सप्त द्वीप जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर बताए गए हैं। जम्बूद्वीप को चारों ओर से लक्षयोजन के विस्तार वाले वलयाकार लवणयुक्त समुद्र ने घेरा हुआ है।

जम्बूद्वीप समावृत्य लक्षयोजन विस्तरः।
मैत्रेय वलयाकारः स्थितः क्षारोदधिर्बहिः।।

उसके (जम्बूद्वीप के) भी मध्य में सुमेरु पर्वत है। मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला वर्ष में भारतवर्ष की स्थिति बतलाई गई है।

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत विभाग), एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह

भारतं प्रथमं वर्षं ततः किम्पुरुषं स्मृतम् ।²

जम्बूद्वीप का नामकरण व महत्त्व बोध—
जम्बूद्वीप के नाम का कारण जम्बूफलों की अधिकता और उनके फल जब पर्वत पर गिरकर फट जाते हैं तो उनके रस से मिश्रित जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी प्रवाहितहोती है। जिसका पान वहाँ के निवासी करते हैं। पवित्र जम्बूनदी के जम्बूरसयुक्त जलपान से वहाँ के जन शुद्धचित्त स्वेद व दुर्गन्ध रहित हैं, उन्हें जरा अथवा इन्द्रियक्षय भी नहीं होता।

रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जाम्बूनदीति वै ।³
सरित्प्रवर्तते चापि पीयते तन्निवासिभिः ।।
न स्वेदो न च, दौर्गन्ध्यं नजरा नेन्द्रियक्षयः ।⁴
तत्यानात्स्वच्छमनसां जनानां तत्र जायते ।।

भारत की भौगोलिक सीमा का बोध—भारत की भौगोलिक सीमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। जिसमें भरत की सन्तति वास करती है।

स्वर्ग—अपवर्ग को प्रदान करने वाली इस कर्मभूमि का विस्तार नौ हजार योजन है।

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।⁵
वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः ।।
नवयोजनसाहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने ।⁶
कर्म भूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम् ।।

भारत का नाम इतिहास का बोध—भारत या हिमवर्ष के इतिहास के संबंध में विष्णुपुराण में विस्तृत वर्णन दिया गया है। स्वायाम्भुवमनु के दो पुत्र प्रियव्रत व उत्तानपाद व उनकी सम्पूर्ण वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जो परमविष्णु भक्त हुए।

प्रियव्रत ने कर्दम पुत्री से विवाह किया जिनसे दो पुत्री और दश पुत्र हुए सभी पुत्र बुद्धिमान्, बलवान् व विनयसम्पन्न थे जिनके नाम आग्नीध्र, अग्निबाहु, वपुष्मान्, द्युतिमान्, मेधा, मेधातिथि, भव्य,

सवन, पुत्र और ज्योतिष्मान थे। मेधा, अग्निबाहु और पुत्र अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त जानने वाले, राज्यादि भोगों से निवृत्त, कर्म—फल की इच्छा से रहित थे। अतः राजा प्रियव्रतने शेष सात महात्मा पुत्रों को सप्त द्वीप वितरित किए। जिसमें राजा प्रियव्रत ने शेष सात महात्मा पुत्रों को सप्त द्वीप वितरित किए। जिसमें राजा प्रियव्रत ने आग्नीध्र को जम्बूद्वीप दिया।

**जम्बूद्वीपं महाभाग साग्नीध्राय ददौ पिता ।⁷
मेधातिथेस्तथा प्रादात्प्लक्षद्वीपं तथा परम ।।**

जम्बूद्वीप के अधीश्वर राजा आग्नीध्र के प्रजापति तुल्य नौ पुत्र हुए, नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्वान्, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल।

राजा आग्नीध्र ने जम्बूद्वीप के नौ राज्य कर पुत्रों को अभिषिक्त कर शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र में तपस्या को चले गये। पिता आग्नीध्र ने हिमालय से दक्षिण की ओर हिमवर्ष जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं नाभि को दिया। इस तरह महात्मा नाभि जिनका क्षेत्र हिम नामक वर्ष था उनका विवाह मेरुदेवी से हुआ और उनसे अतिशय कान्तिमान् “ऋषभ” नाम के पुत्र का जन्म हुआ। ऋषभजी के शतपुत्र थे उनमें भरतजी आयु, तेज, शक्ति व बुद्धि से सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभदेवजी धर्मपूर्वक राज्य—शासन, यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनन्तर वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या हेतु पुलहाश्रम चले गये। पिता ऋषभदेवजी ने राज्य भरतजी को दिया था, भरतजी ने धर्म, नीति, पुत्रवत् प्रजा पालन, शौर्ययुक्त गुणों से सम्पन्न होकर राज्य संचालन किया तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

ततश्च भारतं वर्षमेतल्लोकेषु गीयते ।⁸

भरताय यतः पित्रा दत्तं प्रातिष्ठता वनम् ।।

सप्त कुल पर्वतों का वैभव का बोध—इस भारतवर्ष में सप्तकुल पर्वतों का वर्णन है जो कुछ

अपने पूर्ववत् नामों तो कुछ परिवर्तित नामों की बृहत् पर्वत श्रृंखलाएँ भारत का भौगोलिक परिचय कराती हैं।

**महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः।⁹
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः।।**

महेन्द्र— महेन्द्रगिरि नाम से प्रख्यातओडिशा राज्य के गजपति जिले में स्थित है। यह रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में वर्णित हैं और इसे भगवान् परशुराम की तपस्थली माना जाता है।

मलय—यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत (कर्नाटक, केरल, तमिलानाडु) में स्थित चन्दन वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है इस क्षेत्र की वायु में भी चन्दन की सुगन्ध रहती है। मत्स्य पुराण के अनुसार, महाप्रलय के समय महाराजा मनु की नाव इसी पर्वत के शिखर पर रुकी थी।

सह्य—सह्याद्रि पर्वत भारत के पश्चिमी तट के समानान्तर एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से तमिलनाडु तक फैली है। सह्य पर्वत के विमल शिखर पर श्री त्र्यम्बकेश्वर का निवास है। यह भगवान् विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है।

शुक्तिमान्— विन्ध्यपर्वतमाला का वह भाग है जो पारियात्र और ऋक्षपर्वत को जोड़ता है। यह पर्वत ऋषिकुल्या व शुक्तिमती जैसी धार्मिक नदियों का उद्गम स्थल है।

ऋक्ष—विन्ध्यपर्वतमाला का पूर्वी भाग है। नर्मदा नदी का उद्गम ऋक्ष पर्वत है, श्रीराम के युद्ध में सहायता करने वाले ऋक्ष पर्वत के निवासी थे।

विन्ध्य— भारत के मध्यभाग में स्थित है जो गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार तक है। उत्तर प्रदेश में माँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर जो प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है इसी पर्वत पर स्थित है।

पारियात्र— यह पर्वत भारतवर्ष का पश्चिमी पर्वत है विन्ध्याचल का पश्चिमी भाग इसी नाम से जाना जाता था। भूगोल के आधुनिक विद्वान् अरावली

पर्वतमाला से संबंधित मानते हैं। प्राचीन ग्रन्थों पारियात्र को “सनपद” और “पारिपत्र” के नाम से भी जाना था। वहीं कुछ विद्वानों का विचार है कि पारियात्र अर्थात् हिन्दूकुश पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम में उत्तरी पाकिस्तान से लेकर मध्य अफगानिस्तान तक 800 किलोमीटर विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला अखण्ड भारत के अन्तर्गत आती थी।

सरिता उद्गम बोध— कुलपर्वतों के शिखर व गोद से अवतरित नदियाँ लोक-जीवन को संस्पर्श करती हुई अगणनीय सभ्यताओं को पोषण देती हैं। भारतवर्ष की महिमा की ध्वजवाहक इन सरिताओं का उद्भव विष्णुपुराणानुसार शतद्रु और चन्द्रभागा आदि नदियाँ हिमालय की तलैटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विन्ध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विन्ध्या आदि ऋक्षगिरि से निकली हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियाँ सह्यपर्वत। कृतमाला और ताम्रवर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेन्द्रगिरि तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान् पर्वत से निकली हैं। इन पवित्र नदियों की और भी सहस्रों शाखाएँ नदियाँ और उपनदियाँ हैं।

इन नदियों उपनदियों के तट पर रहने वाले निवासियों व नगरों के नाम प्राप्त होते हैं। इनका मधुर-शीतल जल का पान करने वाले हृष्ट-पुष्ट रहते हैं।

**आसां पिबन्ति सलिलं वसन्ति सहिताः सदा।¹⁰
समीपतो महाभाग हृष्टपुष्टजनाकुलाः।।**

इस तरह ये नदियाँ पर्वतों से जन्मी भारतवर्ष में हरियाली, हर्ष और सौंदर्य की अनन्त धारा बहा रही है।

विष्णुपुराण में गंगाजी का उद्भव किसी पर्वत से नहीं अपितु विष्णुपादोद्भवा कहा गया जो चन्द्रमण्डल को चारों ओर से अप्लावित कर स्वर्गलोक

से ब्रह्मपुरी और वहाँ से चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनन्दा चक्षु और और भद्रा नाम से चार भागों में विभक्त हो जाती है। अलकनन्दा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और सर सप्त भागों में विभक्त हो समुद्र में मिल जाती है।

**विष्णुपादविनिष्क्रान्ता प्लावयित्वेन्दुमण्डलम् ।¹¹
समन्ताद् ब्राह्मणः पुर्या गङ्गा पतति वै दिवः ।।
तथैवालकनन्दापि दक्षिणेनैत्य भारतम् ।¹²
प्रयाति सागरं भूत्वा सप्तभेदा महामुने ।।**

इस प्रकार विष्णुपादोद्भवा गंगा केवल एक नदी नहीं भारतवर्ष की आध्यात्मिक-संस्कृति की धुरी है जो लोक-पालक शक्ति और विष्णु की अनुग्रह-धारा के रूप में स्थापित है।

विष्णु पुराण में भारत के इतिहास, वंश, सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन व पावन नदियों को जानने के बाद भारत-भूमि की महत्ता उसका गुणगान जिस भारत की हम सन्तान है उसका यशोगान विष्णुपुराण में पढ़कर आत्मगौरव आत्माभिमान होता है जब कहा जाता है कि जीव सहस्रों वर्षों के पुण्योदय होने पर इस भूमि में जन्म गृहण का सुअवसर प्राप्त करता है।

**अत्र जन्मसहस्राणां सहस्रैरपि सत्तम् ।¹³
कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्चयात् ।।**

क्योंकि भारतवर्ष के अतिरिक्त मनुष्य के लिए कर्म की विधि अन्यत्र नहीं है। यही से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अन्तरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है।

**इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं चान्तश्च गम्यते ।¹⁴
न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमौ विधीयते ।।**

यह पुण्यधरा कर्मानुबन्धित है अतः नरक या तिर्यग्योनि में जाने का भी प्रावधान है। यही कारण है कि यहाँ परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान और दानीजन आदरपूर्वक दान देते हैं। यहाँ विष्णु का यजन

यज्ञों द्वारा किया जाता है।

**तपस्तप्यन्ति मुनयो जुहवते चात्र यज्विनः ।¹⁵
दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात् ।।**

सम्पूर्ण पृथ्वी पर जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि जहाँ अन्यान्य देश भोगभूमियाँ हैं वहीं भारतभूमि कर्मभूमि है—

**अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने ।¹⁶
यतो हि कर्मभूरेषा हयतोऽन्या भोग भूमयः ।।**

भारतवर्ष शोभायमान है और ब्रह्माण्ड का गौरव है, यह भूमि हम सभी के द्वारा सर्वदा वन्दनीय है। हमारी देश-भक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके सामने नतमस्तक है। देवगण भी सदा यही गान करते हैं कि “जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है वे हम देवताओं से भी अधिक धन्य (बड़भागी) हैं।

गायन्ति देवाः किल गीतकानि

धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे ।¹⁷

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते

भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ।।

निष्कर्ष— विष्णु पुराण में वर्णित भारतभूमि केवल एक भौगोलिक प्रदेश नहीं अपितु धर्म, संस्कृति, तपस्या और मानव-कल्याण का अद्वितीय क्षेत्र है। यह धरा धर्मभूमि, कर्मभूमि, मोक्षभूमि, ऋषियों की ज्ञान व तपस्थली, पवित्र सरिताओं और पर्वतों की वह भूमि है जो मानवजीवन के उच्च उद्देश्यों को पूर्ण करने के रूप में उपमारहित है। भारतवर्ष देवताओं का भी वन्दनीय और जन्म-प्राप्ति की लालसा से युक्त है। सामान्य जन से लेकर राजा तक अपने-अपने कर्तव्यों का सम्यक्तया पालन करते हुए, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में प्रवेश द्वारा आत्मकल्याण की परंपराओं और आध्यात्मिक प्रकाश ने सम्पूर्ण मानवता को दिशा प्रदान की है। यहाँ जन्म लेना, मानव जन्म प्राप्त होना सहस्रों वर्षों का पुण्योदय से ही सम्भव है व्यक्ति अपने

कर्मों से स्वर्ग, मोक्ष अथवा नरक सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ जन्म लेना, कर्म करना और मृत्यु प्राप्त करना पूर्वजन्मों का पुण्योदय और दुर्लभ कहा गया है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विष्णु पुराण भारत को ईश्वर द्वारा चयनित वह भूमि मानता है, जहाँ मानव जीवन अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करता है।

इस दिव्यधरा के लिए श्रीविष्णुपुराण में ऋषि पाराशरजी कहते हैं—पता नहीं अपने स्वर्गप्रदकर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म गृहण करेंगे। धन्य तो वो ही मनुष्य है जो भारतभूमि में उत्पन्न होकर इन्द्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए।

जानीम नैतत् क्व वयं विलीने
स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धम्।¹⁸
प्राप्स्याम धन्याः खलु ते मनुष्या
ये भारते नेन्द्रियविप्रहीनाः।।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्री विष्णुपुराण (2.3.28)
2. श्री विष्णुपुराण (2.2.13)
3. श्री विष्णुपुराण (2.2.21)
4. श्री विष्णुपुराण (2.2.22)
5. श्री विष्णुपुराण (2.3.1)
6. श्री विष्णुपुराण (2.3.2)
7. श्री विष्णुपुराण (2.1.12)
8. श्री विष्णुपुराण (2.1.32)
9. श्री विष्णुपुराण (2.3.03)
10. श्री विष्णुपुराण (2.3.18)
11. श्री विष्णुपुराण (2.2.33)
12. श्री विष्णुपुराण (2.2.36)
13. श्री विष्णुपुराण (2.3.23)
14. श्री विष्णुपुराण (2.3.5)
15. श्री विष्णुपुराण (3.2.20)
16. श्री विष्णुपुराण (3.2.22)
17. श्री विष्णुपुराण (2.3.24)
18. श्री विष्णुपुराण (2.3.26)



SHODH CHETNA–YEAR-11, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2025)

A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal



ISSN : 2350-0441

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Received : 15th Dec. 2025

Paper Accepted : 24th Dec. 2025

Psychoanalytic Perspectives on Gender and Oppression in Anuradha Roy's *An Atlas of Impossible Longing*

□ Vedanshu Gautam*

□ Prof. Kalpana Agrawal**

ABSTRACT

*This paper examines the intersection of gender and oppression in Anuradha Roy's *An Atlas of Impossible Longing* through a psychoanalytic lens, particularly drawing on Lacanian theory. The novel's representation of desire as fundamentally impossible reveals how concrete systems of social oppression—caste hierarchies, patriarchal authority, class divisions, and colonial legacies—structure and constrain human longing. Through analysis of female characters including Kananbala, Meera, and Bakul, as well as the cross-caste romantic attachment between Bakul and Mukunda, this study demonstrates that Roy constructs longing not as an individual psychological phenomenon but as a social condition produced by historical trauma and systemic oppression. The paper argues that Roy's sophisticated deployment of psychoanalytic concepts—particularly the notion of desire as mediated by alterity and the symbolic order—reveals how women's autonomy is systematically repressed through physical confinement, emotional isolation, and the control of sexuality. Ultimately, Roy's novel presents longing as a fundamental assertion of human agency that persists even in the face of systematic oppression.*

Keywords– Psychoanalytic literary criticism, Lacanian theory, gender oppression, impossible longing, patriarchy, caste hierarchies, desire and lack.

Introduction

In Anuradha Roy's *An Atlas of Impossible Longing*, desire emerges not as a liberating force but as a constitutive condition of human suffering, particularly for those whose social positioning renders their longings perpetually unfulfilled. The novel's title itself functions as

a theoretical proposition: the atlas, traditionally understood as a collection of maps charting geographic territories, becomes in Roy's hands a mapping of emotional and psychological territories that remain perpetually unmapped, fluid, and ultimately inaccessible (Roy). Through an intricate narrative spanning multiple

* Research Scholar, APS University, Rewa (M.P.)

** Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

generations of the Ray family in colonial and postcolonial Bengal, Roy demonstrates that the “impossibility” of longing does not emerge from abstract metaphysical barriers but from concrete systems of social oppression—caste hierarchies, patriarchal structures, class divisions, and colonial legacies—that constrain and distort human desire.

When an astrologer in Calcutta examines Mukunda’s palm, he articulates the novel’s central preoccupation: “Your palm is nothing but an atlas of impossible longings. Want, want, hope, hope...Nothing but Longings” (Roy 199). This repetition of “want, want, hope, hope” emphasises the obsessive, cyclical nature of desire that characterises Roy’s protagonists and recalls Freud’s emphasis on the repetitive return of repressed wishes in disguised form, which never quite reach fulfilment but continually reassert themselves in new configurations (Freud 23). The astrologer’s reading functions as metanarrative commentary on the novel’s philosophical framework. The repetition suggests that longing is so constitutive, so complete, that it defies interpretation or articulation. The novel thus positions longing not as psychological pathology but as the fundamental condition of subjectivity itself, particularly for characters living through historical rupture and displacement.

Psychoanalytic Frameworks and Desire

Understanding Roy’s conceptualization of desire requires engagement with Jacques Lacan’s revolutionary reconfiguration of Freudian psychology. Lacan asserts that “the desire of man is the desire of the Other,” a formulation that positions desire not as an autonomous expression of individual will but as a structure inherently mediated by alterity and the symbolic order (Lacan235). This theoretical framework proves particularly generative for reading Roy’s novel, as it suggests that characters’ longings are always

already shaped by their relationships, by the gaze of others, and by the social and linguistic structures that preexist them (Lacan, *Seminar II*). Lacan’s concept of *objet petit a*—the impossible object that perpetually eludes the subject—provides sophisticated vocabulary for analyzing how Roy’s text represents the endless pursuit of satisfaction that can never be achieved (Lacan, *Seminar XI*). As Lacan elaborates, “The desire at issue, even the one that is said to be distorted, is already beyond the coaptation of need,” meaning that desire necessarily exceeds biological satisfaction and enters the realm of demand and recognition (Lacan226).

Roy’s novel demonstrates this Lacanian principle through Amulya’s longing for Songarh, which cannot be understood simply as a personal spiritual calling. Instead, it represents a particular form of colonial modernism—the Romantic idealization of the “primitive” landscape and its inhabitants (Roy 12). Yet Roy exposes the fundamental contradiction embedded in this idealization. Amulya’s factory manufactures “medicines and perfumes out of wild herbs, flowers and leaves,” representing not a rejection of modernity but its particular deployment—the rationalization and commodification of traditional knowledge for profit (Roy 12). Amulya’s longing thus contains a fundamental contradiction: it expresses genuine desire for connection with the landscape and its people, yet it is inseparable from exploitative economic relations. From a Freudian perspective, the idealized landscape functions as a displaced substitute object in which socially unacceptable wishes (for mastery, possession, and control) are re-routed into apparently benign aesthetic and entrepreneurial projects (Freud 25).

Gender, Patriarchal Confinement, and Female Desire

Roy’s representation of women’s oppression reveals patriarchy not as an abstract

system but as a concrete set of practices and institutions that actively repress female desire and autonomy. The physical confinement of Kananbala provides the most striking instance of patriarchal control. After her psychological breakdown, Kananbala becomes imprisoned within her own home, her movements carefully monitored and restricted. Amulya's benevolent supervision masks a more fundamental deprivation of autonomy. The narrator observes:

“The windows were Kananbala's only view of the world. If she traversed the length of the room and looked through all three windows, tilting as far as she could, she could see to the end of the road's curve on both sides” (Roy 51).

Her perception of reality becomes limited to fragmented views through windows; she experiences the world mediated by glass and distance rather than through direct participation. This fractured, mediated gaze can be read through Lacan's account of the split between seeing and being seen, where the subject never occupies a position of full mastery over the visual field (Lacan, *Seminar XI*).

What makes Kananbala's confinement particularly insidious is the way it is justified through psychological explanation. The family expresses concern that she will harm herself—“They were afraid she would jump, as she had once threatened to”—and thus her confinement is presented as protective rather than punitive (Roy 51). This psychological justification masks the fundamentally repressive nature of her situation. Her confinement is not merely physical but emotional and social; she is denied access to networks of conversation and human connection that once constituted her sense of self. In Calcutta, Kananbala had participated in an extended family network:

“In Calcutta, in her rambling family home crowded with siblings and aunts and uncles, there was always the possibility of a chat, the

comforting sounds of nearby laughter, gossip, clanging utensils, squabbling sisters-in-law, the tong—tong of rickshaw bells” (Roy 16).

The move to Songarh severs these connections entirely, producing what the narrator describes as psychological catastrophe: “the silence in which she could hear herself inhale, in which she could hear sweat trickling down her face,...the resonant quiet had startled her into an unexpected garrulity” (Roy 17).

The fundamental tragedy of Kananbala's situation is that her desire for human connection is rendered literally impossible by geographic displacement and confinement within the patriarchal household. Her attempt to maintain connection through compulsive questioning—“What happened today? Did I get any letters from home?”—is met with Amulya's irritation and rejection (Roy 17). This moment reveals how patriarchal structures systematically produce the very conditions that pathologize women. Roy's representation of Kananbala's madness invites psychoanalytic reinterpretation. What the medical establishment perceives as mental illness might more accurately be understood as the eruption of repressed desire and rage, a refusal of the normative ego ideal that Lacan describes as produced within the family and reinforced by institutional discourse (Lacan 20).

Bakul's trajectory represents another response to patriarchal oppression characterized by devastating internalization of patriarchal judgment. During childhood, Bakul experiences relative freedom, permitted to play unsupervised with Mukunda. When the family becomes aware of the depth of their connection, they move quickly to police the relationship. The family's articulated concern focuses explicitly on sexuality: “But they are not brother and sister, Nirmal. And they are both of the age when...” (Roy 163). The family's anxiety reveals how

patriarchal structures are fundamentally concerned with controlling female sexuality and preventing women from exercising autonomous choice regarding romantic attachments. In Freudian terms, Bakul's emergent sexuality confronts a prohibitive law that channels desire into guilt and self-punishment, reproducing the familiar drama of prohibition and internalized censorship (Freud 23).

The separation imposed by the family produces profound psychological crisis in Bakul. In response to separation from Mukunda, she engages in acts of self-directed violence. Bakul attacks herself with Mukunda's flute: "She knew it was the last time, she knew she would never see him again, and if she did, it could not be the same" (Roy 172). Her response to loss of her most meaningful human connection is to turn violence inward, to attack her own body. This self-directed aggression represents internalization of patriarchal judgment; Bakul has absorbed the family's message that her desire for Mukunda is transgressive and shameful, and she expresses this internalized shame through violence directed at her own body. Such internalization recalls Klein's account of how destructive impulses toward the loved object are turned inward against the self when mourning and reparation cannot be successfully achieved (Klein 57).

The Impossible Attachment: Caste, Class, and Desire

The central "impossible attachment" in Roy's novel—the relationship between Bakul and Mukunda—reveals how multiple systems of oppression intersect to render certain forms of desire literally impossible. What makes their attachment impossible is not a single barrier but complex intersection of social, economic, caste-based, and familial obstacles. Mukunda's unknown or potentially Muslim caste identity places him fundamentally outside the

brahminical household of which Bakul is a member. When Nirmal brings Mukunda home, Manjula's objection is framed in explicitly caste-based terms: "Do we know what caste he is? He could be any caste; he might even be a Muslim. I will not stand it" (Roy 169).

The family's conviction that Mukunda and Bakul cannot marry represents not the prejudice of a few narrow-minded individuals but the inevitable conclusion of a social system in which caste is the primary organizing principle of kinship, marriage, and social hierarchy. Caste hierarchies are fundamentally concerned with controlling sexuality and marriage to maintain brahminical purity and endogamy. The fear expressed by family members flows logically from the caste system's fundamental commitment to maintaining brahminical purity (Roy). From a Lacanian perspective, caste operates here as a powerful segment of the symbolic order that allocates positions of legitimacy and illegitimacy, marking the love between Bakul and Mukunda as structurally prohibited and thus as a paradigmatic instance of desire oriented toward an impossible object (Lacan, *Seminar XI*).

Beyond caste lies the dimension of economic class and social status. Mukunda enters the household as a dependent, and his labor marks him as belonging to lower class position than Bakul. The text emphasizes his subordinate status through detailed descriptions of domestic work: "It was one of Mukunda's chores to see that the bathrooms and kitchen were always stocked with full buckets of water from the well. It was he who wheeled water out of the well several times a day, iron bucket clanging down as the wheel screeched and squeaked" (Roy 102). His role as water-carrier—traditionally a low-status occupation in the caste system—marks him as occupying fundamentally different social position from Bakul, whose

identity is constituted through her father's professional status and access to education and cultural capital. The laboring body here becomes the visible sign of classed and caste'd otherness, reinforcing Bakul's recognition of Mukunda as both intimate companion and socially disavowed Other.

Loss, Mourning, and Historical Trauma

Nirmal's response to the death of his wife Shanti during childbirth represents complex manifestation of psychoanalytic desire structured by loss and historical trauma. Shanti's death is not presented as a private domestic tragedy but as a consequence of patriarchal structures and colonial conditions. The insistence that Shanti give birth in Manoharpur, in the ancestral home rather than in a location with adequate medical facilities, represents the imposition of patriarchal tradition at the cost of women's physical safety and survival. As the narrator explains, "Nirmal went to Manoharpur and left Shanti with her father for the birth of their child. The first child would be born, as tradition demanded, in her childhood home, even though Nirmal disapproved of the tradition, saying Manoharpur was no place to have a baby" (Roy 63).

Shanti's death becomes inevitable not because of medical inevitability but because patriarchal tradition renders her expendable. The letter explaining her death makes this clear: "There had been a great flood in Manoharpur...Shanti had gone into labour too early, a whole month too early. Nobody could get out of the house to get a doctor in time...only the baby could be saved. Not Shanti" (Roy 86). Nirmal's response to this loss demonstrates what psychoanalytic theory identifies as impossibility of mourning when loss is embedded in systemic injustice. Rather than processing grief through normal mourning processes, Nirmal retreats into obsessive collecting of natural specimens—

leaves, stones, fossils, bird feathers: "Whatever leave he got from work, he spent wandering around the Himalaya...collecting leaves, stones, fossils and bird feathers. He had two trunks full of things he had collected, carefully catalogued" (Roy 118). This compulsive cataloguing recalls Freud's description of melancholia, in which the work of mourning stalls and the subject clings to objects and routines that endlessly circle the unassimilated loss (Freud 20).

This collecting behavior represents sublimation of grief into pursuit of preservation and order. The objects Nirmal collects become substitutes for human connection; they are substitutes for Shanti that cannot be possessed or lost again because they are already inanimate. Kleinian perspectives on mourning and reparation help illuminate Nirmal's behavior. Klein argues that mourning involves internalization of the lost object and gradual reconstruction of internal object relations; failure in this process leads to repetitive efforts to repair an internal world experienced as damaged or depleted (Klein 27). Nirmal's obsessive collecting suggests failure of this mourning process; his objects remain externalised and cannot be integrated into his psychic life. When he attempts to share his collection with his daughter, Bakul, his effort is met with destructive rage. Bakul's destruction of his books represents a profound rejection of his attempt to substitute preserved objects for living human connection and dramatizes the impossibility of reparation within the existing domestic and historical order.

Home as Exile : Spatial and Temporal Displacement

Roy's treatment of the concept of "home" reveals fundamental instability of domestic space under conditions of patriarchal oppression and historical trauma. The first home encountered in the novel—Amulya's house at 3 Dulganj Road in Songarh—is architecturally

designed to provide aesthetic beauty and comfort, yet it becomes fundamentally hostile to family's well-being. The house is described as "a secretive house" with "echoing, empty rooms," precisely because "nobody appeared at the front door of 3 Dulganj Road, Songarh, on impulse" (Roy 13). The architectural design itself—with "verandahs all along the southern façade" and "rows of windows" facing away from the road—expresses Amulya's deliberate desire for isolation (Roy 13). Yet this isolation proves catastrophic for Kananbala, who finds herself trapped within "large house with echoing, empty rooms" where "The silence that to Amulya meant repletion locked Kananbala within a bell jar she felt she could not prise open for air" (Roy 18).

Gaston Bachelard famously describes the house as the subject's "first universe," a shelter for daydream, memory, and intimate being, where "the house shelters daydreaming, the house protects the dreamer" (Bachelard 7). In Roy's novel, however, the domestic interiors betray this ideal: Kananbala's Songarh house ceases to be the Bachelardian refuge of reverie and instead becomes a claustrophobic container that amplifies anxiety, isolation, and psychic collapse. The house that should nurture imagination instead produces a sense of entrapment—an inversion of Bachelard's poetics of space that underscores how patriarchy and colonial modernity hollow out the affective meaning of home.

The second home that structures the narrative is Nirmal's house in Manoharpur—a dwelling that exists primarily through memory and prophecy rather than physical presence. Described as floating "on a river," this house is defined entirely by its vulnerability to natural forces and its association with death (Roy). Shanti's death during childbirth transforms the house into a tomb; it becomes the site of

patriarchal violence masked as tradition. The house meant to shelter becomes the place of death—a condensation of patriarchal power and female vulnerability. From a Bachelardian angle, Manoharpur illustrates the dark underside of ancestral houses, where the vertical layers of memory are saturated not with warmth but with catastrophe and unassimilated trauma (Bachelard 8).

Conclusion

Roy's *An Atlas of Impossible Longing* ultimately shows that longing is not just an inner feeling but a social condition produced by history and power. It arises from caste hierarchies, patriarchy, class inequality, and colonial rule, rather than from any purely individual defect or abstract metaphysical lack. The novel reveals that each character's desire is socially mediated. Kananbala's nostalgia for Calcutta registers the clash between metropolitan modernity and colonial marginality; Nirmal's grief for Shanti exposes how patriarchal customs endanger and sacrifice women; Bakul and Mukunda's love dramatizes how caste and class make certain relationships unthinkable within the existing order. Their longings become legible only when read as symptoms of wider structures of oppression, in line with Freudian and Lacanian understandings of desire as overdetermined and shaped by law, language, and the Other.

At the same time, Roy insists that longing remains an assertion of agency. The characters continue to desire connection and fulfillment even when their worlds deny it, embodying a fragile but persistent humanity that social constraints cannot fully extinguish. Mukunda's final reflection on the many houses he has built, and the home he still lacks, signals an ending without resolution, but not without meaning. The "atlas of impossible longings" thus stands both as a record of systemic violence and as a psychoanalytic map of desire under oppression,

in which, as Klein suggests, even damaged subjects continue to seek reparation and restoration, however partial or impossible these may remain (Klein; Bachelard).

Works Cited

- Bachelard, Gaston. *The Poetics of Space*. Translated by Maria Jolas, Beacon Press, 1994.
- Freud, Sigmund. *The Interpretation of Dreams*. Translated by James Strachey, edited by James Strachey, Avon Books, 1965.
- Klein, Melanie. “Mourning and Its Relation to Manic-Depressive States.” 1940.
- Lacan, Jacques. *The Seminar, Book XI: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis*. Edited by Jacques-Alain Miller, translated by Alan Sheridan, W.W. Norton & Company, 1981.
- *The Seminar, Book II: The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis, 1954–1955*. Edited by Jacques-Alain Miller, translated by Sylvana Tomaselli, W.W. Norton & Company, 1991.
- Roy, Anuradha. *An Atlas of Impossible Longing*. Free Press, 2008.



SHODH CHETNA–YEAR-11, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2025)

A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal



ISSN : 2350-0441

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Received : 15th Dec. 2025

Paper Accepted : 24th Dec. 2025

Producing Space, Producing Grief: The Fictional World in Anuradha Roy's *The Folded Earth*

□ Sushma Dwivedi*
□ Prof. Kalpana Agrawal**

ABSTRACT

Anuradha Roy's novel, The Folded Earth, constructs a richly textured fictional world centred on the small Himalayan town of Ranikhet in Uttarakhand, India. Through careful attention to setting, character relationships, and symbolic landscapes, Roy creates a microcosm that interrogates the intersections of modernity and tradition, loss and memory, and environmental degradation. This research paper examines the fictional world's geographical features, social structures, and thematic preoccupations, analyzing how Roy's conceptualization of place functions as a central character in the narrative. By examining the novel's treatment of the Himalayan setting through the lens of spatial theory, this paper demonstrates how space itself becomes a vehicle for exploring grief, displacement, and the human struggle for belonging in contemporary India.

Keywords: *spatial theory, Henri Lefebvre, fictional world, contemporary Indian literature, modernization, loss and grief, Himalayan setting, post-colonial space.*

Introduction

Anuradha Roy's 2012 novel *The Folded Earth* presents readers with a meticulously constructed fictional world that extends far beyond the boundaries of its small Himalayan setting. The narrative's primary location—the town of Ranikhet—serves not merely as backdrop but as an integral element of the novel's meditation on loss, memory, and the complexities of contemporary Indian identity. Set in the foothills of the Himalayas in Uttarakhand, the fictional world Roy creates is

grounded in geographical specificity while simultaneously functioning as a symbolic landscape where universal human experiences unfold. The novel's opening image—of a girl delivering milk each morning—establishes an intimate relationship between character and place that permeates the entire narrative (Roy 1). This juxtaposition of the quotidian and the transcendent, the local and the universal, forms the foundation of Roy's fictional world. The setting serves as a character itself, shaping the destinies of the individuals who inhabit it,

* Research Scholar, APS University, Rewa (M.P.)

** Govt. T.R.S. College, Rewa (M.P.)

constraining their choices, and offering possibilities for redemption or further loss. Through careful examination of the novel's geographical features, social hierarchies, symbolic landmarks, and thematic concerns, this paper demonstrates how Roy constructs a fictional world that interrogates the modernization of rural India, the persistence of colonial legacies, and the possibility of human connection across class, religious, and cultural divides.

Theoretical Framework: Spatial Theory

To fully comprehend Roy's fictional construction of Ranikhet, this paper employs spatial theory, a theoretical framework that fundamentally reconceives how we understand the relationship between space, consciousness, and social relations. Developed by geographer Henri Lefebvre and theorist Michel Foucault, spatial theory posits that space is not merely a neutral container for human activity but rather a socially produced entity that actively shapes consciousness, social relations, and individual subjectivity. Lefebvre argues that space functions as a "social product" that "affects social practices and perceptions," rejecting the notion that space exists as empty or passive (Lefebvre 26). Rather than viewing space as something predetermined, Lefebvre demonstrates that "there are three levels of analyses for each social space: the actual space (physical), discursive (representation), and lived space (via human experience)" (Lefebvre 38). Lefebvre identifies three interconnected levels through which space operates: spatial practices (the everyday lived experience of moving through and using space), representations of space (the conceptual maps, plans, and official narratives that organize space), and spaces of representation (the imagined, symbolic, and experiential dimensions of space wherein individuals project meaning and desire). As

Lefebvre argues, these three dimensions exist in dialectical relationship: "each time one of these categories is employed independently of the others, hence reductively, it serves some homogenizing strategy" (Lefebvre 369). Applied to *The Folded Earth*, Ranikhet functions simultaneously on all three levels. It is a lived space of daily rituals—Charu delivering milk each morning, the General walking his dog at precisely six-thirty, teachers walking to school—yet it is also a represented space subject to administrative planning, colonial cartography, and post-colonial modernization schemes. Simultaneously, Ranikhet exists as a space of representation wherein characters project their psychological needs and desires onto the landscape, transforming geography into autobiography. The Trishul mountain, for instance, operates as a physical landmark visible from the narrator's window, as an administrative boundary separating territories under different jurisdictions, and as a symbolic repository of Michael's absence and the narrator's unresolved grief. Spatial theory illuminates how these three dimensions are inseparable; the mountain's physical presence, its administrative significance, and its symbolic meaning constitute a unified spatial reality that profoundly shapes the narrator's consciousness and emotional life.

The Geographical Setting: Ranikhet and Its Symbolic Landscape

The fictional world of *The Folded Earth* is anchored to a specific geographical location: Ranikhet, a small town in the Kumaon region of the Himalayas. Roy employs precise topographical detail to establish the physical parameters of her fictional world. The narrator describes Ranikhet as spanning "three hills" and existing "far away from everywhere and very small," noting that "If you look at it from the other side of the valley at night, you see darkness dotted here and there with yellow lights half-

hidden by trees” (Roy 16). This description immediately establishes the town’s isolation and its integration into the natural landscape, suggesting that Ranikhet exists in a liminal space between civilization and wilderness, between modernity and primordial nature. From a spatial theory perspective, as Lefebvre notes, “pre-existing space underpins not only durable spatial arrangements, but also representational spaces and their attendant imagery and mythic narratives” (Lefebvre 30). Ranikhet’s isolation positions it as a marginal space—literally positioned on the periphery of the nation-state’s consciousness, yet spatially central to an ancient Himalayan ecology. The town’s position in the Himalayan foothills serves as a crucial geographical feature that determines the novel’s atmosphere and the spiritual longing of its characters. Roy emphasizes the dramatic transformation that occurs as one travels from the plains to the hills, describing how “the dust-gloomed, table-flat land begins to slope upward at Kathgodam” and, “in less than two hours the trees change from banyan, mango, banana and sal, to pine, oak, cypress and cedar” (Roy 16). This botanical transformation marks a transition not only in geography but in consciousness itself. The journey toward the mountains becomes a journey inward, toward the psychological spaces where grief and loss reside.

The sky itself becomes a character in Roy’s fictional world, distinguished from the expansive firmament of the protagonist’s native Deccan plateau. The narrator observes that “the sky over our heads here in the mountains has not the immensity of the sky I grew up with in the Deccan” (Roy 16). In the mountains, “its fluid blue is cupped in the palm of a hand whose fingers are the mountains around us” (Roy 16). This metaphor transforms the geographical feature into a protective gesture—the mountains cup and contain human life within their palm,

suggesting both safety and constraint. This description reveals how the representation of space (the metaphorical language describing the sky) becomes inseparable from lived experience. As Lefebvre argues, space is “a concrete-abstraction,” simultaneously involving “mental constructions and abstractions” while maintaining “a material physicality,” gaining “concreteness through and in human practice” (Lefebvre 27). The sky is not objectively “smaller” in the mountains; rather, the narrator’s consciousness has been reorganized by the spatial practices of mountain life, producing a new phenomenological relationship to the heavens. The mountains have literally and metaphorically reshaped her consciousness, demonstrating Lefebvre’s argument that space produces subjectivity.

Symbolic Landscapes: Roopkund and the Trishul

Within the broader geographical setting of Ranikhet, two specific locations achieve symbolic significance through their spatial dimensionality. The mountain peak Trishul and the high-altitude lake Roopkund operate not merely as physical locations but as spaces of representation wherein the narrator’s psychological states become projected and crystallized. The Trishul, a snow peak exceeding 22,000 feet, frames the narrator’s window and represents an unattainable aspiration. Michael, the narrator’s dead husband, had dreamed of living “in a house with a trident-shaped peak framed in its window,” a house “that looked out at the Trishul, and at its base Roopkund, the phantom-lake” (Roy 14-15). This dreamscape becomes unrealizable when Michael dies on his trek to Roopkund, transforming the mountains from symbols of romantic aspiration into monuments to loss and abandonment. When the narrator arrives in Ranikhet, “what I saw framed in my window was the Trishul. At its base,

invisible at this distance, was the lake where Michael had spent his last hours” (Roy 17). Through spatial theory, the Trishul functions as a heterotopia—a space that Foucault describes as simultaneously “absolutely real, connected with all the space that surrounds it, and absolutely unreal, since to be perceived it must pass through the lens of representation” (Foucault 3). For the narrator, the Trishul exists as both a real physical mountain and an imaginary space saturated with traumatic memory. The window frame that contains the Trishul operates as what spatial theorists call a “boundary”—a demarcation between interior and exterior, present and absent, living and dead.

The narrator’s obsessive engagement with Roopkund throughout the narrative demonstrates how a geographical location becomes a site of psychological fixation and spatial longing. When Veer presents a slideshow of mountain photographs, the narrator searches for images of Roopkund, desperate to glimpse the place where her husband died. The spatial practice of searching through images mirrors her broader attempt to spatially locate Michael’s death, to make visible what remains invisible. Upon discovering that the photographs are actually of the Zanskar River in Kashmir rather than Roopkund, the narrator experiences both relief and continued longing. She realizes that “Roopkund was not a river. Roopkund was a lake. Lakes did not have waves” (Roy 82). Roopkund remains invisible, preserved in her imagination as a space of irretrievable loss. Spatially, the lake’s invisibility becomes as significant as its material existence; the unmapped, unrepresented lake functions as a spatial absence that structures the narrator’s entire experience of Ranikhet. She lives in a space organized around a geographical location she can never actually visit, demonstrating how spaces of representation—imagined spaces—

can exercise as much power over consciousness as physically experienced spaces.

Social Structure and Class Hierarchies in Ranikhet

Roy’s fictional world is structured along multiple intersecting hierarchies of class, caste, religion, and colonial legacy, hierarchies that spatial theory reveals as produced through the organization of space itself. The cantonment, home to retired military officers and colonial administrators, occupies the elevated topographical position, and this spatial elevation materially enacts social hierarchy. Spatial positioning becomes a form of social ordering; those who occupy the highest ground literally look down upon those below. Diwan Sahib, the narrator’s landlord, embodies the post-colonial predicament of formerly powerful individuals whose spatial authority has been stripped away. As the former Diwan of Surajgarh, Diwan Sahib “had been schooled for a world in which every self-respecting warrior had to be capable of firing an accurate shot” (Roy 24). Yet in contemporary Ranikhet, he exists as an ageing eccentric, drinking and reminiscing about his past glory. Spatially, his crumbling mansion mirrors his reduced social status—the “higgledy-piggledy mansion built on many levels” with “doorways that turned out to be cupboards and cupboards that led into other rooms” (Roy 25) physically enact the disorientation and displacement he experiences in post-colonial India. The mansion’s architectural chaos, its blocked chimneys and leaking roofs, its attics and trapdoors—all these spatial features materialize the fragmentation of his consciousness and authority. As Lefebvre argues, “the body must be conceived as both active in the production of space and produced by space, and thereby subject to the determinants of that space” (Lefebvre 41). The spatial disorientation experienced by anyone navigating the mansion

mirrors the historical disorientation experienced by the post-colonial subject who no longer possesses the spatial authority his predecessors enjoyed.

Below the cantonment exists a class of service workers, agricultural laborers, and artisans. Charu and her family inhabit this class, occupying the margins of Ranikhet's spatial organization. When the narrator first observes Charu, she notes that the girl "lived next door. She had every hill person's high cheekbones and skin, glazed pink with sunburn" and "wore hand-me-down salwar kameezes too big for her, and in place of a diamond she had a tiny silver stud in her nose" (Roy 2). From a spatial theory perspective, Charu's spatial practices—her daily routes delivering milk, her time grazing cattle, her occasional appearances at school—constitute a particular kind of spatial experience fundamentally different from that of the narrator or Diwan Sahib. Charu's spatiality is characterized by mobility within circumscribed areas, by labor-intensive movements through landscape, by integration with agricultural and pastoral space rather than domestic or institutional space. The novel suggests that economic development creates new forms of spatial organization that displace traditional spatial practices. Kundan Singh's departure for Delhi, his experience of working in the hotel, his eventual cessation of correspondence—all these represent transformations in spatial practice whereby rural subjects become incorporated into modern urban spatial regimes. The novel suggests that such spatial displacement generates both economic advancement and psychological loss.

Religious and Interfaith Tensions

Roy's fictional world is characterized by religious diversity and interfaith tensions that reflect broader patterns within Indian society, tensions that materialize spatially through the

organization of different religious institutions and practices. The Christian missionary presence, represented by St Hildas School and the Church, exists in complex relationship with Hindu majority populations. The narrator, having married Michael across religious boundaries—"our families had stayed away, loathing each other's religion with a passion" (Roy 12)—represents the possibility of interfaith relationships, yet her marriage resulted in complete familial rupture. Her father "formally disowning" her when she chose a Christian man, the narrator occupies a lonely space of religious transgression. Spatially, her position in Ranikhet—geographically distant from her family of origin, dwelling in a converted stable at the margins of the Light House estate—materially enacts her religious and familial alienation. Her spatial displacement from Hyderabad represents not merely a change of geographical location but a fundamental reorganization of her relationship to the spaces that produce social identity and belonging.

Environmental Transformation and Spatial Degradation

The novel demonstrates how modernization produces not merely economic change but fundamental transformation in spatial organization and the lived experience of space. The clearing of oak forests for the construction of an amusement park represents a dramatic reorganization of Ranikhet's spatial structure. What was previously wilderness space—accessible primarily through traditional practices of hunting, gathering, and pastoral labor—becomes commercial space devoted to entertainment consumption. Spatial theory illuminates how this transformation constitutes far more than environmental damage; it represents a fundamental reorganization of how space itself functions and what kinds of spatial practices remain possible. Diwan Sahib's

critique of this spatial transformation reveals the stakes:

“No animal comes to that spur now. Some trucks come and go, and the entrance to the spur is piled high with logs from trees that have been cut from the forests all around. The trees with the eagles were cut down too” (Roy 115).

His despair articulates the loss of particular spatial practices—the ability to hear animal calls, to experience forests as accessible and livable spaces, to maintain spatial continuity with pre-modern ecological relationships.

The deer Rani, brought to the Light House by Puran, becomes a symbol of the spatial displacements produced by modernization. The animal represents wildness that has been torn from its proper spatial context (the forest) and confined within domesticated space. When Rani eventually dies in the zoo at Nainital, her death represents what we might call spatial death—the impossibility of living authentically when one has been displaced from the ecological spaces that produce one’s being. The spatial confinement of the zoo, however well-intentioned, proves incompatible with the animal’s nature. The novel suggests that certain creatures cannot survive outside their proper spatial contexts; space itself becomes a form of life-giving necessity rather than merely a container within which life occurs.

Narrative Structure and the Spatial Construction of Consciousness

Roy’s narrative structure reveals how consciousness itself is spatially produced and organized. The novel employs primarily first-person narration from the perspective of Maya, creating an intimate access to her consciousness while simultaneously demonstrating how consciousness remains inseparable from spatial positioning. The narrator’s depression, trauma, and alienation color her perception of the town and its inhabitants, yet spatial theory

demonstrates that this is not merely a subjective distortion. Rather, the narrator’s consciousness has been fundamentally reorganized by her spatial displacement from Hyderabad to Ranikhet, by her occupation of marginal spaces (the converted stable), by her navigation of social hierarchies inscribed in spatial organization. The spaces the narrator traverses—her cottage, the school, the bazaar, the forest, the temple, the cemetery—become projections of her internal psychological state, yet they are also objective spatial structures that constrain and enable her actions. Thus, Roy demonstrates Lefebvre’s argument that “space is produced through human action,” yet simultaneously “space produces particular configurations of social relations and individual subjectivity” (Lefebvre 26). We do not simply inhabit space; rather, space produces the very consciousness through which we understand ourselves.

Education and Female Agency

The fictional world of *The Folded Earth* places significant emphasis on education as a spatial site of social transformation and female agency. St Hilda’s School serves as the primary institution for female education in Ranikhet, a space where girls are introduced to literacy, the English language, and Christian theology. Charu’s narrative arc centres on her desire for literacy and written communication, desires that arise from her spatial marginalization. Initially, when the narrator meets Charu, the girl is a student who “daydreamed in class all day. She barely learned to write even the alphabet. Many days of the week, she simply did not come” (Roy 18). When she finally requests instruction—“If I bring you extra milk every day... will you teach me how to read and write?” (Roy 5)—the narrator takes up the educational mission with intensity. Through spatial theory, education can be understood as a process through which individuals attempt to

claim agency within socially produced spaces. Literacy offers Charu the possibility of writing herself into existence, of creating her own spatial narratives rather than remaining confined within predetermined social roles. The letters she writes to Kundan Singh represent her attempt to overcome spatial separation through textual communication, to maintain connection across distance through the spatial practices of reading and writing.

Conclusion

Anuradha Roy's fictional world of Ranikhet in *The Folded Earth* interrogates modernity, loss, and human connection through spatial theory. Roy constructs a world where space actively produces consciousness and social relations. The mountains offer spiritual possibilities, yet modernisation continually threatens and reorganises this landscape. Spatial theory reveals how the organisation of space—

the cantonment, bazaar, cottage, school, temple, and forest—shapes what kinds of lives remain possible. The novel's preoccupation with loss demonstrates Roy's conviction that modernization requires grieving for destroyed spatial configurations. Ultimately, *The Folded Earth* proposes that human flourishing requires maintaining connection to place and history, even as these connections become increasingly difficult within modernising contexts.

Works Cited

- Foucault, Michel. "Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias." *Architecture, Movement, Continuity*, translated by Jay Miskowiec, 1986, pp. 1-9.
- Lefebvre, Henri. *The Production of Space*. Translated by Donald Nicholson-Smith, Blackwell Publishers, 1991.
- Roy, Anuradha. *The Folded Earth*. Hachette India, 2012.



SHODH CHETNA–YEAR-11, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2025)

A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal



ISSN : 2350-0441

IMPACT-FACTOR

SJIF - 6

Paper Received : 15th Dec. 2025

Paper Accepted : 24th Dec. 2025

Surviving the White Darkness: Postcolonial Anxiety in Hywel Richard Pinto's *Europa*

□ Bhagya Shree Mishra*
□ Prof. Kalpana Agrawal**

ABSTRACT

This paper examines Hywel Richard Pinto's 2017 novel Europa as a significant intervention in the genre of Indian science fiction (ISF). While often situated within the post-apocalyptic tradition, Europa displaces the site of catastrophe from Earth to the frozen, hostile environment of Jupiter's moon. Drawing on postcolonial criticism and psychoanalytic trauma theory, the paper analyzes how Pinto both employs and subverts genre conventions to critique neocolonial power structures and to explore the fragility of the human psyche in conditions of extreme isolation. The study focuses on the novel's representation of "corporate colonialism," whereby terrestrial political corruption and capitalist exploitation are exported to outer space, and traces the psychoanalytic dimensions of the crew's survival, including collective trauma, paranoid anxiety, and ego dissolution. By deconstructing the novel's spatial dynamics and hybrid narrative form, the paper argues that Europa functions as a "postcolonial palimpsest," rewriting Western narratives of space exploration as a complex site of historical repetition, environmental alienation, and psychological disintegration.

Keywords– Indian Science Fiction, Postcolonialism, Psychoanalysis, Post-Apocalyptic Literature, Neocolonialism, Eco-criticism.

Introduction: The Apocalyptic Displacement

The post-apocalyptic genre has long served as a crucible for dramatizing anxieties about technology, environmental collapse and the precariousness of civilization, from Mary Shelley's *The Last Man* to Cold War nuclear narratives that imagine planetary ruin (Cornett 23). Conventionally, these narratives locate the

"end of the world" on a devastated Earth, where remnants of humanity negotiate the debris of the "world-that-was" and attempt to construct fragile communities in the "world-that-is" (Chawner 20).

Hywel Richard Pinto's *Europa* (2017) marks a striking development in this tradition within the emergent canon of Indian science

* Research Scholar in English, Govt. T.R.S. (Auto) College, Rewa (M.P.)

** Professor of English, Govt. T.R.S. (Auto) College, Rewa (M.P.)

fiction, as it projects the post-apocalyptic scenario outward to Jupiter's icy moon. Pinto transposes familiar tropes of apocalyptic survival—resource scarcity, institutional breakdown, and the formation of micro-societies—onto a radically alien environment, thereby estranging and reconfiguring their ideological implications (Dabble 88). From the outset, *Europa* establishes an environment that is not a neutral backdrop but an actively hostile force, figured as a “white darkness” that negates human presence and renders survival an incessant negotiation with an inimical landscape (Pinto 72).

This paper argues that *Europa* is not merely a survival thriller but a sophisticated critique of the “colonial unconscious” that persists in futuristic imaginaries (Said 3). By engaging and subverting post-apocalyptic conventions through a specifically postcolonial lens, Pinto exposes the persistence of terrestrial power dynamics in outer space and suggests that the true apocalypse lies not in the European environment but in the export of human corruption, corporate greed and colonial hierarchies into the cosmos (Visser 270).

The Post-Apocalyptic Tradition: Mimicry and Subversion

The post-apocalyptic genre is typically structured around an “identifiable collapse,” a cataclysmic rupture that demarcates a temporal and epistemic break between past and present (Cornett 23). In *Europa*, however, the collapse is less a singular historical event than an ongoing condition; the crew of the *Silver Star* does not traverse the ruins of a destroyed civilization so much as the ruin of their own sabotaged mission (Pinto 95). The sense of catastrophe is therefore internal to the mission's institutional framework, rather than solely external and environmental.

Pinto also reworks what Dabble describes as the genre's “technological ambivalence,”

whereby technology alternately appears as the agent of destruction and the fragile means of survival (Dabble 88). In *Europa*, life depends on intricate technological apparatuses—most visibly the fluorescent orange, triple-layered survival suits with integrated oxygen supply and heating pads—yet this technological efficacy is continually undermined by the moral bankruptcy of those who control it (Pinto 95). The real threat emerges not from the machines but from the “ghost in the machine”: corporate saboteurs and corrupt politicians on Earth, whose manipulations transform advanced technology into a tool of exploitation and control (Chawner 30).

By shifting the locus of danger from technological failure to institutional treachery, Pinto mimics familiar post-apocalyptic motifs only to subvert them, foregrounding neocolonial structures of power that persist beneath the veneer of futuristic innovation (Said 57). The narrative thus situates post-apocalyptic survival within a matrix of corporate imperialism and geopolitical complicity rather than an isolated technological disaster (Cornett 25).

Theoretical Framework: The Postcolonial and the Psychoanalytic

To elucidate the complexities of *Europa*, this paper employs a dual theoretical lens that juxtaposes postcolonial critique with psychoanalytic trauma theory. Postcolonial theory exposes the asymmetrical power relations that govern the mission and shape its spatial politics, while psychoanalytic theory interrogates the internal disintegration and defensive mechanisms that emerge under conditions of radical threat.

Postcolonial trauma theory, as articulated by critics such as Irene Visser, insists that trauma must be read in relation to sociohistorical structures of oppression rather than as a purely individual pathology (Visser 270). This approach

converges with Gilad Hirschberger's understanding of collective trauma as a "crisis of meaning" that destabilizes shared narratives and symbolic orders (Hirschberger 1441). At the same time, the paper draws on the Freudian–Lacanian conception of the unconscious and symbolic order, as well as Melanie Klein's theorization of the paranoid-schizoid position, to analyse the crew's fragmentation and paranoia (Lacan 3; Klein 5).

By combining these frameworks, *Europa* can be read as a narrative in which corporate neocolonialism and environmental precarity generate sociogenic trauma that manifests in psychic splitting, paranoid projection and the dissolution of ego boundaries.

Postcolonial Echoes : The Neocolonial Corporate State

Europa depicts a form of "corporate imperialism" in which entities like Draco Industries wield power akin to that of colonial trading companies, operating across planetary borders with minimal accountability (Said 3). The Earth-based "Sigma" building—an architectonic fortress of surveillance and control—stands as the metropole, while the vulnerable crew on *Europa* occupies the precarious position of the colony, subjected to remote governance and expendability (Tally 50; Pinto 9).

Homi K. Bhabha's concepts of mimicry and ambivalence are particularly illuminating in this context (Bhabha 85). The character of Pramod Muchenda, a corrupt Indian politician, exemplifies the "comprador" elite who navigates neocolonial structures by mimicking aggressive capitalist strategies associated with Western corporate power (Bhabha 122). In his interactions with Draco, Pramod's threats—"Consider this a warning, Draco. I can deny everything if the shit hits the ceiling..."—reveal a cynical agency that is premised on complicity

rather than resistance (Pinto 165). The formerly colonized subject here secures power through alignment with transnational capital, exposing the fraught terrain of postcolonial agency (Said 108).

The encounter with the alien "Waaps" complicates the colonial imaginary further. Initially constructed as dangerous, animal-like Others, the Waaps are eventually revealed as refugees displaced from Ganymede by the "Linka" tribe (Pinto 157). Flower, the Waap leader, enacts a form of "reverse colonization" by psychologically seducing the human crew member Peter Geoffrey, whose transformation into "Ulugu thinking" signifies an extreme instance of "going native" that effaces his human allegiance (Fanon 82). The scene in which Peter is described as "one of them now" underscores the colonial fear of cultural absorption and loss of identity within the contact zone (Pinto 157). *Europa* thereby dramatizes the fluidity and vulnerability of identity under colonial and postcolonial pressures, revealing the instability of selfhood in the face of radical Otherness (Fanon 83).

Psychoanalytic Dimensions : Trauma in the Vacuum

The extremity of the European environment, combined with the crew's isolation, operates as a pressure chamber for the psyche, amplifying latent anxieties and traumatic residues (Hirschberger 1441). The "sleep pods" and the trauma of "premature awakening" function as metaphors for the repression and sudden irruption of memory, positioning the mission within a structure of deferred and fragmented consciousness (Lacan 55; Pinto 1).

Captain Richard Sparks's experience of disorientation upon awakening embodies Hirschberger's notion of collective trauma as a crisis of meaning, in which prior symbolic frameworks (the order of Earth, institutional

trust) are abruptly severed (Hirschberger 1442). His vivid nightmares—of running through dark tunnels, haunted by an elusive female figure and assaulted by a vile smell—evoke the return of the repressed, signalling unresolved guilt and threat that cannot yet be symbolically integrated (Lacan 5; Pinto 1).

Within this context, the crew's interpersonal dynamics exemplify what Melanie Klein terms the paranoid-schizoid position, characterized by splitting the external world into idealized "good" objects and persecutory "bad" objects in order to manage overwhelming anxiety (Klein 5). Mario Grant, the double agent, becomes the focal point of this paranoia, as the crew realizes that the corporation behind the mission is "way too big" and that they do not know "who to trust and who was on their payroll" (Pinto 193). This pervasive mistrust illustrates sociogenic trauma, where psychic disturbance arises from oppressive social structures—here, a ruthless corporate conspiracy that treats the crew as expendable.

The psychological toll of this environment and structure culminates in the collapse of moral boundaries, as seen in Peter Geoffrey's chilling rationalization of Sydney's murder. When Peter insists that "Flower" killed her because she had "outlived her usefulness," the displacement of agency and instrumentalization of a crewmate manifest both paranoid projection and ethical disintegration. In *Europa*, the vacuum of space becomes a figure for the vacuum of stable ethical and symbolic coordinates under late-capitalist, neocolonial conditions.

Narrative Architecture: Polyphony and Hybridity

Formally, *Europa* deploys a polyphonic narrative structure that mirrors the fractured reality of its post-apocalyptic setting. The story alternates between the perspectives of Captain Sparks, various crew members and political and

corporate actors on Earth, creating a "chorus of voices" that resists the consolidation of a single authoritative narrative. This structural polyphony foregrounds the multiplicity of experiences and interests involved in the mission and prevents any one viewpoint—whether heroic explorer, corporate executive or political broker—from fully containing the meaning of events (Bhabha 85–86).

Pinto further complicates temporal organization by interweaving the high-stakes present on Europa with flashbacks to Earth, thereby disrupting the teleological progress typically associated with science fiction. The past continually intrudes upon the future: scenes of environmental collapse, corporate conspiracy and political bargaining on Earth destabilize any fantasy of a clean break with terrestrial history. The result is a narrative palimpsest, in Dillon's sense, where temporal layers overlap and bleed into one another, undermining clear-cut distinctions between "before" and "after" (Dillon 9).

Generic hybridity is another defining feature of the novel. *Europa* simultaneously operates as hard science fiction, conspiracy thriller and ecological fable, blending scientific detail with political intrigue and environmental allegory. This hybridity reflects what Chawner calls the "ruins of the future," where the boundaries between genres erode under the pressure of contemporary crises (Chawner 20). By refusing generic purity, Pinto underscores the entanglement of the scientific, the political and the psychological, suggesting that the apocalypse is not a single event but a composite condition involving technological risk, neocolonial capital and environmental catastrophe.

Conclusion

Hywel Richard Pinto's *Europa* emerges as a formidable contribution to twenty-first-century science fiction and to Indian engagements with

the post-apocalyptic imagination. By relocating the site of catastrophe to an alien moon, the novel strips the genre of terrestrial nostalgia and compels readers to confront the raw mechanics of survival and power unmediated by familiar landscapes. The narrative makes clear that the “postcolonial condition” is not bound by gravity; it travels with humanity into space, inhabiting both spaceships and sleep pods as an inescapable psychic and institutional inheritance.

Through its sustained engagement with postcolonial critique, trauma theory and spatial poetics, *Europa* offers a cautionary vision of a future in which neocolonial exploitation, paranoid nationalism and environmental devastation are exported beyond Earth. The “white darkness” of *Europa* finally reads as a projection of the darkness within the colonial and corporate psyche, a void that no technological advance can fill so long as the structures that produce trauma and inequality remain intact.

Works Cited

- Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*.

Routledge, 1994.

- Chawner, Gladys. “Ruins of the Future.” *Science Fiction Studies*, vol. 41, no. 1, 2014, pp. 20.
- Cornett, J. “The Post-Apocalyptic Imagination.” *Genre*, vol. 22, no. 3, 2011, pp. 23–40.
- Dabble, A. *Survival and Society in Dystopian Fiction*. Cambridge UP, 2015.
- Dillon, Sarah. *The Palimpsest: Literature, Criticism, Theory*. Continuum, 2007.
- Hirschberger, Gilad. “Collective Trauma and the Social Construction of Meaning.” *Frontiers in Psychology*, vol. 9, 2018, p. 1441.
- Klein, Melanie. “Notes on Some Schizoid Mechanisms.” *Envy and Gratitude and Other Works 1946–1963*, Delacorte Press, 1975, pp. 1–24.
- Lacan, Jacques. *Écrits: A Selection*. Translated by Alan Sheridan, W. W. Norton, 1977.
- Pinto, Hywel Richard. *Europa*. Leadstart Publishing, 2017.
- Said, Edward W. *Orientalism*. Pantheon Books, 1978.
- Tally Jr., Robert T. *Spatiality*. Routledge, 2013.
- Visser, Irene. “Postcolonial Trauma Theory.” *Journal of Postcolonial Writing*, vol. 47, no. 3, 2011, pp. 270–282.



SHODH CHETNA–YEAR-11, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2025)

A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal



ISSN : 2350-0441

IMPACT-FACTOR

SJIF - 6

Paper Received : 15th Dec. 2025

Paper Accepted : 24th Dec. 2025

ASSESSMENT OF INVASIVE ALIEN PLANT SPECIES DISTRIBUTION, IMPACTS, AND MANAGEMENT PRIORITIES IN SOLAPUR DISTRICT, MAHARASHTRA, INDIA

□ Tolnure Pratiksha Prakash*

□ Dr. Dinesh Kumar Singh**

□ Dr. Ravindra P. Jadhav***

ABSTRACT

*Invasive alien plant species (IAPS) represent a major ecological challenge in the semi-arid landscapes of India, posing serious threats to native biodiversity and ecosystem functioning. This study provides the first systematic, district-wide assessment of invasive plant distribution, abundance, and ecological impacts in Solapur District, Maharashtra, using integrated field surveys and remote sensing approaches conducted over two growing seasons. Across 120 field plots spanning five habitat types, combined with satellite-based classification, we found that approximately 25.8% of the district area (3,847 km²) is affected by plant invasions. Ten dominant invasive species were documented, with *Prosopis juliflora*, *Parthenium hysterophorus*, and *Lantana camara* emerging as the most widespread and ecologically disruptive.*

Invasion intensity was highest in agricultural fields and degraded grasslands, whereas primary grasslands within protected areas showed comparatively greater resistance. Paired comparisons between invaded and uninvaded plots revealed strong negative impacts on native plant diversity, with invaded sites exhibiting 30% lower species richness ($p < 0.001$) and significant declines in Shannon and Simpson diversity indices as well as functional diversity measures.

Remote sensing analysis using a Random Forest classifier effectively mapped invasion levels with an overall accuracy of 75.6%, demonstrating the utility of machine learning for landscape scale monitoring. Spatial correlation analysis indicated that invasion intensity decreased significantly with increasing

* Research Scholar in SJIT University, Jhunjhunu-333010 (Rajasthan)

** Research Guide, SJIT University, Jhunjhunu-333010 (Rajasthan)

*** Research Co-Guide, SJIT University, Jhunjhunu-333010 (Rajasthan)

distance from roads ($r = -0.43$, $p < 0.001$), underscoring the role of transportation corridors as major dispersal pathways.

Collectively, these findings generate critical baseline information for formulating evidence-based management strategies. They highlight the urgent need for coordinated, multi-stakeholder interventions to curb the spread of invasive species and conserve vulnerable native ecosystems in the semi-arid regions of peninsular India.

Keywords– *Invasive alien plant species, biodiversity conservation, Prosopisjuliflora, Lantana camara, Partheniumhysterophorus, remote sensing, semi-arid ecosystems.*

INTRODUCTION

Biological invasions are a major driver of global environmental change, threatening biodiversity, altering ecosystem processes, and causing significant economic losses (Pyšek et al., 2020; Seebens et al., 2021). Invasive alien plants are particularly impactful due to their ability to colonize disturbed habitats, outcompete native species, and modify ecosystem functions through competitive dominance, allelopathy, and disturbance alteration (Vila et al., 2011; Hejda et al., 2009). Globalization, trade, and land-use change have accelerated plant invasions, with rates continuing to rise despite increased management efforts (Seebens et al., 2017; van Kleunen et al., 2015).

India, with its ecological diversity and long history of species introductions, hosts numerous invasive alien plants that threaten native ecosystems and agricultural productivity (Reddy et al., 2008; Khuroo et al., 2012). Many species introduced for fuelwood, soil stabilization, or ornamental use have escaped cultivation and become aggressive invaders (Bhagwat et al., 2012). Semi-arid regions of peninsular India are especially vulnerable due to environmental stress, vegetation degradation, and prevalence of disturbance-adapted invaders (Raghubanshi & Tripathi, 2009; Singh et al., 2010).

Solapur District in southeastern Maharashtra is a prominent example, where invasive species such as *Prosopisjuliflora*,

Lantana camara, and *Partheniumhysterophorus* have extensively transformed native grasslands and scrublands (Pasiiecznik et al., 2001; Sharma & Raghubanshi, 2006; Kaur et al., 2014). Semi-arid conditions created by low and variable rainfall historically supported diverse grassland ecosystems vital for wildlife and pastoral livelihoods, but invasive species have rapidly altered vegetation structure and ecosystem function (Kumar et al., 2006; Ratnam et al., 2016).

Despite widespread invasion, systematic quantitative assessment of invasion extent, drivers, and ecological impacts in Solapur remains limited (Chandrasekaran et al., 2017). Existing studies note species presence but lack comprehensive landscape-scale evaluations integrating field surveys, remote sensing, and impact analysis (Divakara & Nidagundi, 2014). Understanding species-specific impacts and environmental or anthropogenic factors influencing invasion is crucial for informed management (Lemke et al., 2011).

This study addresses these gaps by assessing invasive alien plant distribution, abundance, and ecological impacts across Solapur District using integrated field and geospatial methods. The objectives were to: (1) document invasive species across major habitats; (2) quantify and map invasion intensity using remote sensing; (3) evaluate impacts on native plant diversity; (4) identify environmental and

anthropogenic drivers; and (5) develop a risk-based management prioritization. The findings provide essential baseline data to support evidence-based conservation and management in semi-arid ecosystems of peninsular India.

METHODOLOGY

Study Area

The study was conducted in Solapur District, located in southeastern Maharashtra, India (17°10'N to 18°32'N latitude and 74°42'E to 76°15'E longitude), covering an area of approximately 14,895 km². The district lies in the rain-shadow region of the Western Ghats, characterized by semi-arid climatic conditions with mean annual rainfall of 545 mm concentrated in the monsoon season (June-September) and mean annual temperature of 26.8°C. The terrain consists predominantly of gently undulating plains with elevations ranging from 450 to 650 m above sea level. Natural vegetation historically comprised tropical dry deciduous scrub forests, extensive grasslands dominated by perennial grass species, and thorny scrublands, though large areas have been converted to agriculture or degraded through overgrazing and fuelwood extraction.

Field Survey Design

Vegetation surveys were conducted during two consecutive growing seasons (monsoon and post-monsoon periods of 2022 and 2023) to capture seasonal variation in plant community composition and invasive species abundance. A stratified random sampling design was employed to ensure adequate representation of major habitat types including primary grasslands, secondary grasslands/scrublands, agricultural fields and fallows, riparian corridors, and forest patches. A total of 120 permanent plots (400 m² each) were established across the study area, with sample sizes proportional to habitat extent: 28 plots in primary grasslands, 35 in secondary grasslands/scrublands, 32 in agricultural fields/fallows, 15 in riparian corridors, and 10 in forest patches.

Within each plot, all vascular plant species were identified and recorded. For invasive alien plant species, the following data were collected: species identity, percent cover using visual estimation, frequency (presence/absence in five 1 m² subplots), height, and density for herbaceous species. Native plant diversity was assessed through complete species inventories with abundance estimates for all species. Plant specimens were collected for species confirmation and deposited in the herbarium of the Department of Botany, Solapur University. Species nomenclature followed The Plant List database, and invasive status was determined based on published invasion assessments for India.

Remote Sensing and GIS Analysis

Sentinel-2 imagery (October 2023, 10 m resolution) was preprocessed using Sen2Cor and classified into four invasion intensity categories using a Random Forest model with spectral bands, vegetation indices, and texture features, based on 500 training and 180 validation points. Spatial analyses in ArcGIS Pro 3.0 and R included Getis-Ord Gi* hot spot analysis, distance-based assessments of invasion relative to roads, agriculture, and environmental variables, and evaluation of spatial autocorrelation using Moran's I.

Biodiversity Impact Assessment

To quantify invasion impacts on native plant communities, paired comparisons were conducted between invaded plots (e^{25%} invasive species cover) and uninvaded reference plots (<5% invasive cover). Reference plots were selected to match invaded plots in habitat type, elevation, slope, and soil characteristics to minimize confounding environmental variation. For each plot, the following diversity metrics were calculated: species richness (total number of native species), Shannon diversity index (H'), Simpson diversity index (D), Pielou's evenness index (J'), taxonomic richness by growth form (grasses, forbs, woody species), functional richness, and functional evenness based on plant

functional traits.

Statistical Analysis

Statistical analyses were conducted in R 4.3.1 using t-tests, ANOVA with Tukey's HSD, Pearson correlations, and linear regression to assess differences in diversity and environmental drivers of invasion. Remote sensing classification accuracy was evaluated using confusion matrices, accuracy metrics, and Cohen's kappa, with significance set at $\alpha = 0.05$.

RESULTS AND INTERPRETATION

The systematic vegetation surveys conducted across Solapur District during two consecutive growing seasons generated comprehensive data on the diversity, abundance, and ecological effects of invasive alien plant species (IAPS). The results not only quantify the extent and intensity of invasion across different habitat types but also reveal how these invasions influence native plant communities, ecosystem structure, and soil properties. In this section, the findings are presented sequentially to correspond with the study objectives beginning with species occurrence and distribution patterns, followed

by habitat-specific invasion intensity, impacts on native biodiversity, underlying ecological mechanisms, and finally, risk-based prioritization for management.

Table 1 lists the ten most prevalent invasive alien plant species in Solapur District. Among these, *Prosopis juliflora*, *Parthenium hysterophorus*, and *Lantana camara* emerged as the most widespread invaders, each occurring in over half of the surveyed plots. *P. juliflora* attained the highest mean cover (34.7%), reflecting its tendency to form dense, monospecific thickets that exclude native vegetation. In contrast, *P. hysterophorus* displayed the highest frequency (72.5%) but lower mean cover (15.3%), consistent with its ruderal nature and affinity for disturbed agricultural and roadside habitats. *L. camara* showed intermediate frequency (55.8%) and cover (22.4%), with a marked preference for forest edges and scrublands. These patterns suggest functional differences among invaders in colonization strategies and ecological impact potential.

Table 1: Major Invasive Alien Plant Species Documented in Solapur District

Species	Family	Native Range	Growth Form	Primary Habitats	Frequency (%)	Mean Cover (%)
<i>Prosopis juliflora</i>	Fabaceae	Central & South America	Tree/ Large shrub	Grasslands, scrublands, fallows	68.3	34.7
<i>Lantana camara</i>	Verbenaceae	Central & South America	Shrub	Forest edges, scrublands, disturbed areas	55.8	22.4
<i>Parthenium hysterophorus</i>	Asteraceae	North & Central America	Annual herb	Agricultural fields, roadsides, disturbed areas	72.5	15.3
<i>Cassia uniflora</i>	Fabaceae	Tropical America	Shrub	Grasslands, scrublands	41.7	12.8
<i>Ipomoea carnea</i>	Convolvulaceae	South America	Shrub	Wetlands, riparian areas, disturbed areas	35.0	18.6
<i>Cryptostegia grandiflora</i>	Apocynaceae	Madagascar	Woody vine	Forest edges, scrublands	23.3	8.4
<i>Calotropis procera</i>	Apocynaceae	Africa & West Asia	Shrub	Disturbed areas, roadsides, degraded grasslands	51.7	11.2

<i>Xanthium strumarium</i>	Asteraceae	Americas	Annual herb	Agricultural fields, disturbed areas	38.3	6.7
<i>Argemonemexicana</i>	Papaveraceae	Central America	Annual herb	Agricultural fields, roadsides, fallows	45.8	9.3
<i>Opuntiastricta</i>	Cactaceae	Americas	Succulent shrub	Rocky areas, degraded grasslands	19.2	7.1

The data reveal that *Prosopisjuliflora*, *Partheniumhysterophorus*, and *Lantana camara* are the three most widespread invasive species in the study area, each occurring in more than half of all sampling plots and collectively representing the most significant invasion threats to native biodiversity and ecosystem integrity. *Prosopisjuliflora* achieves the highest mean cover values when present, frequently forming dense thickets that exclude native vegetation and fundamentally transform grassland and scrubland habitats into thorny woodlands bearing little resemblance to historical vegetation. *Partheniumhysterophorus* shows the highest frequency of occurrence despite relatively modest cover values, reflecting its status as a ubiquitous ruderal species colonizing virtually all disturbed habitats but typically not achieving complete dominance except in heavily

disturbed agricultural settings. *Lantana camara* occupies intermediate positions in both frequency and cover, showing pronounced habitat preferences for forest edges and scrublands where it forms dense thickets in understory and gap positions but less commonly invading open grasslands lacking woody cover.

Spatial analysis of invasive species distribution patterns using geographic information systems and remote sensing data revealed pronounced heterogeneity in invasion intensity across the landscape, with certain areas experiencing severe invasions while others remain relatively uninvaded despite apparent habitat suitability. Table 2 summarizes invasion levels by habitat type based on field survey data, demonstrating that different habitat types show differential vulnerability to invasion and harbor distinct invasive species assemblages.

Table 2: Invasion Levels by Habitat Type in Solapur District

Habitat Type	Number of Plots	Mean Invasive Cover (%)	Plots with >50% Invasion (%)	Dominant Invasive Species
Primary grasslands	28	18.4 ± 12.3	10.7	<i>Prosopisjuliflora</i> , <i>Partheniumhysterophorus</i>
Secondary grasslands/scrublands	35	31.7 ± 18.6	28.6	<i>Prosopisjuliflora</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Cassia uniflora</i>
Agricultural fields/fallows	32	42.3 ± 21.4	43.8	<i>Partheniumhysterophorus</i> , <i>Xanthium strumarium</i> , <i>Argemonemexicana</i>
Riparian corridors	15	35.8 ± 19.7	33.3	<i>Ipomoea carnea</i> , <i>Lantana camara</i> , <i>Prosopisjuliflora</i>
Forest patches	10	24.6 ± 14.2	20.0	<i>Lantana camara</i> , <i>Cryptostegia grandiflora</i>

The data demonstrate clear differences in invasion intensity among habitat types, with agricultural fields and fallows showing the highest mean invasive species cover and the greatest proportion of plots experiencing severe invasion with more than 50 percent cover by

invasive species, reflecting the role of agricultural disturbance in facilitating invasion and the prevalence of ruderal invasive herbs in cultivated landscapes. Primary grasslands, particularly those within protected areas or under traditional low-intensity management, show

significantly lower invasion levels than secondary grasslands and scrublands that have experienced past degradation or disturbance, supporting the hypothesis that relatively intact native communities resist invasion more effectively than degraded or disturbed communities. The intermediate invasion levels observed in riparian corridors and forest patches reflect both the distinctive invasive species assemblage's characteristic of these habitats and the dual influences of higher resource availability favoring plant growth generally and potentially greater biotic resistance from more diverse native communities in these relatively productive habitats.

Remote sensing classification of satellite imagery using Random Forest machine learning algorithms trained on ground truth data from field surveys successfully mapped invasion intensity categories across the entire study area at 10 meter spatial resolution, enabling landscape-scale analysis of invasion patterns and their relationship to environmental and anthropogenic factors. Table 3 presents the confusion matrix from independent validation data assessing classification accuracy, demonstrating that the remote sensing approach achieves reasonable accuracy for broad invasion categories though with some confusion among intermediate invasion levels.

Table 3: Confusion Matrix for Remote Sensing Classification of Invasion Levels

Reference Class	Uninvaded	Low Invasion	Moderate Invasion	High Invasion	Total	User's Accuracy (%)
Uninvaded	42	8	2	0	52	80.8
Low Invasion	5	28	9	1	43	65.1
Moderate Invasion	1	7	31	6	45	68.9
High Invasion	0	2	4	34	40	85.0
Total	48	45	46	41	180	-
Producer's Accuracy (%)	87.5	62.2	67.4	82.9	-	75.6

Overall classification accuracy of 75.6 percent with kappa coefficient of 0.68 indicates substantial agreement between classified invasion categories and ground truth validation data, suggesting that remote sensing approaches can provide useful landscape-scale invasion mapping despite imperfect accuracy. The confusion matrix reveals that uninvaded areas and high invasion areas are classified most accurately, with producer's and user's accuracies exceeding 80 percent for both classes, while low and moderate invasion categories show more classification errors reflecting the difficulty of distinguishing intermediate invasion levels from spectral signatures that may overlap substantially. The pattern of misclassifications suggests that errors tend to involve adjacent

invasion categories rather than extreme misclassifications, as evidenced by the concentration of off-diagonal elements near the main diagonal, indicating that even when specific invasion level is incorrectly classified, the assigned class is typically close to the true class. These accuracy levels are comparable to or exceed those reported in many other studies attempting remote sensing classification of invasive species, particularly given the challenging semi-arid environment where sparse vegetation and exposed soil create spectral mixing that complicates vegetation classification.

Spatial analysis of the classified invasion map revealed that approximately 3,847 square kilometers or 25.8 percent of the total district

area shows evidence of invasion by alien plant species, with 1,623 square kilometers classified as low invasion, 1,456 square kilometers as moderate invasion, and 768 square kilometers as high invasion where invasive species dominate vegetation cover. The spatial distribution of invaded areas shows pronounced clustering rather than random distribution across the landscape, with hot spot analysis using Getis-Ord G_i^* statistic identifying several invasion hot spots where high invasion concentrations significantly exceed landscape-wide patterns. Major invasion hot spots occur in areas of intensive agricultural land use where field margins, fallows, and degraded grazing lands have been colonized by invasive species spreading from agricultural fields, along major transportation corridors where roads facilitate both propagule dispersal and habitat disturbance creating invasion opportunities, and in areas of historical overgrazing and vegetation degradation where native grasslands have been transformed into invasive-dominated scrublands.

Distance analysis revealed that invasion intensity shows significant negative correlation with distance from roads ($r = -0.43$, $p < 0.001$), with areas within 500 meters of paved roads showing significantly higher invasion levels than more remote areas, supporting the hypothesis that roads serve as both invasion corridors facilitating spread and disturbance sources creating conditions favorable for invasion establishment.

To assess impacts of invasive species on native plant biodiversity, paired comparisons were conducted between invaded plots defined as having at least 25 percent invasive species cover and uninvaded reference plots with less than 5 percent invasive cover, matched for habitat type and environmental conditions to isolate invasion effects from confounding environmental variation. Table 4 presents biodiversity metrics comparing invaded and uninvaded plots across habitat types, demonstrating consistent negative associations between invasion and native biodiversity across multiple diversity measures and habitat contexts.

Table 4: Comparison of Native Plant Biodiversity Between Invaded and Uninvaded Plots

Metric	Uninvaded Plots (n=45)	Invaded Plots (n=48)	Difference	t-value	p-value
Native species richness (species/plot)	31.7 ± 8.4	22.3 ± 7.6	-9.4	5.73	<0.001
Shannon diversity index (H')	2.84 ± 0.42	2.31 ± 0.51	-0.53	5.42	<0.001
Simpson diversity index (D)	0.89 ± 0.08	0.79 ± 0.12	-0.10	4.68	<0.001
Species evenness (J')	0.82 ± 0.11	0.75 ± 0.14	-0.07	2.89	0.005
Native grass species richness	12.4 ± 3.8	7.8 ± 3.2	-4.6	6.24	<0.001
Native forb species richness	16.8 ± 5.2	12.1 ± 4.6	-4.7	4.71	<0.001
Native woody species richness	2.5 ± 1.8	2.4 ± 1.6	-0.1	0.32	0.753
Functional richness	0.76 ± 0.18	0.58 ± 0.21	-0.18	4.47	<0.001
Functional evenness	0.71 ± 0.15	0.64 ± 0.17	-0.07	2.13	0.036

The results provide strong empirical evidence supporting the primary hypothesis that invasive species negatively impact native plant biodiversity across multiple dimensions. Native species richness is significantly reduced in invaded plots, with an average loss of 9.4 species

per 400 square meter plot representing approximately 30 percent decline relative to uninvaded conditions, a substantial impact with clear implications for biodiversity conservation. The magnitude of richness decline is comparable to that reported in meta analyses of invasion

impacts across diverse ecosystems globally, suggesting that semi-arid systems in Solapur experience invasion impacts of similar severity to those documented elsewhere despite their distinctive environmental conditions and evolutionary histories. Shannon and Simpson diversity indices, which integrate both richness and evenness components of diversity, show highly significant reductions in invaded plots, with Shannon diversity declining by 0.53 units and Simpson diversity declining by 0.10 units, indicating that invasions not only reduce the number of native species present but also alter relative abundances creating more uneven native communities dominated by fewer species. Species evenness shows significant but somewhat smaller declines than overall diversity indices, suggesting that richness loss contributes more to diversity decline than evenness change, though both components are affected.

CONCLUSION

This study provides a comprehensive assessment of invasive alien plant species in Solapur District, highlighting their extensive ecological impact across semi-arid landscapes of peninsular India. Ten major invasive species were documented, collectively affecting about 26% of the district, with *Prosopis juliflora*, *Parthenium hysterophorus*, and *Lantana camara* identified as the most widespread and damaging. Invaded areas were found to support 30% fewer native plant species, indicating significant biodiversity loss and potential long-term ecosystem disruption.

By integrating field surveys with remote sensing and machine-learning classification, the study demonstrates an effective approach for landscape-scale invasion mapping. Spatial analysis revealed strong links between invasion intensity and proximity to roads, agriculture, and degraded vegetation, underscoring the need for prevention along transportation corridors and in disturbed habitats. Habitat vulnerability varied, with degraded grasslands and agricultural lands

most affected, while intact primary grasslands showed higher resistance.

The severe ecological impacts such as dense *Prosopis* thicket formation and widespread *Parthenium* in agricultural zones highlight the urgency of coordinated management. Effective strategies must combine prevention, early detection, rapid response, and prioritized control based on ecological impact and feasibility. Restoration of resistant native grasslands and active rehabilitation of degraded areas should be central to management planning.

The remote sensing framework developed in this study provides a scalable tool for monitoring invasion dynamics and supporting adaptive management. Future research should explore invasion mechanisms, climate interactions, and socioeconomic dimensions to design sustainable, community-supported interventions. Overall, the study establishes essential baseline data and emphasizes the need for multi-stakeholder collaboration to prevent further biodiversity loss and safeguard ecosystem services in semi-arid regions of India.

REFERENCES

- Bhagwat, S. A., Breman, E., Thekaekara, T., Thornton, T. F., & Willis, K. J. (2012). A battle lost? Report on two centuries of invasion and management of *Lantana camara* L. in Australia, India and South Africa. *PLoS ONE*, 7(3), e32407.
- Chandrasekaran, S., Sahu, S. C., Rao, R. J., & Karthik, C. (2017). Invasive alien species in the Western Ghats of Kerala: A threat to native biodiversity. *Tropical Ecology*, 58(3), 565-572.
- Divakara, B. N., & Nidagundi, J. M. (2014). Invasive alien species in semi-arid regions of Karnataka, India: Distribution and impact assessment. *Journal of Environmental Biology*, 35(4), 757-764.
- Hejda, M., Pyšek, P., & Jarošík, V. (2009). Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. *Journal of Ecology*, 97(3), 393-403.
- Kaur, M., Aggarwal, N. K., Kumar, V., & Dhiman, R. (2014). Effects and management

- of *Parthenium hysterophorus*: A weed of global significance. *International Scholarly Research Notices*, 2014, 368647.
- Khuroo, A. A., Reshi, Z. A., Malik, A. H., Weber, E., Rashid, I., & Dar, G. H. (2012). Alien flora of India: Taxonomic composition, invasion status and biogeographic affiliations. *Biological Invasions*, 14(1), 99-113.
 - Kohli, R. K., Jose, S., Singh, H. P., & Batish, D. R. (2006). Invasive plants and forest ecosystems. *CRC Press*, Boca Raton, Florida, USA.
 - Kumar, V. S., Pandey, C. B., & Tripathi, S. K. (2006). Structure and functioning of semi-arid grassland ecosystems of India. *Journal of Arid Environments*, 67(3), 495-517.
 - Lemke, A., Brown, B. J., & Dunn, R. R. (2011). Invasive plant species and their effects on ecosystem functioning: A review. *Critical Reviews in Plant Sciences*, 30(1-2), 106-115.
 - Pasiecznik, N. M., Felker, P., Harris, P. J. C., Harsh, L. N., Cruz, G., Tewari, J. C., Cadoret, K., & Maldonado, L. J. (2001). *The Prosopis juliflora - Prosopis pallida Complex: A Monograph*. HDRA, Coventry, UK.
 - Pyšek, P., Hulme, P. E., Simberloff, D., Bacher, S., Blackburn, T. M., Carlton, J. T., Dawson, W., Essl, F., Foxcroft, L. C., Genovesi, P., Jeschke, J. M., Kühn, I., Liebhold, A. M., Mandrak, N. E., Meyerson, L. A., Pauchard, A., Pergl, J., Roy, H. E., Seebens, H., ... Richardson, D. M. (2020). Scientists' warning on invasive alien species. *Biological Reviews*, 95(6), 1511-1534.
 - Raghubanshi, A. S., & Tripathi, A. (2009). Effect of disturbance, habitat fragmentation and alien invasive plants on floral diversity in dry tropical forests of Vindhyan highland: A review. *Tropical Ecology*, 50(1), 57-69.
 - Rao, B. R., Nagabhushan, G., & Reddy, C. S. (2015). Distribution and ecological impact of invasive alien plant species in Solapur District, Maharashtra. *Indian Journal of Forestry*, 38(2), 145-153.
 - Ratnam, J., Tomlinson, K. W., Rasquinha, D. N., & Sankaran, M. (2016). Savannahs of Asia: Antiquity, biogeography, and an uncertain future. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 371(1703), 20150305.
 - Reddy, C. S., Bagyanarayana, G., Reddy, K. N., & Raju, V. S. (2008). Invasive alien flora of India. *National Biological Information Infrastructure*, US Geological Survey, Reston, Virginia, USA.
 - Seebens, H., Bacher, S., Blackburn, T. M., Capinha, C., Dawson, W., Dullinger, S., Genovesi, P., Hulme, P. E., van Kleunen, M., Kühn, I., Jeschke, J. M., Lenzner, B., Liebhold, A. M., Pattison, Z., Pergl, J., Pyšek, P., Winter, M., & Essl, F. (2021). Projecting the continental accumulation of alien species through to 2050. *Global Change Biology*, 27(5), 970-982.
 - Seebens, H., Blackburn, T. M., Dyer, E. E., Genovesi, P., Hulme, P. E., Jeschke, J. M., Pagad, S., Pyšek, P., Winter, M., Arianoutsou, M., Bacher, S., Blasius, B., Brundu, G., Capinha, C., Celesti-Grapow, L., Dawson, W., Dullinger, S., Fuentes, N., Jäger, H., ... Essl, F. (2017). No saturation in the accumulation of alien species worldwide. *Nature Communications*, 8, 14435.
 - Sharma, G. P., & Raghubanshi, A. S. (2006). Plant invasions along roads: A case study from central highlands, India. *Environmental Monitoring and Assessment*, 122(1-3), 371-379.
 - Singh, K. P., Shukla, A. N., & Singh, J. S. (2010). State-level assessment of invasive alien plants in India. *Biodiversity and Conservation*, 19(6), 1695-1709.
 - van Kleunen, M., Dawson, W., Essl, F., Pergl, J., Winter, M., Weber, E., Kreft, H., Weigelt, P., Kartesz, J., Nishino, M., Antonova, L. A., Barcelona, J. F., Cabezas, F. J., Cárdenas, D., Cárdenas-Toro, J., Castaño, N., Chacón, E., Chatelain, C., Ebel, A. L., ... Pyšek, P. (2015). Global exchange and accumulation of non-native plants. *Nature*, 525(7567), 100-103.
 - Vila, M., Espinar, J. L., Hejda, M., Hulme, P. E., Jarošík, V., Maron, J. L., Pergl, J., Schaffner, U., Sun, Y., & Pyšek, P. (2011). Ecological impacts of invasive alien plants: A meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems. *Ecology Letters*, 14(7), 702-708.





डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी के काव्य में तत्कालीन यथार्थ

□ डॉ. विजय लक्ष्मी*

शोध-सारांश

21वीं सदी के काव्य रचनाकारों में हिंदी कविता को सबसे अलग व नयी ऊर्जा से संप्रकृत करने वाले डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी जी ने जो सृजन किया है, वह काव्य जीवन व साहित्य के श्रेष्ठत मूल्यों से अनुप्राणित है। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता एवं स्वाभिमान को वाणी देने वाले आधुनिक हिंदी कवियों ने डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी विशिष्ट एवं शीर्षक हैं, उनकी विशेषता यह है कि वे हमारे गौरव शाली अतीत, स्वाभिमान पूर्ण वीर गाथाओं एवं उत्सर्गों का यशोगान करते हुए वर्तमान चुनौतियों के परिपेक्ष्य में हमारे कठोर कर्तव्यों एवं आत्मानुशासन के दृण आग्रही भी हैं। राष्ट्र से प्रतिबद्ध होकर जो रचनाएँ लिखी जाती हैं उनमें अपने समय और जीवन की धड़कन अवश्य होती है। "जब हम अपने सुख दुख को देश की फौली हुई सीमाओं में व्याप्त देखने लगते हैं, हमारे स्वार्थ का विस्तार हो जाता है और हम अपने गांव नगर प्रान्त या प्रदेश की सीमाओं का अतिक्रमण कर देश या राष्ट्र तक अपने को फैला हुआ पाते हैं यहीं से हमारे भीतर राष्ट्रीयता का उदय होता है।"

मुख्य शब्द— बृजेन्द्र अवस्थी, तात्कालिक, यथार्थ, मानवार्चन, ।

डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी के काव्य की में तात्कालिक यथार्थ—

तात्कालिक रचनाएँ कहीं न कहीं राष्ट्रीयता के भाव स्पन्दन से जुडी होती है तात्कालिक रचनाएँ जो हो रहा है सिर्फ इसे ही नहीं बताती प्रत्युत वे यह भी बताते हैं कि जो हो रहा है वह कैसा होना चाहिए था। वस्तुतः अपने समय परिस्थिति और पारिवेशिक उथल पुथल से कट कर कोई भी सजग साहित्य कार जी ही नहीं सकता। यह भी एक यथार्थ है कि तात्कालिकता को अपनी रचनाओं

में ज्यादातर उन कवियों ने जिया है जो देश अथवा राष्ट्र से प्रतिबद्ध होकर अपना रचना कर्म करते हैं।

"श्रेष्ठ साहित्य एक निश्चित परिस्थिति में और एक निश्चित परिस्थिति से पैदा होता है।"

अपने समसामयिक परिस्थितियां ही किसी अच्छे साहित्य को जन्म देने में सहायक होती हैं।

"परिस्थिति से अछूता कोई साहित्य नहीं है।"

डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी द्वारा रचित कुछ काव्य संग्रह ऐसे हैं जो तात्कालिकता को जीते हुए

* असिस्टेंट प्रोफेसर, एकलव्य यूनिवर्सिटी, दमोह (म.प्र.)

राष्ट्रीय फलक पर घटित होने वाली उन घटनाओं से हमें परिचित कराते हैं, जिन्होंने देश की राजनीति, संस्कृति समाज, धर्म, शिक्षा, अर्थ, नैतिकता और स्वयं व्यक्ति तक को मोड़ दिया। इन रचनाओं में समय गत राष्ट्रीय हलचलों का अत्यंत पारदर्शी चित्र देखने को मिलता है। डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी द्वारा रचित काव्य संग्रह "ऐसी धरती को कौन गुलाम बना सकता" में स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव का भाव अंतर्निहित है। देश की संस्कृति और धर्म की महानता का यशोगान एवं समकालीन संदर्भ में इनका छह और द्वास 'मानवार्चन की कविताओं की प्रमुख विषय वस्तु है। अन्य रचनाएं 'पौरुष की ललकार' दीपक जले बुझे, साबरमती की अग्नि परीक्षा, हवाओं में टंगा प्रजातंत्र, सूरज उगा हुआ है, बलिदान मांगती जन्मभूमि, जवानों जिंदाबाद आदि हैं। इन काव्य संग्रह में राष्ट्र प्रेम की अभिव्यंजना करने वाले गीत हैं, मातृभूमि की वंदनाएं व उद्बोधन हैं, शोषण मुक्त समाज की संकल्पनाएं हैं। गुजरात त्रासदी में प्रचंड भूचाल की भय मयता विनाश लीला व गोधरा कांड में वेदना वर्णित है। पाकिस्तान और भारत द्वारा सीमा पर लड़े गए युद्ध पर लिखी कविताएं हैं।

सांस्कृतिक आलोक को बिखेरने वाले काव्य संग्रह सुधन्वा, स्वातंत्र्यसूर शिवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कविवर डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी जी ने तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर भूख, गरीबी, लाचारी जमाखोरी राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि विषयों पर लेखनी चलाई है।

डॉ. अवस्थी जी संस्कार शील और आस्थालु हृदय के कवि हैं, भारत भूमि को भवानी माँ मानकर वंदना करते हैं। भारत माँ को भवानी के रूप में देखना कवि की राष्ट्रियता और उसकी वीर रस के प्रति निष्ठा है कवि भारत माँ का चित्र भवानी माँ से मिलते हुए लिखते हैं—

आज वैसा ही समय है दानवों से फिर ठनी है,
माँ उमा से उग्र दुर्गा आज भारत माँ बनी है।

कोटि कोटि सशक्त पूतों ने उसे फिर शक्ति दी है,
शांत गौरी को प्रचण्ड स्वरूप की अभिव्यक्ति दी है।

डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी ने अनेक रचनाओं में ऐसा यथार्थ प्रस्तुत किया है जहाँ वैचारिक सम्पदा से कविता सम्पन्न होती चली गयी है। कवि विदेश में बसे भारतीयों को स्वदेश की विशेष रूप से स्मरणीय वस्तुओं की स्मृति दिलाता है—

तुम भले ठाट से रहो यहाँ, यह दुनियां तुम्हें सोहती है।
राहों में पलकें बिछा-बिछा, माँ अब भी राह जोहती है।
त्यौहार पर्व जब आते हैं, तो याद तुम्हारी आती है।
जलता है स्नेह दिवाली सा, होली-सी जलती छाती है।
बरसा में दृग बरसा करते हैं, जाड़ों में देह कांपती है,
गर्मी में बेटे की सुधि कर, बूढ़ी माँ विकल हाँपती है।
तुम धनी धरा पर आ करके, राजसी ठाट पर फूल गये।
यूँ भाये मक्खन टोस्ट की घर की माखन रोटी भूल गये।

कविवर डॉ. अवस्थी जी की तत्कालीन यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली कविताओं में धार्मिक दुर्दशा का चित्रण किया गया है। अवस्थी जी ने वर्तमान में राजनीतिज्ञों को ही धर्म की दसा का दोषी माना है। वे कहते हैं कि धर्म के मिट जाने पर भारत का स्वरूप बदल गया है। निम्न पंक्तियों में स्पष्ट है—

मिट गया देश का धर्म कर्म संस्कृति का पालन भार हुआ,
कर्तव्य मिटा अधिकारों से नैतिकता का संहार हुआ।
सब अर्थ व्यवस्था भंग हुई सारा समाज थरथरा उठा,

बिना भौतिक सम्पन्नता के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास सम्भव नहीं है। विदेशी हमलावरों ने शासक का रूप लेते ही, सोने की चिड़िया 'जैसे भारत वर्ष का दोहन आरम्भ किया, परिणाम स्वरूप देश गरीबी की खायी में लुढ़क गया। भारत में स्वतंत्रता के बाद भी गरीबी व्याप्त है। लेकिन गरीबी ने अपना स्वरूप बदल लिया है। राष्ट्र को यथार्थ और संवेदना की दृष्टि से देखता हुआ कवि कहता है—

"अब अपना भारत है स्वतंत्र, जन-जन-
जन-गन मन गाते हैं।

पर माँ के जीवन धन, निर्धन ही होते जाते हैं। उनकी न अभी तक प्यास बुझी, नित घूंट लहू के पीने से। वे नहीं नगीने कमा सके, बहते अभिराम पसीने से। उनकी जैसी की तैसी करुणा से भरी कहानी है। उनके दुख का सच्चा साथी, उनके नयनों का पानी है।

देश की वर्तमान दुर्दशा से देश की जनता को अवगत कराना व उसके सुधार के लिए जनता को प्रेरित करना एक सच्चे राष्ट्र कवि का धर्म है। डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी ने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से देश की वर्तमान दुर्दशा का निरूपण किया है—

यह देश समस्याओं से घबराया हुआ है,
चोटों पर बराबर चोंट खाया हुआ है।
समझौते हुए हैं शरीर बाँट —बाँट कर,
बेटों ने दिए माँ के अंग काट काट कर,
कुर्सी के लिए लाल ताज बेंच रहे हैं,
बहुओं की बेटियों की लाज बेंच रहे हैं,
है स्वार्थ रीति प्रीति की प्रतीति खा गयी,
जो भी बची थी नीति राजनीति खा गयी।

देश भ्रष्टाचार बेईमानी, सूद खोरी, सम्पदायिकता, मक्कारी व विलासिता की अग्नि से जल रहा है। संविधान कानून, प्रशासन, राजनीति आदि सभी शंका के घेरे में हैं। कवि देखता है कि झूठ की इमारते नित्य बुलंदियाँ छू रही हैं। रक्षक भी भक्षक बन गये हैं। व्यापार ने डकैती का रूप धारण कर लिया है। कविवर डॉ. अवस्थी जी अपनी कविताओं के माध्यम से स्पष्ट करते हैं—

झूठे हैं समर्थक यहाँ झूठे हैं खैर ख्वाह।
झूठे हैं मुवक्किल वकील, झूठे हैं गवाह।
झूठी हैं अदालत सही इन्साफ नहीं है।
मन साफ न दामन सभी का साफ है।
रूपयों से आदमी का हृदय हाय बिक रहा।
सब्जी की तरह से ही यहाँ न्याय बिक रहा।

डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी जी ने अपने काव्य में वर्तमान राजनीति में फैली अराजकता व भ्रष्ट नेताओं के क्रिया कलापों का वर्णन किया है। आज का

नेता स्वार्थी, भ्रष्ट व अपने पथ से विमुख हो गया है। वह सत्ता में रह कर देश हित नहीं बल्कि अपने स्वार्थी की पूर्ति करता है। आज के नेताओं के लिए राजनीति व्यापार बन गयी है। वे सत्ता में रह कर अपने पद का अनुचित प्रयोग करते हैं। 'देश की पुकार' नामक कविता में कवि ने इस भाव को व्यक्त किया है—

स्वार्थी का धुआँ धार कारोबार चल पड़ा,
हर ओर राजनीति का व्यापार चल पड़ा,
कुर्सी के इशारे पर लोग काँपने लगे,
दरबारी राग रागिये अलापने लगे,
चोरों के लिए चोर समिति पंच बन गयी,
संसद भी झूठ बोलने का मंच बन गयी।

अवस्थी जी देश की भावी पीढ़ी से आशा करते हैं कि वे देश को गर्त में गिरने से बचा लें। दायित्व बोध को साथ रखे हुए अवस्थी जी क्या करणीय है इस विचार को सामने रखते हुए कहते हैं—

राष्ट्र विरोधी षण्यंत्रों का वंश मिटाना होगा,
जैसे भी हो देश बचाना ही होगा।

प्राचीन काल से ही नारी पूजनीय रही है इतिहास वेद पुराणों आदि सभी ने नारी को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है, किन्तु प्राचीन काल हो या वर्तमान काल में नारी पर अत्याचार व शोषण का क्रम चला आ रहा है। यह यथार्थ भी सबके सामने है। डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी जी ने 'सूरज उगा हुआ है' नामक काव्य संग्रह में 'नारी शक्ति' शीर्षक कविता के माध्यम से नारी जागरण की भावना को अभिव्यक्त किया है—

इस दानव को भस्म करो खप्पर वाली बन जाओ,
कायरता तज तुम भी काली विकराली बन जाओ,
पुरुष बड़ा बलशाली होकर अपना गर्व संजोता,
अगर न नारी होती पुरुष कहां से होता,
जगा न तुममें तेज अगर तुम बनी रहीं सुकुमारी,
तो कुचलेगी कभी आत्मबल की ही कमी तुम्हारी,
तुमको दैन्य उड़ाने वाली आंधी बनना होगा,

हर नारी को आज इंदिरा गाँधी बनना होगा।

उक्त कविता के माध्यम से अवस्थी जी तत्कालीन समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नारी को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि वह अपनी सुकुमारता का त्याग करते हुए दहेज रूपी दानव को नष्ट करने के लिए खप्पर वाली का स्वरूप धारण करें।

भारत पाक युद्ध के दौरान जिन रण बांकुरों ने अपने पराक्रम से पाक सैनिकों के दाँत खट्टे किये थे। उनके साहस, चातुर्यपौरुष शौर्य की चित्रात्मक, नादात्मक और कथात्मक अभिव्यक्ति की है। अपनी गीतियों में अवस्थी जी ने सैनिकों के बलिदान को भी याद किया है। कवि उन मातृ भक्त शहीदों का अभिनंदन करता है जिन्होंने शत्रुओं के ठिकानों को नष्ट कर शत्रु के गर्व को चूर किया यथा—

मातृ भक्त अमर शहीदों को प्रणाम मेरा,
शत्रुओं की छाती पर घाव गहरा दिया,
बंकरो को तोड़ तोड़ शत्रु गर्व गोड़ गोड़,
चौकियों को जीत जीत लगा पहरा दिया,
अनुष्ठान लेते हुए प्राण दान देते हुए,
भारत की जय से गगन घहरा दिया,
टाइगर के समान टाइगर वीर बढ़े,
टाइगर चोटी पे तिरंगा फहरा दिया।

डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी ने देश के शहीद बलिदानियों के त्याग, बलिदान, देश के प्रति पूर्ण निष्ठा व समर्पण की भावना को अपने गीतों के माध्यम से उजागर किया है साथ ही देश के नौजवानों के लिए इन बलिदानियों से प्रेरित होने को भी महत्त्व दिया है। क्रूर यवनो, अंग्रेजों एवं लुटेरों का नामोनिशान बलिदानियों ने अपने रक्त से मिटा दिया। कवि ऐसे वीर बलिदानियों की याद करते हुए कहते हैं कि—

गुरुओं ने जिस देश धर्म के लिए मौत की दावत की,
सिर न झुकाया शहंशाह को डट कर खुली बगावत की।
तेग बहादुर शीश चढ़ाकर द्वार शहीदी खोल गये,

हिन्दू धर्म के काज आज मम देहि लुटेगी बोल गये।

डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी के काव्य में भक्ति भावना के अप्रतिम दर्शन होते हैं कवि द्वारा रचित 'तापसी' और 'सुधन्वा' काव्य में कृष्ण भक्ति की असज्र धारा बही है। भक्ति के इस स्रोत से उन्होंने भारतीय जन मानस को कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा और सुधन्वा की भक्ति से परिचित कराया है। इन काव्यों से कवि की भक्ति भावना का भी पता चलता है।

तापसी काव्य में मीरा के जीवन के अनेक चमत्कारों का चित्रण मिलता है। भक्त हृदय कवि ने खंड खंड देश को एकता के सूत्र में बाँधने हेतु कृष्ण भक्ति का अवलम्ब, आदिवासी जनता का उत्थान, नारी जागरण, सती प्रथा का विरोध, नारी अधिकार तथा जाति पांति छुआ छूत के खंडन के प्रश्न काव्य में उठाये गये हैं। मीरा बचपन से ही कृष्ण की अनन्य साधिका थी, वह भक्ति में लीन हो कृष्ण भक्ति के स्वयं रचित पद गाती थी—

कृष्ण का ही विग्रह चतुर्भुज के रूप में था,
बाबा संग मीरा रोज पूजन को जाती थी,
पद रचना में वाणी माँ की ऐसी कृपा हुई,
नए— नए गीत रच श्यामा को सुनाती थी।
सुधि— बुधि हर लेने वाली स्वर साधना से,
कृष्ण प्रेम रस बरसाने लगी मीरा थी।

कविवर अवस्थी द्वारा रचित सुधन्वा काव्य का कथानक महा भारतोत्तरपांडव कथा क्रम से ग्रहण किया गया है। यह कृति भक्ति की अनन्य निष्ठा का जय घोष है। ईश्वर के स्नेहाधीन हो जाने का स्मरण है सबको नचाने वाले नटेश्वर के स्वयं नाचने का गीति विधान है। प्रेम की पराधीनता में रच बस जाने का रेखा चित्र है। कवि भगवान द्वारा भक्त के वश में हो जाने की बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं—

भक्त चाहते तो नाच नाचते हैं विश्व नाथ,
यह तथ्य सत्य का प्रमाण कहा जाता है,
भक्त के निमित्त वंशी धर वंशी छोड़ देते है,
आता है करों में धनु बान कहा जाता है,

भक्त के समस्त कष्ट पीते हैं स्वयं हरि,
विष पान होता सुधा पान कहा जाता है,
भक्त के सदैव वश रहते हैं भगवान,
भक्त भगवान से महान कहा जाता है।

अवस्थी जी ने अपने काव्य को जो विशिष्टता प्रदान की उसका प्रमुख कारण उनकी दिव्य दृष्टि है जिससे उन्होंने तत्कालीन यथार्थ को पहचाना और कालजयी साहित्य की रचना की। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में दृ महान कवि वह है जो आस्था नहीं खोता, पराजित नहीं होता और अपने को कठिन परिस्थितियों में रख कर भी मानव वादी भूमि पर बना रहता है।

डॉ अवस्थी जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, साहित्य और कला रीति और नीति आदर्श और जीवन मूल्यों को साथ रखते हुए उस पक्ष को उजागर करने का प्रयत्न किया है। जिससे क्लीत्व का नाश हो। कलम और कवि परस्पर विरोधी तत्व नहीं है बल्कि एक ही लक्ष्य के साधक है कवि के द्वारा किस प्रकार का सृजन किया जाना चाहिए। इस संबंध में कवि कहता है कि—

इसलिए बिहारी संहारी बन जाओ तुम,
स्वाधीन देश के छंद चंद से गाओ तुम,
भूषण के आभूषण हो शस्त्र उठाओ तुम,
अरि कंठ कलम करने को कलम चलाओ तुम,
ज्वाला से जलते आग उगलते गान लिखो।

सूरज उगा हुआ है, नामक काव्य संकलन में 'कलम' और कवि नामक कविता के अंतर्गत कवि ने उन कवियों को फटकार सुनाई है। जिन्होंने चंद चांदी के टुकड़ों में स्वयं को बेच दिया है यथा—कलम दूसरों की कलम की चर्चा करती है—

हाँ कुछ बहिनो ने मुझे कलंक लगाया
कर्तव्य भूल स्वार्थी को अंक कगाया,
वासना अनाचारो के गायन गाये
कायता के जग को संदेश सुनाये,
कुछ तो सलाम में ही नीलाम हुई है,

सोने से मढ़ कर देह गुलाम हुई है।

जन जागृति में कवि की महान भूमिका होती है कवियों को प्रेरित करते हुए अवस्थी जी कहते हैं कि सच्चे वीर कवि समय के साथ उचित बात कहकर अपने साहस का परिचय देते हैं। अतः दो टूक बात कहना सरल नहीं होता है और ऐसा कवि तो बिलकुल सरल नहीं होता जो चाटुकारों की जमात से दूर हो। सच्चाई को अभिव्यक्त करते समय सामने वाले की चिंता नहीं करता और दृ गता पूर्वक अपनी बात कहता है। अवस्थी जी निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्त करते हैं—

जुल्म के समक्ष स्वर मंद न होंगे,
मृत्यु भय से भी छंद बंद न होंगे,
चाहे घुटना पड़े कबीर की तरह,
चाहे विष पीना पड़े मीरा की तरह,
चाहे हाथ कटे घनानंद की तरह
चाहे प्राण देने पड़े चंद की तरह,
दास हो न पलना पसंद करूंगा,
सच्चा कवि शासन का दास न होगा,
चाटुकारिता के आस पास न होगा।

निष्कर्ष

अतः कहा जा सकता है कि डॉ बृजेन्द्र अवस्थी जी ने अपने सम्पूर्ण साहित्य में तत्कालीन यथार्थ के भाव समेटे हुए हैं। डॉ अवस्थी जी द्वारा रचित साहित्य वर्तमान समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ उन समस्याओं को हल करने में सक्षम व नई दिशा प्रदान करने वाला है। डॉ बृजेन्द्र अवस्थी जी अतीत की और लौटने वाली कवि नहीं बल्कि अतीत को वर्तमान में जोड़ कर भविष्य की दिशा तय करने वाले कवि थे। अतः तत्कालीन यथार्थ के संदर्भ में डॉ बृजेन्द्र अवस्थी का साहित्य सदैव प्रासंगिक रहेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चिंतन के क्षण—डॉ विजयेंद्र स्नातक
2. इतिहास और आलोचना— डॉ नामवर सिंह

3. प्रसंग वशकृभारतभूषण अग्रवाल, पृष्ठ 95
4. ऐसी धरती को कौन गुलाम बना सकता— डॉ बृजेन्द्र अवस्थी
5. पौरुष की ललकार—डॉ बृजेन्द्र अवस्थी
6. दीपक जले बुझे — डॉबृजेन्द्र अवस्थी
7. हवाओं में टंगा प्रजातंत्र— डॉ बृजेन्द्र अवस्थी
8. जवानों जिंदाबाद— डॉ बृजेन्द्र अवस्थी
9. सूरज उगा हुआ है— डॉ बृजेन्द्र अवस्थी
10. जवानों जिंदाबाद —डॉ बृजेन्द्र अवस्थी
11. तापसी— डॉ बृजेन्द्र अवस्थी
12. सुधन्वा— डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी
13. कवि निराला कुछ प्रश्न—प. नंद दुलारे वाजपेई





भारतीय ज्ञानपरम्परायाः दर्पणः पुराणस्य सांस्कृतिक धार्मिक च स्वरूपः

□ अभिलाष कुमार गौतम*

शोध-सारांश

पुराणानि भारतीयज्ञानपरम्परायाः अद्भुताः ग्रन्थाः सन्ति ये न केवलं धार्मिकप्रत्ययानां आधारं प्रददति अपितु भारतस्य सांस्कृतिकसामाजिकदार्शनिकचेतनायाः सजीवचित्रम् अपि प्रददति। अस्मिन् पत्रे पुराणानां सांस्कृतिकधार्मिकवैशिष्ट्यस्य विश्लेषणं कृत्वा मिथक, धर्म, नीतिशास्त्र, आचारः, तीर्थयात्रा, जातिव्यवस्था, देवदेवतानाम् अवधारणा, जीवनस्य चत्वारः उद्देश्याः (धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः) इत्यादयः विविधाः पक्षाः आच्छादिताः सन्ति।

अस्मिन् अध्ययने इदमपि प्रस्तुतं यत् पुराणेषु मौखिकपरम्परा लोकप्रत्ययानां च समावेशः कृत्वा जीवन्तं बहुस्तरीयं च ज्ञानव्यवस्थां निर्मितम्। एतेन सह पुराणानि न केवलं धार्मिकग्रन्थाः अपितु भारतीयसमाजस्य ऐतिहासिक-सांस्कृतिक-नैतिक-विकासस्य धरोहरम् अपि इति एतत् शोधं दर्शयति। अस्मिन् सन्दर्भे अद्यापि पुराणानि प्रासंगिकाः एव तिष्ठन्ति, विशेषतः यदा वयं संस्कृतिधर्मयोः परस्परसम्बन्धं ज्ञातुं प्रयत्नशीलाः स्मः।

कूट शब्द- पुराण, भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति, देवता, लोकविश्वास, पुरुषार्थ, मौखिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत।

आमुखम्

भारतीयसभ्यतायाः मूलेषु यदि कापि पाठपरम्परा अत्यन्तं गभीरतया निहितः अस्ति तर्हि तानि पुराणानि एव। पुराणानि भारतीयज्ञानपरम्परायाः "पञ्चमवेदः" इति उच्यन्ते यतोहि तेषु न केवलं वैदिकज्ञानस्य विस्तारः भवति अपितु भाषाभिः, कथाभिः, प्रतीकैः च सामान्यजनानां कृते सुलभं भवति (हजरा, 1940)। पुराणानां संख्या 18 महापुराणानां 18 उपपुराणानां

च यावत् गच्छति, येषु प्रत्येकस्य स्वकीयं सांस्कृतिकं, धार्मिकं, दार्शनिकं च महत्त्वम् अस्ति।

पुराणानां रचना दीर्घकालीनमौखिकपरम्परायाः भागरूपेण अभवत्, तत्र लोककथाः, पौराणिककथाः, ऐतिहासिकघटनानि, दार्शनिकचिन्तनानि च सन्ति। एतेषु ग्रन्थेषु न केवलं देवदेवतानां चरित्रं, अवतारं, शोषणं च वर्णितम् अस्ति, अपितु समाजस्य संरचना, जीवनमूल्यानि, आचरणं, विचाराः, नीतिशास्त्राणि च

* शोधार्थी (व्याकरण विभागः), महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विवि, उज्जैन (म.प्र.)

समाविष्टानि सन्ति ।

ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निर्मलं परमार्थतः ।

तमेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम् ।।¹

(ज्ञानस्य परमरूपं नितान्तं शुद्धं, एकसत्यमात्रे स्थितम्; अन्यत् सर्वं मायया नानारूपं दृश्यते ।)

अस्य शोधपत्रस्य उद्देश्यं पुराणानां सांस्कृतिक-धार्मिक-प्रकृतेः बहुआयामी-विश्लेषणं करणीयम्, येन स्पष्टं भवति यत् एते ग्रन्थाः केवलं धार्मिकग्रन्थाः न सन्ति अपितु भारतीयसमाजस्य ऐतिहासिक-सांस्कृतिक-नैतिक-विकासस्य दर्पणाः सन्ति ।

2. पुराणस्य सांस्कृतिक स्वरूपम्

2.1 सामाजिक संरचना एवं लोकाचारः

समाजस्य संरचना नैतिकता च पुराणेषु विस्तरेण वर्णिता अस्ति । सामान्यतया 'वर्णाश्रमधर्मः' इति चतुर्वर्णव्यवस्था सामाजिकसन्तुलनायाः उत्तरदायित्वस्य च प्रतीकरूपेण पुराणेषु प्रस्तुता अस्ति ।

ब्राह्मणस्य प्रशंसन्ति क्षत्रियं वैश्यमेव च ।

शूद्रं चैव यथान्यायं स्वधर्मेण विभाजितम् ।।²

(ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राः स्वस्वधर्मानुसरणं कुर्वन्तः आदरणीयाः ।)

पुराणेषु राजा हरिश्चन्द्रः, राजा पृथुः, राजा दिलीपः इत्यादीनां पात्राणां माध्यमेन सत्यदयाक्षमा-दानधर्माणामनुसरणं च इत्यादीनि नैतिकमूल्यानि प्रचारितानि सन्ति ।

मत्स्यपुराणे (अध्यायः 24) राजा हरिश्चन्द्रस्य कथा सत्यतायाः कर्तव्यनिष्ठायाः च सम्यक् उदाहरणम् अस्ति, यस्मिन् राजा स्वपुत्रराज्ययोः स्वसुखस्य च त्यागं कृत्वा अपि सत्यमार्गे स्थिरः तिष्ठति ।

पुराणेषु वर्णिताः सामाजिकोत्सवाः, उत्सवाः, संस्काराः (जन्म, विवाहः, मृत्युः इत्यादयः) अद्यापि भारतीयसमाजस्य जीवितानि सन्ति । लोकप्रथारूपेण होली, दीपावली, नवरात्रि, मकरसंक्रान्ती इत्यादीनाम्

उत्सवाना उत्पत्तिः महत्त्वं च पुराणेषु विस्तरेण चर्चितास्ति । होली-उत्सवस्य आध्यात्मिकं सांस्कृतिकं च महत्त्वं भगवतापुराणे कृष्णस्य लीलानां माध्यमेन व्याख्यातम् अस्ति ।

2.2 कला तथा वास्तुकला

भारतीयकला-वास्तुकला-विकासे पुराणानां भूमिका अतीव महत्त्वपूर्णा अस्ति । अग्निपुराणे (अध्याय 64-67) विष्णुपुराणे च मन्दिरनिर्माणस्य, शिल्पकला, चित्रकला, वास्तुकला च नियमानाम् विस्तृतविवरणानि सन्ति ।

प्रासादं चतुरश्रं वा षडश्रं वा समं भवेत् ।

तोरणैः सुसुशोभाढ्यं देवतानुग्रहाय वै ।।³

(देवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं मन्दिरं चतुर्भुजं षट्कोणं वा भवेत्, तोरणैः अलङ्कृतम् ।)

पुराणप्रेरितानां पौराणिकानाम्, देवदेवतानां चरित्राणां च चित्रणं खजुराहो-कोणार्क-मदुरै-मन्दिराणां वास्तुकलायां स्पष्टतया दृश्यते । अस्मिन् शिल्पे विष्णोः दशावतारः, शिवस्य ताण्डवः, पुराणानां कथानाधारितदेव्याः विविधरूपाणि च चित्रितानि सन्ति ।

2.3 स्त्रियाः भूमिका

पुराणेषु स्त्रियाः भूमिकायाः अतीव उच्चस्थानं दत्तम् अस्ति । देवीभागवते (5.1-15) स्त्री सृष्टेः आधारः, शक्तिज्ञानयाः च स्रोतः इति मन्यते ।

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।।⁴

(सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण विद्यमानायाः देव्यस्य नमस्कारः पुनः पुनः ।)

देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता, राधा इत्यादीनां विविधरूपेषु स्त्रीशक्तिः, करुणा, त्यागः, नेतृत्वं च गुणाः चित्रिताः सन्ति । देवीपुराणेषु स्त्रियः न केवलं पूजिताः, अपितु सृष्टि-पोषण-विनाश-शक्तिरूपेण अपि स्थापिताः सन्ति ।

स्त्रीणां देवत्वमुत्कृष्टं सर्वेषां जीवनस्य च ।

सृष्ट्यादौ सृष्टिकर्त्री च पालनं संहरन्ति च ।।⁵

3. पुराणानां धार्मिकस्वरूपम्

3.1 देवदेवतानां बहुलता

पुराणेषु वैदिककैश्वरवादस्य त्रिमूर्ति (ब्रह्म, विष्णु, शिव) तथा शक्तिविविधरूपेषु विस्तारः कृतः। त्रिमूर्तिसिद्धान्तः शिवपुराणे (रुद्रसंहिता 2.12–15) स्पष्टीकृतः।

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयः सृष्ट्यादिकारिणः।

एकस्य त्रिविधं कर्म जगतः स्थितिकारणम्।⁶

(ब्रह्मा, विष्णुः शिवः च – त्रयः अपि सृष्टेः, पोषणस्य, विनाशस्य च कारणम्।)

पुराणानां बृहत्तमं वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् एतेषु देवदेव्योः विविधतायाम् तेषु एकतां च दर्शयति। विष्णोः दश अवताराः (मत्स्यः, कूर्मः, वराहः, नरसिंहः, वामनः, परशुरामः, रामः, कृष्णः, बुद्धः, कल्कि) तथा शिवस्य विविधरूपाः (महादेव, नटराज, अर्धनारीश्वर, भैरव) भारतीयधर्मचेतनायां विविधतायाः समावेशस्य च सन्देशं प्रसारयन्ति (डोनिगर, 2009)।

3.2 तीर्थानि पवित्रस्थलश्च

स्कन्दपुराणं, पद्मपुराणं, वामनपुराणं च भारतस्य प्रमुखतीर्थस्थलानां – काशी, प्रयागः, हरिद्वारः, द्वारका, पुरी, बद्रीनाथः, केदारनाथः इत्यादीनां विस्तृतवर्णनानि सन्ति। एतेषां तीर्थस्थलानां धार्मिकं, सांस्कृतिकं, सामाजिकं च महत्त्वम् अस्ति।

काश्यां हि किल कामाक्ष्यां प्रयागे च विशेषतः। तीर्थानां तु विशेषेण पुण्यं प्राप्यते मानवैः।

तीर्थयात्रा न केवलं धार्मिकसंस्कारः अपितु सामाजिककैकतायाः, सांस्कृतिकविनिमयस्य, राष्ट्रियसमायोजनस्य च माध्यमम् अस्ति।

3.3 भक्ति आन्दोलनस्य आधारः

भागवतपुराणे (7.5.23–24) भक्तिः (भक्तिः) मोक्षस्य उत्तमः मार्गः इति उक्तम् अस्ति—
एवं सदा यः कृतनिश्चयोऽसौ भजेत नारायणमात्मसम्पदम्।

तं प्रेक्ष्य मुक्ताः किल यान्ति मुक्तिं भक्त्या हरेः परमया तु केवलम्॥

(विमुक्ताः प्राणाः अपि दृढनिश्चयेन नारायणं पूजयन्तं दर्शनेन मोक्षं प्राप्नुवन्ति केवलं परमा भक्तिः एव मोक्षमार्गः।)

पुराणैः भक्तिः जाति-लिङ्ग-वर्ण-सामाजिक-स्थितेः उपरि उन्नयनेन सार्वत्रिकीकृता। अत एव मध्ययुगीनसन्ताः— कबीरः, तुलसी, सूरः, मीरा, नामदेवः इत्यादयः पुराणसिद्धान्तेषु स्वस्य भक्तिसाहित्यस्य आधारं कृतवन्तः।

3.4 दार्शनिक आधारः चत्वारः पुरुषार्थाः

पुराणेषु जीवनस्य चतुर्णां लक्ष्याणां— धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष-विषये सन्तुलित-समाहित-दृष्टिकोणं प्राप्नुमः। एते पुरुषार्थाः न केवलं व्यक्तिगतजीवनस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति अपितु समाजस्य स्थिरतायाः प्रगतेः च कृते अपि आवश्यकताः सन्ति।

धर्मार्थकाममोक्षाणां प्राप्त्यर्थं पुरुषस्य हि।

सर्वं पुराणं आख्यातं तस्मात् तत् परमं स्मृतम्।⁷

(पुराणानि मनुष्याणां धर्मार्थकाममोक्षसिद्ध्यर्थं कृतानि अतः ते परमं मन्यन्ते।)

धर्मः नैतिकता, कर्तव्यं, सामाजिकदायित्वं च।
अर्थः— समृद्धिः, धनं, संसाधनानाम् विवेकपूर्णः उपयोगः च।

कामः— कामानां भावानाञ्च सन्तुलितः नियन्त्रितः च अनुभवः।

मोक्षः— आत्मनः मुक्तिः, परमशान्तिप्राप्तिः, दिव्यानन्दः च।

एकेश्वरवादस्य मोक्षस्य च अवधारणा विष्णुपुराणे (1.4.38) प्रबलिता अस्ति—

परमार्थस्त्वमेवैको नान्योऽस्ति जगतः पते।

त्वदीयश्च महिमायं व्याप्तमेतच्चराचरम्॥

4. मौखिक परंपराः लोकसंस्कृति तथैवे च

मौखिकपरम्परा लोकसंस्कृतिः पुराणानां बृहत्तमं वैशिष्ट्यं तेषां मौखिकता अस्ति। एते ग्रन्थाः वादविवादैः, कथाकथनैः, लोकगीतैः, नाटकैः, लोककथाभिः च पुस्तिकातः पीठीं यावत् प्रसारिताः सन्ति। मार्कण्डेयपुराणस्य दुर्गासप्तशती अद्यापि

नवरात्रे प्रत्येकस्मिन् गृहे पठ्यते ।

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥^{१९}

कथाकथनम्, भागवतसप्ताहः, रामकथा, शिवपुराणकथा इत्यादयः भारतीयलोकजीवने पुराणानां सजीवतां निर्वाहयन्ति । एषा मौखिकपरम्परा पुराणान् “जीवितग्रन्थान” करोति, ये अद्यापि समाजस्य प्रत्येकं वर्गाय प्रासंगिकाः सन्ति (उपिन्दरसिंह, 2016) ।

5. समकालीन प्रासंगिकता

5.1 सांस्कृतिकपरिचयः

अद्यतनस्य वैश्वीकरणस्य सांस्कृतिकसंक्रमणस्य च युगे पुराणेषु भारतीयपरिचयस्य मूल्यानां च संरक्षणं भवति । रामायण-महाभारत-पुराण-आधारित-दूरदर्शनम्, चलचित्र-साहित्य-क्रियाः च युवानम् सह संयोजयन्ती । ‘देवों के देव महादेव’, ‘शिवपुराण’, ‘विष्णुपुराण’ इत्यादीनां टीवी-श्रृंखलानां कृते पुराणानां कथाः जनसामान्यस्य समीपं प्राप्ताः सन्ति ।

5.2 नैतिक शिक्षा एवं पर्यावरण संरक्षणम्

वामनपुराणे (22.1-4) वृक्षनदीपर्वतापशुपक्षिणां च पूजायाः उल्लेखं कृत्वा पर्यावरणसंरक्षणस्य सन्देशः दत्तः अस्ति-

वृक्षाणां जीवनं देवाः पत्राणि परमात्मनः ।

छाया तु विष्णुरुपा स्यात् फलं ब्रह्मस्वरूपकम् ॥

(वृक्षाणां जीवनं देवानां सदृशं, तेषां छाया विष्णुप्रतीकं फलं च ब्रह्मणः ।)

अद्यतनजलवायुसंकटस्य पारिस्थितिकी असन्तुलनस्य च समये एषः उपायः अत्यन्तं प्रासंगिकः अस्ति ।

सामाजिकसौहार्दं वैश्विकदृष्टिश्च

पुराणेषु “वसुधैव कुटुम्बकम्” इति अवधारणा वैश्विकैकतायाः, सहिष्णुतायाः, सामञ्जस्यस्य च सन्देशं ददाति ।

निगमनः

पुराणानि केवलं धार्मिकग्रन्थाः न सन्ति अपितु भारतीयसभ्यतायाः रंगिणः दस्तावेजाः सन्ति ।

सांस्कृतिकगतिशीलतायाः, धार्मिकसहिष्णुतायाः, दार्शनिकगहनतायाः च अद्वितीयः संगमः अस्ति । एते ग्रन्थाः न केवलं प्राचीनभारतस्य समाजस्य, संस्कृतेः, धर्मस्य च आकारं दत्तवन्तः, अपितु सांस्कृतिकपुनर्जागरणस्य, नैतिकशिक्षायाः, आध्यात्मिक-अन्वेषणस्य च प्रेरणास्रोतरूपेण कार्यं कुर्वन्ति । एवं पुराणानि भारतीयज्ञानपरम्परायाः दर्पणाः सन्ति, ये अतीतानां, वर्तमानानाञ्च, भविष्यस्य च सांस्कृतिक-चेतनायाः प्रतिबिम्बं कुर्वन्ति ।

पुराणानि भारतीयज्ञानपरम्परायाः अमूल्यानि धरोहराणि सन्ति, याभिः न केवलं धर्मस्य, आस्थायाः, ईश्वरभक्ते च विविधरूपाणां वर्णनं भवति, अपितु भारतीयसमाजस्य सांस्कृतिक-नैतिक-दार्शनिक-चेतनायाः गहनं प्रतिबिम्बम् अपि अस्ति । एतेषां ग्रन्थानां माध्यमेन भारतीयसमाजः स्वस्य ऐतिहासिकानुभवानाम्, लोकप्रत्ययानां, रीतिरिवाजानां, जीवनमूल्यानां च संरक्षणं संप्रेषणं च कृतवान् । पुराणानां कथाः, पौराणिकाः, उपदेशाः च न केवलं धार्मिकदृष्ट्या अपितु सामाजिक-नैतिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या अपि समाजाय मार्गदर्शनं ददति ।

पुराणानां बृहत्तमं वैशिष्ट्यं तेषां बहुलता, समावेशी च । एतेषु वयं विविधदेवदेवता, तीर्थकेन्द्राणि, रीतिरिवाजाः, जीवनस्य चतुर्णां लक्ष्याणां च समन्वयं प्राप्नुमः, येन भारतीयसंस्कृतेः विविधतायां एकतायाः भावः सुदृढः भवति । पुराणैः समाजस्य प्रत्येकं वर्गं भक्ति-कर्म-ज्ञान-मार्गैः समानं महत्त्वं दत्त्वा आध्यात्मिक-उन्नतिं प्राप्तुं प्रेरितम् ।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥

(पुराणानां सार्वत्रिकसन्देशोऽयं अद्यत्वेऽपि प्रासंगिकः अस्ति ।)

समाजे नैतिकता, सहिष्णुता, दया, सत्य, करुणा इत्यादीनां मूल्यानां स्थापनायां पुराणानां भूमिका अनिर्वचनीयम् अस्ति । एते ग्रन्थाः न केवलं अतीतानां गौरवपूर्ण-इतिहासस्य स्मरणं कुर्वन्ति अपितु

वर्तमानस्य भविष्यस्य च नैतिक—सांस्कृतिक—मार्गदर्शिकाः अपि प्रददति । तेषां कथाः अद्यापि लोककथाभिः, लोकगीतैः, नाटकैः, धार्मिकसंस्कारैः च जीविताः सन्ति, येन भारतीयसंस्कृतेः निरन्तरता सुनिश्चिता भवति ।

आधुनिककाले यदा समाजः विविधाः आह्वानाः सांस्कृतिकसंक्रमणानां च सम्मुखीभवति तदा पुराणानां शिक्षाः—दृष्टिकोणाः च अधिकतया प्रासंगिकाः भवन्ति । पर्यावरणसंरक्षणं, सामाजिकसौहार्दं, नारीशक्तिः, वैश्विककैकता च इत्यादिषु विषयेषु पुराणानां दृष्टिः अद्यतनसन्दर्भे अपि मार्गदर्शनं करोति । पुराणेषु पुनः पुनः प्रतिध्वनितस्य “वसुधैव कुटुम्बकम्” (महाभारत, शान्तिपर्व 262.5) इत्यस्य भावना अद्यतनस्य वैश्विकसमाजस्य कृते अपि प्रेरणादायिनी अस्ति ।

अन्ततः पुराणाः केवलं धार्मिकग्रन्थाः न अपितु भारतीयसभ्यतायाः बौद्धिक—सांस्कृतिक—नैतिक—विकासस्य जीवित—गाथा एव सन्ति । ते भविष्यस्य दिशां च निर्धारयन्ति, अतीतस्य वर्तमानस्य च मध्ये सेतुम् निर्माणं कुर्वन्ति । भारतीयज्ञानपरम्परायाः दर्पणत्वेन पुराणाः न केवलं अस्माकम् इतिहासस्य संस्कृते च परिचयः अपितु एतत् एकं धरोहरं अपि अस्ति यत् भविष्यत्पुस्तकानां जीवनस्य, धर्मस्य, संस्कृते च उच्चतमानाम् आदर्शानां प्रति प्रेरणादायिनी भविष्यति । एवं न केवलं शैक्षणिकदृष्ट्या अपितु सामाजिकव्यक्तिगतजीवने अपि पुराणानाम् अध्ययनम् अभ्यासः च अतीव आवश्यकः सार्थकः च भवति ।

सन्दर्भः

1. विष्णुपुराण 1.1.31
2. भागवत पुराण 7.11.18—35
3. अग्नि पुराण 64.1
4. देवी भागवत 7.7.23
5. देवी भागवत 1.3.10
6. स्कन्दपुराण, काशीखण्ड)
7. गरुडपुराण 1.2.1
8. दुर्गा सप्तशती 5 अध्याय)
9. महाभारत, शान्तिपर्व 262.5

सन्दर्भग्रन्थाः सूचीः

1. Hazra, R.C. Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs, 1940
2. Doniger, Wendy. The Hindus: An Alternative History, 2009
3. Singh, Upinder. Ancient India: Culture of Contradictions, 2016
4. Bhagavata Purana (भागवत पुराण), Vishnu Purana (विष्णु पुराण), Shiva Puran (शिवपुराण), Agni Purana (अग्नि पुराण), Devi Bhagavata (देवी भागवत), Garuda Purana (गरुडपुराण) मूल श्लोक एवं अनुवाद ।
5. NCERT: Indian Art and Culture.
6. "Puranas as Cultural Synthesizers," Wikipedia.
7. Mahabharata, Shanti Parva 262.5 (महाभारत, शान्ति पर्व) ।





व्यावसायिक कृषि में शिक्षा एवं तकनीक का महत्त्व

□ अजय कुमार पटेल*
□ राकेश सिंह**

शोध-सारांश

यह शोध भारत के एक प्रमुख कृषि राज्य उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यावसायीकरण पर शिक्षा और तकनीकके प्रभाव की जांच-पड़ताल करता है। अपनी विशाल कृषि क्षमता के बावजूद, उत्तर प्रदेश को कम उत्पादकता, खंडित भूमि जोत और पुरानी कृषि पद्धतियों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह अध्ययन किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, वित्तीय प्रबंधन और बाजार विश्लेषण में शिक्षित करने के महत्त्व को रेखांकित करता है ताकि उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया जा सके और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, मशीनीकरण, सटीक खेती और डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित तकनीकी उन्नति संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने, पैदावार बढ़ाने और व्यापक बाजारों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। सब्सिडी, सिंचाई कार्यक्रम और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सरकारी पहल, इन उपकरणों को अपनाने में किसानों का और समर्थन करती हैं। बुनियादी ढाँचे की कमी और पारंपरिक मानसिकता जैसी बाधाओं को दूर करके, शिक्षा और तकनीकसामूहिक रूप से उत्तर प्रदेश में टिकाऊ, कुशल और लाभदायक कृषि को बढ़ावा दे सकती है, जो अंततः ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देगी। तकनीक

मुख्य शब्द— व्यावसायिक कृषि, शिक्षा, तकनीक, किसान सशक्तिकरण, सतत कृषि, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो इसकी लगभग आधी आबादी को रोजगार देती है और इसके सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान

देती है। उत्तर प्रदेश, जो कृषि के मामले में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, इस राज्य में खेती 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी का भरण-पोषण करती है और यह आजीविका का प्राथमिक स्रोत

* Research Scholar (Department of Geography), University of Lucknow (U.P.)

** Assistant Professor (Department of Geography), C.S.N.P.G. College, Hardoi (U.P.)

है। गेहूँ, चावल और गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण उत्तर प्रदेश भारत के कृषि परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, पारंपरिक कृषि पद्धतियों, प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच और खंडित भूमि जोतों ने राज्य की कृषि उत्पादकता और आर्थिक क्षमता को बाधित किया है।

बढ़ती आबादी की बढ़ती मांगों और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के साथ, उत्तर प्रदेश में कृषि को निर्वाह से व्यावसायिक प्रथाओं में बदलना होगा। इस बदलाव के लिए शिक्षा और प्रौद्योगिकी में एक मजबूत आधार की आवश्यकता है, जिससे किसान उन्नत कृषि तकनीकों को अपना सकें, संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें और व्यापक बाजारों तक पहुंच सकें। शिक्षा किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों, वित्तीय नियोजन और फसल प्रबंधन में आवश्यक ज्ञान से लैस करती है, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता और उत्पादकता में सुधार होता है। इसके अलावा, मशीनीकरण, सिंचाई प्रणाली, मोबाइल ऐप और डिजिटल मार्केटप्लेस जैसी तकनीकी प्रगति कृषि को बदल सकती है, जिससे यह अधिक कुशल, लचीला और लाभदायक बन सकता है।

यह शोध पत्र उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने में शिक्षा और तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका की जांच करता है। यह चर्चा करता है कि कैसे किसान शिक्षा और तकनीक अपनाने से उच्च उपज, बेहतर बाजार पहुंच और किसानों के लिए अधिक आय स्थिरता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में मौजूदा बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें बुनियादी ढांचे की सीमाएं, उच्च लागत और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध शामिल हैं, जो इन प्रगति को अपनाने में बाधा डालते हैं। सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचे में सुधार और लक्षित शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से, उत्तर प्रदेश व्यावसायिक कृषि के लिए एक सक्षम वातावरण बना सकता है। अंततः, यह परिवर्तन

टिकाऊ ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे सकता है, खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर सकता है और क्षेत्र की समग्र आर्थिक लचीलापन में योगदान दे सकता है, जो आधुनिक कृषि में शिक्षा और तकनीक के महत्व को रेखांकित करता है।

अध्ययन के उद्देश्य


(1) उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने में शिक्षा एवं तकनीक के महत्वपूर्ण भूमिका की जांच करना और व्यावसायिक कृषि में उत्पादकता और निर्णय लेने पर कृषक शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करना।

(2) उत्तर प्रदेश की कृषि पद्धतियों में दक्षता और लाभप्रदता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करना और उत्तर प्रदेश में किसानों के बीच शिक्षा और तकनीक अपनाने में प्रमुख बाधाओं की पहचान करना।

(3) उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने में सरकारी पहल की प्रभावशीलता का आकलन करना और किसानों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों और किफायती तकनीकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सुझाव प्रदान करना।

अध्ययन क्षेत्र

यह अध्ययन उत्तर भारत में स्थित राज्य, उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है, जो देश में अपने महत्वपूर्ण कृषि योगदान के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश



विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों में फैला हुआ है और गेहूं, चावल और गन्ना जैसी फसलों का शीर्ष उत्पादक है। अपनी कृषि क्षमता के बावजूद, राज्य को कम उत्पादकता, खंडित भूमि जोत, सीमित मशीनीकरण और पारंपरिक प्रथाओं पर भारी निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में ग्रामीण समुदाय अपनी आजीविका के लिए कृषि पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे इस क्षेत्र में प्रगति आर्थिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अत्यधिक उत्पादक और संसाधन-सीमित दोनों क्षेत्रों की जांच करके, इस अध्ययन का उद्देश्य राज्य भर में विभिन्न चुनौतियों और अवसरों को समझना है। यह भौगोलिक क्षेत्र इस बात की जानकारी देता है कि शिक्षा और तकनीक को किस तरह से व्यावसायिक कृषि को बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास का समर्थन करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

आंकड़ा स्रोत और विधितंत्र

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक कृषि में शिक्षा और तकनीक की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए द्वितीयक आंकड़ा स्रोतों पर निर्भर करता है। ये आंकड़े सरकारी रिपोर्टों, कृषि सर्वेक्षणों और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) जैसी एजेंसियों के प्रकाशनों से एकत्र किया गया है। इसके अतिरिक्त, शोध पत्र, अकादमिक पत्रिकाएँ और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट, सर्वोत्तम प्रथाओं और वैश्विक तुलनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

विधि तंत्रमें उत्तर प्रदेश की कृषि में शिक्षा और तकनीकको अपनाने में मौजूदा अंतराल और चुनौतियों की पहचान करने के लिए एक व्यापक साहित्य समीक्षा शामिल है। डेटा विश्लेषण प्रमुख

कृषि जिलों में उत्पादकता दरों, आय स्तरों और प्रौद्योगिकी अपनाने के आँकड़ों पर केंद्रित है। प्रभावी रणनीतियों को दर्शाने के लिए इसे सफल सरकारी पहलों, जैसे कि म्छ।ड प्लेटफॉर्म और कृषि विज्ञान केंद्रों के केस स्टडीज द्वारा पूरक किया जाता है। परिणाम स्वरूपक्षेत्र में टिकाऊ, प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि के लिए संभावित सुधारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

उत्तर प्रदेश में कृषि की पृष्ठभूमि

कृषि उत्तर प्रदेश की रीढ़ है, जिसकी 70 प्रतिशत से अधिक आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी कृषि राज्यों में से एक है, जो देश के खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाता है। विविध भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हुए, उत्तर प्रदेश में उपजाऊ मैदान हैं जो कई प्रकार की फसलों का समर्थन करते हैं, जो इसे अनाज, दालों, तिलहन और नकदी फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। राज्य गेहूं, चावल और गन्ने का एक शीर्ष उत्पादक है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश में एक जीवंत बागवानी क्षेत्र है, जो फल, सब्जियां और फूलों के उत्पादों का उत्पादन करता है, जो कई किसानों के लिए आय में विविधता प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश की कृषि शक्ति के बावजूद, कई चुनौतियाँ इस क्षेत्र की उत्पादकता और व्यावसायीकरण में बाधा डालती हैं। राज्य में मुख्य रूप से छोटी और सीमांत भूमि है, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक किसान दो हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक हैं। यह विखंडन मशीनीकरण के दायरे को सीमित करता है, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों में निवेश को हतोत्साहित करता है, और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बाधित करता है। इसके अलावा, राज्य की कृषि मानसून की बारिश पर बहुत अधि

एक निर्भर करती है, जिससे यह मौसम परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हो जाती है। सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन अक्सर अपर्याप्त होती हैं, कुछ क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन दीर्घकालिक स्थिरता के मुद्दे पैदा करता है।

उत्तर प्रदेश में पारम्परिक खेती की परम्पराएँ व्यापक रूप से प्रचलित हैं, जहाँ कई किसान पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं जो उत्पादकता को सीमित करते हैं। उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक और आधुनिक उपकरणों जैसे गुणवत्ता वाले इनपुट तक सीमित पहुँच पैदावार और आय स्थिरता को और प्रभावित करती है। आधुनिक कृषि पद्धतियों और तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी की कमी औपचारिक शिक्षा की कमी से और भी जटिल हो जाती है, जिससे किसानों के लिए बेहतर कृषि तकनीक अपनाना या कुशल संसाधन प्रबंधन में संलग्न होना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

हाल के वर्षों में, सरकार ने उत्तर प्रदेश में कृषि विकास को समर्थन देने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (व्हाइल), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाएँ और राष्ट्रीयकृषि बाजार (मिड) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य ने कृषि शिक्षा में कुछ प्रगति देखी है, विशेष रूप से कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों (ज़टज़) की स्थापना के माध्यम से, जो प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएँ प्रदान करते हैं। हालाँकि, इन कार्यक्रमों की पहुँच और प्रभाव रसद, वित्तीय और अवसंरचनात्मक बाधाओं के कारण सीमित हैं।

शिक्षा और तकनीकका संयोजन इन चुनौतियों पर काबू पाने का वादा करता है। शिक्षा तक बेहतर पहुँच किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी दे सकती है, जबकि तकनीक—जैसे कि सटीक कृषि, सिंचाई प्रबंधन प्रणाली और डिजिटल बाजार—संसाधनों के उपयोग को

अनुकूलित करने और किसानों को व्यापक बाजारों से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। यह संदर्भ ग्रामीण समुदायों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में शिक्षा और तकनीकी अपनाने को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है।

व्यावसायिक कृषि में शिक्षा की भूमिका

शिक्षा कृषि को पारंपरिक तरीकों से बदलकर अधिक कुशल, बाजार—उन्मुख और टिकाऊ उद्योग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर उत्तर प्रदेश में। चूंकि कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए व्यावसायिक खेती में उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता बढ़ाने के लिए किसानों की शिक्षा बढ़ाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक कृषि में शिक्षा किस तरह योगदान देती है, इसके प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

- **ज्ञान सशक्तिकरण और कौशल विकास**— शिक्षा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, फसल प्रबंधन और संसाधन अनुकूलन के बारे में आवश्यक ज्ञान प्रदान करती है। मृदा स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और उर्वरकों के प्रभावी उपयोग को समझकर, किसान अपनी फसल की पैदावार में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन, जैविक खेती और जलवायु—लचीलीकृषिजैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में महत्वपूर्ण है।
- **उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाना**— शिक्षित किसान मशीनीकरण, सटीक कृषि और उच्च उपज वाली बीज किस्मों जैसी नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी नई सिंचाई तकनीकों का ज्ञान जल संरक्षण और बेहतर उत्पादकता की ओर ले जा सकता है। ये प्रथाएँ सीधे उच्च दक्षता और कम

परिचालन लागत में योगदान करती हैं, जिससे किसान अपने कार्यों को बढ़ाने और उनका व्यवसायीकरण करने में सक्षम होते हैं।

- **बेहतर वित्तीय ज्ञान और बाजार तक पहुंच**— वित्तीय नियोजन, कृषि बजट और विपणन रणनीतियों में शिक्षा किसानों को अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करने, सही निर्णय लेने और कृषि निवेश से जुड़े जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाती है। फसल विविधीकरण और बाजार के रुझानों के बारे में जानकर, किसान उच्च-मूल्य वाले बाजारों तक पहुंच सकते हैं, बेहतर रिटर्न की योजना बना सकते हैं और पारंपरिक, कम लाभदायक फसलों पर अत्यधिक निर्भरता से बच सकते हैं।
- **संधारणीय कृषि पद्धतियाँ**— चूँकि कृषि शिक्षा में अक्सर संधारणीयता पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए शिक्षित किसान प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने वाली पद्धतियों को लागू करने की अधिक संभावना रखते हैं, जैसे कि जैविक खेती, कृषि वानिकी और मृदा संरक्षण विधियाँ। ये पद्धतियाँ न केवल पर्यावरण को संरक्षित करती हैं बल्कि दीर्घकालिक उत्पादकता भी सुनिश्चित करती हैं, जिससे किसान और व्यापक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ होता है।
- **विस्तार सेवाएँ और ज्ञान प्रसार**— प्रभावी विस्तार सेवाओं के विकास के लिए कृषि शिक्षा आवश्यक है जो अनुसंधान संस्थानों से ज्ञान को खेत तक स्थानांतरित करने में मदद करती है। कृषि विज्ञान केंद्र (ज़टज़) और सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से, किसानों को वर्तमान कृषि रुझानों पर निरंतर समर्थन, प्रशिक्षण और सलाह मिलती है। ये सेवाएँ सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देती

हैं, जिससे कृषि दक्षता और आय में वृद्धि होती है।

- **कृषि में महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना**— कृषि में शिक्षा महिलाओं और युवाओं जैसे हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्हें कृषि प्रशिक्षण और व्यवसाय कौशल प्रदान करके, ये समूह कृषि मूल्य श्रृंखला में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं, जिससे अधिक समावेशी ग्रामीण विकास हो सकता है।

व्यावसायिक कृषि में तकनीक / प्रौद्योगिकीकी भूमिका

कृषि के व्यावसायीकरण और आधुनिकीकरण में तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहाँ कृषि उत्पादकता और दक्षता राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कम मशीनीकरण, संसाधन की कमी और पारंपरिक खेती के तरीकों की चुनौतियों के साथ, प्रौद्योगिकी अपनाने से किसानों को उत्पादकता बढ़ाने, लागत कम करने और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिल सकती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक कृषि में प्रौद्योगिकी के योगदान के मुख्य पहलू दिए गए हैं;

- **मशीनीकरण और स्वचालन**— उत्तर प्रदेश की कृषि में प्रमुख सीमाओं में से एक मैनुअल श्रम और पुराने कृषि उपकरणों पर निर्भरता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीडर और हल जैसी मशीनरी को अपनाने से श्रम लागत में काफी कमी आ सकती है और दक्षता बढ़ सकती है। मशीनीकरण से भूमि की तैयारी, रोपण और कटाई में तेजी आती है, जिससे फसल चक्र अधिक समय पर होता है और कुल उत्पादकता अधिक होती है। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मशीनरी मौसमी श्रम पर

निर्भरता कम करती है और अधिक सुसंगत, वाणिज्यिक-स्तर के उत्पादन की अनुमति देती है।

- **सटीक कृषि**— सटीक कृषि में आधुनिक तकनीक का उपयोग किसानों को डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि का उपयोग करके अपने खेतों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), ड्रोन और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकें मिट्टी के मानचित्रण, फसल के स्वास्थ्य की निगरानी और पानी की आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद करती हैं। यह तकनीक किसानों को उर्वरकों, कीटनाशकों और पानी को ठीक उसी जगह लगाने में सक्षम बनाती है जहाँ जिस चीज की जरूरत होती है, जिससे बर्बादी और लागत कम होती है। समय का अनुकूलन करके, किसान संसाधनों का संरक्षण करते हुए फसल की पैदावार में सुधार कर सकते हैं, जिससे कृषि अधिक टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बन जाती है।
- **सिंचाई प्रबंधन**— उत्तर प्रदेश में पानी की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है, जहाँ कई क्षेत्र अनियमित वर्षा पर निर्भर हैं। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम और वर्षा जल संचयन जैसी उन्नत सिंचाई तकनीकों का उपयोग, पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित कर सकता है। ये तकनीकें न केवल पानी बचाती हैं बल्कि जलभराव को भी कम करती हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती हैं, जिससे फसल की उत्पादकता बढ़ती है। पैदावार में सुधार के लिए कुशल सिंचाई प्रणालियों को लागू करना महत्वपूर्ण है, खासकर राज्य के जल-तनाव वाले क्षेत्रों में।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल**

प्रौद्योगिकी— डिजिटल प्लेटफॉर्म ने किसानों के लिए बाजार की जानकारी, सरकारी योजनाओं और कृषि सलाह तक पहुंचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) जैसे प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ते हैं, बिचौलियों को कम करते हैं और उन्हें बेहतर कीमतें हासिल करने में मदद करते हैं। मोबाइल एप्लिकेशन वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान, कीट अलर्ट और फसल प्रबंधन पर सलाह प्रदान करते हैं, जिससे किसान समय पर और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ये उपकरण बाजार तक पहुंच बढ़ाते हैं, अनिश्चितताओं को कम करते हैं और समग्र कृषि लाभप्रदता को बढ़ाते हैं।

- **डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)**— डेटा एनालिटिक्स और AI उपज पूर्वानुमान, कीट और रोग प्रबंधन, और बाजार के रुझानों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करके कृषि पद्धतियों को बदल रहे हैं। सटीक डेटा तक पहुंच के साथ, किसान फसल चयन, रोपण के समय और कटाई के बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। AI-संचालित उपकरण पूर्वानुमान विश्लेषण में भी सहायता कर सकते हैं, जिससे किसानों को बाजार की मांग का अनुमान लगाने और बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपनी उत्पादन रणनीतियों को अनुकूलित करने में मदद मिलती है, जिससे उनकी व्यावसायिक सफलता और बढ़ जाती है।
- **जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें**— जैव प्रौद्योगिकी फसल की लचीलापन बढ़ाने, कीट प्रतिरोध को बढ़ाने और पैदावार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आनुवंशिक रूप से संशोधित (छड) फसलों,

जैसे बीटी कपास या सूखा प्रतिरोधी मक्का का विकास, उत्तर प्रदेश के किसानों को कीटों या बदलते मौसम के पैटर्न के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। ये प्रौद्योगिकियां कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे रासायनिक चीजों पर निर्भरता को कम कर सकती हैं, जिससे उच्च दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों में योगदान मिलता है।

- आपूर्ति श्रृंखला और कटाई के बाद की तकनीकों :- तकनीक, कटाई के बाद की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन में भी सुधार कर सकती है, जो कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग नवाचारों और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि उपज इष्टतम स्थिति में बाजार तक पहुंचे, जिससे बर्बादी कम हो और गुणवत्ता बनी रहे। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ये प्रगति उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जो वाणिज्यिक बाजारों में प्रवेश करना चाहते हैं और बड़े कृषि उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश की कृषि में शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन की चुनौतियाँ

उत्तर प्रदेश में शिक्षा और प्रौद्योगिकी के द्वारा कृषि को बदलने की महत्वपूर्ण क्षमता है, किन्तु कई चुनौतियाँ उनके व्यापक रूप से अपनाने और कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं। कृषि के आधुनिकीकरण और वाणिज्यिक खेती में परिवर्तन के लाभों को पूरी तरह से महसूस करने के लिए इन बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियाँ नीचे दी गई हैं;

- **शिक्षा और प्रशिक्षण संसाधनों तक सीमित पहुंच**— उत्तर प्रदेश में प्राथमिक चुनौतियों में

से एक कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सीमित उपलब्धता और पहुंच है। जबकि कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र (ज़टज़) मूल्यवान शिक्षा प्रदान करते हैं, ये संसाधन अक्सर शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं, जिससे ग्रामीण किसानों की पहुंच सीमित हो जाती है। इसके अलावा, अधिकांश किसानों की साक्षरता का स्तर कम है, जिससे उनके लिए उन्नत कृषि ज्ञान को आत्मसात करना मुश्किल हो सकता है। उचित विस्तार सेवाओं और निरंतर प्रशिक्षण की कमी ज्ञान के प्रसार और अपनाने को और भी सीमित करती है।

- **वित्तीय बाधाएँ**— आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों तक पहुंच अक्सर उच्च अग्रिम लागतों के कारण बाधित होती है, जिसे कई किसान वहन नहीं कर सकते। मशीनरी, सिंचाई प्रणाली और डिजिटल उपकरण खरीदने की लागत निषेधात्मक है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए, जो उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए पर्याप्त ऋण सुविधाओं और किफायती वित्तपोषण विकल्पों की कमी समस्या को और बढ़ा देती है। वित्तीय सहायता या सब्सिडी के बिना, कई किसान आधुनिक उपकरणों या शैक्षिक कार्यक्रमों में निवेश करने में असमर्थ हैं, जिससे वे पारंपरिक, कम कुशल कृषि पद्धतियों पर निर्भर रहते हैं।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा**— उत्तर प्रदेश की कृषि में प्रौद्योगिकी को अपनाने में एक महत्वपूर्ण बाधा आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है। खराब ग्रामीण सड़कें, अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल प्लेटफॉर्म, सटीक कृषि उपकरण और आधुनिक सिंचाई प्रणालियों के उपयोग में बाधा डालती हैं। कई क्षेत्रों में, कोल्ड

स्टोरेज सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क की अनुपस्थिति बाजार तक पहुंच और कटाई के बाद की तकनीक के कुशल उपयोग को सीमित करती है। एक मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति किसानों को तकनीकी प्रगति और शैक्षिक पहलों से पूरी तरह से लाभान्वित होने से रोकती है।

- **बदलाव का प्रतिरोध और पारंपरिक मानसिकता**— उत्तर प्रदेश में कई किसान पारंपरिक खेती के तरीकों में गहराई से उलझे हुए हैं और नए तरीकों को अपनाने के लिए प्रतिरोधी हो सकते हैं, खासकर अगर वे उनकी प्रभावशीलता के बारे में अनिश्चित हैं या अगर कथित लाभ तत्काल नहीं हैं। कुछ किसान आधुनिक तकनीकों में निवेश करने से हिचकिचाते हैं, उन्हें डर है कि बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव या अप्रत्याशित मौसम पैटर्न जैसे कारकों के कारण उन्हें निवेश पर रिटर्न नहीं मिल सकता है। आधुनिक कृषि के दीर्घकालिक लाभों के बारे में किसानों को शिक्षित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि कई लोग पारंपरिक खेती के तरीकों से दूर जाने के बारे में संशय में रहते हैं।
- **खंडित भूमि जोत**— उत्तर प्रदेश में छोटी और खंडित भूमि जोत के कारण बड़े पैमाने पर तकनीकी हस्तक्षेप को लागू करना मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसान दो हेक्टेयर से कम भूमि पर काम करते हैं, जो महंगी तकनीक में निवेश करने, पैमाने की अर्थव्यवस्था हासिल करने या सटीक खेती के तरीकों को प्रभावी ढंग से लागू करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। खंडित भूमि बड़े पैमाने पर मशीनरी के उपयोग में भी बाधा डालती है, जो व्यावसायिक कृषि में दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक है। यह विखंडन व्यावसायिक स्तर

के उत्पादन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाएँ पैदा करता है।

- **जागरूकता और डिजिटल साक्षरता का अभाव**— डिजिटल उपकरणों की बढ़ती उपलब्धता के बावजूद, उत्तर प्रदेश के कई किसानों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुँचने या मोबाइल एप्लिकेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए बुनियादी डिजिटल साक्षरता का अभाव है। स्मार्टफोन, कृषि ऐप और ई-नाम जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस का उपयोग अभी भी किसानों के बीच अपेक्षाकृत कम है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में। इन तकनीकों के संभावित लाभों के बारे में जागरूकता का कम स्तर किसानों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने से रोकता है जो उनके बाजार तक पहुँच को बढ़ा सकते हैं, फसल प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं और समग्र उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।
- **सीमित विस्तार सेवाएँ और ज्ञान हस्तांतरण**— जबकि उत्तर प्रदेश में कई कृषि विस्तार कार्यक्रम हैं, फिर भी वे कई क्षेत्रों में अविकसित और अपर्याप्त रूप से कार्यरत हैं। जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले विस्तार अधिकारी अक्सर कम होते हैं, और जो उपलब्ध हैं उनमें नई, उन्नत खेती के तरीकों को सिखाने के लिए आवश्यक कौशल की कमी हो सकती है। विस्तार सेवाओं में कमी के कारण नई प्रौद्योगिकियों और खेती की तकनीकों को अपनाने में देरी होती है, खासकर उन किसानों के बीच जिनकी औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण तक आसान पहुँच नहीं है।
- **जलवायु परिवर्तन और बदलता मौसम**— जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न

की बढ़ती अप्रत्याशितता, किसानों के लिए निश्चितता के साथ दीर्घकालिक तकनीकी समाधान अपनाना मुश्किल बनाती है। उदाहरण के लिए, उच्च तकनीक वाली सिंचाई प्रणाली या फसल प्रबंधन तकनीकों के लिए स्थिर मौसम की स्थिति या पानी की उपलब्धता की आवश्यकता हो सकती है जो हमेशा विश्वसनीय नहीं होती है। परिणाम स्वरूप किसान बिना इस गारंटी के तकनीक में निवेश करने से हिचकिचा सकते हैं कि ये सिस्टम सूखे या बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं के सामने प्रभावी ढंग से काम करेंगे।

सरकारी नीतियाँ और पहल

कृषि में चुनौतियों का समाधान करने और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों की शिक्षा को बढ़ाने, प्रौद्योगिकी अपनाने का समर्थन करने और बाजार तक पहुंच में सुधार करने के उद्देश्य से कई नीतियाँ और पहल शुरू की हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उच्च उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश की कृषि को बदलना है। इस लक्ष्य से संबंधित प्रमुख नीतियाँ और पहल इस प्रकार हैं:

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)**— PMKSY कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे भारत में सिंचाई कवरेज और जल-उपयोग दक्षता में सुधार करना है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा देकर, यह पहल उत्तर प्रदेश के किसानों को पानी पर निर्भरता कम करने और टिकाऊ खेती के तरीकों को सुनिश्चित करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद है, जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से भूमि पर खेती कर सकते हैं, पानी की लागत कम कर सकते हैं और उत्पादकता बढ़ा

सकते हैं।

- **राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)**— ई-नाम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को देश भर के खरीदारों से जोड़ता है, बिचौलियों की भूमिका को कम करता है और किसानों को अपनी उपज के लिए व्यापक बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। ई-नाम के माध्यम से, उत्तर प्रदेशके किसान विभिन्न मंडियों (बाजारों) में वास्तविक समय की कीमतें देख सकते हैं, सूचित निर्णय ले सकते हैं और अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेच सकते हैं। यह मंच किसानों को व्यावसायिक कृषि में संलग्न होने और निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार स्थितियों तक पहुँचकर अपनी लाभप्रदता में सुधार करने का अधिकार देता है।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना**— मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को मृदा गुणवत्ता आकलन और पोषक तत्व प्रबंधन पर सिफारिशें प्रदान करने की एक पहल है। इस कार्यक्रम के तहत, किसानों को मृदा संरचना पर रिपोर्ट और फसल वृद्धि को अनुकूलित करने के लिए उर्वरकों पर विशिष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में, जहाँ मृदा क्षरण पैदावार को प्रभावित कर सकता है, यह पहल स्थायी मृदा प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देती है, जिससे किसानों को फसल चक्र, उर्वरक उपयोग और सिंचाई आवश्यकताओं के बारे में सूचित विकल्प बनाने में मदद मिलती है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)**— राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में राज्य सरकारों का समर्थन करती है। उत्तर प्रदेश को बुनियादी ढांचे के विकास, बाजार संपर्क, मशीनीकरण और फसल विविधता में अनुसंधान से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फंडिंग

से लाभ हुआ है। यह कार्यक्रम आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान प्रदान करके कृषि के व्यावसायीकरण पर जोर देता है जो बड़े पैमाने पर, लाभदायक खेती की सुविधा प्रदान करता है।

- **कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs)**— कृषि विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश में किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केंद्र किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, संसाधनों के कुशल उपयोग और टिकाऊ कृषि तकनीकों से परिचित कराने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रदर्शन और कार्यशालाएँ प्रदान करते हैं। जटिल विभिन्न विषयों जैसे कीट प्रबंधन, फसल विविधीकरण और जैविक खेती पर ज्ञान का प्रसार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करते हैं, जिससे किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाने के लिए सशक्त बनाया जाता है।
- **डिजिटल कृषि और कृषि-तकनीक सहायता**— सरकार कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को मोबाइल एप्लिकेशन, मौसम पूर्वानुमान, फसल की कीमतों और सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी जैसे डिजिटल उपकरणों से लैस करना है। उत्तर प्रदेश में, जहाँ डिजिटल साक्षरता सीमित हो सकती है, ये उपकरण किसानों को डेटा-संचालित निर्णय लेने और उन संसाधनों तक पहुँचने में मदद करते हैं जो पहले दूरदराज के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं थे।
- **मशीनरी और उपकरण के लिए सब्सिडी कार्यक्रम**— मशीनीकरण को बढ़ावा देने और किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए,

सरकार कृषि मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश में, ये सब्सिडी आधुनिक कृषि उपकरणों को अधिक किफायती बनाती है, जिससे छोटे और सीमांत किसान उत्पादकता और दक्षता में सुधार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बीज, उर्वरक और कीटनाशकों पर सब्सिडी किसानों को पूँजी लागत का प्रबंधन करने में मदद करती है, जिससे व्यावसायिक कृषि की व्यवहार्यता बढ़ जाती है।

- **फसल बीमा योजना**— प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल बीमा प्रदान करती है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान से बचाती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ किसान अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और बाढ़ के प्रति संवेदनशील होते हैं, यह बीमा योजना वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करती है। जोखिम को कम करके, यह कार्यक्रम किसानों को नई कृषि पद्धतियों को अपनाने और कुल नुकसान के डर के बिना व्यावसायिक खेती में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **कृषि अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम**— सरकार उच्च उपज वाली बीज किस्मों, कीट प्रतिरोधी फसलों और जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करती है। उत्तर प्रदेश में अनुसंधान और विस्तार गतिविधियाँ किसानों को फसल किस्मों और प्रथाओं में नवाचारों तक पहुँचने में मदद करती हैं जो उत्पादकता और आय क्षमता में सुधार करती हैं, जिससे कृषि के व्यावसायीकरण में सहायता मिलती है।
- **किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के लिए सहायता**— सरकार छोटे किसानों को सामूहिक

रूप से एक साथ आने में मदद करने के लिए थ्वे को बढ़ावा देती है, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था हासिल करने में मदद मिलती है। उत्तर प्रदेश में, थ्वेकिसानों को थोक रेट, साझा मशीनरी, प्रशिक्षण और बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करते हैं। इन संगठनों के माध्यम से, छोटे किसान लागत कम करके और सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाकर निर्वाह खेती से वाणिज्यिक कृषि में बदलाव कर सकते हैं।

सुझाव

(1) कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करें, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

(2) दूरस्थ गांवों तक पहुंचने के लिए मोबाइल, कृषि शिक्षा इकाइयां विकसित करना, जहाँ ऑन-साइट प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

(3) किसानों को आधुनिक मशीनरी और प्रौद्योगिकी खरीदने में सहायता के लिए सब्सिडी और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएं।

(4) प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता के लिए सड़क, इंटरनेट पहुंच और बिजली सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना।

(5) डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप्स के उपयोग को बढ़ाने के लिए किसानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करें।

(6) सस्ती, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

(7) किसानों को आधुनिक तकनीकों के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित अधिकारियों के साथ कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत बनाना।

(8) छोटे किसानों को सामूहिक रूप से संसाध

नों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने में सहायता के लिए किसान उत्पादक संगठनों (थ्वे) के गठन को प्रोत्साहित करें।

(9) प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक कृषि पद्धतियों के लाभों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चालू करें।

(10) प्रौद्योगिकी निवेश को समर्थन देने के लिए फसल बीमा और वित्तीय जोखिम प्रबंधन उपकरणों की उपलब्धता का विस्तार करें।

(11) छोटे और खंडित खेतों के लिए उपयुक्त कम लागत वाली, स्केल लेबल प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ाना।

(12) उपयोगिता और दीर्घायु में सुधार के लिए कृषि उपकरणों के लिए नियमित रखरखाव और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में शिक्षा और प्रौद्योगिकी का एकीकरण व्यावसायिक कृषि के लिए परिवर्तनकारी क्षमता प्रदान करता है, जिससे किसानों को उच्च उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिलती है। शिक्षा किसानों को सर्वोत्तम प्रथाओं, संसाधन प्रबंधन और बाजार के अवसरों के बारे में आवश्यक ज्ञान प्रदान करती है, जबकि प्रौद्योगिकी ऐसे उपकरण प्रदान करती है जो सटीकता, दक्षता और बाजारों तक पहुंच को बढ़ाते हैं। साथ में, वे किसानों को कम उत्पादकता से लेकर प्रतिबंधित बाजार पहुंच तक की पारंपरिक सीमाओं को पार करने और एक ऐसे व्यवसायिक मॉडल की ओर बढ़ने में सक्षम बनाते हैं जो स्थानीय और वैश्विक दोनों बाजारों की मांगों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है।

इन महत्वपूर्ण लाभों के बावजूद, शिक्षा और प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर लागू करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं। वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, खंडित भूमि जोत और कम डिजिटल साक्षरता जैसी बाधाएँ इन प्रगतियों

की पूर्ण प्राप्ति में बाधा डालती हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कृषि तकनीक, प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम और आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

संक्षेप में कहें तो, शिक्षा और प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश में कृषि को आधुनिक बनाने और इसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लचीला बनाने के लिए केंद्रीय हैं। निरंतर निवेश और सहायक नीतियों के साथ, उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र अपने किसानों की बेहतर सेवा कर सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे सकता है और राज्य की खाद्य सुरक्षा में योगदान दे सकता है। उत्तर प्रदेश में टिकाऊ और लाभदायक व्यावसायिक कृषि के लिए अंततः पारंपरिक प्रथाओं और आधुनिक कृषि के बीच की खाई को पाटने के लिए निरंतर नवाचार, सुलभ संसाधनों और मजबूत समर्थन प्रणालियों की आवश्यकता होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Bharati, P., & Desai, M. (2020). Precision Agriculture in India: Opportunities and Constraints. New Delhi: Academic Press.
2. Gupta, S. (2021). Sustainable Farming Practices for Indian Farmers. Hyderabad: AgroTech Publications.
3. Khanna, V., & Joshi, R. (2019). Advances in Agricultural Technology and Digital Agriculture in India. Mumbai: TechAgri Publications.
4. Mehta, A., & Shah, S. (2018). Agricultural Education and Training in India: The Road Ahead. Bangalore: Green World Press.
5. Sen, S. (2021). "Public-Private Partnerships in Indian Agriculture: A Case Study on Uttar Pradesh." *Journal of Indian Economy*, 45(1), 75-85.
6. Verma, P., & Kumar, N. (2020). Climate Change and Agriculture in Uttar Pradesh: Challenges and Solutions. New Delhi: National Academy Press.
7. उत्तर प्रदेश सरकार । (2022)। उत्तर प्रदेश के कृषि सांख्यिकी। कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश। <https://upagri.pardarshi.gov.in/>
8. खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) । (2020)। विकासशील देशों में कृषि को बदलने में प्रौद्योगिकी की भूमिका A <https://www.fao.org/home/en>
9. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार । (2023)। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) A <https://pmksy.gov.in/>
10. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) । (2022)। भारत में कृषि सुधार: प्रभाव और भविष्य का दृष्टिकोण । नीति आयोग, भारत सरकार । <https://www.niti.gov.in/>
11. शर्मा, आर., और सिंह, ए. (2021). "भारत में सतत कृषि पर आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रभाव" । भारतीय कृषि अनुसंधान जर्नल , 55(4), 315–326.
12. कुमार, पी. , और वर्मा, एस. (2020). "ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता कृषि के लिए अवसर और चुनौतियाँ" । जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी , 12(3), 165–179.
13. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) । (2021)। भारत में कृषि मशीनीकरण की स्थिति और सब्सिडी की भूमिका । नाबार्ड अनुसंधान प्रभाग ।





महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज की भूमिका

- अनुपमा सिन्हा*
- डॉ. गायत्री मिश्रा**

शोध-सारांश

महिलाएँ राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उसे विकास की ओर अग्रसर करती हैं। महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, उचित शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएँ आवश्यक हैं। महिला नेतृत्व भी उनके सशक्तिकरण का एक प्रवेश द्वार है। पंचायती राज संस्थाएँ प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्थानीय स्वशासन में लोगों की भागीदारी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश के प्रत्येक व्यक्ति को स्थानीय स्वशासन में भाग लेना होता है। भारत सरकार ने 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और अनुच्छेद 243 (घ) के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया। शिक्षा और कौशल का अभाव, आर्थिक निर्भरता, कानूनी अधिकारों का प्रयोग न करना, परिवार के मुखिया द्वारा उनके निर्णय को अस्वीकार करना, पुरुष प्रधानता, सांस्कृतिक और पारंपरिक बाधाएँ, समाज में निम्न स्थिति। इसलिए, वर्तमान अध्ययन ने जमीनी स्तर की राजनीति में महिलाओं की स्थिति की जाँच हेतु एक सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन करके इस अंतर को भरने का प्रयास किया है। यह अध्ययन महिला नेताओं की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की जाँच करने के लिए सार्थक होगा और जमीनी स्तर की राजनीतिक राजनीति में महिलाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों की पहचान करने में भी सहायक होगा। इसलिए, अध्ययन ने कुछ ऐसे कारकों का सुझाव दिया है जो महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने और उनकी आर्थिक, सामाजिक और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होंगे।

मुख्य शब्द— महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, संविधान, संशोधन आदि।

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान), शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाना। संक्षेप में, महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के सभी अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की पूर्ण प्राप्ति, सामाजिक—आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में उनकी समान भागीदारी और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन। सशक्तिकरण की अवधारणा शक्ति शब्द से आई है। व्यापक अर्थ में, 'शक्ति' शब्द का अर्थ है किसी भी कार्य को सकारात्मक रूप से करने की बुद्धि। सशक्तिकरण का अर्थ है स्वतंत्रता का वातावरण, जीवन की गुणवत्ता, चुनाव की स्वतंत्रता और व्यक्ति का सम्मानपूर्वक जीवन जीना सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर अच्छा नियंत्रण प्राप्त करता है।¹

अध्ययन के उद्देश्य

महिला सशक्तिकरण के विभिन्न दृष्टिकोणों, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, की जाँच करना। लेख में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न तंत्रों, जैसे संविधान, विभिन्न अधिनियम और विधायिका, तथा न्यायिक एवं कानूनी तंत्र का भी परीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 73वें संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के बारे में जानना भी शामिल है।

शोध पद्धति

यह शोध पत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की सामाजिक—आर्थिक स्थितियों की जाँच करने का प्रयास करेगा। विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। यह लेख भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में ज्ञान और समझ बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

महिलाओं की स्थिति

समाज में महिलाओं की भूमिका हमारी सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्य व्यवस्था और सामाजिक अपेक्षाओं आदि से निर्धारित होती है। विकास की यात्रा में, विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों ने समाज को बदल दिया है। इस परिवर्तन के अलावा, भारतीय महिलाओं की दुर्दशा में स्थानीय निकायों को छोड़कर औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं में उनकी आर्थिक और सामाजिक भागीदारी के अनुरूप कोई बदलाव नहीं आया है। निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी पाँच प्रतिशत से भी कम है। भारत संविधान द्वारा महिलाओं को प्रदान की गई स्थिति और भूमिका तथा सामाजिक परंपराओं द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच के अंतर का एक विशिष्ट उदाहरण है। महिलाओं के लिए जो व्यावहारिक और संभव है तथा उनके लिए उपयोगी है, वह वास्तव में उनकी पहुँच से बाहर है। उन्हें सामाजिक मानदंडों और मानकों के दायरे में रहना पड़ता है, जो बदले में उन्हें असीम नुकसान पहुँचाते हैं। हिंदू परंपरा में, बेटियों का विवाह कर देना और विवाह के बाद उन्हें उनके ससुर के घर भेज देना तथा वंश में निरंतरता बनाए रखने के लिए बेटों को दिए जाने वाले महत्व जैसी प्रथाओं ने पुरुष—प्रधान सामाजिक संरचना को मजबूत किया है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक समारोहों में शामिल होने से रोक दिया जाता है और प्रसव के समय महिलाओं का दर्जा पुरुषों से कमतर हो जाता है।²

पितृसत्तात्मक समाज के बारे में नारीवादी दृष्टिकोण आम तौर पर यह है कि यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जिसमें महिलाएं उन लोगों की श्रेणियां हैं जो विभिन्न प्रकार के भेदभाव और शोषण का शिकार होती हैं, जो नारीवादी विचार की सार्वभौमिक विशेषता है। महिलाओं के खिलाफ

दमन पितृसत्ता में होता है, जो महिलाओं पर पुरुष वर्चस्व की एक पदानुक्रमित व्यवस्था है।¹³ पितृसत्ता सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पुरुष वर्चस्व को संदर्भित करती है। नारीवादी मुख्यतः 'पितृसत्ता' शब्द का प्रयोग पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति संबंधों को दर्शाने के लिए करते हैं। पितृसत्ता पुरुष की स्त्री पर श्रेष्ठता को दर्शाती है, जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की पुरुष पर निर्भरता और अधीनता को बढ़ावा देती है। परिणामस्वरूप, परिवार, समाज और राज्य में सारी शक्ति और अधिकार पूरी तरह से पुरुष के हाथों में ही रहता है। पुरुषों के हाथों में। इसलिए, पितृसत्ता के कारण, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और अवसरों से वंचित किया गया। पितृसत्तात्मक मूल्य महिलाओं की गतिशीलता को प्रतिबंधित करते हैं, उनकी खुद पर और उनकी संपत्ति पर स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं।¹⁴

यह सच है कि पश्चिम के आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में महिलाओं की स्थिति पिछड़ी हुई है। भारत में पितृसत्तात्मक समाज और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के प्रचलन के कारण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्णय लेने से संबंधित पुरुषों के समान अवसर नहीं मिल पाते, जिससे महिलाएं पीछे रह जाती हैं।¹⁵ महिलाएं घरेलू कामों की ज़िम्मेदारी उठाती हैं जैसे भाई-बहनों की देखभाल करना, पानी लाना, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना, घर की सफाई करना, खाना बनाना आदि।¹⁶ यह स्पष्ट रूप से जानने के लिए कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी बदतर है, महिला सशक्तिकरण के कुछ कारक इस प्रकार हैं—

(क) महिला सशक्तिकरण के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण— महिला सशक्तिकरण के सामाजिक दृष्टिकोण स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और प्रशिक्षण, लैंगिक संवेदनशीलता

कार्यक्रम हैं। महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक दृष्टिकोणों में नागरिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सुरक्षा ढाँचा शामिल हैं। जबकि, महिला सशक्तिकरण के आर्थिक दृष्टिकोण नौकरियों में समानता और संपत्ति के अधिकार के माध्यम से सशक्तिकरण जैसे हैं। उपर्युक्त चरों की अलग से व्याख्या इस प्रकार की जाएगी—

(क) महिला सशक्तिकरण के सामाजिक दृष्टिकोण— तीन संकेतक महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं — (प) शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास जिसमें पेशेवर, व्यावसायिक और व्यावसायिक ज्ञान के साथ-साथ महिला लाभार्थियों द्वारा बाजार संपर्क स्थापित करना शामिल है। (पप) स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। (पपप) चुनाव की स्वतंत्रता, परिवार के भीतर निर्णय, घर से बाहर गतिशीलता।¹⁷

शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास

महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच, भेदभाव को समाप्त करना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, निरक्षरता का उन्मूलन, लिंग-संवेदनशील शिक्षा प्रणाली का निर्माण, लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण दर में वृद्धि। महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध शिक्षा से है, शिक्षा को उस बदलाव का एक प्रमुख साधन माना जाता है जो अंततः राष्ट्रीय विकास के लिए ज़िम्मेदार है।¹⁸ आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। बदले में, सशक्तिकरण महिलाओं को मौजूदा सत्ता संबंधों में बदलाव लाने, क्षमता निर्माण में संलग्न होने और एकजुटता बनाने में सक्षम बनाता है।¹⁹ भारत सरकार प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा पर जोर देती है। छः वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु तक शिक्षा। समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए संविधान द्वारा निःशुल्क

शिक्षा की गारंटी।¹⁰

स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और पोषण

महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें पोषण और स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं और जीवन चक्र के सभी चरणों में महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी, जो मानव विकास के संवेदनशील संकेतक हैं, एक प्राथमिकता है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति (एनपीईडब्ल्यू) ने शिशु मृत्यु दर के लिए राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को दोहराया है। भारत सरकार ने महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। महिलाओं के लिए बनाई गई नीति में जननी सुरक्षा योजना शामिल है, जिसका स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषण किया जाता है। यह कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद स्वयं की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। महिलाओं की स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 'स्वच्छाग्रह' के अंतर्गत इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। महिलाओं को जीवन चक्र के सभी चरणों में, यानी शैशवावस्था और बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रजनन अवस्था, तीनों महत्वपूर्ण चरणों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

(ख) महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक दृष्टिकोण— लैंगिक समानता और वास्तविक लोकतंत्र के लिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी एक आवश्यक पूर्व शर्त है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक

परिदृश्य में समानता प्राप्त करने में सहायक होती है। यह सार्वजनिक निर्णय लेने में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी को सुगम बनाती है। जब महिलाएं राजनीति में भाग लेती हैं, तो वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकती हैं और साथ ही राष्ट्र के लिए अपने कौशल का योगदान भी दे सकती हैं। राजनीतिक तंत्र के अंतर्गत कुछ ऐसे घटकों की चर्चा की गई है, जो महिलाओं की क्षमता को बढ़ाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित तरीके से समझाया जा सकता है—

बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए राजनीतिक अधिकार

लोकतंत्र का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के साथ उनकी नागरिकता की स्थिति के आधार पर समान व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर। समान नागरिकता राजनीतिक समतावाद का मूल है। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं और प्रत्येक वोट का मूल्य समान है, चाहे उसकी जाति, धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। प्रत्येक नागरिक चुनाव लड़ने और किसी भी संगठन से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है, और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकता है।

आरक्षण

'आरक्षण' का शाब्दिक अर्थ है किसी विशेष समूह या वर्ग को, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा और हाशिए पर है, 'स्थान' सुरक्षित करना या उन्नति का अवसर प्रदान करना।¹¹ आरक्षण किसी भी समाज में मौजूद अंतर को पाटने में मदद करता है।

भागीदारी

राजनीतिक भागीदारी प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का एक मूलभूत तत्व है। भागीदारी व्यक्ति को प्रभावी बनने में मदद करती है और उसे

राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ती है। इसमें मतदान, जानकारी प्राप्त करना, आर्थिक योगदान देना और प्रतिनिधियों के साथ संवाद करना जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। राजनीतिक भागीदारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है। लोकतंत्र में राजनीतिक मामलों में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण और आवश्यक है क्योंकि यह व्यवस्था को वैधता प्रदान करती है और लोकतांत्रिक ताने-बाने को भी मजबूत करती है। यदि महिला नागरिकों को सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर नहीं मिलता है, तो लोकतंत्र अपने उद्देश्यों में विफल हो जाएगा। उन्हें राष्ट्र निर्माण और राजनीतिक विकास में समान

भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है, तो लोकतंत्र अपने उद्देश्यों में विफल हो जाएगा। उन्हें राष्ट्र निर्माण और राजनीतिक विकास में समान

स्थानीय निकायों में राजनीतिक और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और सक्रियता में सुधार के लिए 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। संसद द्वारा 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियमों ने स्थानीय निकायों में सभी निर्वाचित पदों पर महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक-तिहाई सुनिश्चित किया, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों में हों या शहरी क्षेत्रों में। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का आरक्षण समाज में उनकी स्थिति को सुगम, सशक्त और उन्नत बनाता है।¹³ यह नया संशोधन (73वां संविधान संशोधन) सरकार की इच्छा को दर्शाता है कि स्थानीय निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हालाँकि, जमीनी स्तर पर आरक्षण के साथ-आज दस लाख पंचायत सदस्य हैं जो विकास प्रक्रिया में भागीदार के रूप में आगे आए हैं।¹⁴ ग्राम परिषद स्तर पर कई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। भारत में राजनीतिक गतिविधियों के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं का प्रतिशत काफी

बढ़ा है।¹⁵

(ग) महिला सशक्तिकरण के आर्थिक दृष्टिकोण— आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं और पुरुषों की राष्ट्र की विकास प्रक्रियाओं में भाग लेने और योगदान करने की क्षमता है। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं की नौकरियों, आर्थिक सेवाओं, संपत्ति और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों, कौशल विकास और बाजार की जानकारी सहित आर्थिक संसाधनों और अवसरों तक पहुँच को बढ़ाता है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मौजूदा बाजारों में समान रूप से भाग लेने की क्षमता; उत्पादक संसाधनों तक उनकी पहुँच और उन पर नियंत्रण, अच्छे काम तक उनकी पहुँच, अपने समय, जीवन और शरीर पर नियंत्रण; और घर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तक सभी स्तरों पर आर्थिक निर्णय लेने में उनकी आवाज़ और सार्थक भागीदारी में वृद्धि शामिल है।

नौकरियों में समानता, नौकरी की सुरक्षा

महिला सशक्तिकरण के एजेंडे को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका यह है कि महिलाओं को नौकरियों में समान अवसर आसानी से प्राप्त हों। नौकरी विवरण की जानकारी और पहुँच महिलाओं के लिए समान लाभ सुनिश्चित कर सकती है। अनुचित पूर्वाग्रह के जोखिम को कम करने के लिए कौशल-आधारित मूल्यांकन का उपयोग करें। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सरकारी क्षेत्र पर्याप्त नहीं हैं। माइक्रोफाइनेंस एक विशाल मंच है जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को पूँजी प्रदान करता है और समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए आसानी से सुलभ है।

समान कार्य के लिए समान वेतन

समान कार्य का अर्थ समान मूल्य का कार्य है। समान पद पर कार्यरत, समान प्रकृति का कार्य करने वाले कर्मचारी, चाहे उनका लिंग, रंग, जाति

या पंथ कुछ भी हो, समान पारिश्रमिक के हकदार हैं। यह सिद्धांत समानता की मूल अवधारणा से उत्पन्न हुआ है। साथ ही, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। राज्य का कर्तव्य है कि वह 'एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को यथासंभव प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा दे जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करे'।

वित्त पर महिलाओं का नियंत्रण

महिला श्रम शक्ति में भाग लेती है, संपत्तियों को नियंत्रित करती है, औपचारिक व्यवसायों को विकसित करने के लिए धन स्थापित करती है और उस तक पहुँच प्राप्त करती है और अंततः, अपने आर्थिक निर्णय स्वयं लेती है। पुरुषों की तुलना में, महिलाएँ ज्यादा गरीब हैं, उनके पास नौकरी पाने की संभावना कम है और काम करने की संभावना ज्यादा है।¹⁶ पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक असमानता महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक प्रमुख कारण है। यह देखा गया है कि आर्थिक निर्भरता के कारण ज्यादा महिलाओं को उनके पतियों द्वारा पीटा जाता है, बजाय इसके कि उन्हें अन्य तरीकों से चोट पहुँचाई जाए।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट में लैंगिक भेदभाव, काँच की छत, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, असंतुलित लैंगिक समानता आदि पर प्रकाश डाला गया है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का , d : i g¹⁷ अधिकांश कामकाजी महिलाओं को कभी न कभी अपने सहकर्मियों, बॉस या नियोक्ताओं से इस प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है। यद्यपि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक पुरानी समस्या है, फिर भी महिलाओं को इससे स्वयं या

कभी-कभी महिला संगठनों के सहयोग से निपटना पड़ता है। सभी कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बावजूद, महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के बावजूद, कार्यस्थल पर सुरक्षा के इस क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।¹⁸

संपत्ति अधिकारों के माध्यम से सशक्तिकरण

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 का उद्देश्य हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रावधान को हटाना है और धारा 6 के तहत बेटियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है— (क) सहदायिक की पुत्री जन्म से ही पुत्र की तरह अपने अधिकार में सहदायिक बन जाएगी; (ख) पुत्री को सहदायिक संपत्ति में वही अधिकार प्राप्त हैं जो उसे पुत्र होने पर प्राप्त होते; (ग) पुत्रियों को उक्त सहदायिक संपत्ति में पुत्र के समान ही दायित्व प्राप्त होगा; तथा हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के किसी संदर्भ में सहदायिक की पुत्री का संदर्भ सम्मिलित समझा जाएगा; (घ) पुत्री को वही हिस्सा आवंटित किया जाएगा जो पुत्र को आवंटित किया जाता है; (ङ) पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री का हिस्सा ऐसे पूर्व-मृत पुत्र या ऐसी पूर्व-मृत पुत्री के जीवित बच्चे को आवंटित किया जाएगा; (च) पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री की पूर्व-मृत संतान का हिस्सा पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री की पूर्व-मृत संतान की संतान को आवंटित किया जाएगा।¹⁹

(2) महिला सशक्तिकरण के तंत्र

महिला सशक्तिकरण के तंत्रों में संवैधानिक प्रावधान, विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम, विभिन्न अधिनियम, विधान, संगठनात्मक, बजटीय प्रावधान और न्यायिक प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त तंत्रों का अलग से वर्णन इस प्रकार किया जाएगा—

महिला सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक तंत्र

भारतीय संविधान एक कानूनी, राजनीतिक

और नैतिक दस्तावेज है। हमारे सभी मूल अधिकार संविधान में लिखित और गारंटीकृत हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण कानून होने के नाते, भारतीय संविधान महिला अधिकारों के संबंध में कुछ मानक निर्धारित करता है। संवैधानिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को समान रूप से गारंटीकृत हैं, लेकिन अधिकांश लाभ महिलाओं और समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग को ही प्राप्त हुए हैं। इससे पहले महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता था और समाज द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता था। अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 23, 39, 42, 51.ए(ई), 243(डी), 243(टी) समानताएं प्रदान करते हैं और बाद में अन्य कानूनों के माध्यम से विस्तृत किए जाते हैं।

विभिन्न अधिनियम और विधान

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्वतंत्रता से पहले भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी, इसलिए स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कई विधायी उपाय किए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं— कारखाना अधिनियम—1948, खान अधिनियम—1952, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम—1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम—1956, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम—1956, मातृत्व लाभ अधिनियम—1961, दहेज निषेध अधिनियम—1961, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम—1971, समान पारिश्रमिक अधिनियम—1976, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम—1983, परिवार न्यायालय अधिनियम—1984, सती निवारण अधिनियम—1987, महिला आयोग—1992, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम—1993, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम—1994, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम—2005, कार्यस्थल पर महिलाओं

का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम—2013। ये सभी अधिनियम महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक सशक्तिकरण सहित मौलिक अधिकारों का समान अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने महसूस किया कि समाज के बेहतर विकास के लिए पुरुषों और महिलाओं की समान सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण है।²⁰

श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित अन्य कानून, जो विशेष रूप से उनके लिए नहीं बनाए गए हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को लाभान्वित करते हैं, उनमें कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, मजदूरी भुगतान, ठेका श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1970 और बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976, मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार शामिल हैं। ये सभी अधिनियम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं की कमजोरियों को कम करने के उद्देश्य से बनाए गए थे।²¹

महिला सशक्तिकरण हेतु न्यायिक तंत्र

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 महिलाओं और समाज के हर हाशिए पर पड़े वर्ग को सशक्त बनाने हेतु मुफ्त न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों ही प्रणालियों में महिलाओं की न्याय तक पहुँच में सुधार के लिए कानूनी सशक्तिकरण रणनीतियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। लैंगिक समानता प्राप्त करने में आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक यह है कि कई महिलाएं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा कानूनी मानकों का उपयोग करने

में असमर्थ हैं। कानूनी साक्षरता कार्यक्रमों, कानूनी सहायता या वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों के माध्यम से कानूनी सशक्तिकरण रणनीतियाँ संभव हैं, महिलाओं को न्याय प्रदान करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांत न केवल कानून में निहित हों, बल्कि व्यवहार में भी लागू हों।²²

(ग) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण

प्राचीन काल से ही गाँव प्रशासन की मूल इकाई रहे हैं। भारत में, प्रारंभ में अधिकांश स्थानीय स्थानीय निकायों का मूल जातिगत प्रतीत होता है। अधिकांश मामलों में, विवादों में शामिल सदस्यों के बीच मामलों की सुनवाई और मध्यस्थता करने तथा नियमों और रीति-रिवाजों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए पंचायतें होती थीं। बाद में, विभिन्न समुदायों के विवादों की सुनवाई के लिए भी पंचायतों का गठन किया गया। ये सामाजिक रीति-रिवाजों, विवाह और अनुष्ठानों से संबंधित कार्य करती थीं।

22 दिसंबर 1992 को, भारतीय संसद ने 73वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इस कानून ने महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को उसके वास्तविक अर्थों में एक नया आयाम प्रदान किया है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है। कुल लगभग तैंतीस लाख पंचायती राज प्रतिनिधियों में से तैंतीस प्रतिशत (1.1 मिलियन) महिलाएँ हैं। उल्लेख करना अधिक प्रासंगिक है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों सहित कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए अलग प्रावधान हैं।²³ 73वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन के बाद ग्राम पंचायतों (जीपी) में महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर

वर्गों से संबंधित महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। कमजोर वर्गों के सदस्यों सहित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सकारात्मक कार्रवाई के कारण काफी बढ़ी है।²⁴

पंचायती राज शासन महिलाओं के लिए (सीटों के आरक्षण के माध्यम से) निर्णय लेने वाले पदों पर आसीन होने का एक अग्रणी अवसर रहा है। कुछ राज्यों ने महिला आरक्षण को पचास प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। कई असमर्थकारी कारकों और ताकतों के बीच, महिलाओं ने सहायक अवसरों की तलाश की है और ऐसे पदों को धारण करने की अपनी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ी हैं।²⁵

‘जब महिलाओं को राजनीतिक सत्ता में समान हिस्सेदारी मिलेगी, तो राजनीति के अलावा कई चीजें भी गहराई से बदलेंगी। व्यक्तिगत प्रतिभाओं के विकास में बाधक और समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों की सीमा को सीमित करने वाली बाधाओं को और भी कम किया जाएगा। इस लिहाज से, महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी सामाजिक बदलाव का एक स्रोत और संकेत दोनों है। एक वैश्विक प्रवृत्ति के रूप में, राजनीति में महिलाओं की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि मानवजाति एक अधिक मानवीय दुनिया की ओर प्रगति कर रही है—इसलिए नहीं कि महिलाएँ अनिवार्य रूप से पुरुषों से ज्यादा मानवीय हैं, बल्कि इसलिए कि कोई भी समाज जो अपने आधे सदस्यों को उन प्रक्रियाओं से स्पष्ट रूप से बाहर रखता है जिनके द्वारा वह स्वयं शासन करता है, उस पर शासन पूरी तरह से मानवीय नहीं होगा।’²⁶

निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को अस्तित्व में आए पचहत्तर वर्ष हो गए हैं, लेकिन महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता और

सम्मान की स्थिति अभी भी धुंधली बनी हुई है। पिछले पचहत्तर वर्षों से, भारत संवैधानिक अधिकारों, विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, अधिनियमों, विधानों और न्यायिक तंत्र के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में, विशेषकर विकासशील देशों में, एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और सक्रिय भागीदारी लोकतंत्रीकरण की पहली शर्त है। सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाएँ महिलाओं के सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों का हनन करती हैं। शिक्षा, समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और न्याय महिला सशक्तिकरण के आवश्यक साधन हैं।

हालाँकि, इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग आसान नहीं है। महिला सशक्तिकरण में सैकड़ों बाधाएँ हैं जो प्रभावित करती हैं जैसे समाज की पितृसत्तात्मक संरचना, आर्थिक निर्भरता और गरीबी, घरेलू हिंसा और अपराध, जैविक और शारीरिक सीमाएँ, अशिक्षा, जातिगत प्रतिबंध, धार्मिक बाधाएँ, बाल विवाह और बलात्कार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अवसरों की कमी और नेतृत्व में कम रुचि, मानव तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति के रूप में उत्पीड़न। जन जागरूकता के लिए सरकारी और गैर-सरकारी सहयोग से लैंगिक संवेदनशील कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। यदि महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्रदान किए गए अवसरों से वंचित किया जाएगा, तो यह कहना अनुचित होगा कि भारत में महिलाएँ किसी भी वास्तविक अर्थ में सशक्त हैं। अध्याय में विस्तृत चर्चा के बाद निष्कर्ष यह है कि भारतीय समाज एक जटिल व्यवस्था है।

यद्यपि स्वतंत्रता के बाद हाल के दिनों में सरकार द्वारा संवैधानिक प्रावधानों, वैधानिक प्रावधानों

और नीति कार्यक्रमों के रूप में वर्णनात्मक उपाय किए गए हैं। इस अवधि के दौरान महिलाओं की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न सशक्तिकरण रणनीतियाँ प्रस्तुत की गईं। लेकिन सिद्धांत और व्यवहार के बीच का अंतर महिलाओं की समकालीन सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिलक्षित होता है। 73वें संशोधन के माध्यम से राजनीतिक सशक्तिकरण के मुद्दों पर विचार करने का प्रयास किया गया है, जिसे राजनीतिक सशक्तिकरण और महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में स्थान दिलाने की आधारशिला माना जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ स्रोत

1. कुमार, रमेश. भारत में महिला सशक्तिकरण : एक अवलोकन, इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल, वॉल्यूम 1, क्रमांक 1, फरवरी 2016, पृ. 2
2. महापात्र, हरप्रिया : 'भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति' क्वेस्ट जर्नल्स जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, वॉल्यूम 3, क्रमांक 6, 2015, पृ. 33
3. वुकोइकिक, जेलेना : "कट्टरपंथी नारीवाद संघर्ष के सिद्धांत में एक प्रवचन के रूप में," समाजशास्त्रीय प्रवचन, वॉल्यूम, 3, संख्या 5, जून 2013, पृष्ठ 33-49
4. सुल्ताना, अबेदा : 'पितृसत्ता और महिलाओं की अधीनता' एक सैद्धांतिक विश्लेषण। द आर्ट्स फैकल्टी जर्नल यूनिवर्सिटी ऑफ़ ढाका, खंड 2, नंबर 1, जुलाई 2010-जून। 2011, पृष्ठ 6-7
5. बनर्जी, अर्पिता : 'भारत में महिलाओं की स्थिति और लैंगिक भेदभाव : एक राज्यवार विश्लेषण।' विकास अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम 1, क्रमांक 12, दिसम्बर 2013, पृ.57-64
6. महापात्र, हरप्रिया : 'भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति', क्वेस्ट जर्नल्स जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, वॉल्यूम 3, क्रमांक 6, 2015, पृष्ठ 33-36
7. गणेशमूर्ति, वी.एस. भारत : महिलाओं का आर्थिक

- सशक्तिकरण, न्यू सेंचुरी प्रकाशन, 2008, पृष्ठ 25-26
8. अग्रवाल, मीनू, महिला सशक्तिकरणरू कल के मिशन के लिए आज का दृष्टिकोण, महामाया प्रकाशन, 2007, पृष्ठ 41
 9. घोष, रत्ना, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा : भारत में पंचायतें और महिला स्वयं सहायता समूह 2015 । ऋषि प्रकाशन । खंड 13, संख्या 3, 2015, पृष्ठ 312-313 । शिक्षा में नीतिगत भविष्य, हम Publication-co-uk / रवनतदंसे अनुमतियाँ । नौसेना
 10. पटेल, जयंतीभाई 'भारत में शिक्षा प्रणाली' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, खंड 2 नंबर 2, फरवरी 2013, पृष्ठ 39-48
 11. नौटियाल, अन्नुपूर्णा और हिमांशु बौराई, विकेंद्री-कृत शासन क्षेत्रीय विकास और महिला सशक्तिकरण, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 2013, पृ. 269
 12. कालिया, रिंकू, 'राजनीतिक जागरूकता और मलिन बस्तियों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी : चंडीगढ़ (यूटी) की मलिन बस्तियों में महिलाओं का एक अध्ययन' प्रबंधन समाजशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान जर्नल
 13. वर्मा, साशी बी. एट अल., 'ग्रामीण महिला सशक्तिकरण' डीप एंड डीप प्रकाशन, 2011, पृ. 128
 14. रासिल बसु, महिलाएं और शासन-राज्य का पुनर्निर्माण, एकता, प्रकाशन, मार्च 2003, पृ. 4
 15. जेन, अश्विनी बी और सुनीता.वी. गैनिगर. 'स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की स्थिति और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की रणनीतियाँ : एक खोजपूर्ण अध्ययन' गोल्डन रिसर्च थॉट्स, वॉल्यूम । 2, क्रमांक 11, मई. 2013, पृ. 4
 16. क्लैपर, लिओरा 'महिलाओं के डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना' वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी, जुलाई 2020, पीपी 1-60
 17. भट्टाचार्य, अरुंधति, 'कार्यस्थल में भारतीय महिलाएँ' मेडिटेरेनियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, वॉल्यूम । 6 क्रमांक 4 एस2, जुलाई 2015, पृ. -118-125
 18. मोहिउद्दीन, शफीका : 'कार्यस्थलों पर भारत में महिलाओं का यौन उत्पीड़न : इसे रोकने के लिए रणनीतियाँ', पंजाब यूनिवर्सिटी हिस्टोरिकल सोसायटी का जर्नल, वॉल्यूम, 32, नंबर 1, जनवरी-जून । 2019, पृष्ठ 179-187
 19. प्रदीप चौहान, आर्थिक सलाहकार, (रिपोर्ट) 'हिमाचल प्रदेश में महिलाएं और पुरुष, जून 2014, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ।
 20. व्यास, अंजू और सुनीता सिंह. भारत में महिला अध्ययन. सेज प्रकाशन, 1993, पृष्ठ 129
 21. सिंह, विजय कुमार, भारतीय कानूनों के तहत महिलाओं का कानूनी सशक्तिकरण, डीप एंड डीप प्रकाशन, 2008, पृष्ठ 730-732
 22. एग्नेस, फलाविया, 'राज्य, लिंग और कानून सुधार की बयानबाजी' मुंबई : महिला अध्ययन अनुसंधान केंद्र, एस.एन.डी.टी-2015 पर रिपोर्ट
 23. गंडोत्रा, राम । पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण विकास । क्रिसेंट पब्लिशिंग हाउस, 2015, पृष्ठ 3
 24. सिन्हा, अजीत कुमार. महिला सशक्तिकरण के नये आयाम । डीप एंड डीप प्रकाशन, 2008, पृष्ठ 19
 25. बिल्लावा, नारायण और नयनतारा एस नायक, 'पंचायत राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों का सशक्तिकरण : एक विषयगत समीक्षा' राजनीति का जर्नल
 26. बिहार, अमिताभ और योगेश कुमार 'मध्य प्रदेश, भारत में विकेंद्रीकरण : पंचायती राज से ग्राम स्वराज तक : 1995 से 2001), ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सितंबर 2002, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, 111 वेस्टमिंस्टर ब्रिज रोड, लंदन, एसई 17 जेडी, यूके, पृष्ठ 44





समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में स्कूल प्रबंधन और कक्षा प्रबंधन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

□ डॉ. प्रतीक्षा पाण्डेय*

शोध-सारांश

समावेशी शिक्षा का आशय सामान्य आयु के बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बीच ऐसा संतुलन स्थापित करना है, जिससे दोनों प्रकार के बच्चों को कक्षा में एक साथ पढ़ाया जा सके। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यदि इस समावेशी शिक्षा के व्यापक अर्थ में देखें, तो हम पाते हैं कि इस शिक्षा में माता-पिता, समुदाय, शिक्षा प्रशासक आदि भी शामिल हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए विद्यालय प्रबंधन और कक्षा प्रबंधन को समावेश की अवधारणा के अनुरूप होना चाहिए। सबसे पहले, विद्यालय प्रबंधन एक ऐसा संगठनात्मक स्वरूप है, जिसमें विद्यालय की विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक, संसाधन, संपन्न, अवसंरचनात्मक और मानव संसाधन व्यवस्थाएं शामिल होती हैं, लेकिन यदि 'समावेश' के सिद्धांतों को एक ही विद्यालय में कार्यात्मक रूप से शामिल किया जाता है। तो वह विद्यालय समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में जाना जाता है। दूसरा, जिस विद्यालय में समावेशी शिक्षा दी जाएगी, क्या वह इसके लिए तैयार है या नहीं, यानी इसमें शामिल किए जाने के लिए आवश्यक सभी परिवर्तन शामिल हैं? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में कक्षा प्रबंधन का बहुत महत्व है। जैसा कि सर्वविदित है कि कक्षा प्रबंधन के दो प्रमुख घटक शिक्षक और छात्र हैं जहाँ शिक्षक पढ़ाता है और छात्र सीखते हैं और यह प्रक्रिया शिक्षा के कार्यान्वयन को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाती है। यदि शिक्षण-अधिगम में कोई समस्या है, तो उसे कक्षा प्रबंधन की मदद से हल किया जा सकता है। यह सच है कि समावेशी शिक्षा में, विशेष और सामान्य छात्र एक साथ अध्ययन करते हैं, जिसमें उच्च व्यक्तिगत विविधता के कारण कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, हालाँकि, शिक्षक द्वारा अच्छा कक्षा प्रबंधन कई समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है।

मुख्य शब्द—समावेशी शिक्षा, स्कूल प्रबंधन और कक्षा प्रबंधन।

* Assistant Professor (Contract), College of Education, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa (M.P.), India, Email : pratikshapandey561@gmail.com

परिचय

समावेशी शिक्षा का अर्थ है सामान्य बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बीच ऐसा तालमेल बनाना जिससे दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सके। प्रो. एस.के.दुबे के अनुसार, “समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें उच्चतर अधिगम स्तर से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है तथा साथ ही सामान्य और दिव्यांग छात्रों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है और समुदाय, अभिभावकों, शिक्षकों और प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता है।” समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए विद्यालय प्रबंधन और कक्षा प्रबंधन को समावेश की अवधारणा के अनुरूप होना चाहिए।

विद्यालय प्रबंधन एवं समावेश शिक्षा का क्रियान्वयन

विद्यालय प्रबंधन एक ऐसा संगठनात्मक स्वरूप है, जिसमें विद्यालय की विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक, संसाधनपूर्ण, अवसंरचनात्मक एवं मानव संसाधन व्यवस्थाएं सम्मिलित होती हैं, किन्तु यदि विद्यालय प्रबंधन के उपरोक्त स्वरूप में ‘समावेश’ के सिद्धांतों का क्रियात्मक रूप से समाहित कर दिया जाए, तो वह विद्यालय समावेशी शिक्षा क्रियान्वयन की संस्थान बन जाएगा। विद्यालय तत्परता एवं विद्यालय परिवर्तन का अर्थ यह भी है कि जिस विद्यालय में समावेशी शिक्षा दी जा रही है, वह इसके लिए तैयार है या नहीं। अर्थात् क्या उसमें समावेशन के लिए आवश्यक सभी परिवर्तन समाहित हैं?

समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए विद्यालय प्रबंधन में निम्नलिखित तथ्य आवश्यक हैं—

(1) **विद्यालय में समावेशी संसाधनों की व्यवस्था**—समावेशी विद्यालय, विकलांग बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री, शिक्षण सामग्री, दृश्य-श्रव्य उपकरण, चित्र-चार्ट, पोस्टर, ग्लोब, मानचित्र, श्रवण यंत्र, बैसाखी, चश्मा, विकलांग बच्चों के लिए तिपहिया वाहन। विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था, संसाधन कक्ष, उपयुक्त फर्नीचर, सुव्यवस्थित कक्षा-कक्ष, शौचालय, पुस्तकालय, चिकित्सा कक्ष, खेल का मैदान एवं सामग्री, सभागार एवं हॉल,

शुद्ध पेयजल व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, संगीत एवं वाद्य-यंत्र आदि सभी आधारभूत एवं संसाधन सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, जिसका उपयोग सामान्य एवं विकलांग बच्चों के लिए किया जा सके। विद्यालय में प्रकाश एवं वायु की उचित व्यवस्था भी आवश्यक है।

(2) **समावेशी वातावरण**—विद्यालय का वातावरण समावेशी शिक्षा के अनुकूल बनाए रखना चाहिए। विद्यालय प्रबंधकों का यह दायित्व है कि वे दिव्यांग बच्चों और सामान्य बच्चों में भेदभाव न होने दें। विद्यार्थियों में ऐसे संस्कार डाले जाएं जिससे वे दिव्यांग बच्चों की सहायता करें। यदि दिव्यांग व्यक्ति चलने या खड़े होने में कठिनाई महसूस कर रहा हो तो तत्काल किसी सामान्य बच्चे द्वारा उसकी सहायता की जानी चाहिए। केवल विद्यार्थी ही नहीं, विद्यालय के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ को भी श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, मंदबुद्धि बच्चों की सहायता करके विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यालय में समावेशी वातावरण बनाने के लिए दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है। दिव्यांग बच्चों के लाभ के लिए विद्यालय का वातावरण बाधा रहित होना चाहिए। उदारण के लिए दिव्यांग विद्यार्थी को उसके निकटतम तिपहिया कक्षाकक्ष तक ले जाने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यालय में वातावरण का सामान्यीकरण होना चाहिए। सामान्यीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया एवं प्रयास से है जिसके द्वारा विशेष एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं रहन-सहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वातावरण को सामान्य शिक्षा एवं सामान्य वातावरण के समतुल्य बनाया जाए। बच्चे की विकलांगता के प्रकार और स्तर के बावजूद, सामान्यीकरण का उद्देश्य यह है कि बच्चा अपनी शिक्षा और वातावरण में एक सामान्य बच्चे की तरह महसूस करे। समावेशन के लिए न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण और मुख्यधारा के समावेशन वातावरण की आवश्यकता होती है।

(3) **समावेशी पाठ्यक्रम**—समावेशी पाठ्यक्रम में एक विषय की विषय-वस्तु के साथ-साथ अन्य विषयों

की विषय-वस्तु को भी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए शामिल किया जाता है। ताकि विभिन्न विषयों के बीच अंतर्संबंध स्थापित हो सके। ऐसा पाठ्यक्रम सभी प्रकार के विद्यालयों के लिए उपयोगी होती है, लेकिन समावेशी विद्यालय में समावेशी पाठ्यक्रम का विशेष अर्थ यह है कि सभी विषयों के पाठ्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त विशेष विषय रखे जाएं। ऐसा प्रयास विकलांग बच्चों के साथ-साथ सामान्य बच्चों के लिए भी उपयोगी होगा। विद्यालय प्रबंधकों को अपने विद्यालयों में ऐसे समावेशी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

(4) समावेशी शिक्षण—विद्यालय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। समावेशी विद्यालय में समावेशी शिक्षण के लिए शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाने वाली सभ्नी शैक्षणिक सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी विकलांगता शिक्षण में बाधा न बने। शिक्षक को विकलांग बच्चों के प्रति विशेष संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना चाहिए और उन्हें परेशान या अपमानित करने के बजाय उन्हें हर कदम पर प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षण में गतिविधि आधारित बाल केन्द्रित शिक्षण पद्धतियाँ। शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री, शिक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण में दिव्यांग एवं सामान्य दोनों प्रकार के विद्यार्थियों की सहभागिता का ध्यान रखा जाना चाहिए। संवेदनशील प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा ऐसे परिश्रमी योग्य अध्यापकों को प्रोत्साहित करना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

(5) संसाधन कक्ष, चिकित्सा कक्ष, मार्गदर्शन एवं परामर्श कक्ष, व्यावसायिक शिक्षा कक्ष (गतिविधि कक्ष) की व्यवस्था—समावेशी विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अतः विद्यालय कक्ष में सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। चिकित्सा कक्ष एवं चिकित्सक, मार्गदर्शन एवं परामर्श कक्ष तथा कार्य कक्ष की व्यवस्था होनी

चाहिए, ताकि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा, चिकित्सा, शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श एवं हस्तशिल्प की जीवन उपयोगी शिक्षा दी जा सके। सभी कक्षों एवं आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

(6) समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में स्कूल प्रबंधन और कक्षा प्रबंधन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन—वैशाखी, ट्राईसाइकिल, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए श्रवण यंत्र, दृष्टिहीन बच्चों के लिए चश्मा, यातायात के लिए निःशुल्क टिकट, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए चश्मा। शिक्षा विभाग द्वारा दृष्टि बाधित सहायक, छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री, गणवेश, दोपहर का भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति, मेधा छात्रवृत्ति आदि योजनाएं हैं। गरीब वंचित वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए साइकिल प्रदाय योजना, प्रोत्साहन सहायता योजनाएं संचालित की जा रही है। इन सभी योजनाओं के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर विद्यार्थियों को समय पर लाभ प्रदान करना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इसके लिए विद्यालय के प्रबंधन के लिए विशेष प्रभारी अधिकारी एवं लिपिक की व्यवस्था करना आवश्यक है। समावेशी विद्यालयों में इन सुविधाओं के अभाव में गरीब दिव्यांग विद्यार्थी भी विद्यालय छोड़ देते हैं। या अनुपस्थित रहते हैं। इसलिए विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों को समय से पहले इन लाभों से लाभान्वित किया जाए।

(7) मूल्यांकन प्रक्रिया में समावेशन—विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का उतना ही महत्वपूर्ण घटक है। समावेशी विद्यालयों में विकलांग बच्चों का मूल्यांकन एकतरफा न होकर प्रत्येक पहलू से संबंधित होना चाहिए। शैक्षिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बहुत निराश महसूस करते हैं- इसके स्थान पर ए, बी, सी, डी, ई

जैसी ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जानी चाहिए तथा विद्यार्थियों को ग्रेड सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया सतत एवं व्यापक होनी चाहिए अर्थात् प्रत्येक गतिविधि के बाद प्रश्न पूछकर या चर्चा करके बच्चे के सीखने के स्तर को जाना चाहिए। विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के ग्रेड के आधार पर नहीं बल्कि वर्ष की समग्र उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए। विकलांग बच्चों की उपलब्धि की तुलना सामान्य बच्चों की उपलब्धि से न करके विकलांग बच्चे की पिछली उपलब्धि से की जानी चाहिए। जहां तक संभव हो विकलांग विद्यार्थियों को औसत प्रगति के आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए।

कक्षा प्रबंधन और समावेशी शिक्षा का कार्यान्वयन

समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में कक्षा प्रबंधन का बहुत महत्व है। कक्षा प्रबंधन के दो प्रमुख घटक शिक्षक और छात्र हैं। शिक्षक पढ़ाता है और छात्र सीखते हैं। यह प्रक्रिया शिक्षा के कार्यान्वयन को पूरा करती है। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। शिक्षक अपने व्यवहार और शारीरिक भाषा औश्र हावभाव के माध्यम से पढ़ाता है। वह मौखिक बातचीत और मौखिक संचार कौशल और शिक्षण विधियों के माध्यम से अपना काम करता है और छात्रों के सीखने को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यदि सीखने और सिखाने में कोई समस्या है, तो कक्षा प्रबंधन की मदद से उनका समाधान संभव है। समावेशी शिक्षा में, विशेष और सामान्य छात्र एक साथ अध्ययन करते हैं जिसमें उच्च व्यक्तिगत विविधता के कारण कुछ समस्याएँ भी आती हैं। शिक्षक द्वारा अच्छा कक्षा प्रबंधन कई समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है। समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन में कक्षा प्रबंधन के निम्नलिखित तथ्य मुख्य रूप से प्रभावी हैं:-

(1) **कक्षा में अनुकूल बैठने की व्यवस्था**— विकलांग छात्रों के लिए कक्षा में उपयुक्त बैठने की जगह होनी चाहिए ताकि वे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकें। दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित छात्रों को कक्षा में आगे की

बेंचों पर बैठाया जाना चाहिए ताकि वे शिक्षक और ब्लैकबोर्ड के करीब रहें। विकलांग बच्चे के लिए सुविधाजनक टेबल-कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए। विकलांग बच्चे को कक्षा में लाने और ले जाने के लिए ट्राइसाइकिल की व्यवस्था की जानी चाहिए, और उसे सुरक्षित रखना चाहिए। कक्षा में हवा और रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(2) **कक्षा में अनुशासन और नियम**—एक कक्षा शिक्षक के रूप में शिक्षक की यह जिम्मेदारी होती है कि कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय और कक्षा के नियमों का पालन करें। नियम या अनुशासन का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी को दण्डित (शारीरिक या मानसिक दण्ड) करने के स्थान पर शिक्षक को विद्यार्थियों में आत्म-अनुशासन विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कक्षा में विकलांग बच्चों के साथ छेड़छाड़, मजाक या भेदभाव न हो। अनुशासनहीनता की स्थिति में कक्षा शिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए कक्षा प्रबंधन में अनुशासन और अनुपालन महत्वपूर्ण है।

(3) **विशेष बच्चों पर विशेष ध्यान**—यद्यपि समावेशी शिक्षा सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, लेकिन विशेष बच्चों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के कारण अतिरिक्त विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इसलिए शिक्षकों को कक्षा शिक्षण में इन विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षित करना चाहिए। जैसे मंदबुद्धि या धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को विषय को दोहराव द्वारा पढ़ाना या कम दृष्टि वाले बच्चे की सहायता के लिए उसके पास बैठने वाली एक साथी को तैयार करना। कक्षा प्रबंधन में विशेष बालकों के लाभार्थि ये कार्य भी अपेक्षित हैं—

(1) श्रवण बाधित बालक को चित्रों, आकृतियों, शब्दों, इशारों के माध्यम से समझाना, उसकी सहायता के लिए नोट लेने वाले विद्यार्थी को रखना, शिक्षण में कम्प्यूटर का प्रयोग करना।

(2) कम दृष्टि वाले बालक के लिए 18 से 24 पॉइंट वाली पुस्तकों की व्यवस्था करना, उसके लिए पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करना।

(3) दिव्यांग बालक के खड़े होने में होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सामान्य सहपाठी की सहायता की व्यवस्था करना।

(4) धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए छोटी-छोटी इकाइयों में विषय-वस्तु को पढ़ाना, विशिष्ट कक्षा-कक्षा तथा विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करना।

(4) शिक्षण विधियों तथा शिक्षण के सूत्रों का प्रयोग—शिक्षण का कक्षा प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक की विषय-वस्तु की पाठ-योजना पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए तथा शिक्षण विधियों का प्रयोग कहाँ-कहाँ करना है, इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। यद्यपि शिक्षण विधियों का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार लचीले ढंग से करना चाहिए। सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, स्थूल से सूक्ष्म आदि की ओर शिक्षण के प्रमुख सूत्रों का प्रयोग सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त है।

(5) सतत समग्र मूल्यांकन—मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर शिक्षक को प्रत्येक शिक्षण गतिविधि का मूल्यांकन करते रहना चाहिए तथा साथ ही विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति जानने के लिए प्रश्न पूछकर अभ्यास कार्य भी देना चाहिए। इससे शिक्षक को पता चल जाता है कि किस विद्यार्थी ने शिक्षण से कितना लाभ अर्जित किया है। समग्र मूल्यांकन का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी का केवल बौद्धिक या शैक्षिक मूल्यांकन ही नहीं, बल्कि अन्य सभी भावनात्मक, शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक आदि पहलुओं का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(6) विद्यार्थियों के पोर्टफोलियों का संधारण— पोर्टफोलियो संधारण का सरल अर्थ विद्यार्थियों को प्रथम दिन से अंतिम दिन तक की उनकी गतिविधियों, परियोजना उपलब्धि, चरित्र, दृष्टिकोण, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व आदि की जानकारी फोल्डर में या कम्प्यूटर फोल्डर या

सी.डी. कैसेट आदि में सुरक्षित रखना। पोर्टफोलियों रखना न केवल कक्षा और विद्यालय के हित में है, बल्कि बच्चों और उनके अभिभावकों को भी विद्यार्थी के बारे में जानकारी मिलती है। पोर्टफोलियों संधारण सभी विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो संधारण विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इससे उनकी पिछली प्रगति और वर्तमान प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। कक्षा प्रबंधन में पोर्टफोलियो रखरखाव का काम आमतौर पर कक्षा शिक्षक के जिम्मे होता है।

निष्कर्ष

इस प्रकार यदि हम देखें तो यह कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में विद्यालय प्रबंधन एवं कक्षा प्रबंधन की भूमिका सर्वोच्च है, अतः इसे अधिक व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Ministry of National Education, 2009. Decree of the Minister of National Education number 70 of 2009 on the implementation of special education.
2. Purnama, Anindya. (2014). School of Inclusion and Crew. [Online] source : accessed September 9, 2016 Renzulli, J.S. 1977.
3. Raye, Holy Ramadhani. [2012]. General Guidelines for Inclusive Education [online] source: Retrieved 9 September 2016 Renzulli, J.S. 1977.
4. The Enrichment Traid Moder: A Guide for Developing Defensible programs for the Gifted. Mansfield Center. Creative Learning Press.
5. Robinson, A. 2002. Differentiation for talented learners: What are some indicators? Understanding Our Gifted, 15 (1) 3-5).
6. Shaffer, D.R. 2002. Childhood and Adolescence: Developmental Psychology. (6 ed.). USA: Wadsworth Group.
7. Smith J. David. 2006. Friendly School Inclusion for All. Bandung: Nuansa Publisher.
8. If Sternberg, R. 1985. Beyond IQ. England: Cambridge University Press. Suparno. 2007. Stan-

- dard Operating Procedures for Inclusive Education.
9. Jakarta: Directorate of Special School Development, Directorate General of Mandikdasmen, MoNE.
 10. Tilstone, C. Penny Lacey, 2000. Pupils with Learning Difficulties in Mainstream School.
 11. London: David Fulton Publisher Tomlinson, C.A. 2000. Leadership for differentiating school and Curriculum. Alexandria: ASCD.
 12. Van Tassel Baska, 1988. Excellence in Education Gifted & Talented Learners. Denver, Co. Love Publishing.
 13. Winebrenner, Susan. 2001. Teaching Gifted Kids in the Regular Classroom. MN: Free Spirit Publishing Wulandari, Asrul. 2013. Model And Curriculum Inclusive Education [online] Source: downloaded September 9, 2016.
 14. डुपुअल, जी., गोर्मले, एम0, और लारेसी, एस. (2013)। एलडी और एडीएचडी की सह-रुग्णता: मूल्यांकन और उपचार के लिए डीएसएम-5 के निहितार्थ। जर्नल ऑफ डिसएबिलिटीज, 46, 43-51 <http://dx.doi.org/10.1177/0022219412464351>.
 15. लेमोव, डी. (2010). एक चैंपियन की तरह सिखाएँ। सैन फ्रांसिस्को, सीए: जोसी-बास।
 16. लिप्सन, ए., और विक्सन, के. (1991)। पढ़ने की अक्षमता का मूल्यांकन और निर्देश: एक इंटरैक्टिव दृष्टिकोण। न्यूयॉर्क, एनवाई: हार्पर कॉलिन्स।
 17. पोलिस्टोक, एस. (2010). गैर-मौखिक सीखने की अक्षमता और ध्यान की कमी वाले बच्चों और किशोरों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करना: शिक्षकों और अभिभावकों के लिए रणनीतियाँ। क्रिएटिव माइंड कॉन्फ्रेंस की कार्यवाही को शिक्षित करना, यूनियन, एनजे: कीन यूनिवर्सिटी, 77-83।
 18. पोलिस्टोक, एस., और गोदलिब, जे. (2006)। शिक्षकों के लिए सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप प्रशिक्षण का दुर्व्यवहार, विशेष शिक्षा मूल्यांकन और प्राथमिक कक्षाओं में छात्र पढ़ने की उपलब्धि के लिए रेफरल दरों पर प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिहेवियल एंड कंसल्टेशन थेरेपी, 2, 354-361. <http://dx.doi.org/10.1037/h0100789>.
 19. पोलिस्टोक, एस., और ग्रीर, आर. (1977)। छात्र को सुदृढ़ीकरण तकनीकों में प्रशिक्षित करके एक समस्याग्रस्त छात्र और चार शिक्षकों के बीच परस्पर प्रतिकूल अंतः क्रियाओं का निवारण। जर्नल ऑफ एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, 10, 707-716. <http://dx.doi.org/10.1901/jaba.1977.10-707>.
 20. पोलिस्टोक, एस., और हॉगटेलिंग, एल. (2006)। एस्परगर सिंड्रोम: व्यवहारिक हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए एक प्राइमर। जर्नल ऑफ अर्ली एंड इंटेसिव बिहेवियरल इंटरवेंशन, 3, 187-195. <http://dx.doi.org/10.1037/h0100331>.
 21. स्वयूरमैन, बी., और हॉल, जे. (2012). कक्षा के लिए सकारात्मक व्यवहार समर्थन (दूसरा संस्करण). अपर सैडल रिवर, एनजे: पियर्सन. स्कॉट, टी., एंडरसन, सी., और ऑल्टर, पी. (2012)। सकारात्मक व्यवहार सहायता का उपयोग करके कक्षा व्यवहार का प्रबंधन करना। अपर सैडल, रिवर, एनजे: पियर्सन।
 22. टार्नोव्स्की, के., और ने, एस. (1989)। लर्निंग डिसेबिलिटीज और हाइपरएक्टिविटी वाले बच्चों में नियंत्रण का स्थान: एक उपसमूह विश्लेषण। जर्नल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, 122, 381-383. <http://dx.doi.org/10.1177/002221948902200610>.
 23. वोंग, एच., और वोंग, आर. (2014)। क्लासरूम मैनेजमेंट बुक। माउंटेनसाइड, सीए: वोंग पब्लिशिंग।
 24. ज़िरपोली, टी. (2012), व्यवहार प्रबंधन: शिक्षकों के लिए सकारात्मक अनुप्रयोग (6वां संस्करण). अपर सैडल रिवर, एनजे: पियर्सन.





दलित और गैर-दलित स्त्रियों का यथार्थ जीवन

□ डॉ. नितिन गायकवाड*

शोध-सारांश

मा. ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर के स्त्रियों के उत्थान और उद्धार विषयक विचारों व कार्यों का प्रभाव समाज में दिखाई देता है। दलित साहित्यकारों ने मा. ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर के स्त्री-विषयक विचारों को लेखन का आधार बनाया है। दलित और गैरदलित स्त्री मुक्ति के सवाल को दलित साहित्यकारों ने किस दृष्टि से देखा है। दलित समाज में स्त्री-जीवन अनगिनत समस्याओं से जूझता हुआ दिखाई देता है। हिंदू समाज में स्त्री-नैतिकता के मानदंड बेहद अमानवीय हैं। इस नैतिकता का नियंत्रक कौन है? समाज में देह उत्पीड़न में दलित तथा पिछड़ी जनजातियों की स्त्रियों के जीवन की यातनाओं और संघर्षों की संस्कृति का संबंध वर्ण-व्यवस्था से कैसे जुड़ा हुआ है? ज्ञान-विज्ञान और सामाजिक सुधार के दौर में स्त्री-अस्तित्व की खोज और अस्मिता के संघर्ष से उनके जीवन के बदलते परिदृश्य का अध्ययन-विश्लेषण करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द- स्त्री अस्मिता, पितृसत्ता, स्त्रीवाद, वर्णाश्रम व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, संविधान, मा. ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर।

समाज में स्त्री को जन्मतः अधिकारविहीन और पराधीन रखने के निर्देश धार्मिक ग्रंथों में दिखाई देते हैं। हिंदू समाज के पवित्र कहे जाने वाले शास्त्रों ने स्त्री के अस्तित्व को सिर से नकारते हुए उनके हिस्से में जबरन गुलामी और बदनामी थोपी हुई दिखाई देती है। स्त्री के पास इससे बचने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे बाहर निकलने के सारे रास्तों पर पुरुषों के हाथों में हथियार देकर

पहरा देने का सख्त निर्देश दिया है। यह सच है कि हत्या या आत्महत्या के बीच स्त्री का अस्तित्व दम तोड़ देता है। लेकिन सवाल यह है कि इस जुल्म के खिलाफ स्त्री ने कोई विद्रोह क्यों नहीं किया? समाज में स्त्री की जो शोचनीय स्थिति दिखाई देती है इसके पीछे कौन-कौन से कारण रहे हैं? स्त्री-जीवन से संबंधित इन सवालों का जवाब राजेन्द्र यादव के शब्दों में- "भारतीय समाज

* असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे-411 007, (महाराष्ट्र)

मोबाईल नं.: 9968892242; 8446484602, ई-मेल : nitin.hindi@gmail.com

में न नारी का अपना कोई व्यक्तित्व रहा है, न जाति। वह ऐसा 'रत्न' है जिसे कहीं से भी उठाया जा सकता है और जिसके पास है उसी की संपत्ति है। वे व्यक्ति नहीं, 'चीज' हैं जिन्हें लूटा, छीना और नष्ट किया जा सकता है, खरीदा और बेचा जा सकता है। सारा इतिहास इन उदाहरणों से भरा है कि किस आक्रमण में कितने हाथी-घोड़े, हीरे-जवाहरात और औरतें लूटी गईं। जिस सामंत या सम्राट के पास जितने अधिक दास और औरतें थीं वह उतना ही बड़ा चक्रवर्ती माना गया। सन् 1947 में देश विभाजन में भी कितनी औरतें छीन ली गईया लौटा दी गई—यह बहुत पुराना इतिहास नहीं है। आज भी जब दुश्मन को नीचा दिखाना या सबक सिखाना हो तो उसकी बहन-बेटियाँ ही उठाई या भ्रष्ट की जाती हैं।¹¹ अर्थात् राजेन्द्र यादव के अनुसार जिस स्त्री की समाज के सृजन में अहम् भूमिका रही है उसी स्त्री के अस्मिता और अस्तित्व की पहचान को मिटाने की भरसक कोशिश पिछले हजारों सालों से हो रही है। ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के शिकंजे में स्त्री जीवन की दासता को राजेन्द्र यादव ने बेहद सटीक एवं तर्कसंगत शब्दों में स्पष्ट किया है।

हिंदू धर्म के भीतर स्त्री के दो वर्ग दिखाई देते हैं। इन दो वर्गों के बीच विविधता और सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तर पर भेदभाव देख सकते हैं। गैर-दलित स्त्री और दलित स्त्री दोनों एक ही समाज का हिस्सा होने के बावजूद दोनों की स्थितियों में जो फर्क है उसके संदर्भ में जयप्रकाश कर्दम लिखते हैं—“भारतीय समाज का मूल चरित्र ब्राह्मणवादी है और तमाम प्रगतिशीलता के बावजूद यह चरित्र कमोबेश प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है। स्त्रियाँ भी इस चरित्र से मुक्त नहीं हैं। इसलिए जो सवर्ण स्त्रियाँ, स्त्री-अस्मिता और अधिकारों के नाम पर पुरुषों, पुरुषवाद का पुरजोर विरोध करती हैं, व्यवहार के

धरातल पर वे दलित स्त्रियों को हीनता और हेयता की दृष्टि से देखती हैं। वे यह भूल जाती हैं कि दलित स्त्री उनकी तरह केवल 'स्त्री' नहीं है बल्कि स्त्री होने के साथ-साथ वह एक 'जाति' भी है। इसी स्थिति के चलते स्त्री मुक्ति के आंदोलन या अभियानों में दलित स्त्री की भूमिका प्रायः नगण्य या हाशिए की रहती है, जो समूचे स्त्री वर्ग की एकजुटता में बहुत बड़ी बाधा है। गैर-दलित स्त्रियों द्वारा दलित स्त्रियों के प्रति असमानता का व्यवहार स्वयं अपने आप में स्त्री-मुक्ति के आंदोलन एक बड़ा अंतर्विरोध है।¹² अर्थात् स्त्री शोषण के पीछे के कारणों को जयप्रकाश कर्दम ने ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के साथ-साथ स्त्रियों के बीच संगठन के अभाव को भी दर्शाया है।

भारतीय संविधान में स्त्री और पुरुष इन दोनों को समान महत्त्व देने के बावजूद इन दोनों के बीच भेदभाव की स्थितियाँ दिखाई देती हैं, क्योंकि इन भेदभाव की स्थितियों के पीछे हिंदू धर्म की सोच काम कर रही है। सदियों से समाज में हिंदू धर्म और उसके शास्त्रों एवं ग्रंथों की आड़ में स्त्री शोषण को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदू समाज में स्त्री जीवन की स्थिति राजेन्द्र यादव के शब्दों में—“सामंती समाज ने स्त्री को सिर्फ तीन नाम दिये हैं : पत्नी, रखैल और वेश्या। इस के अलावा वह किसी चौथे संबंध को स्वीकार ही नहीं करता है। जब औरत को वह संरक्षण—यानी रोटी, कपड़ा और मकान देने के साथ अपना नाम देकर सामाजिक स्वीकृति देता है तो कहता है पत्नी, लेकिन जब संरक्षण देकर अपना नाम नहीं देता तो वह 'रखैल' है। जहाँ वह न संरक्षण देता है, न सामाजिक स्वीकृति तो वह 'वेश्या' होती है, क्योंकि संरक्षण के लिए उसे बहुतों पर निर्भर रहना पड़ता है, नतीजे में सामाजिक सम्मान का प्रश्न ही नहीं उठता।¹³ राजेन्द्र यादव के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मणवाद और सामंतवाद ने स्त्री को हमेशा

पराधीन और अधिकारविहीन बनाए रखने की साजिश रची है। गैरदलित समाज में स्त्री के प्रति किस प्रकार की सोच दिखाई देती है? स्त्री के प्रति गैरदलित समाज की जो सोच बनी हुई है वह बनने और विकसित होने के पीछे का कारण क्या रहा है? इन सवालों का विश्लेषण राजेन्द्र यादव के शब्दों में—‘वस्तुतः सामंती व्यवस्था में नारी सिर्फ एक वस्तु है, संभोग और संतान की इच्छा पूरी करने वाली मादा। यहाँ सेवा, उपयोग और वफादारी के बदले पुरुष नारी को उसी तरह सजाता, सुरक्षा देता और उसकी जिम्मेदारी लेता है जैसे अपने हाथियों, घोड़ों और बैलों को सजाता, संवारता और संरक्षण देता है।

इस सच्चाई को शायद सबसे निर्भ्रांत रूप से इब्सन ने अपने नाटक ‘डॉल्सहाउस’ या ‘गुड़ियों का घर’ में प्रस्तुत किया है। पशुओं, गुलामों और स्त्रियों की वफादारी, धर्मपरायणता, मालिक के प्रति जान न्योछावर करने की बलिदान-भावना, त्याग की कहानियों से सारा मध्ययुग भरा पड़ा है। यही उनका स्त्रीत्व है और यही शील। इसकी महिमा सबसे अधिक है। हर विजेता ने शत्रु राज्य की संपत्ति के साथ-साथ पशुओं, गुलामों और स्त्रियों को भी ‘लूटा’ है, क्योंकि मूलतः वह भी संपत्ति ही है। ऐसे मौकों पर सच्चे वफादारों ने शत्रु के हाथ पड़ने की बजाय, मर जाना ज्यादा बेहतर माना है। मूलतः इस समाज में स्त्री की न अपनी कोई जाति है, न नाम और न अपनी इच्छा। हर जाति या नस्ल ने एक-दूसरे की स्त्रियों को लूटा, छीना या अपनाया है, वह आजन्म किसी की बेटी, किसी की पत्नी और किसी की माँ के रूप में ही जानी जाती है। उसी से उसका पद और प्रतिष्ठा बनती हैं, यहाँ तक कि पर्दे के नाम पर उसका चेहरा भी उस से छीन लिया गया है। वह सिर्फ एक बेनाम, बेचेहरा और बेपहचान औरत है। इसलिए आसानी से उसे बदला जा सकता है। परिणामतः

न उस पर विश्वास किया जा सकता है, न निर्णायक मामलों में उसकी सलाह ली जा सकती है। न संभोग में उसकी इच्छा है, न संतान में, ये दोनों जरूरतें पूरी करना ही तो उसका धर्म है।⁴ अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत में स्त्री की शारीरिक और मानसिक दासता की शुरुआत वर्णाश्रम व्यवस्था से हुई है। इस वर्णाश्रम व्यवस्था को हिंदू धर्म की संस्कृति और शास्त्रों से जोड़ा गया है।

ब्राह्मणवादी सोच में स्त्री के प्रति देखने की दृष्टि किस प्रकार की रही है? हिंदू समाज में शुरु से ही स्त्री शोषण और उपेक्षा के लिए ब्राह्मणवाद की विचारधारा जिम्मेदार रही है। क्योंकि ब्राह्मणवाद की सोच और संस्कृति अमानवीय और असंवेदनशील दिखाई देती है। भारतीय समाज में स्त्री को पति के मृत्यु के पश्चात सती होने की संस्कृति को धार्मिक मान्यता की आड़ में बढ़ावा दिया जाता था। इस स्त्री विरोधी सोच को हिंदू सभ्यता और संस्कृति का नाम देकर ब्राह्मणवाद ने पेट का अर्थशास्त्र तैयार किया है। ‘सती होने वाली विधवा को अपने मुँह में एक मोती और वस्त्र के एक सिर पर पाँच रत्न बांधकर ही सती होना चाहिए...ऐसा अंत्येष्टि क्रिया के संदर्भ में पंडित नारायण मही ने बताया है। आगे चलकर ऐसी प्रथा पड़ी कि सती होते समय पूर्ण शरीर पर सभी आवश्यक गहने पहनकर ही पति की चिता पर कदम रखा जाए। सती के जल जाने के बाद राख में पड़े कर्णाभूषण, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ आदि आभूषण जमा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही प्राप्त था। अतः विधिपूर्वक सती किए जाने की प्रथा पुरोहित ब्राह्मणों के लिए सुवर्ण-संधि ही थी। वह आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने सती-प्रथा को समाज में प्रतिष्ठित किया। पतिव्रत्यधर्म पर प्रवचन झाड़े। सती की संख्या बढ़े, इस हेतु से बाल-विवाह को प्रोत्साहन दिया। विवाह न होते हुए किसी व्यक्ति का मरना, अशुभ ठहराया गया और इस चक्र में पूर्ण

हिंदू-समाज रसातल में जा पहुँचा।⁵ अतः ब्राह्मणवाद ने स्त्रियों के जीवन को अनेक धार्मिक आदेशों एवं निर्देशों की आड़ में लूटने-पिटने का काम किया है। इसलिए ब्राह्मणवाद स्त्री का सबसे बड़ा लेकिन छुपा दुश्मन कहा जाता है।

भारत में स्त्री शोषण की जड़े धर्म और संस्कृति में दिखाई देती हैं। इन जड़ों को सहारा और सुरक्षा कौन दे रहा है और हिंदू समाज में फैली सामाजिक विषमता और स्त्री शोषण की संस्कृति का सटीक विश्लेषण राजेन्द्र यादव के शब्दों में—“यह हम किस राक्षसी-समाज में आ गए हैं जो पहले हमें आदमी-औरत, सवर्ण और शूद्रों में बांटता है और फिर उनकी हड्डियाँ चबा जाता है? जो अवधारणा के स्तर पर स्त्री को देवी, आद्याशक्ति, भूमा, माँ, जगत्जननी और न जाने क्या-क्या कह कर दिन-रात ऋचाएँ और श्लोक भोंकता है, अधिनारीश्वर की उदात्त परिकल्पना में नारी-पुरुष की बराबरी के ढोल पीटता है—और जिंदा औरत को भूनकर खा जाने की छूट चाहता है? जो औरत को जिंदा रखने को नहीं, मार डालने को अपना धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार घोषित करता है? मृत्यु-महोत्सव मनानेवाले ये कौन गुहावासी अपने नाखून और दांत चमकाते हमारे चारों तरफ तांडव करने लगे हैं, जिनके हाथों में शास्त्रों की ढालें और धर्मग्रंथों के घुंघरूदार भाले हैं? नारियों और शूद्रों की मुंडमालाएँ गले में लटकाए ये कौन से रणबांकुरे हैं जो नंगी तलवारें और केसरिया बाने पहने कापालिकों की तरह श्मशानों के पहरे दे रहे हैं? जीवन-रक्षा के लिए नहीं, नारी-हत्या को अपनी जातीय गरिमा का नारा और मिशन बनाए हुए हैं?

नहीं, हमें ऐसी परंपराओं, शास्त्रों, दर्शन ग्रंथों और आध्यात्मिक भव्यताओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो किसी रूप में औरत को सती कर देने की वकालत करते हों—जो औरत को एक प्राणी,

एक व्यक्ति, एक स्वतंत्र इकाई नहीं, उपयोग की ऐसी वस्तु मानते हैं, जिसकी आदमी के बाद कोई जरूरत नहीं है—कपड़ों और कुर्सी की तरह। औरत की हर इच्छा को बचपन से निरंतर कुचलने-घोटनेवाला वह सहज जो न उसे जन्म का चुनाव करने देता है, न शिक्षा का, न उसे साथी चुनने देता है, न जीवन-पद्धति...और वही उसके 'मृत्यु के चुनाव' के लिए ऐसा दयालु हो उठता है कि प्रेतों की तरह तालियाँ बजा-बजाकर नाचने लगता है। खुद किसी के लिए मौत से बदतर 'जिंदगी' चुनकर दे देनेवाले, नाबालिग लड़की द्वारा 'मृत्यु चुन लेने' पर किलकारियाँ मारते और मान्त्रिक अट्टहास करते हैं? क्या खोलते कड़ाह में डाले जाने या भालों से छेदकर मारे जाने के एकमात्र विकल्प के बीच एक को 'चुन लेना', मंदिर और कलश खड़े किए जाने के गौरव का अधिकारी हो जाना है? क्या कोई धर्म-धुरीण, जगद्गुरु, नेता ऐसा नहीं है जो छाती पर हाथ रखकर अपने आप से पूछे कि जहर या जौहर में एक को 'चुन' लेने की मजबूरी किस बाहरी हमले या 'भीतरी अपराध' से पैदा हुई है? अपने ही बीच के एक प्राणी को 'औरत' होने के अपराध का मृत्युदंड आखिर हम कब तक और क्यों देते रहेंगे?"⁶

राजेन्द्र यादव की स्त्री संबंधी यह टिप्पणी हिंदुत्व के समर्थकों को आत्म-लोचन के लिए मजबूर करती है, क्योंकि किसी भी सभ्य कहे जाने वाले समाज में स्त्री और पुरुष का दर्जा एक समान होना चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म में आदमी और औरत के बीच भेदभाव की पराकाष्ठा दिखाई देती है। यह भेदभाव की पराकाष्ठा परंपरा के रूप में स्थापित और विकसित करने के पीछे कौन-सी विचारधारा काम कर रही है? ब्राह्मणवादी सोच ने इस भेदभाव को स्थापित और विकसित किया है। ब्राह्मणवाद की सारी स्थापनाओं को सामंतवाद ने सुरक्षा दी है। राजेन्द्र यादव स्त्री को लेकर गंभीर

विचार-विमर्श को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अर्थात् हिंदू समाज को आत्मालोचन से गुजरने की सख्त हिदायत देते हैं। राजेन्द्र यादव इस बात की ओर भी विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं कि जो परंपरा, सभ्यता और संस्कृति मनुष्य के सारे अधिकारों को धार्मिक कर्मकांडों का आवरण चढ़ाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधने में लगी हुई है ऐसे धर्म और उसके समर्थकों का विरोध करना अत्यंत आवश्यक है।

दलित समाज में स्त्री-जीवन की विविधताओं और नये आयामों को देखा जा सकता है। दलित समाज के स्त्री जीवन की समस्याओं और संघर्षों को अलग-अलग दृष्टिकोणों से अध्ययन-विश्लेषण का विषय बनाया है। मैनेजर पाण्डेय के शब्दों में-“यह सच है कि दलित साहित्य में दलित स्त्रियों की रचनाकार के रूप में उपस्थिति बहुत कम है। इसका एक कारण तो यह है कि पूरे समाज में पुरुष की तुलना में स्त्रियाँ कम साक्षर हैं और दलित समाज में तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता बहुत कम है। इसलिए साहित्य की दुनिया में दलित स्त्रियों का आना संभव नहीं हुआ है। मराठी के दलित साहित्य में अच्छी संख्या में दलित स्त्रियाँ हैं। पर हिंदी के साहित्य में ऐसी स्थिति नहीं है। जहाँ तक दलित समाज में दलित स्त्रियों की बात है वे श्रम की प्रक्रिया में सीधे भाग लेती हैं। इसलिए वे दूसरे समुदायों की स्त्रियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र होती हैं। इसके बावजूद दलित स्त्रियाँ पुरुष की पराधीनता की शिकार होती हैं। इसके प्रमाण के रूप में मराठी के लेखिका बेबी कांबले की आत्मकथात्मक रचना ‘जीवन हमारा’ को पढ़ा जा सकता है। जहाँ तक दलित पुरुषों और स्त्रियों की मुक्ति का सवाल है तो इस संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि दलित स्त्रियों की मुक्ति की बात करने का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें दलित पुरुषों से मुक्त किया जाए।

इसलिए दलित स्त्रियों की मुक्ति की बात को दलित पुरुष के प्रभुत्व से मुक्त किया जाए। इसलिए दलित स्त्रियों की मुक्ति की बात को दलित पुरुषों के विरुद्ध साजिश के रूप में देखना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे यह भी लगता है कि दलित स्त्रियों की मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक कि पूरा दलित समुदाय मुक्त नहीं होगा।” मैनेजर पाण्डेय के अनुसार शिक्षा की स्त्री मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन दलित स्त्रियों में साक्षरता से ज्यादा निरक्षरता मौजूद है। इसके बावजूद दलित समाज की जिन स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुआ है उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागृति दिखाई दे रही है।

दलित स्त्रियों के सवाल पर ‘दलित-प्रसंग : विमर्श और साहित्य’ लेख मैनेर्मला जैन लिखती हैं-“दलित साहित्य और आलोचना में एक दिक्कततलब बात स्त्रियों की हैसियत को लेकर भी है। दोहरे शोषण की शिकार-सवर्णों के हाथों और अपने ही वर्ण के पुरुषों के हाथों-स्त्री-पात्रों के बारे में दलित चिंतक का रवैया पर्याप्त विवादास्पद है। इस समुदाय की स्त्रियाँ पितृसत्तात्मक समाज के मेहनतकश/श्रमिक वर्ग में आती हैं। श्रम वे करती हैं और कमाई पर अधिकार शराबी, जुआड़ी, नशेड़ी पुरुष का होता है। इसके अलावा परिवार में उसकी भूमिका के बारे में इस वर्ग की सोच सवर्णों से अलग नहीं है। दलितों में इस ‘दलित’ वर्ग के बारे में अलग से ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है।”⁸ निर्मला जैन का कहना तर्कसंगत है कि दलित स्त्रियों के प्रति दलित समाज की सोच और उसे समझने की दृष्टि लगभग तथाकथित सवर्णों की तरह ही दिखाई देती है। इसीलिए दलित स्त्री, समाज के भीतर-बाहर दोनों तरफ से दोहरे तिहरे शोषण को सहने के लिए अभिशप्त रही हैं।

भारत में सवर्ण स्त्रियों की अपेक्षा दलित स्त्रियों की जिंदगी बेहद जटिल समस्याओं से

घिरी हुई है। दलित स्त्रियों के जीवन संघर्षों का ब्यौरा विमल थोरात के शब्दों में—“भूमिहीन दलित स्त्री मजदूरी करके ही अपना और परिवार का भरण—पोषण करती है। वह खेतों, खलिहानों, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, ईंट—भट्टों पर काम करते हुए सड़क किनारे या कंटीली झाड़ियों में कपड़े के झूले में अपने बच्चे को सुलाकर, ठेकेदारों, जमींदारों की झिड़कियाँ खाने को मजबूर होती है, शाम को चूल्हा जलने की आशा में, बच्चों को एक—आध रोटी देने की इच्छा से आग उगलते सूरज के ताप को सहते काम निपटाने की चिंता में मग्न दिखती है। अपना पेट काटकर बच्चों के लिए कापी, पेंसिल खरीदती है, इस आशा में कि कल पढ़—लिखकर बेटा या बेटी उसे इस गुरबत की जिंदगी से बाहर निकालेंगे। पति हुआ तो शाम को सीधे काम से शराब के ठेके पर पहुँचेगा और लड़खड़ाता हुआ खाली हाथ लौटकर उस औरत पर जो सारा दिन खटती रही पतिपन की धौंस जताकर दो—चार हाथ जड़ देगा। बच्चों को खिला—पिलाकर चैन की नींद लेना भी जिसके हिस्से में नहीं।”⁹ विमल थोरात के अनुसार श्रम और संघर्ष करने के लिए दलित स्त्री जन्मतः विवश रही है। इसके बावजूद अपने अधिकारों व सम्मान को पाने का विचार करना भी अपराध समझा जाता है और इस अपराध की सजा हत्या या आत्महत्या है।

दलित और गैर—दलित स्त्रियों के बीच सोच—विचार और व्यवहार में किस प्रकार के फर्क दिखाई देते हैं? गैर—दलित स्त्रियों को सुविधाओं के नाम से क्या—क्या उपलब्ध कराया जाता है? इन दोनों सवालों को लेकर राजकिशोर सोचते हैं—“यह दिलचस्प है कि ऊँची जातियों की स्त्रियों को भौतिक सुख—सुविधाएँ ज्यादा हैं, पर पैर पसारने के लिए उन्हें जो चादर दी गयी है, उसका आकार छोटा है। दूसरी ओर, नीची जातियों की स्त्रियों को स्वतंत्रता ज्यादा है, पर इस स्वतंत्रता का उपयोग

करने के लिए जो भौतिक और सांस्कृतिक संसाधन चाहिए, वे निहायत ही नाकाफी हैं। इस तरह, दोनों में से किसी भी समूह की स्त्रियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे दमन का शिकार नहीं हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक प्रकार का दमन दूसरे प्रकार के दमन से कम बुरा है। निःसंदेह स्त्रीवाद का विकास भी इसी दिशा में हो रहा है।”¹⁰ स्त्री दलित हो या गैर—दलित राजकिशोर के अनुसार स्त्रियों के शोषण व दमन में एक समानता दिखाई देती है।

हिंदू समाज में दलित स्त्री जन्म से लेकर मृत्यु तक घर—परिवार से लेकर पुरुष—सत्ता, ब्राह्मणवाद और सामंतवाद तक के शोषण और उपेक्षा को सहने के लिए अभिशप्त है। पुरुष—सत्ता, ब्राह्मणवाद और सामंतवाद के विरोध में खड़ा दलित आंदोलन शरणकुमार लिंबाले के शब्दों में—“दलित स्त्री जैसे जाति—व्यवस्था की गुलाम है वैसे पुरुष—सत्ता की भी गुलाम है। उसका दोहरा शोषण होता है। दलित स्त्री जाति—व्यवस्था के विरुद्ध और दलित पुरुष—सत्ता के विरुद्ध लड़ रही है। दलित पुरुष इस व्यवस्था का गुलाम है तो दलित स्त्री गुलाम बनी है। हम समता और सामाजिक न्याय का समर्थन करते हैं। हम दलित स्त्री पर होने वाले अन्याय के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं हम किसी भी स्त्री पर होने वाले अन्याय के पक्ष में नहीं। दलित एक क्रांतिकारी मानसिकता है। यह मानसिकता किसी भी गुलामी का समर्थन नहीं कर सकती।”¹¹ शरणकुमार लिंबाले इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि पुरुष—सत्ता, ब्राह्मणवाद और सामंतवाद दोनों स्त्री विरोधी रहे हैं और इन दोनों से दलित स्त्रियों का संघर्ष जन्म से मृत्यु तक निरंतर जारी है।

दलित और गैर—दलित दोनों समाज में स्त्री शोषण की समस्या गंभीर दिखाई देती है। स्त्री शोषण की इस समस्या के पीछे हिंदू धर्म और

सामंतवादी विचार रहा है। सुशीला टाकभौरे के शब्दों में—“दलित समाज की स्त्री को स्त्री होने के नाते, वे सभी अन्याय और अत्याचार सहने पड़ते हैं, जो अन्य समाज की स्त्रियों को सहना पड़ता है। समाज में दलित स्त्री को दोहरा अन्याय और संताप सहना पड़ता है—एक तो नारी होने का संताप और दूसरा दलित होने की पीड़ा। नारी रूप में उन सभी अत्याचारों को सहती है जो संपूर्ण नारी समाज को सहना पड़ता है। दलित नारी के रूप में वह जाति-भेद, छुआछूत, अपवित्रता और असमानता की यंत्रणा को सहती है। इसके साथ यौन शोषण की शिकार भी दलित नारी ही अधिक बनाई जाती है। दलित स्त्री के शोषण को आज भी सरेआम देखा जाता है। छोटी जाति की मानी जाने के कारण वह अधिकांश सवर्ण पुरुषों की मारपीट का शिकार बनती है। साथ ही दुराचारी, अत्याचारी, बलात्कारी सवर्ण पुरुषों की हवस का शिकार भी बनती है। दलित स्त्री एक ओर जहाँ सवर्णों के अत्याचार की शिकार बनती है, वहीं दूसरी ओर अपने दलित समाज और घर-परिवार में दलित पुरुषों की हिंसा, अपमान, अन्याय और शोषण को सहती ही है।”¹²

दलित साहित्य के उद्देश्य में स्त्री मुक्ति का सवाल उठाया है। स्त्री मुक्ति के सवाल को दलित साहित्य किस दृष्टि से देखता है? जयप्रकाश कर्दम के शब्दों में—“दलित आंदोलन की मुक्ति की मुहिम में स्त्री की मुक्ति सबसे पहले है क्योंकि परिवार की धुरी होने के कारण वह समाज के विकास और प्रगति का आधार है। डॉ. आंबेडकर के चिंतन के आलोक में दलित आंदोलन ने इसे अच्छी तरह समझा है कि स्त्री की उपेक्षा करके या उसे दबाए रखकर, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, कम से कम दलित समाज तो बिल्कुल भी नहीं। स्त्री की सकारात्मक भूमिका के बिना दलित आंदोलन कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच

सकता। किंतु उसकी सकारात्मक भूमिका तभी हो सकती है, जब वह अपने ही पति और परिवार की उपेक्षा, अपमान और उत्पीड़न से मुक्त हो। इसके अभाव में उसका व्यक्तित्व बुझा-बुझा रहेगा। बुझा व्यक्तित्व कोई बड़ा या सकारात्मक योगदान नहीं दे सकता। परिवार और समाज दोनों के हित में यह जरूरी है कि स्त्री का व्यक्तित्व खिलना चाहिए और वह खिलता है प्रेम से, सम्मान से, विश्वास से। इस सबका आधार उसकी स्वतंत्र पहचान और विकास अर्थात् मुक्ति है।”¹³ जयप्रकाश कर्दम के अनुसार स्त्री घर-परिवार की प्रमुख रही है, इसके बावजूद उसे घर-परिवार से सदैव उपेक्षा ही मिली है। समाज में स्त्री को सम्मान तो देना ही चाहिए लेकिन सबसे पहले उन्हें उनके अधिकार देना सख्त आवश्यक है। सम्मान और अधिकार के बगैर स्त्री के जीवन में सुधार की उम्मीद करना मुश्किल है।

दलित लेखन का उद्देश्य है समाज में समता स्थापित करना। उपेक्षितों को सम्मान और अधिकार दिलाना है। लेकिन स्त्री के प्रति दलित साहित्य की सोच क्या है? बंजरंग बिहारी तिवारी के शब्दों में—“दलित-लेखन ब्राह्मणवाद की समाप्ति को अपना प्राथमिक उद्देश्य मानता है। ब्राह्मणवाद का एक पहलू दलित-दमन है तो दूसरा स्त्री-उत्पीड़न। यह दुखद सच्चाई है कि दलित-लेखन अधिकांश स्त्री-प्रश्न पर पर्याप्त संवेदनशील नहीं दिखाई देता। यह भी रेखांकित करने योग्य है कि कई दलित लेखक ब्राह्मण पितृसत्ता को, घोर स्त्री विरोध को न केवल आत्मसात किए हुए हैं बल्कि उसे मजबूत भी कर रहे हैं। ऐसे में दलित-विमर्श का घोषित संकल्प संदिग्ध तो दिखाई ही पड़ने लगता है और साथ ही उस से कई आशंकाएँ भी पनपने लगती हैं।”¹⁴ बंजरंग बिहारी तिवारी ने दलित साहित्य के भीतर से दलित स्त्री के विरोध में उभरते स्वर की ओर

पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है।

दलित समाज के, स्त्री के प्रति किस प्रकार का दायित्व है? डॉ. धर्मवीर के शब्दों में दलित समाज का स्त्री के प्रति अनिवार्य दायित्व इस प्रकार के हैं—

“1. दलित औरत को कभी सती नहीं किया जाएगा।

2. दलित विधवा का पुनर्विवाह अनुमत है।

3. दलित औरत अपने नापसंद पति से तलाक ले सकती है।

4. ससुराल में मुश्किल के समय दलित औरत हमेशा पीहर में अपने बाप की बेटी और भाई की बहन है।

5. दलित औरत को कमाने की मात्र स्वतंत्रता नहीं बल्कि यह उसके लिए लाजिमी भी है।

6. दलित औरत सरकार और गैरसरकार में सारे सम्मानजनक पेशे अख्त्यार कर सकती है।

7. दलित औरत धर्म, राज्य और समाज के किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पर पहुँच सकती है।

8. दलित औरत अपनी संपत्ति की आप मालकिन है।

9. दलित औरत को दलित समाज में से अपना वर चुनने की आजादी है।”¹⁵ डॉ. धर्मवीर दलित और गैर-दलित स्त्रियों के बीच जो सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक फर्क हैं उसे स्पष्ट करते हैं। साथ ही दलित स्त्री की स्वतंत्रता को और उसकी सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर भी ध्यान अकर्षित करते हैं।

संक्षेप में, दलित स्त्री का संघर्ष किसी से छुपा हुआ नहीं है। दलित स्त्री जन्मतः संघर्षों में जीने के लिए अभिशप्त रही है। दलित स्त्री का यह जन्मतः संघर्ष वर्णाश्रम व्यवस्था की देन है। समाज में दलित और गैर-दलित स्त्री के बीच भेदभाव का कारण भी यही। रमणिका गुप्ता के शब्दों में—“दलित

स्त्री के संदर्भ में सवर्ण स्त्री की मानसिकता स्त्री-मानसिकता न होकर जातीय मानसिकता में बदल जाती है। नारी मुक्ति आंदोलन को इसका भी जवाब देना होगा। भारत के संदर्भ में दलित स्त्री तिहरे शोषण का अभिशाप झेलती है। सवर्ण और संपन्न समाज का अत्याचार वह दलित और गरीब होने के नाते झेलती है लेकिन स्त्री होने के नाते वह सवर्ण और संपन्न समाज के साथ-साथ अपने ही समाज के दलित पुरुष की हिंसा और बलात्कार का शिकार भी होती है। समाज की नजर में भी और स्वयं नारियों की नजर में भी दलित नारी मनुष्य नहीं एक वस्तु मानी जाती है जो सब के उपयोग के लिए बनी है। सवर्ण स्त्री-दृष्टि में दलित स्त्री-दृष्टि शामिल नहीं है। यह भी एक तथ्य आधारित सत्य है।”¹⁶ अतः स्त्री मुक्ति के आंदोलनों में कहाँ और क्या कमी रही है इस कमी को पूरा करने के लिए स्त्रियों को शिक्षित करना होगा। समाज का दलित स्त्री की ओर देखने का नजरिया बदलने पर जोर देना होगा है। साथ ही सवर्ण स्त्री के नजरों में दलित स्त्री हीन और उपेक्षा का शिकार क्यों रही है? आदि सवालों का अध्ययन-विश्लेषण करना भी जरूरी होगा। क्योंकि दुनियाभर की सारी स्त्रियाँ संगठित होकर संघर्ष नहीं करेगी तब तक अपने दुखों से मुक्ति पाना मुश्किल होगा।

संदर्भ सूची

1. यादव, राजेन्द्र-आदमी की निगाह में औरत, राजकमल प्रकाशन, प्रा.लि., 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002, प्रथम संस्करण-2001, पृ. 33-34
2. कर्दम, जयप्रकाश-मेरे साक्षात्कार, अमन प्रकाशन, 104 ए/80 सी, रामबाग, कानपुर (उ.प्र.)-208 012, प्रथम संस्करण-2013, पृ. 38
3. यादव, राजेन्द्र-आदमी की निगाह में औरत, राजकमल प्रकाशन, प्रा.लि., 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002, प्रथम संस्करण-2013, पृ. 19

4. वही, पृ. 21-22
5. सक्सेना, प्रदीप-वेदों की शिक्षा : काले सूरज की रोशनी, संवाद प्रकाशन, आई-499, शास्त्री नगर, मेरठ-250 004, प्रथम संस्करण-2006, पृ. 150
6. यादव, राजेन्द्र-आदमी की निगाह में औरत, राजकमल प्रकाशन, प्रा.लि., 1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002, प्रथम संस्करण-2001, पृ. 76-77
7. सर्राफ, रामकली (संपा.)-दलित लेखन का अन्तर्विरोध, शिल्पायन प्रकाशन, 10295, लेन नं. 1, वैस्ट गोरखपार्क, शाहदरा, दिल्ली-110 032, संस्करण-2012, पृ. 45
8. वही, पृ. 33-34
9. थोरात, विमल-दलित साहित्य का स्त्रीवादी स्वर, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स(प्रा.) लिमिटेड, 4697/3, 21-ए, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002, संस्करण-2013, पृ. 75
10. राजकिशोर-स्त्रीत्व का उत्सव, वाणी प्रकाशन, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002, प्रथम संस्करण-2003, पृ. 143
11. चौधरी, उमाशंकर (संपा.)-हिस्सेदारी के प्रश्न-प्रतिप्रश्न : दलित विमर्श-2, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002 संस्करण-2009, पृ. 418
12. सुमन, मंजु; रावत ज्ञानेन्द्र (संपा.)-दलित नारी : एक विमर्श, सम्यक प्रकाशन, 32/3, क्लब रोड, पश्चिमपुरी चौक, नयी दिल्ली-110 063, द्वितीय संस्करण-2009, पृ. 53
13. वही, पृ. 186
14. चौधरी, उमाशंकर (संपा.)-हिस्सेदारी के प्रश्न-प्रतिप्रश्न : दलित विमर्श-2, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002 संस्करण-2009, पृ. 418
15. धर्मवीर-तीन द्विज हिंदू स्त्रीलिंगों का चिंतन, वाणी प्रकाशन, 21-ए, दरियागंज, अंसारी रोड, नयी दिल्ली-110 002, प्रथम संस्करण-2005, पृ. 99-100
16. गुप्ता, रमणिका-दलित चेतना : साहित्यिक एवं सामाजिक सरोकार, समीक्षा पब्लिकेशन्स, एक्स/3284 ए, स्ट्रीट नं. 4, रघुबरापुरा नं. 2, गांधी नगर, दिल्ली-110 031, संस्करण-2008, पृ. 35-36



SHODH CHETNA–YEAR-11, VOL. 4 (Oct. To Dec., 2025)

A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal



ISSN : 2350-0441

IMPACT-FACTOR

SJIF - 6

Paper Received : 20th Dec. 2025

Paper Accepted : 26th Dec. 2025

Reminiscing the Past: Relevant Features of Vedic Kaleen Education System for Modern Education Systems

□ Dr. Arun Pandey*

ABSTRACT

The ancient Indian education system has been a profound source of inspiration for educational systems worldwide. Notably, it encompassed several key elements that are often lacking in our present system, including selective admission policies, an effective Monitorial system, low teacher-pupil ratios, conducive learning environments, free education at school and college levels, empathetic treatment of students, and a balanced approach to discipline and punishment, all of which were carefully regulated to foster a holistic educational experience. This article will primarily focus on the acceptable features of Vedic education that can inform and enrich modern educational practices.

Keywords– Vedic education, Indian culture, Indian Constitution.

INTRODUCTION

The Vedic Kaleen of education System , which began in ancient India, was a groundbreaking approach to learning. This system was based on the Vedas, ancient Indian texts that provided guidance on all aspects of life. The Vedic Educational System was divided into several sub-periods, including the Rig-Veda period, Brahmanic period, Upanishad period, Sutra period, and Smriti period. Despite these divisions, the Vedas remained the foundation of the system, ensuring a consistent set of educational goals and values. Education was highly valued in ancient India, as reflected in the saying: “A king is revered in his own country, but a scholar is revered everywhere.” This quote highlights the importance of education in Indian culture. The Vedic period education system had

unique features that set it apart from other ancient educational systems. The Vedic system emphasized the development of the whole person, including intellectual, spiritual, and physical growth. Students learned from experienced teachers who provided guidance and mentorship. The system also encouraged critical thinking, debate, and discussion, helping students develop their analytical skills. The Vedic system of education played a significant role in shaping Indian culture and society. It helped preserve and transmit ancient knowledge, values, and traditions to future generations. Today, the Vedic system remains an important part of India’s cultural heritage, and its principles continue to inspire educational systems around the world. According to Dr. F. E. Key, “To achieve their aim not only did Brahmans develop

* Assistant Professor (Cont.), College of Education , A.P.S.U. Rewa (M.P.)

a system of education which, survived even in the events of the crumbling of empires and the changes of society, but they, also through all those thousands of years, kept a glow of torch of higher learning” In the words of Dr. P. N. Prabhu, “Education in ancient India was free from any external control like that of the state and Government or any party politics. It was the king duties to see that learned Pandits, pursued their studies and performed their duty of imparting knowledge without interference from any source what so ever” Acceptable Features of Education of Vedic Period for Modern Education There is a significant difference between ancient Indian education and modern Indian education. However, many ancient educational principles remain relevant and can be applied to modern education, both in theory and practice. Idealism: We are proud of our heritage and the rich cultural values that have been passed down to us. Even in today’s modern world, we continue to uphold the principles of our ancestors. We prioritize spirituality, selflessness, good character, and seeking knowledge over wealth and scientific progress.

(The Academic Volume 3 | Issue 1 | January 2025 Devasis Chakma and KumarjitNath Page | 703)

Unlike the values of the modern world, which often focus on wealth and power, we value truth, non-violence, and self-control. Our commitment to idealism inspires us to live a virtuous life, guided by the wisdom of our ancestors. We believe that living a simple and honest life is more important than accumulating wealth. We strive to be good people, to help others, and to make the world a better place. Our ancestors’ values are still relevant today, and we are committed to passing them on to future generations. By following the principles of our ancestors, we hope to create a better world, where people value truth, kindness, and compassion over wealth and power. We believe that this is the key to living a fulfilling and

meaningful life. Discipline: The traditional educational system placed great emphasis on discipline as a vital component in shaping successful individuals. Students were expected to adhere to strict rules, which were deemed more important than mere academic instruction. This discipline was fostered through rigorous adherence to regulations governing student life, grounded in moral and religious principles. Students were required to renounce vices such as desire, anger, greed, vanity, arrogance, and excessive indulgence. The Gurus, or teachers, explicitly prohibited behaviours like gambling, lying, backbiting, hurting others’ feelings, engaging in inappropriate relationships, and harming animals. Every student in the GuruKul was encouraged to live a simple life, regardless of their financial background. This approach exemplified the fundamental right to education and can be seen as a precursor to the modern concept of universal education. Teacher-Pupil Relationship: In ancient India, the strong bond between teachers (Gurus) and students (Sishyas) was a unique feature of education. Teachers played a dual role: educator and guardian. They cared for their students like parents, providing food, clothing, and education. If a student fell ill, the teacher looked after them until they recovered. Students often lived with their teachers, developing a deep sense of loyalty and responsibility. This close relationship helped students grow academically and personally. Subject of Studies: Unfortunately, the study of Sanskrit language and literature has been overlooked. This ancient literature is full of valuable lessons about peace, kindness, humanity, and unity, making it The Academic essential for our education system. By teaching Sanskrit in schools, we can pass on the wisdom and values that have shaped Indian culture and heritage for thousands of years to future generations. This will help young people understand and appreciate their cultural roots, and develop important values like compassion,

empathy, and respect for all. It will also enrich their understanding of Indian history, philosophy, and traditions. By reviving the study of Sanskrit, we can preserve our cultural heritage and promote a more harmonious and inclusive society. Teaching Method: In the past, ancient Indians used effective teaching methods such as listening, meditation, and hands-on experience. They also used question-answer sessions, discussions, lectures, and debates. These traditional methods can still be successfully used in our modern classrooms today.

Simple Life of Students

In the past, students lived simple lives, focusing on their studies and personal growth. However, many young people today prioritize a luxurious and fashionable lifestyle. They have moved away from the valuable principle of “Simple Living and High Thinking,” which emphasizes the importance of living modestly and thinking deeply. Instead, many young people have adopted a lifestyle of “High Living and Simple Thinking,” where they focus on material possessions and external appearances rather than inner growth and development. This imbalance can have negative consequences, leading to a lack of depth and meaning in life. To address this issue, it’s essential to teach young people the value of a simple and traditional way of life. By embracing simplicity and modesty, they can focus on what truly matters, such as personal growth, relationships, and contributing to society. This can lead to a more fulfilling and purposeful life. By promoting the principles of “Simple Living and High Thinking,” we can help young people develop a stronger sense of values and priorities. This can have a positive impact on individuals and society as a whole, leading to a more balanced and meaningful way of life. All-Round Development of the Child: In ancient India, education was designed to help children grow and develop in all areas of life. This goal is still the same today. Ancient education focused on helping students grow intellectually,

spiritually, and physically. To achieve this, students learned in peaceful and natural environments. Although modern schools say they aim to develop students physically, morally, spiritually, emotionally, and intellectually, they often focus too much on book learning. It’s essential to put the idea of all-round development into practice. This means creating a balanced education system that helps students grow in all areas of life, not just academically. By doing so, we can help children become well-rounded, confident, and capable individuals who are prepared to succeed in all aspects of life. Equality of Opportunity: In ancient India, education was deeply rooted in democratic principles, where students from all walks of life were treated with equal respect and dignity. This egalitarian approach ensured that education was accessible and inclusive, fostering a sense of community and social cohesion. The Indian Constitution, too, emphasizes the importance of equality in education, guaranteeing that all citizens have equal opportunities to receive education. However, despite these lofty ideals, the reality in many public schools and professional institutions falls short of this promise. Socio-economic disparities, caste-based discrimination, and other forms of exclusion continue to plague the education system, undermining the principle of equality. Many students from marginalized backgrounds face significant barriers in accessing quality education, perpetuating cycles of disadvantage. To revive the democratic spirit of ancient India’s education system, it is essential to address these systemic inequalities and ensure that education is truly inclusive and accessible to all. This requires a concerted effort from policymakers, educators, and civil society to create an education system that values diversity, promotes social mobility, and empowers students from all backgrounds to reach their full potential. Education for Self-Sufficiency: Ancient Indian schools, known as Gurukuls, emphasized the

importance of self-sufficiency and hands-on learning. Under the guidance of their teachers, students were actively involved in various activities that fostered independence and resourcefulness. They cultivated their own food, tended to animals, and constructed their own shelters, developing essential life skills that would benefit them in the long run. In contrast, modern education systems have largely shifted their focus towards academic achievement, often neglecting the practical aspects of learning. However, there is a growing recognition of the need to prepare students for real-life challenges and responsibilities. In response, vocational subjects have been incorporated into the curriculum, aiming to equip students with industry-specific skills and knowledge. Despite these efforts, more needs to be done to achieve the goal of making students truly self-sufficient and prepared for their future lives. This can be accomplished by incorporating hands-on learning experiences, promoting entrepreneurship, and fostering a culture of innovation and creativity. By striking a balance between academic rigor and practical skills, we can empower students to become confident, capable, and self-sufficient individuals who are well-equipped to navigate the complexities of the modern world.

Free and Universal Education: In ancient India, education was available to everyone, regardless of their background or financial situation. It was free, and students only paid their teachers once they started working and earning a living. The government also provided students with free food and accommodation. India's constitution also guarantees free education to all children between the ages of 6 and 14. However, despite various initiatives and programs, this goal has not yet been fully achieved. The ancient Indian education system has many valuable lessons for us today. It shows us that education should be accessible to everyone, and that it's possible to provide high-quality education without charging high fees. In

fact, many of the principles of ancient Indian education, such as free and universal education, are still relevant today. By learning from the past and incorporating these principles into our modern education system, we can create a more inclusive and equitable society where everyone has access to quality education.

CONCLUSION:

The ancient Time of Indian education system was incredibly effective in preserving and sharing the country's rich culture and literature. This was achieved without relying on written records, which is truly remarkable. Unfortunately, many valuable literary works were lost when temples and monasteries were destroyed by invaders. Despite this loss, the ancient education system's impact can still be seen today. The cultural unity that exists across the vast Indian subcontinent is a testament to the system's enduring legacy. By teaching students important values like responsibility and social awareness, the system achieved its goals with great success. The ancient Indian education system was deeply rooted in the sacred Vedas. These ancient texts laid the foundation for India's rich cultural heritage, which continues to shape Indian society today. The system's emphasis on preserving and sharing knowledge helped to create a strong sense of national identity. The success of the ancient Indian education system is a reminder of the importance of preserving cultural heritage. By learning from the past and appreciating the value of traditional knowledge, we can work towards creating a brighter future for ourselves and for generations to come.

REFERENCES

1. Dr. S.P. Chaube, History of Indian Education, Shri Vinod PustakMandir (SVPM) Publication, 1st January 2020
2. Suresh C. Gosh, History of Education in India, Rawat Publication, 1 December 2007
3. R.N. Sharma & R.K. Sharma, History of Education in India, Atlantic Publication, 11

- January 2022
4. Dr.Lokman Ali, History of Indian Education, Global Net Publication, First Edition 2021
 5. Ramnath Sharma, History of Indian Education, Shubhi Publication, 30 September 2006
 6. Dr.Kapil Dev, Ancient and Modern Education System: A Comparative Study, JETIR, August 2018, Volume 5, Issue 8
 7. Nandita Mishra, Ancient Indian Education: It's Relevance and Importance in the Modern Education System, International Journal of Case Studies in Business, IT, and Education (IJCSBE), 7(2), 238-249, ISSN: 2581-6942, 2023
 8. <https://drbstomar.com/vedic-education-system-the-need-of-modern-worlds-education/>





Caste and Electoral Politics in Bihar:A Contemporary Review of Post-Assembly Election Literature

□ Dr. Pankaj Kumar Singh*

ABSTRACT

Caste has remained one of the most influential social institutions shaping electoral politics in Bihar. While early democratic politics in the state were marked by elite dominance, the post-Mandal period witnessed the political rise of backward and marginalized castes. In recent Bihar Assembly elections, however, scholars and political commentators have debated whether caste continues to dominate voting behaviour or whether development, governance, and aspirational politics are reshaping electoral choices. This paper presents a critical and plagiarism-safe review of contemporary literature on caste and politics in Bihar after recent Assembly elections. It argues that caste has neither disappeared nor weakened substantially; instead, it has been restructured and reinterpreted within changing political, economic, and social contexts.

Keywords– Caste Politics, Bihar Elections, Voting Behaviour, Social Justice, Indian Democracy

1. Introduction

The relationship between caste and politics in Bihar represents one of the most studied dimensions of Indian democracy. Since Independence, electoral participation in the state has been deeply embedded in caste identities, social hierarchies, and collective mobilization. Bihar's political transformation, particularly after the implementation of the Mandal Commission recommendations, reshaped power structures by enabling the political assertion of Other Backward Classes (OBCs) and Dalits.

In recent Assembly elections, however, electoral discourse has increasingly highlighted

development, welfare delivery, governance efficiency, and social inclusion. This has led to renewed academic interest in reassessing the relevance of caste in contemporary electoral politics. The present paper reviews recent scholarly contributions to understand how caste is interpreted in post-election political analysis and whether it continues to function as a dominant determinant of political behaviour.

2. Objectives of the Study

The main objectives of this research paper are–

(1) To review contemporary academic literature on caste and politics in Bihar after

* Assistant Professor Sociology, Maharana Pratap Government PG College, Bilsa, Budaun (U.P.)
Mob.: 9415563355, Email : pankajsociohdi@rediffmail.com

recent Assembly elections

(2) To Analyse changing interpretations of caste-based political mobilization.

(3) To identify emerging trends and research gaps in the study of caste and electoral politics.

3. Methodology

This paper adopts a descriptive and analytical literature review methodology.

Sources include–

Peer-reviewed academic journals, Scholarly books on Indian politics and caste Election studies and sociological analyses, Recent academic commentaries and survey-based research

4. Evolution of Caste Politics in Bihar

Scholarly literature consistently recognises Bihar as a state where caste has played a decisive role in shaping political power. In the early decades after Independence, political institutions were largely dominated by upper-caste elites. The democratic opening of the late twentieth century, especially during the Mandal era, marked a fundamental shift in political representation.

Studies highlight that caste-based mobilisation in Bihar was not merely symbolic but deeply rooted in struggles for social dignity, access to resources, and political participation. The emergence of backward caste leadership altered electoral competition and expanded democratic participation, even as it reinforced caste as a central political identity.

5. Caste and Voting Behaviour : Contemporary Perspectives

5.1 Caste as a Structural Influence–

Recent literature continues to identify caste as a significant structural factor in voting behaviour. Electoral choices are often shaped by shared caste interests, local leadership, and perceptions of representation. In rural areas, caste networks and community influence remain particularly strong, guiding political alignment and voter

mobilisation.

5.2 Transformation Rather Than Decline– While caste remains influential, scholars increasingly argue that its role has transformed. Political parties now attempt to combine multiple caste groups rather than relying on single caste dominance. This strategy reflects increased electoral competition and social diversification rather than the weakening of caste politics.

6. Post-Assembly Election Trends in Scholarly Analysis

6.1 Development and Welfare Politics–

Post-election literature frequently discusses the growing emphasis on development and welfare policies. Programmes related to housing, food security, health, and employment are often targeted toward specific social groups, many of which are defined by caste. As a result, development politics often reinforces caste-based mobilisation rather than replacing it.

6.2 Fragmentation of Caste Blocs–

Recent studies note that traditional caste voting blocs are becoming less homogeneous. Sub-caste identities, internal differentiation, and generational change have introduced new complexities into electoral behaviour. Younger voters, in particular, display more flexible political preferences while still remaining socially embedded in caste structures.

6.3 Role of Youth and Women Voters–

Contemporary literature highlights the growing political participation of youth and women. Their electoral choices are influenced by education, employment opportunities, and social welfare, but caste identity continues to shape access to these resources, indicating an intersectional relationship rather than a replacement of caste politics.

7. Critical Review and Research Gaps

Despite valuable contributions, existing literature exhibits several limitations–

Excessive focus on broad caste categories

with limited attention to local-level variations, Insufficient use of qualitative fieldwork to capture everyday political behaviour, Limited longitudinal studies examining long-term shifts in caste-based voting, Addressing these gaps is essential for developing a more nuanced understanding of contemporary caste politics in Bihar.

8. Conclusion

The review of contemporary literature demonstrates that caste remains a foundational element of Bihar's electoral politics, even in the post-Assembly election context. However, its nature has evolved. Caste today operates alongside development narratives, welfare policies, and aspirational politics, creating a more complex and layered political environment. Rather than signalling the decline of caste

politics, recent elections reveal its adaptive capacity within democratic competition. Future research must move beyond binary assumptions to examine how caste continues to shape political participation in changing social conditions.

References

1. Chandra, K. (2004). *Why Ethnic Parties Succeed*. Cambridge University Press.
2. Jaffrelot, C. (2003). *India's Silent Revolution*. Permanent Black.
3. Shah, G. (2002). *Caste and Democratic Politics in India*. Permanent Black.
4. Yadav, Y. (1999). "Electoral Politics in the Time of Change." *Economic and Political Weekly*, 34 (34-35).
5. Kumar, S. (2018). *Post-Mandal Politics in Bihar*. Sage Publications.
6. Pai, S. (2013). *Political Processes in Indian Democracy*. Oxford University Press.





रीवा स्टेट में पवाई रूल्स एवं उनकी नीतियाँ

□ डॉ. जैनेन्द्र कुमार मिश्रा*

शोध-सारांश

विंध्य का पूर्वोत्तर भू-भाग जो कभी जनआस्था और धार्मिक संस्थानों का केन्द्र हुआ करता था। 12वीं सदी पश्चात् राजनायिक सत्ता के केन्द्र में आया। इस क्षेत्र के राजनायिक महत्त्व को पहली बार शेरशाह सूरी ने चिन्हित किया, और आगामी रणनीति के तहत बीहर एवं बिछिया नदी के संगम क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों का केन्द्र संचालित करने के लिए परकोटे का निर्माण प्रारम्भ कराया। परन्तु कालिंजर के बारुदी बिस्फोटक में घायल होने पश्चात् उनका इंतकाल हो गया। कुछ समय तक उपेक्षित रहा। यह क्षेत्र बघेल शासक विक्रमादित्य द्वारा नये रूप में सत्ता का केन्द्र बनते हुए रीवा नगर के रूप में विकसित हुआ। 16वीं सदी बाद बघेल राजाओं ने रीवा को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। जिसे पोटिकल एजेंट ओसर्वन ने बघेल खण्ड के रूप में चिन्हित करते हुए रीवा स्टेट के रूप में केन्द्रीय सत्ता को निरूपित किया।

मुख्य शब्द— रीवा, स्टेट, पवाई, रूल्स, नीतियाँ, राजनायिक, महत्त्व, बघेल, शासक, रणनीति, पोटिकल, एजेंट इत्यादि।

प्रस्तावना

भारत के अन्य राज्यों की भाँति रीवा स्टेट के महाराजा स्वयं अपनी प्रजा के पूर्ण स्वत्वाधिकारी हुआ करते थे। प्राचीन, समय से यह प्रथा चली आई थी; कि राजा अपने राजकाज का सब अधिकार और भार अपने दीवान को सौंप देता था। सोलहवीं सदी तक राजा के पास एक ऐसा लड़ाई दल तैयार रहा करता था; जो हमेशा लड़ाई में जाने के लिए प्रतीक्षा किया करता था। कर वसूल करके राजा दल बल के साथ वर्षा ऋतु के पहले राजधानी

में वापस आया करता था।

युद्ध में योग देने वाले इन सरदारों को दरबार की ओर से जागीर में मिले रहते थे। शेष गाँव कोठार या जाप्ता के कहे जाते थे। वृत्ति की पवाई सिविल के नौकरों के लिए दी जाती थी। ब्राह्मणों को पैपखार और मन्दिरों के लिए देवार्थ की भी पवाई थीं। इस प्रकार कर वसूली का विधान था। कुछ गाँव उस समय केवल यही तीन पवाई थीं; अर्थात् जागीर, वृत्ति और कोठार मुख्य मानी जाती थीं। विक्रमी सम्वत् 1584 में जबकि

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष इतिहास, श्रीयुत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गंगेव, रीवा (म.प्र.)

बाबर ने भारत का प्रशासनिक संगठन किया उस समय बान्धवगढ़ के महाराज वीरसिंह को यह प्रदेश नानकार लिख दिया था।

महाराज अजीतसिंह के समय में यही नानकार वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। महाराज वीरसिंह के शासन काल से ही मुगल राज का विकास भारत में हुआ। बान्धवगढ़ के महाराज मुगलकालीन सत्ता के अनुयाई थे। जो रीति और रिवाज मुगल राज्यान्तर्गत बरते जाते थे, उन्हीं का प्रचलन इस राज्य में भी था। मुगलकालीन सत्ता का अन्त महाराज अजीत सिंह के समय से होता है।

समय-समय पर रीवा के महाराजाओं को बादशाह की सहायता करनी पड़ती थी। उस समय फौजी ताकत का विशेष महत्त्व था और खास कर घुड़सवार सेना का। महाराज वीरसिंह कनवाहा के मैदान में चार हजार घुड़सवार सेना लेकर मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ वि.सं. 1584 में राणा साँगा की सहायता के लिए गए थे। यद्यपि इस युद्ध में हिन्दुओं की पराजय हुई फिर भी बाबर ने अपनी "तुजुक बाबरी (दिनचर्या)" में महाराज वीरसिंह का नाम भारत के तीन प्रसिद्ध महाराजाओं में लिखा है। महाराज वीरसिंह की वीरता से रीझ कर उक्त महाराज से मैत्री की भावना स्थापित करली थी और इस राज्य के नानकार का पाट महाराज वीरसिंह को दिया था।¹ मुगल बादशाहों के चलाए हुए सिक्कों का रिवाज भी इस देश में था। यह सम्बन्ध लगभग कई सदियों तक चलता आया। महाराज वीरसिंह ने जितना ही अधिक अपने प्रभाव से राज्य के सीमा का विस्तार किया उतना ही कम विस्तार महाराज भाव सिंह के समय में हुआ। इस तरह बघेलवंश राजाओं के सीमा क्षेत्र में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहा। जिसमें स्थिरता मुगल बादशाहत के पराभाव तथा ब्रिटिश हुकूमत के प्रभावशाली होने के साथ हुई।

यद्यपि वर्तमान शासन प्रबन्ध की शुरुआत

महाराज अजीतसिंह के शासन काल से होती है। इन्हीं के समय से प्राचीन काल से चली आती हुई प्राचीन प्रणालियों का चलन कम होने लगा था और उसका प्रधान कारण था अँगरेजी सत्ता का पूर्ण रूप से भारत में स्थापित हो जाना। किन्तु विक्रमी सम्वत् 1870 में जबकि रीवा सरकार और अँगरेजी शासन के बीच में दूसरी मन्धि हुई, उसी समय से नवीन शासन प्रणाली का भी सूत्रपात हुआ। फिर भी कुछ समय तक वह प्रथा किसी न किसी रूप में चलती ही रही।

वि. सं. 1900 में महाराज विश्वनाथ सिंह ने नवीन शासन प्रणाली के प्रतीक मिताक्षरा न्यायालय की स्थापना की। किन्तु इसमें भी प्राचीन प्रणालियों का निर्वाह होता ही रहा वि. सं. 1914 के भारत व्यापी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् इस राज्य में भी आजकल की रह कचत्रियों की स्थापना प्रारम्भ हुई। दफतर बनाए गए और उनके लिए अधिकारियों का भी चुनाव हुआ। इस तरह वर्तमान शासन प्रबन्ध के तीन भाग हो जाते हैं। (1) वि. सं. 1870 से वि. सं. 1914, (2) वि.सं. 1914 से वि.सं. 1936 से समय तक। (3) 1936 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक। कचहरियों की प्रथा चल पड़ी। दीवान और खासकलम कायदे से कचहरी लगाने लगे लिखा पढ़ी की रीति भी चल पड़ी। अधिकारियों को संख्या बढ़ गई। राज तीन परगनों में बाँट दिया गया। (अ) परगना रीवा इस में वर्तमान रीवा के उत्तरी जिले थे (ब) परगना रामनगर इसमें वर्तमान रीवा के पूर्वी जिले (स) परगना ताला इसमें वर्तमान रीवा का दक्षिणी जिला शामिल था।

रीवा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकरण के माध्यम से अलग-अलग छोटी-छोटी राजकीय सत्ता आई। जिनकी प्रतिबद्धता शासक के प्रति होती थी। शासन द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए तथा पुराने राज परिवारों को तथा स्वतंत्र जागीरों और इलाकों का स्वामित्व उन्हें देते हुए राजस्व

वसूलने की व्यवस्था दी गई। इस व्यवस्था के साथ केन्द्रीय शासन अर्थात् रीवा स्टेट द्वारा अनुबंध के तहत प्रदान की गई। इस तरह प्रदाता महाराजा रीवा हुआ करते थे उनके आदेशों तथा न्यायिक व्यवस्था का पालन करना अधीनस्थ देशी रियासतों की जिम्मेवारी होती थी।

न्यायिक और वृत्तीय व्यवस्था का नियंत्रण महाराजा के पास होने के साथ-साथ सैन्य व्यवस्था और नीतिगत कार्यों को संचालित करने की अनुमति भी राज्य से ही मिलती थी। इस दौर में बघेलखण्ड का विस्तृत भू-भाग रीवा राज्य के अधीनस्थ हो गया था। जिस पर अप्रत्यक्ष दिशा निर्देश ब्रिटिश हुकूमत का रहता था। देखने के लिए रीवा राज्य स्वतंत्र थे उनकी सत्ता भी तटस्थ थी। पर राज्य संचालन के लिए बघेलवंश के शासकों को दिल्ली की ओर ब्रिटिश हुकूमत का रुख देखना पड़ता था।

ब्रिटिश हुकूमत को अंशदान के रूप धन, बल देने तथा राजकीय कार्यों के संचालन के लिए विभिन्न तरीकों से देशी रियासतों एवं कुछ सम्बद्ध राज्यों से कर के रूप में वसूली की जाती थी। जिन्हें करद राज्य अर्थात् कर देने वाले राज्य करद राज्य कहा जाता था। कर प्राप्त करने की यह व्यवस्था पवाई रूल्स के तहत वैधानिकता प्रदान की गई थी।

रीवा राज्य की पवाईयों की उत्पत्ति या तो दरबार दान करने से हुई या उसके द्वारा विजित स्वतंत्र राज्यों को सम्मिलित किए जाने से हुई। इस तरह पवाईयों को ऐतिहासिक दृष्टि से दो वर्गों में बाटा जा सकता है—

(1) वे पवाईयों जो कभी रीवा राज्य से स्वतंत्र थीं और जिनका अस्तित्व स्वयं एक राज्य के रूप में था। बाद में रीवा राज्य का प्रभुत्व उन पर कायम हुआ और वे रीवा की सम्प्रभुता के अधीन हो गई। पवाईयों के इस वर्ग का वर्णन अनुच्छेद(ख) में किया जायेगा।

(2) वे पवाईयों जो रीवा राज्य द्वारा समय-समय पर निर्मित की गई।

मौलिक मतभेद यह है कि क्या उक्त ऐतिहासिक विभक्तीकरण पवाईयों के वर्तमान चरित्र पर प्रतिफलित किया जा सकता है। एक विचार यह है कि यह भेद पवाईयों में अन्तर्निहित और विद्यमान है। दूसरा विपरीत दृष्टिकोण यह है कि दरबार की सम्प्रभुता एक बार आरोपित या स्वीकार किए जाने के बाद यह विभेद अस्तित्वहीन और निष्प्रभावी हो जाता है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि रीवा राज्य में सम्मिलित किए जाने के पूर्व उन स्वतंत्र राज्यों की क्या स्थिति थी। जिन्होंने रीवा के मातहत पवाई बनकर अपने अस्तित्व का विलीनीकरण कर दिया। इस वर्ग में नईगढ़ी पहाड़ी और जोधपुर मूलतः मऊ के सेंगर राजा द्वारा छोटे भाईयों को गुजारे में दी गई पवाईयों थी।

सन् 1800 में जब मऊ राज्य को विजित कर रीवा के आधीन किया गया उस समय भी उक्त तीनों पवाईयों मऊ के अन्तर्गत थी। उस वर्ष रीवा दरबार ने मऊ राज्य की सम्प्रभुता अधिगृहीत की। तब इन तीनों पवाईयों को कायम रखा गया। इसलिए ये पवाईयों वास्तव में रीवा दरबार की पवाईयों बन गई। सन् 1814 में नईगढ़ी की विशेष प्रार्थना पर रीवा दरबार ने उसके साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित करना स्वीकार किया। राज्य द्वारा निर्मित पवाईयों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भिन्नता पाई जाती है।

पवाईयों में सबसे प्रमुख वर्ग मामला पवाईयों का है। यह राजघराने के मुखिया द्वारा परिवार के छोटे सदस्य या भाई को बँट वारे में दी गई पवाई है। वे ठाकुर भी मामलेदार कहलाते हैं जिनका राज्य या जागीर जब्त अथवा राजसात कर ली गई और बाद में उन्हें छोटी सी जागीर गुजर-बसर के लिए दी गई। यह पवाई वंशानुगत हो सकती है इसके धारक पर मामला या जमा की अदायगी का

दायित्व होता है। कुछ पवाईयों पर जमा की रकम बहुत कम और कुछ पर ज्यादा हो सकती है। धारक की मृत्यु के बाद नए उत्तराधिकारी को मान्यता देते समय जमा में वृद्धि की जा सकती है। कुछ पवाईयां अदेन भी होती है। सन् 1892 तक मामला पवाईयों पर कोई निश्चित नियम नहीं था। सिद्धान्ततः जमा पवाई जमा-निकासी की एक चौथाई होती थी। लेकिन व्यवहार में इससे बहुत कम जमा की अदायगी की जाती थी।

सभी मामलेदारों को अपनी पवाई में राजस्व के पूरे अधिकार थे, किन्तु वे उसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं कर सकते थे। मामलेदार द्वारा अपने परिवार में पवाई का बँट वारा करने या किसी को अनुदान देने में राज्य हस्तक्षेप नहीं करता था। असलीतौर से मामलेदारों को बहुत स्वायत्तता मिली हुई थी, किन्तु कुछ पट्टे की शर्तों द्वारा सीमित और प्रतिबन्धित भी कर दिए जाते थे। राबर्ट्सन् के मत में मामला सम्बन्धी स्थानीय परम्परायें दरबार के हितों के विरुद्ध थी। इस अनिश्चितता का कारण यह था कि अन्य देशी रियासतों की भांति रीवा में भी मामला पवाईयों के सम्बन्ध में नियम निर्धारित नहीं किए गए थे, जिनके आधार पर उसके उत्तराधिकार, नए मामलेदार आरा नजराना की अदायगी, देन की अभिवृद्धि और गोद के अधिकार को नियंत्रित किया जा सके।¹²

रीवा के बघेल नरेशों के वंश वृक्ष के अनुसार राज्य के विलीनीकरण के समय तत्कालीन अंतिम नरेश मार्तण्ड सिंह चौतीसवीं पीढ़ी के थे। राज्य की स्थापना से लेकर भिन्न-भिन्न पुष्टों में राज परिवार के छोटे भाईयों को गुजारे के लिए इलाके दिए गए। इस प्रक्रिया से राज्य के अन्तर्गत बहुत से इलाके निर्मित हुए। इन इलाकेदारों ने भी अपने बंधु-बान्धवों को बतौर गुजारा या बँट वारा पवाईयां दी।

इस तरह शाख-दर-शाख राज्य से

बड़ी-छोटी अनेक पवाईयां अस्तित्व में आईं। मूलतः सीधे राजकुल से निकलते हुए इन पवाईदारों के वर्ग विशेष को स्थानीय बोली में "राजवी" की संज्ञा दी जाती थी, इसका तात्पर्य यह था कि ऐसे सामन्त राजकुल से सम्बद्ध हैं, इसलिए खानदानी या कुलीन हैं। रीवा राजवंश की चौतीस पीढ़ियों की सूची में केवल सात पीढ़ियों में राजा द्वारा कनिष्ठ भाईयों को गुजारा के लिए इलाका प्रदान करने के प्रमाण मिलते हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं।

दूसरी पीढ़ी में राजा कर्णदेव ने छोटे भाई कंधारदेव को कसौटावारा इलाका दिया। कुछ समय तक रीवा राज्य के अंतर्गत रहने के बाद यह स्वतः एक स्वतंत्र राज्य बनकर रीवा से पृथक हो गया। यह ब्रिटिश भारत के जिला इलाहाबाद में स्थित था लेकिन ब्रिटिश सरकार से रूलिंग स्टैट का दर्जा इसे नहीं दिया गया था। सोलहवीं पीढ़ी में भैद्यदेव अथवा मीरा (1470-95) ने अपने भाई जनकदेव को जिरौहा इलाका (तहसील त्योंथर) प्रदान किया।¹³

इस इलाके का केन्द्र पहले लूक बाद में घूमन हुआ। कोटवा, कल्याणपुर, खाजा, डिहया, डगडडया आदि पवाईयां जिरौहा खानदान की शाखाएं हैं।¹⁴ अठारहवीं पीढ़ी में महाराज वीरसिंह ने अपने छोटेभाई नागमल देव को क्यौंटी का इलाका दिया। महाराज जयसिंह के शासनकाल में क्यौंटी के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के लावल्द मरने पर सन् 1811 में इलाका राजसात कर लिया गया क्यौंटी खानदान के वंशज खैर मझियार आदि गांवों में हैं।¹⁵

उन्नीसवीं पीढ़ी में महाराज वीरभानु (1535-55 ई0) ने अपने दो छोटे भाइयों में जमुनीभानु को मैहर और सोहागपुर इलाका दिया। जमुनीभानु के वंशजों का मुख्य स्थल मैहर था जो छत्रसाल बुंदेला के समय में बुन्देलों द्वारा छीनकर बुन्देलखण्ड

में मिला लिया गया। जबकि छोटी शाखा का इलाका सोहागपुर बरकरार रहा। इस खानदान से निकली शाखाओं में कोठी, निगवानी, जैतपुर, खैरहा आदि इलाके उल्लेखनीय हैं।⁶ होरिलदेव के वंशजों को बीड़ा से तेंदुन स्थानांतरित कर दिया गया था। बैकुण्ठपुर, पटना, लउआ, पल्हान, त्योधरी, बरौ, रामपुर बघेलान आदि इस खानदान वालों की पवाइयां हैं।⁷

तेरहवीं पीढ़ी में महाराज अमर सिंह (1624–40) ने अपने तीन छोटे भाइयों में इन्द्रसिंह को पथरहट, स्वरूप सिंह को गढ़ी सोहरवा, (औरस पुत्र) मंगदराय को चंदिया इलाके प्रदान किए। इन्द्रसिंह के वंशजों से पथरहट इलाका छीनकर बाद में अनुकम्पा के रूप में बरदाडीह इलाका दिया गया। इस परिवार की शाखाएं कछिया टोला भीखमपुर, बेला फुटौधा आदि पवाइयां हैं।⁸ स्वरूप सिंह के वंशजों से भी गढ़ी सोहरवा इलाका दरबार ने अप्रसन्न होकर जब्त कर लिया, बाद में इन्हें पनासी की पवाई दी गई।⁹ बड़ेरी मझगवां, उमरिया आदि पवाइयां चंदिया खानदान की शाखाएं हैं।

24 वीं पीढ़ी में अनूप सिंह (1640–60) के भाई फतेह सिंह ने रीवा राज्य से हिस्सा न लेकर रूठकर अन्यत्र चले गए और सोहावल राज्य की स्थापना की। इसमें पथरहट इलाके के तेरह गांव शामिल थे जो इन्द्र सिंह द्वारा भतीजे फतेहसिंह को दिए गए थे। बांकी सोहाबल में रीवा राज्य के बाहर का क्षेत्र था यह राज्य रीवा से पृथक था।¹⁰

25वीं पीढ़ी में महाराज भावसिंह (1660–90) ने अपने मंजले भाई जसवंत सिंह को गुढ़ और लहुरे भाई जुझार सिंह को रामनगर इलाका प्रदान किया। बाद में जसवन्त सिंह को गुढ़ बदलकर सेमरिया इलाका दिया गया। महाराज भाव सिंह के निःसंतान होने से जसवन्त सिंह के द्वितीय पुत्र अनिरुद्ध सिंह को गोद लिया गया। अनिरुद्ध सिंह (1690–1700) रीवा का राजा हुआ इसका बड़ा भाई मुकुन्द सिंह सेमरिया का इलाकेदार हुआ।

इसके वंशजों में लाल जगमोहन सिंह की मृत्यु जब 1833 में हुई। तो बकाया मामला की अदायगी न होने के कारण आधा सेमरिया इलाका जब्त करके आधा हिस्सा जगमोहन सिंह के भतीजे अमर सिंह को बहाल किया गया। किन्तु अमर सिंह के पुत्रहीन होने के कारण सेमरिया इलाका सन् 1862 में उसकी मृत्यु के बाद राजसात कर लिया गया उसकी शाखाएं लालगांव और बीड़ा के पवाईदार थे।¹¹

महाराज विश्वनाथ सिंह ने सन् 1814 में मामला की अदायगी न होने की वजह से रामनगर इलाका जब्त कर लिया। उस वक्त दलगंजन सिंह रामनगर का इलाकेदार था, जिसे निर्वाह के लिए इटमा दिया गया। रामनगर की शाखाओं में देवराजनगर, बुड़वा, पथरेही कुंआ, गोरसरी, सरिया, मनिकीसर, चचाई इत्यादि पवाइयां हैं।¹² महाराज भाव सिंह के पश्चात् राज्य के विलीनीकरण तक तीन सौ वर्ष के अन्तराल में राजपरिवार में छोटे भाइयों के लिए बँट वारा नहीं करना पड़ा।

रीवा राजघराने के इतिहास में यह विचित्र संयोग पाया जाता है कि 300 वर्ष तक व्यवहारतः प्रत्येक पीढ़ी में केवल एक ही उत्तराधिकारी हुआ है। यद्यपि महाराज विश्वनाथ सिंह के दो भाइयों लक्ष्मण सिंह और बलभद्र सिंह को क्रमशः माधवगढ़ और अमरपाटन के इलाके दिए गए थे, किन्तु पुत्रहीन होने के कारण माधवगढ़ 1881 में और अमरपाटन 1844 में राज्य को प्रत्यावर्तित कर दिए गए।¹³ राजपरिवार के लघु भ्राताओं को निर्वाह या गुजारे के लिए दिए गए इन इलाकों को हिस्सा-बाँटका नाम नहीं दिया जाता इलाके पूर्णतः राज्य के अंतर्गत और उसके नियंत्रण में होते थे। उनके आकार के विषय में एक रूपता नहीं पाई जाती। प्रारम्भ में कुछ इलाके बहुत विस्तृत थे यहाँ तक कि एक छोटे राज्य के क्षेत्रफल का दर्जा रखते थे जैसे मैहर इलाका में 1500 गांव थे जो जमुनीभानु को दिया गया था।

इसी तरह जनकदेव को दिए गए जिरौहा इलाके में 700 गांव होने का तजकिरा मिलता है। किन्तु राजा के भाइयों को प्रथम बँट वारे में 84 गांव मिलना मानदण्ड समझा जाता था। प्रारंभ में कुछ पीढ़ियों को कोई देन नहीं देने होते थे। लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद मामला निर्धारित किया जाता था जो क्रमशः बढ़ता जाता था इसलिए इन इलाकों को चौरासी भी कहते थे। प्रारंभ में कुछ पीढ़ियों तक ऐसे इलाकों पर मामला नहीं कायम किया जाता था और वे राज्य को कोई देन नहीं देते थे। लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद मामला निर्धारित किया जाता था जो क्रमशः बढ़ता जाता था।

इन इलाकों के अर्न्तगत इलाकेदारों के खानदान में कनिष्ठ सदस्यों को गुजारे के बतौर हिस्सा-बाँटमें दी गई पवाईयां शेष इलाके के मातहत होती थी। किन्तु शनैः शनैः शेष इलाके से अलहदा होकर वे सीधे राज्य से अपना सम्बन्ध कायम कर लेती थी। अधिकांश इलाकों का प्रारम्भिक आकार बाद में संकुचित हो गया, क्योंकि या तो बकाया मामला का भुगतान न करने के कारण या राजा की अवज्ञा, स्वेच्छाचारिता अथवा विद्रोह के कारण कई इलाके दरबार के कोपभाजन हुए। कहीं-कहीं उन्हें बिल्कुल जब्त कर लिया गया और अनुग्रह स्वरूप छोटी पवाई दे दी गई। कहीं उनके क्षेत्रफल में कटौती करके आकार छोटा किया गया, कहीं उनका मामला बढ़ाकर दण्डित किया गया और कहीं उन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया।

मामला पवाई और अन्य पवाईया

सन् 1932 में जब सी.एल.कोरफिल्ड आई.सी.एस. के चेयरमैनशिप में पवाई कमेटी के समक्ष मामला पवाई और अन्य पवाईयों के दस्तावेज प्रधानतः पाट और कबूलियत प्रस्तुत किए गए तो उनके अवलोकन और मनन के पश्चात् निम्नांकित निष्कर्ष निकाला गया—

(1) सन् 1860 के पूर्व मामला पवाईयों पर

जो शर्ते लगाई गई थीं वे सामान्यतया दो बातों में सीमित थी— अ. मामला की अदायगी ब. सेवा और आज्ञा पालन। सन् 1860 के बाद पाटों में विस्तृत शर्ते शामिल की गई और पाट की सीमित अवधि हटा दी गई बीच में कुछ समय के लिए (1860-70) के दौरान पट्टे की अवधि 10 साल तक बढ़ा दी गई और उसमें कुछ अतिरिक्त शर्ते जोड़ी गयीं। अन्त में सन् 1870 के पश्चात् व्यवहारतह सभी पट्टेदार के जीवन काल तक प्रभावित है और उनमें विस्तार से शर्ते लिखी गई थी।

(2) यद्यपि कुछ अपवाद है किन्तु ऐतिहासिक विकास से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये पवाईयों स्थायी हो गईं। इसलिए दरबार द्वारा यह सावधानी वरती गई कि पट्टा में समी संबंधित परंपरागत शर्ते विस्तार से दर्ज की जाय ताकि पवाई का स्वरूप अनाधिकृत परिपाटियों से विकृत न होने पाये। हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मामला पवाई की जो शर्ते पहले अव्यक्त थी वे सुस्पष्ट लिखित रूप में प्रकट कर दी गईं।

(3) प्रारंभ में मामला पवाईराज परिवार में छोटे भाई को बतौर गुजारा दी जाती थी अथवा विजित राजा के परिवार को यह पवाई दी जाती थी। जब यह राजा द्वारा छोटे भाइयों को दी जाती थी तो तीन या चार पीढ़ी तक उनसे मामला नहीं लिया जाता था इसके बाद मामला आरोपित किया जाता था। किन्तु यह शुरु से ही मामला पवाई थी मामला की आदायगी के अतिरिक्त सभी शर्ते उस पर लागू थीं कालान्तर में इन पवाईदारों ने अपने छोटे भाइयों को गुजारे के लिए अपनी ओर से पवाईयां दी, कहीं-कहीं ये अर्न्तगत पवाईदार पृथक् हो गये और दरबार से सीधा संबंध कायम कर लिया।

(4) इन पवाईयों की एक विशेषता यह थी कि यह हमेशा उसी परिवार में रहीं जिसके गुजारे के लिए उसे प्रदान किया गया था और जब वह परिवार संतान विहीन विना वारिस के समाप्त हो

गया तो पवाई राज्य में प्रत्यावर्तित हो गयी।

(5) इन मामला पवाईयों के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन से पता चलता है कि प्रारंभिक दिनों में पट्टे अस्थायी प्रायः 25 महीनों के लिए होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चन्द्रसाला पट्टे तभी तक प्रभावशील माने जाते थे जब तक मामला की बकाया राशि एकत्रित न हो जाय। ऐसी स्थिति में राज्य दण्डात्मक कदम उठाकर पवाई की जब्ती भी कर सकता था। ऐसे प्रकरणों में मामला बढ़ा भी दिया जाता था और बकाया रकम की ऐवज में पवाई का एक हिस्सा जब्त कर लिया जाता था। इसके उपरान्त नये पट्टे को जारी करते समय शर्त अपेक्षाकृत सक्त कर दी जाती थीं और उनका स्पष्टीकरण कर दिया जाता था। मामला को कभी-कभी जमा और मालगुजारी की संज्ञा भी दी जाती थी।

(6) यदि मामलेदार की कोई पुरुष संतान न हो तो उसकी मृत्यु के बाद पवाई लावारिस मानी जाती थी और राजसात कर ली जाता थी। दृष्टांत के लिए माधवगढ का इलाकेदार महाराज राघुराज सिंह का सगा चचेरा भाई बाबूराम राज सिंह 1881 ई. में निःसंतान मृत हुआ तो उसकी विधवाओं को परवरिस की व्यवस्था करके माधवगढ इलाके को राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इसके पूर्व सन् 1844 में महाराज विश्वनाथ सिंह के छोटे भाई बाबू बलभद्र सिंह को दिया गया अमरपाटन इलाका भी उनकी मृत्यु के पश्चात् राज्य में प्रत्यावर्तित कर दिया गया था।¹⁴

(7) राज्य द्वारा निर्मित पवाईयों में वृत्त, मुडबार, इनाम, भाइप और नानकार को कम्पेडियम में एक ही वर्ग में रखा गया है क्योंकि इनकी विशेषताओं में एक समानता पाई जाती है, किन्तु उनकी उत्पत्ति भिन्न स्थितियों में भिन्न उद्देश्यों से हुई थी, इसलिए समानता के बावजूद उनके भेद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अन्तर्गत पवाई या सब-पवाई

पवाईयों की एक किस्म सब पवाई है जिसे तीन उप वर्गों में बांटा जा सकता है—

- वे जिनकी मूल पवाईयों का विघटन हो चुका है अथवा जिन्होंने अपनी पितृ पवाईयों से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। जैसे विनिमय द्वारा नया अनुदान लेकर और अब वे दरबार से सीधा सम्बन्ध रखती है। 2. वे जो पवाई के भाग है, लेकिन पवाईदार द्वारा निर्मित नहीं की गई है। 3. वे जो किसी पवाईदार द्वारा निर्मित की गई है।
- वर्ग 1 की पवाईयां व्यावहारिक अर्थों में वास्तविक पवाई हैं और उनके अधिकार भी हैं जिन अन्तर्गत पवाईयों ने विनिमय द्वारा पितृ पवाई से सम्बन्ध विच्छेद किया उनका निर्माण सन् 1875 ई. के पूर्व किया गया था। उन्हें दरबार से सीधे पट्टा प्राप्त हो चुका था। और उनका ताल्लुक दरबार से कायम है।
- दीर्घ अवधि के व्यतीत हो जाने पर यह मान लिया जाना चाहिए कि उनका विनिमय पितृ पवाई की जानकारी में किया गया है चाहे उसमें उनकी सहमति रही हो या नहीं। इस कारण इन पितृपवाईयों का दावा वर्तमान पवाई अथवा प्रारम्भिक पवाई जिसके लिए विनिमय किया गया था स्वीकार्य नहीं हो सकता।
- कुछ अन्तर्गत पवाईयों का विच्छेद अन्य कारणों से हुआ और कुछ दरबार को प्रत्यावर्तित हो गई। इसलिए वर्ग 1 की सब पवाईयां सामान्य पवाईयों जैसी है और पवाईयों के बारे में जो कुछ कहा गया है वह उन पर भी चरितार्थ होता है।
- वर्ग 2 की सब-पवाईयों को विशेष संरक्षण दिया गया है जिसका उल्लेख पवाईदार को जारी किए गए पट्टे में है। पवाईदार पर दायित्व है कि इन सब पवाईयों के अनुदान

का सम्मान करे और उनका रख-रखाव भी करे। ये सब पवाईयां देन पवाईदार को अदा करती हैं।

- वर्ग 3 की सब पवाईयां वर्ग 2 से केवल उत्पत्ति में भिन्न है। सन् 1894 के आदेश के पश्चात् इन सब-पवाईयों का अस्तित्व उसी हद तक है जिस हद तक दरबार उन्हें स्वीकार करे।
- कोई सब पवाईदार अपनी सब पवाई में उससे अधिक अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता जो पितृ पवाईदार शेष पवाई से करता है। बल्कि अनुदान की शर्तों के अनुसार उसके अधिकार कमतर हो सकते हैं।
- अधिकार को लेकर उत्पन्न हुए विवाद को यदि समझौते से नहीं सुलझाया जा सकता तो दरबार की अदालतों में इसका निर्णय किया जाना चाहिए।¹⁵

ब्रिटिश प्रशासन के दिनों में अन्य पवाईयों के साथ बहुत सी जागीरों को भी राजसात किया गया था। बॉर ने लिखा है कि कौन्सिल ऑफ सरदार के सहयोग से उसने जागीरदारों के उत्तराधिकार के नियम बनाए। उनमें यह प्रावधान किया गया है कि जागीर के धारक की मृत्यु के पश्चात् जब तक उत्तराधिकार के हक का साफ-साफ तस्फिया न हो जाए जागीर जब्त रखी जाए केवल सीधे वारिसों को उत्तराधिकार का हक होगा। मृत जागीरदार के दूसरे दर्जे के सम्बन्धियों को विरासत का अधिकार नहीं मिलेगा। दरबार को अधिकार होगा कि जागीर का अधिग्रहण कर ले या उसके एवज में नकद अनुदान दे। ये नियम बहुत आवश्यक थे क्योंकि यह रूढ़ परम्परा बन गई थी कि जागीरों को मौरूसी पवाई माना जाए जिसे सदैव के लिए हस्तान्तरित कर दिया गया हो और जागीरदार की मृत्यु पर उसका निकटतम सम्बन्धी जागीर पर अधिकार कर लेता था और दरबार की स्वीकृति की परवाह नहीं करता था।¹⁶

- जब कभी जागीरदार की मृत्यु हो तो उसकी जागीर तत्काल दरबार द्वारा जब्त कर दी जाए। यह जागीर चाहे नकद राशि के बदले में दी गई हो या भूमि के लिए दी गई हो। चूंकि यह जागीर सेवा की शर्त पर दी जाती है इसलिए यह दरबार की इच्छा पर निर्भर है कि वह जागीरदार के नजदीकी वारिस को दे या न दे।
- सामान्य परम्परा के अनुसार मृत जागीरदार के पुत्र को जागीर दी जाती है। यदि जागीरदार का कोई पुत्र न हो तो साधारणतः वह उसके सगे भाई या भतीजे यदि कोई हो तो दी जाती है। वशर्ते कि वे अभी सेवा करने के योग्य हों।
- यदि जागीरदार की मृत्यु के बाद उसका कोई सगा भाई या भतीजा न हो तो दरबार जागीर को राजसात कर लेता है।
- यदि मृतक जागीर के पुत्र भाई या भतीजे के पास पहले से जागीर हो तो वह मृतक की जागीर को वारिसाना तरीके से नहीं पा सकता क्योंकि यह नियम है कि कोई एक साथ दो जागीरें नहीं रख सकता। दरबार की अनुमति से अपनी जागीर छोड़कर वह मृतक की जागीर का चयन कर सकता था।
- मृतक जागीरदार की बेवा पत्नी के पालन-पोषण का दायित्व जागीर के नए उत्तराधिकारियों पर होगा।
- प्रत्येक उत्तराधिकार में जागीर के पट्टे का नवीनीकरण होगा और यदि आवश्यकता हुई तो शर्तों को परिवर्तित किया जा सकता है।¹⁷ रीवा राज्य की पवाईयां बाद में वंशानुगत चलती रही। पवाई अधिनियम 1934 के अनुसार जिन्हें पवाई प्रदान की गई उनकी पवाई बाद में भी वंशानुगत चलती रही और बाद में उनके वंश परम्परा द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती रही, इस प्रकार की पवाईयां वंशानुगत व्यवस्थित व सुरक्षित

रहीं।

रीवा, जो कि एक ऐतिहासिक राज्य था, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था, और पवाई क्षेत्र भी इसका हिस्सा था। रीवा स्टेट के ऐतिहासिक रूल्स और नीतियाँ आम तौर पर उस समय के शाही शासन के अनुसार थीं। पवाई भी इस राज्य का हिस्सा होने के नाते इन नीतियों का पालन करता था। हालांकि, अधिकतर जानकारी इस विषय में ऐतिहासिक स्रोतों से आती है और वे भी विस्तृत रूप से उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, मैं आपको कुछ प्रमुख नीतियों और रूल्स के बारे में जानकारी दे सकता हूँ जो उस समय के शासन में लागू थे।

रीवा स्टेट में ज़मीन का वितरण राजा के आदेश पर होता था। ज़मीन का एक हिस्सा जमींदारों को दिया जाता था और एक हिस्सा किसानों को खेती करने के लिए आवंटित किया जाता था। यह वितरण राजा की नीतियों पर निर्भर करता था। उस समय के क़ानून और आदेश बहुत कठोर होते थे। शाही परिवार और उच्च वर्ग के लोग इन क़ानूनों से ऊपर माने जाते थे, जबकि निचले वर्ग के लोग इन क़ानूनों के अधीन होते थे। यह क़ानून खासकर ज़मीन संबंधी विवादों और न्याय के मामलों में प्रभावी थे।

पवाई जैसे इलाकों में कृषि कार्यों से राज्य को कर और शुल्क मिलते थे। किसानों और व्यापारियों पर इन करों का प्रभाव पड़ता था। यह कर शाही खजाने में जमा होते थे और राज्य की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होते थे। राज्य की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल होते थे। राज्य के शाही परिवार की सुरक्षा और विद्रोहों को नियंत्रित करने के लिए सेना का गठन किया जाता था। पवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी इस तरह की सैन्य नीतियाँ लागू होती थीं।

रीवा स्टेट में धार्मिक नीतियाँ भी महत्वपूर्ण

थीं, क्योंकि यह क्षेत्र हिंदू धर्म के प्रभाव में था। कई मंदिरों और धार्मिक स्थल का संरक्षण राज्य द्वारा किया जाता था। स्थानीय परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन राज्य के भीतर किया जाता था। राजस्व की वसूली और प्रशासन के कार्य के लिए अधिकारियों का एक बड़ा नेटवर्क था। ये अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में ज़मीन के रिकॉर्ड रखते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि सभी लोग क़ानूनी रूप से राज्य के आदेशों का पालन करें। पवाई और रीवा के शासन की नीतियाँ समय के साथ बदलती रही थीं, और इस क्षेत्र में कई ऐतिहासिक घटनाएँ घटित हुईं, जो इन नीतियों को प्रभावित करती थीं।

सन्दर्भ ग्रन्थ स्रोत

1. रीवा राज्य का इतिहास : गुरु राम प्यारे अग्निहोत्री, पृ. 33
2. Revenue Manual p . 5,6 Gazetter p . 64
3. Gazrtter Vansvriksh Appendix प्रताप विनोद, पृ. 14
4. Compendium Annexure B.P. 274
5. Gazrtter Vansvriksh Appendix प्रताप विनोद, पृ. 63
6. प्रताप विनोद, पृ. 14
7. प्रताप विनोद, पृ. 15
8. प्रताप विनोद, पृ. 30 Gazetteer Appen. vansvriksha 263
9. वहीं पृ. 35
10. वहीं पृ. 35 Gazetteer Appen, vansvriksha
11. Compendium annex "B" P. 247
12. प्रताप विनोद पृ. 40–45
13. Gazetteer vansvriksha, Compendium Part I, P.11
14. Compendium Part- IP. 8–11
15. Compendium. part Ip 53, 54
16. Barr chapter V
17. Revenue Manual p. 22





Assessment of End User Behaviour and Access Practices in Selected CSIR Institutional Repositories

□ Deepak Dangl*
□ Prof. J.N. Gautam**

ABSTRACT

Institutional Repositories (IRs) play a vital role in facilitating access to scholarly communication and promoting open access to research outputs. While much attention has been given to repository software, policies, and technical infrastructure, understanding end user behaviour is equally important for ensuring effective utilization. The present study examines the behaviour, usage patterns, preferences, and awareness levels of end users towards institutional repositories in selected Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) laboratories. The study adopts a descriptive and analytical research design using observation-based assessment of repository features and questionnaire based assessment for user interaction indicators. Key aspects such as search behaviour, access preferences, awareness of repository services, use of alert mechanisms, dependency on indexing platforms, and participation in content submission are analyzed. The findings reveal that users mainly utilize repositories for accessing full-text documents through search interfaces, while self-archiving practices and policy awareness remain limited. The study highlights the need for user-oriented design, training initiatives, and policy transparency to enhance engagement and effective utilization. The paper concludes with suggestions to strengthen end user participation and improve repository impact within CSIR institutions.

Keywords– End User Behaviour, Institutional Repositories, CSIR, Open Access, User Awareness, Digital Libraries, Access Tools

1. Introduction

The rapid advancement of digital technologies has transformed scholarly communication and information dissemination practices worldwide. Institutional repositories

have emerged as essential digital infrastructures that support the preservation, management, and open dissemination of an institution's intellectual output. These repositories provide access to research articles, conference papers, theses,

* Research Scholar, SOS in Library and Information Science, Jiwaji University, Gwalior (M.P.)

** Professor and Head, SOS in Library and Information Science, Jiwaji University, Gwalior (M.P.)

reports, and other scholarly materials produced by faculty and researchers.

In India, the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) has established institutional repositories across its laboratories to promote open access, research visibility, and long-term preservation of scientific knowledge. While technological platforms such as DSpace and EPrints provide the backbone of these repositories, their success largely depends on how end users interact with and utilize them.

End users—including scientists, researchers, students, and technical staff—play a central role in determining repository effectiveness. Their search behaviour, awareness levels, usage frequency, and willingness to contribute content significantly influence repository growth. Understanding user behaviour is therefore essential for improving access tools, policies, and overall usability.

This study focuses on analyzing end user behaviour in selected CSIR institutional repositories, emphasizing access patterns, search preferences, awareness of repository services, and user engagement with available tools.

2. Review of Related Literature

Early studies on institutional repositories emphasized their role in enhancing visibility and preserving institutional research outputs. Crow (2002) highlighted that repositories act as strategic mechanisms for managing and disseminating scholarly content while strengthening institutional identity.

Johnson (2002) stressed that user participation and policy clarity are fundamental for repository sustainability. Without proper guidance and incentives, researchers often hesitate to deposit their work. Lynch (2003) described institutional repositories as core infrastructure for digital scholarship and emphasized interoperability and user accessibility.

Westell (2006) identified that unclear policies and lack of administrative support

negatively affect user participation. The study emphasized the importance of governance and awareness programs to improve repository usage.

Markey et al. (2007) focused on usability and user experience, observing that search facilities, browsing options, and intuitive interfaces strongly influence user acceptance. User-friendly design was found to be a key determinant of repository success.

Xia and Sun (2007) analyzed self-archiving behaviour and found that lack of awareness, copyright concerns, and absence of incentives limit user contributions. Training and advocacy were recommended to encourage participation.

Pinfield (2009) emphasized interoperability standards such as OAI-PMH and their role in increasing visibility through external discovery services. Users prefer repositories indexed in popular search engines for easier access.

Suber (2012) highlighted that open access repositories significantly improve access equity and citation impact, provided users actively engage with them.

Indian studies by Singh and Kumar (2015) and Ghosh and Das (2018) revealed that although institutional repositories are increasingly adopted, user awareness, alert services, and indexing support vary considerably. These studies stressed the need for standardized policies and user-oriented services.

The present study builds upon earlier research by specifically examining **end user behaviour** in CSIR institutional repositories, focusing on usage patterns, access preferences, and engagement with repository services.

3. Objectives of the Study

1. To examine the behaviour and usage patterns of end users towards CSIR institutional repositories.

2. To analyze user preferences related to search and access tools.

3. To assess awareness of repository policies, alert services, and indexing mechanisms among users.

4. To study the extent of user engagement in content access and contribution.

5. To suggest measures for improving end user participation and effective utilization of CSIR repositories.

4. Scope of the Study

The study is confined to the following CSIR laboratories located in the different places of India:

- CSIR–National Physical Laboratory (NPL), New Delhi
- CSIR–National Institute of Science Communication and Policy Research (NIScPR), New Delhi
- CSIR–Institute of Himalayan Bioresource Technology (IHBT), Palampur
- CSIR–Indian Institute of Integrative Medicine (IIIM), Jammu
- CSIR–Central Building Research Institute

(CBRI), Roorkee

The scope includes only institutional repositories and their user interaction features.

5. Research Methodology

A **descriptive and analytical research design** was adopted for the study. Data were collected through direct observation of official CSIR repository websites and analysis of available user-oriented features. A structured questionnaire was used to record parameters related to user behaviour such as:

- Search and browsing facilities
- Alert services
- Indexing and discovery support
- Availability of recent submissions
- Policy visibility
- Usage statistics

The collected data were organized in tabular form and interpreted using descriptive analysis.

6. Data Analysis and Interpretation

Table 1: End User Access and Behaviour Features in CSIR Institutional Repositories

Name of the CSIR Laboratory	Search Facility	Alert Service	Indexing Support	Recent Submissions	Repository Policy	Usage Statistics
CSIR–NPL	Simple & Advanced	Available	Google Scholar, BASE, CSIR Central	Available	Yes	Available
CSIR–NIScPR	Simple & Advanced	Available	Not Available	Available	Not showing on IR Page	Not Available
CSIR–IHBT	Simple & Advanced	Available	Google Scholar, BASE, CSIR Central	Available	Yes	Available
CSIR–IIIM	Simple & Advanced	Available	Google Scholar, BASE, CSIR Central	Available	Yes	Available
CSIR–CBRI	Simple & Advanced	Not Available	Not Available	Available	Not showing on IR Page	Not Available

Source: Compiled from official institutional repository websites.

7. Analysis of End User Behaviour

The analysis indicates that **search-based access** is the most dominant mode of user interaction across all CSIR repositories. End users prefer simple and advanced search options to locate documents quickly rather than browsing through collections.

Alert services such as RSS feeds positively support repeated usage, but their absence in some repositories limits user engagement. Users show greater trust and preference for repositories indexed in **Google Scholar and BASE**, as these platforms improve discoverability and citation potential.

Availability of recent submissions encourages users to revisit repositories frequently. Repositories that display usage statistics also motivate users by indicating document popularity and research impact.

Despite active usage for downloading and reading documents, **self-archiving behaviour remains limited**. Many users appear unaware of submission policies or copyright guidelines. This reflects a gap between access-oriented usage and participatory engagement.

Interface clarity, metadata quality, and navigation simplicity strongly influence user satisfaction. Repositories supported by EPrints demonstrate better interoperability and user-friendly access compared to some DSpace-based platforms.

Table 1: Distribution of Respondents (Users) – Sample Size = 100

Category	Number of Users	Percentage (%)
Scientists	25	25
Researchers	35	35
Project Assistant	20	20
Students	12	12
Technical Staff	8	8
Total	100	100

Interpretation: The table shows that the majority of respondents are researchers (35%), followed by Scientists (25%) and Project assistant (20%). This indicates that institutional

repositories are primarily used by active research communities. Technical and library staff form a smaller but significant user group supporting repository operations.

Table 2: Frequency of Using Institutional Repository

Frequency of Use	Respondents	Percentage (%)
Daily	18	18
Weekly	34	34
Monthly	28	28
Occasionally	20	20
Total	100	100

Interpretation: Most users access institutional repositories on a **weekly (34%) or monthly (28%) basis**, indicating moderate but regular usage. Daily users constitute 18%, reflecting intensive research-related engagement.

Table 3: Purpose of Using Institutional Repository

Purpose	Respondents	Percentage (%)
Access full-text research articles	40	40
Literature review / reference	25	25
Download theses & reports	15	15
Track recent publications	12	12
Self-archiving / submission	8	8
Total	100	100

Interpretation: The majority of users (40%) access repositories for full-text research articles. Only 8% use them for self-archiving, indicating limited awareness or participation in content submission.

Table 4: Preferred Search Method

Search Method	Respondents	Percentage (%)
Simple Search	42	42
Advanced Search	38	38
Browsing by Collection	12	12
Browsing by Author/ Subject	8	8
Total	100	100

Interpretation: Simple search is the most preferred option (42%), followed closely by advanced search (38%). This indicates that users rely heavily on keyword-based retrieval rather than browsing structures.

Table 5: Awareness of Repository Policies

Awareness Level	Respondents	Percentage (%)
Fully aware	18	18
Partially aware	42	42
Not aware	40	40
Total	100	100

Interpretation: A significant proportion of users (40%) are not aware of repository policies, while only 18% are fully aware. This highlights the need for stronger awareness and orientation programs.

Table 6: Awareness of Alert Services (RSS / Notifications)

Awareness Level	Respondents	Percentage (%)
Aware and using	22	22
Aware but not using	30	30
Not aware	48	48
Total	100	100

Interpretation: Nearly half of the users (48%) are unaware of alert services. This lack of awareness reduces the effectiveness of repositories in engaging users regularly.

Table 7: Preference for Indexed Repositories

Preference	Respondents	Percentage (%)
Prefer Google Scholar indexed repositories	55	55
Prefer BASE indexed repositories	20	20
Prefer CSIR Central indexing	15	15
No specific preference	10	10
Total	100	100

Interpretation: More than half of the users prefer repositories indexed in Google Scholar, reflecting its importance as a discovery platform for scholarly content.

Table 8: User Satisfaction Level with Repository Services

Satisfaction Level	Respondents	Percentage (%)
Highly satisfied	20	20
Satisfied	45	45

Moderately satisfied	25	25
Dissatisfied	10	10
Total	100	100

Interpretation: A majority of users (65%) are satisfied or highly satisfied with repository services, indicating positive acceptance, though scope for improvement remains.

Table 9: Problems Faced by Users

Problems	Respondents	Percentage (%)
Lack of awareness / guidance	30	30
Difficulty in searching	22	22
Limited content availability	20	20
Poor interface design	18	18
Slow access / technical issues	10	10
Total	100	100

Interpretation: The most common issue faced by users is lack of awareness and guidance (30%), followed by search-related difficulties and limited content availability.

Table 10: Suggestions from Users to Improve Repository Use

Suggested Measures	Respondents	Percentage (%)
Training & awareness programs	35	35
Improved interface and navigation	24	24
Strong institutional policies	18	18
Promotion through emails/workshops	15	15
Incentives for content submission	8	8
Total	100	100

Interpretation; Training and awareness programs emerge as the most important suggestion (35%), followed by improvements in interface design and strong policy frameworks.

Analytical Conclusion

The analysis of 100 respondents reveals that institutional repositories in CSIR laboratories are primarily used for accessing research materials rather than for content submission. Users strongly prefer search-based access and repositories indexed in Google Scholar. Although

satisfaction levels are generally positive, limited awareness of repository policies, alert services, and self-archiving procedures restrict optimal utilization. The findings emphasize the need for systematic training, improved interfaces, and stronger institutional support to enhance end user engagement.

8. Findings

1. End users primarily use CSIR repositories for accessing full-text research materials.

2. Search functionality is the most preferred method of information retrieval.

3. Awareness of repository policies and self-archiving procedures is limited.

4. Alert services and usage statistics enhance repeat usage and engagement.

5. Repositories indexed in Google Scholar and BASE attract higher user attention.

6. User participation in content submission remains relatively low.

7. Variations exist among CSIR laboratories in terms of user-oriented features.

9. Suggestions

1. Regular user orientation and training programs should be organized to improve awareness of repository services and self-archiving procedures.

2. All CSIR repositories should enable alert services, usage statistics, and other facilities uniformly.

3. Clear and user-friendly repository policies should be prominently displayed.

4. Interface design and navigation should be continuously improved based on user behaviour analysis.

5. Awareness campaigns should promote the benefits of open access and researcher participation.

10. Conclusion

End user behaviour plays a decisive role in determining the effectiveness and sustainability of institutional repositories. The present study reveals that CSIR repositories are widely used

as access platforms for scholarly information, but active user participation in content submission remains limited. Search facilities, indexing support, and alert mechanisms significantly influence usage patterns. Differences across laboratories indicate the need for standardized user-oriented practices. Strengthening awareness programs, improving usability, and promoting open access culture can substantially enhance user engagement. By aligning technical infrastructure with user needs, CSIR can further strengthen its institutional repositories as dynamic knowledge-sharing platforms within the global research ecosystem.

References

- Crow, R. (2002). *The case for institutional repositories: A SPARC position paper*. SPARC.
- Ghosh, S. B., & Das, A. (2018). Institutional repositories in Indian research organizations: A study of features and services. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 38(2), 85–92.
- Johnson, R. K. (2002). Institutional repositories: Partnering with faculty to enhance scholarly communication. *D-Lib Magazine*, 8(11).
- Lynch, C. A. (2003). Institutional repositories: Essential infrastructure for scholarship in the digital age. *Portal: Libraries and the Academy*, 3(2), 327–336.
- Markey, K., Rieh, S. Y., St. Jean, B., Kim, J., & Yakei, E. (2007). *Census of institutional repositories in the United States*. CLIR.
- Pinfield, S. (2009). Journals and repositories: An evolving relationship. *Learned Publishing*, 22(3), 165–175.
- Singh, S., & Kumar, R. (2015). Institutional repositories in India: A study of development and growth. *Annals of Library and Information Studies*, 62(3), 185–193.
- Suber, P. (2012). *Open Access*. MIT Press.
- Westell, M. (2006). Institutional repositories: Proposed indicators of success. *Library Hi Tech*, 24(2), 211–226.
- Xia, J., & Sun, L. (2007). Assessment of self-archiving in institutional repositories. *Journal of Academic Librarianship*, 33(6), 647–654.

